



भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

राजस्थान सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 3

**भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

**राजस्थान सरकार
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 3**

विषयवस्तु

प्राक्कथन		v
कार्यपालिक सारांश		vii
अध्याय I: विहंगावलोकन		
अनुच्छेद सं.		पृष्ठ सं.
1.1	राज्य का परिदृश्य	1
1.1.1	राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2
1.2	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण	4
1.3	प्रतिवेदन की संरचना	4
1.4	सरकारी लेखों की संरचना एवं बजट प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन	5
1.4.1	वित्त का सूक्ष्मावलोकन	8
1.4.2	सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सूक्ष्मावलोकन	9
1.5	राजकोषीय संतुलन: घाटा और कुल ऋण के लक्ष्यों की प्राप्ति	10
1.6	लेखापरीक्षा में जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल देयताएँ	16
1.6.1	लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा	16
1.6.2	लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण	17
अध्याय II: राज्य का वित्त		
2.1	वर्ष 2018-19 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव	19
2.2	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	20
2.3	राज्य के संसाधन	21
2.3.1	राज्य की प्राप्तियाँ	22
2.3.2	राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ	22
2.3.2.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ और वृद्धि	23
2.3.2.2	राज्य के स्व-संसाधन	25
2.3.2.3	केंद्र द्वारा हस्तांतरण	31
2.3.3	पूँजीगत प्राप्तियाँ	36
2.3.4	संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन	37
2.4	संसाधनों का उपयोग	37
2.4.1	व्यय का संयोजन एवं वृद्धि	38
2.4.2	राजस्व व्यय	40
2.4.2.1	राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन	41
2.4.2.2	प्रतिबद्ध व्यय	42
2.4.2.3	राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अनुन्मुक्त दायित्व	44
2.4.2.4	अर्थ-सहाय्य	46

विषयवस्तु		
2.4.2.5	राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता	47
2.4.3	पूंजीगत व्यय	48
2.4.3.1	पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन	49
2.4.3.2	निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता	54
2.4.4	व्यय की प्राथमिकताएं	55
2.4.5	कार्यात्मक शीर्ष-वार व्यय	56
2.5	लोक लेखा	57
2.5.1	लोक लेखा निवल शेष	57
2.5.2	आरक्षित निधियां	58
2.5.2.1	राज्य आपदा मोचन निधि	59
2.5.2.2	प्रत्याभूति मोचन निधि	61
2.6	ऋण प्रबंधन	62
2.6.1	ऋण रूपरेखा: घटक	63
2.6.2	ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान	68
2.7	ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)	70
2.7.1	उधार ली गई निधियों का उपयोग	72
2.7.2	प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयतायें	73
2.7.3	रोकड़ शेषों का प्रबंधन	74
2.8	निष्कर्ष एवं सिफारिशें	77
अध्याय III: बजटीय प्रबंधन		
3.1	बजट प्रक्रिया	79
3.1.1	वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों/आधिक्यों का सारांश	82
3.1.2	प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण	82
3.2	विनियोग लेखे	82
3.3	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रमाणिकता पर टिप्पणियाँ	83
3.3.1	अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान	83
3.3.2	अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोग	84
3.3.3	अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और बड़ी बचतें/अभ्यर्पण	85
3.4	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ	91
3.4.1	एकमुश्त बजट प्रावधान	91
3.5	बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ	91
3.5.1	बजट प्रक्षेपण एवं अपेक्षा और वास्तविक के बीच अंतर	91
3.5.2	अनुपूरक बजट और अवसर लागत	94

विषयवस्तु		
3.5.3	बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्त पोषण	103
3.5.4	व्यय का प्रवाह	106
3.5.5	चयनित अनुदानों की समीक्षा	108
3.6	प्रशंसनीय कदम	116
3.7	सिफारिशें	117
अध्याय-IV : लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग		
4.1	राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं करना	119
4.1.1	राज्य सरकार के बजट से इतर उधार और बढ़ती आकस्मिक देयताएं	119
4.2	राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे ही हस्तान्तरित निधियां	121
4.3	स्थानीय निधियों को जमा	121
4.4	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	123
4.4.1	अनुदानग्राही को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना	125
4.5	सारांशीकृत आकस्मिक बिल	126
4.6	निजी निक्षेप स्वाता	131
4.6.1	भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए पीडी स्वाता	133
4.6.2	जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)	133
4.6.3	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा	134
4.6.4	राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि	134
4.6.5	निजी निक्षेप स्वातों का मिलान	135
4.6.6	अप्रचलित निजी निक्षेप स्वाता	136
4.7	लघु शीर्ष-800 का अविवेकपूर्ण उपयोग	137
4.8	मुख्य उच्चत शीर्ष और डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	138
4.9	विभागीय आंकड़ों का मिलान	141
4.10	नकद शेष का मिलान	142
4.11	लेखांकन मानकों की अनुपालना	142
4.12	स्वायत्त निकायों के लेखे/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना	143
4.13	विभागीय वाणिज्यक उपक्रम/निगम/कम्पनियाँ	144
4.14	दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि	145
4.15	पेंशन का अधिक/कम भुगतान	147
4.16	राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	148
4.17	निष्कर्ष	148
4.18	सिफारिशें	148

परिशिष्ट		
परिशिष्ट-1.1	राज्य के वित्तीय आंकड़े	151
परिशिष्ट-1.2	31 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार की सारान्शिकृत वित्तीय स्थिति	152
परिशिष्ट-2.1	वर्ष 2019-20 में प्राप्तियों और संवितरणों का सार	154
परिशिष्ट-2.2	राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय सारणी आंकड़े	159
परिशिष्ट-2.3	ऋण की शब्दावली	161
परिशिष्ट-3.1	बजट सम्बन्धित शब्दों की शब्दावली	162
परिशिष्ट-3.2	निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम अधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	165
परिशिष्ट-3.3	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ कुल प्रावधानों में से ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचतें रही	166
परिशिष्ट-3.4	₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण	168
परिशिष्ट-3.5	एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण ₹ 5 करोड़ से अधिक था)	169
परिशिष्ट-3.6	योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 1 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा	171
परिशिष्ट-3.7	मामलें जहाँ अंतिम तीन वर्षों में सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे	179
परिशिष्ट-3.8	व्यय का प्रवाह (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था)	180
परिशिष्ट-4.1	राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तांतरण (राज्य बजट से बहार रस्वी गई निधियाँ)	184
परिशिष्ट-4.2	वर्ष 2019-20 तक के बकाया सारान्शिकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति	186
परिशिष्ट-4.3	वर्ष 2015-20 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र	189
परिशिष्ट-4.4	लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ	191
परिशिष्ट-4.5	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	193
परिशिष्ट-4.6	विभिन्न विभागों में चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के मामलों का श्रेणीवार विवरण	195
परिशिष्ट-4.7	पेंशन के अधिक/कम भुगतान का विवरण	196

प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. प्रतिवेदन के अध्याय I में राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार एवं दृष्टिकोण, प्रतिवेदन की संरचना, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रिया, प्रमुख राजकोषीय मापदण्ड, प्रवृत्तियाँ जैसे राजस्व आधिक्य/कमी, राजकोषीय आधिक्य/कमी आदि शामिल है।
3. प्रतिवेदन के अध्याय II और III में क्रमशः 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखों और विनियोग लेखों की जाँच में प्रकट होने वाले मामलों पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल है। राजस्थान सरकार से जहाँ भी आवश्यक हो, जानकारी प्राप्त की गई है।
4. अध्याय IV 'लेखों की गुणवत्ता तथा वित्तीय रिपोर्टिंग' पर वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं तथा निर्देशों की अनुपालना की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।
5. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न सरकारी विभागों में संवितरणों की लेखा परीक्षा के निष्कर्ष, सांविधिक निगमों, बोर्ड और सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा में प्रकट हुये आक्षेपों और राजस्व प्राप्तियों पर टिप्पणियों को पृथक से प्रस्तुत किया जाता है।

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के आधार पर राजस्थान सरकार के वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है। राज्य के वित्तीय निष्पादन का आंकलन राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, बजट दस्तावेजों, वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा, चौदहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन और विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों से प्राप्त किये गए अन्य वित्तीय आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

प्रतिवेदन

इस प्रतिवेदन को चार भागों में बाँटा गया है:

अध्याय 1-विहंगावलोकन: यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अंतर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहत राजकोषीय विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति पर विहंगावलोकन प्रदान करता है।

अध्याय 2-राज्य का वित्त: यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, विगत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रुपरेखा और लोक लेखों के प्रमुख संव्यवहारों, मुख्य रूप से राज्य के वित्त लेखों पर आधारित, का विश्लेषण करता है।

अध्याय 3-बजट प्रबंधन: यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार की विनियोजन और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन को प्रतिवेदित करता है।

अध्याय 4-लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग: यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों का अनुपालन नहीं करने के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

राज्य सरकार की उपलब्धियां

वर्ष 2019-20 के दौरान बकाया प्रत्याभूतियों का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (35.9 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सीमा (60.0 प्रतिशत) के भीतर रहा।

(अनुच्छेद 2.7.2)

राज्य सरकार ने पिछले पांच वर्षों के लिए व्यय और प्राप्तियों का नियंत्रक अधिकारियों के माध्यम से प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय के साथ 100 प्रतिशत अंक मिलान किया।

(अनुच्छेद 4.9)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति

राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन प्रमुख राजकोषीय मापदंडों-राजस्व घाटे/अधिशेष, राजकोषीय घाटे/अधिशेष और बकाया ऋण के जीएसडीपी से अनुपात के संदर्भ में देखा जाता है।

जीएसडीपी के प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा वर्ष 2018-19 में 3.66 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 3.69 प्रतिशत हो गया, जो कि एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत निर्धारित तीन प्रतिशत के लक्ष्य से अधिक था।

एफआरबीएम अधिनियम के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटा प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाए रखना या राजस्व अधिशेष प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार का वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व घाटा ₹ 36,371 करोड़ था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राजकोषीय देयता (कुल बकाया ऋण) का जीएसडीपी से अनुपात (34.55 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (34.0 प्रतिशत) से अधिक था।

(अध्याय-I)

राज्य का वित्त

राजस्व प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में ₹ 2,240.79 करोड़ (1.63 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, तथापि राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 9,711.91 करोड़ (5.82 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जिसके कारण राजस्व घाटे में वृद्धि हुई।

पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष की तुलना में ₹ 4,920.15 करोड़ (25.05 प्रतिशत) की कमी हुई।

(अध्याय-II)

बजटीय प्रबंधन

राज्य सरकार के वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान यथार्थ नहीं थे और बजट तैयार करने और निष्पादन में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए बजट पूर्व एक विस्तृत प्रक्रिया अपनाने के बावजूद, बजटीय अनुमान एक स्तर तक सही नहीं थे, और बजट के निष्पादन और अनुश्रवण पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

वर्ष के दौरान ₹ 24,358 करोड़ (10.03 प्रतिशत) की बचत हुई और ₹ 2,937.12 करोड़ के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए। पिछले कई वर्षों से प्रत्येक वर्ष इन मामलों को उठाने के बावजूद राज्य सरकार इस संबंध में सुधारात्मक उपाय करने में विफल रही।

आवंटन के साथ-साथ व्यय में विचलन के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) को स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किये गये। इस संबंध में लोक लेखा समिति की सिफारिशों के बावजूद वर्ष के दौरान अनुदानों के अंतर्गत लगातार बचतों के मामले देखे गए।

(अध्याय-III)

लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

विभागों द्वारा विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित निधियों के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत नहीं करना और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा लेखों को प्रस्तुत नहीं करना, निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था जो कि राज्य सरकार के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और अनुश्रवण तंत्र की ओर इशारा करता है।

राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के वार्षिक लेखों का वर्ष 2017-18 से अंतिमीकरण नहीं किया गया है। पर्याप्त निधियों की उपलब्धता के बावजूद, राज्य सरकार ने निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए बोर्ड के पास उपलब्ध निधियों के मात्र एक हिस्से का ही उपयोग किया।

(अध्याय-IV)

मुख्य प्रतिवेदन

अध्याय 1: विहंगावलोकन

1.1 राज्य का परिदृश्य

राजस्थान 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल के साथ देश में सबसे बड़ा राज्य है। यह देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और उत्तर और उत्तर-पूर्व में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण-पश्चिम में गुजरात राज्यों से परिबद्ध है। इसकी पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। राज्य में अर्ध-शुष्क से लेकर शुष्क तक विविध जलवायु परिस्थितियां हैं। प्रशासनिक रूप से, यह सात संभागों और 33 जिलों में विभाजित है।

राज्य के प्रमुख संकेतक तालिका 1.1 एवं परिशिष्ट 1.1 में दिए गए हैं।

तालिका 1.1: राज्य के प्रमुख संकेतक

संकेतक	वर्ष	इकाई	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्र*	2011	लाख वर्ग किलो मीटर	3.42	32.87
आबादी*	2011	करोड़	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर *	2001-2011	प्रतिशतता	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व*	2011	जनसंख्या प्रति वर्ग किलो मीटर	200	382
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या*	2011	प्रतिशतता	24.9	31.1
लिंगानुपात*	2011	महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष	928	943
साक्षरता दर*	2011	प्रतिशतता	66.1	73.0
प्रति व्यक्ति आय*	2019-20	₹ में	1,18,159	1,35,050
शिशु मृत्यु दर#	2017	प्रति 1,000 जीवित जन्म	38	33
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा#	2013-2017	वर्षों	68.5	69.0
गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (बीपीएल)#	2011-12	प्रतिशतता	14.7	21.9

* आर्थिक समीक्षा 2019-20, राजस्थान सरकार ।

आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, भारत सरकार ।

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या की प्रतिशतता 14.7 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय औसत 21.9 प्रतिशत से कम थी। साक्षरता दर अखिल भारतीय औसत 73 प्रतिशत से 6.9 प्रतिशतता बिंदु नीचे थी। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य की प्रति व्यक्ति आय ₹1,18,159 रही जोकि अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति आय ₹1,35,050 से कम थी।

1.1.1 राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी का बढ़ना राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है।

वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में राज्य की जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि दर में प्रवृत्तियों को तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: वर्तमान मूल्यों पर राष्ट्रीय जीडीपी की तुलना में जीएसडीपी की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राष्ट्रीय जीडीपी (2011-12 श्रृंखला)	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164 [#]	2,04,42,233 ^{##}
पिछले वर्ष की तुलना में जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.46	11.55	11.28	11.20	7.53
राज्य की जीएसडीपी (2011-12 श्रृंखला)	6,81,482	7,60,750	8,35,170 ^Σ	9,42,586 [£]	10,20,989 ^{##}
पिछले वर्ष की तुलना में जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.69	11.63	9.78	12.86	8.32

स्रोत: भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण (2019-20) और आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा (2019-20)।


अनन्तिम अनुमान, ## अग्रिम अनुमान, Σ संशोधित अनुमान-III, £ संशोधित अनुमान-I

जैसा कि ऊपर दी गयी तालिका से देखा जा सकता है कि वर्ष 2015-16, 2016-17, 2018-19 और 2019-20 के दौरान, राजस्थान की जीएसडीपी राष्ट्रीय जीडीपी वृद्धि दर की तुलना में उच्च दर से बढ़ी। तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की जीएसडीपी ने पांच वर्षों में सबसे कम वृद्धि दर दर्ज की।

वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन के क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (2015-16 से 2019-20)

चार्ट 1.1 से प्रकट होता है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान सकल राज्य मूल्य वर्धन (जीएसवीए) में उद्योगों के सापेक्षिक योगदान में उल्लेखनीय कमी आई है, जो वर्ष 2015-16 में 30.96 प्रतिशत से वर्ष 2019-20 में कम होकर 27.81 प्रतिशत रह गया। कृषि क्षेत्र के सापेक्षिक योगदान में मामूली गिरावट के साथ सेवा क्षेत्र में वृद्धि देखी गई।

चार्ट 1.1: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए के क्षेत्रवार योगदान में परिवर्तन (वर्ष 2015-16 एवं 2019-20)




स्रोत: आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार।

वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि

वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में उद्योग और सेवा क्षेत्रों की वृद्धि दर में गिरावट रही। तथापि, गत वर्ष की तुलना में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई जैसाकि चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है।

चार्ट 1.2: वर्तमान मूल्यों पर जीएसवीए में क्षेत्रवार वृद्धि (वर्ष 2015-16 से 2019-20)



1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के संदर्भ में, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (सीएजी) का राज्य के लेखों से सम्बन्धित प्रतिवेदन, राज्य के राज्यपाल को उनके द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष रखे जाने हेतु प्रस्तुत किया जाता है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्य करने वाले कोषालयों, कार्यालयों और ऐसे विभागों जो लेखों को रखने के लिए जिम्मेदार है, के द्वारा प्रदान किए गए वाउचर्स, चालानों और प्रारंभिक एवं सहायक लेखों एवं भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर राज्य के वित्त लेखों और विनियोग लेखों को तैयार करता है। ये लेखे महालेखाकार (लेखापरीक्षा -I) द्वारा स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षित किये जाते हैं एवं सीएजी द्वारा प्रमाणित किये जाते हैं।

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के वित्त लेखे और विनियोग लेखे इस प्रतिवेदन के मुख्य स्रोत हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वर्ष 2019-20 के लिए राज्य का बजट- राजकोषीय मापदंडों और आवंटन संबंधी प्राथमिकताओं दोनों के समक्ष अनुमानों के आंकलन के साथ-साथ इसके क्रियान्वयन की प्रभावशीलता के मूल्यांकन और सम्बंधित नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं की अनुपालना;
- कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I), राजस्थान द्वारा वर्ष के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर की गई लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषालयों के अन्य आंकड़े (आईएफएमएस के साथ-साथ लेखांकन);
- आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार द्वारा जीएसडीपी आंकड़ें एवं राज्य से सम्बंधित अन्य सांख्यिकीय आंकड़ें; और
- वर्ष 2014-20 के दौरान तैयार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

यह विश्लेषण चौदहवें वित्त आयोग (चौविआ) की सिफारिशों, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, भारत सरकार के श्रेष्ठ प्रचलित मानकों और दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी किया गया है।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की संरचना निम्नलिखित चार अध्यायों में संरचित है:

अध्याय I	विहंगावलोकन यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार और दृष्टिकोण का वर्णन करता है, सरकारी लेखों की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के वृहत विश्लेषण और घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रदान करता है।
अध्याय II	राज्य का वित्त प्रबन्ध यह अध्याय राज्य के वित्त, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण, 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण परिदृश्य

	और राज्य के वित्त लेखों पर आधारित प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों का व्यापक परिदृश्य प्रदान करता है।
अध्या -III	बजटीय प्रबंधन यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखों पर आधारित है और राज्य सरकार की विनियोजन और आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है।
अध्याय IV	लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखों की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा, निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है।

1.4 सरकारी लेखों की संरचना एवं बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं:

1. राज्य की समेकित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां आदि), भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विस्तारित मार्गोपाय अग्रिमों और ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन राशियां शामिल हैं। इस निधि से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त कानून के अनुसरण में और उद्देश्यों के लिए एवं निर्धारित रीति के सिवाय किसी भी राशि को विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण की पुर्नअदायगी आदि) राज्य की समेकित निधि पर प्रभारित (प्रभारित व्यय) होती है और विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। अन्य समस्त व्यय (दत्तमत व्यय) पर विधानमंडल द्वारा मतदान किया जाता है।

2. राज्य की आकस्मिकता निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267 (2))

यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल ने कानून द्वारा स्थापित किया है और इसे राज्य विधानमंडल द्वारा प्रमाणीकरण लंबित रहने तक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान करने हेतु सक्षम बनाने हेतु राज्यपाल के अधीन रखा गया है। व्यय को संबंधित कार्यात्मक मुख्य शीर्ष को नामे कर इस निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से की जाती है।

3. राज्य का लोक लेखा (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपरोक्त के अलावा, सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त समस्त अन्य लोक राशियां, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, लोक लेखे में जमा की जाती हैं। लोक लेखे में पुर्नअदायगियाँ जैसे लघु बचतें और भविष्य निधि, जमायें (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), अग्रिम, आरक्षित निधियां (ब्याज वाली और बिना ब्याज वाली), प्रेषण और उचंत शीर्ष (जिनमें दोनों शीर्ष अस्थायी हैं और समायोजन लंबित हैं)

सम्मिलित है। लोक लेखे में सरकार के पास उपलब्ध निवल नकद शेष भी सम्मिलित है। लोक लेखा विधानमंडल के मतदान के अध्यक्षीन नहीं होता है।

भारत में राज्य के विधानमंडल के सदन या सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत करना एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202)। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' बजट का मुख्य दस्तावेज है। इसके अतिरिक्त, बजट राजस्व खाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करता है।

राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, केंद्रीय करों/शुल्कों में राज्यांश तथा भारत सरकार से प्राप्त अनुदान शामिल है।

राजस्व व्यय में सरकार के वे समस्त व्यय शामिल होते हैं जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। यह सरकारी विभागों के सामान्य कामकाज और विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए व्यय, सरकार द्वारा लिए गए कर्ज पर किये गए ब्याज भुगतान और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (भले ही कुछ अनुदान संपत्ति के निर्माण के लिए हो) से सम्बंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में सम्मिलित है:

- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, मार्गोपाय अग्रिम के तहत निवल लेनदेन और केंद्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्तियाँ, ऋण और अग्रिमों की वसूलियां;

पूंजीगत व्यय में भूमि अधिग्रहण पर व्यय, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश और सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं अन्य पक्षों को दिए गये ऋण और अग्रिम शामिल है।


वर्तमान में सरकार में एक लेखा वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	लेन-देन की विशेषता	वर्गीकरण
सीजीए द्वारा मुख्य लघु शीर्ष की सूची में अधिकृत	कार्य-स्वास्थ्य, शिक्षा इत्यादि/विभाग	अनुदान के अंतर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंक)
	उप-कार्य	उप-मुख्य शीर्ष (2-अंक)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंक)
राज्यों के लिए छूट	योजना	उप-शीर्ष (2-अंक)
	उप-योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंक)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	कार्यात्मक शीर्ष-वेतन, लघु कार्य, इत्यादि (2-अंक)

कार्यात्मक वर्गीकरण हमें विभाग, कार्यकलाप, योजना या कार्यक्रम और व्यय के उद्देश्य की जानकारी देता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजी, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में मदद करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्ष के पहले अंक द्वारा प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 0 और 1

राजस्व प्राप्तियों के लिए 2 और 3 राजस्व व्यय आदि के लिए है। आर्थिक वर्गीकरण कुछ कार्यात्मक शीर्षों की अंतर्निहित परिभाषा और उनके वर्गीकरण द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, समान्यतः “वेतन” राजस्व व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है, “निर्माण” पूंजीगत व्यय का कार्यात्मक शीर्ष है। कार्यात्मक शीर्ष बजट दस्तावेजों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3: सरकारी लेखों की संरचना



निधि आधारित लेखांकन के साथ लेन-देनों का कार्यात्मक और आर्थिक वर्गीकरण सरकारी गतिविधियों/लेनदेनों के गहन विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है और लोक वित्त पर विधायी अनुश्रवण को सक्षम बनाता है।

बजटीय प्रक्रियाएँ

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के एक विवरण को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में (बजट के रूप में संदर्भित) राज्य विधानमंडल के समक्ष उस व्यय के अनुमानों के साथ-

- जो राज्य की समेकित निधि को प्रभारित हो;
- राज्य की समेकित निधि से किये जाने वाले प्रस्तावित अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए आवश्यक राशियाँ और राजस्व स्वाते पर व्यय को अन्य व्यय से अलग करेगा।

अनुच्छेद 203 के अनुसार उपरोक्त को अनुदानों/विनियोजनों के लिए 55 मांगों के रूप में राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किया गया और इनके अनमोदन के पश्चात, समेकित निधि से आवश्यक राशि के विनियोजन के लिए अनुच्छेद 204 के तहत विधानमंडल द्वारा विनियोग विधेयक पारित किया गया है।

जैसा कि अनुच्छेद 1.2 में उल्लेखित है, राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को तैयार करने के लिए वित्त और विनियोग लेखे मुख्य आंकड़े प्रदान करते हैं। ये लेखे भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा किए गए विभिन्न अंतर-सरकारी और अन्य समायोजनों को सम्मिलित करते हुए वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय पर आधारित हैं। यह मानते हुए कि ये प्राप्तियाँ और व्यय बजट में अनुमानित किये गए और व्यय को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के बजट का बारीकी से अध्ययन करना और बजट में किए गए अनुमानों के संदर्भ में वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है।

राज्य बजट नियमावली बजट निर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण और राज्य सरकार को अपने बजटीय अनुमानों को तैयार करने और इसकी व्यय गतिविधियों का अनुश्रवण करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट और राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के कार्यान्वयन की लेखा परीक्षा संवीक्षा के परिणामों को इस प्रतिवेदन के **अध्याय 3** में वर्णित किया गया है।

1.4.1 वित्त का सूक्ष्मावलोकन

निम्नलिखित तालिका वर्ष 2018-19 के वास्तविकों के साथ-साथ वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक वित्तीय परिणामों का विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.3: वर्ष 2019-20 के बजट अनुमानों की तुलना में 2018-19 एवं 2019-20 के वास्तविक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	घटक	2018-19 वास्तविक	2019-20 बजट अनुमान	2019-20 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1	कर राजस्व	57,380	73,743	59,245	80.33	5.8
2	कर-भिन्न राजस्व	18,603	19,124	15,714	82.17	1.5
3	संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (अ)	41,853	44,462	36,049	81.08	3.5
4	सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	20,037	26,676	29,106	109.11	2.9
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,37,873	1,64,005	1,40,114	85.43	13.7
6	ऋण और अग्रिमों की वसूली	15,158	16,192	15,670	96.78	1.5
7	विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20	25	20	80.00	0.0
8	उधार और अन्य देयताएं (ब)	34,473	32,679	37,654	115.22	3.7

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष

के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	घटक	2018-19 वास्तविक	2019-20 बजट अनुमान	2019-20 वास्तविक	बजट अनुमान से वास्तविक का प्रतिशत	जीएसडीपी से वास्तविक का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
9	पूँजीगत प्राप्तियाँ (6+7+8)	49,651	48,896	53,344	109.10	5.2
10	कुल प्राप्तियाँ (5+9)	1,87,524	2,12,901	1,93,458	90.87	18.9
11	राजस्व व्यय जिसमें	1,66,773	1,91,020	1,76,485	92.39	17.3
12	ब्याज भुगतान	21,695	23,133	23,643	102.20	2.3
13	पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान	799	-	5,198	-	0.5
14	पूँजीगत व्यय जिसमें (स)	20,751	21,881	16,973	77.57	1.7
15	पूँजीगत परिव्यय	19,638	19,472	14,718	75.59	1.4
16	ऋण और अग्रिम	1,113	2,409	2,255	93.61	0.2
17	कुल व्यय (11+14)	1,87,524	2,12,901	1,93,458	90.87	18.9
18	राजस्व घाटा (5-11)	28,900	27,015	36,371	134.63	3.6
19	प्रभावी राजस्व घाटा (18-13)	28,101	-	31,173	-	3.1
20	राजकोषीय घाटा {17-(5+6+7)}	34,473	32,679	37,654	115.22	3.7
21	प्राथमिक घाटा (20-12)	12,778	9,546	14,011	146.77	1.4

(अ) केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से सहित।

(ब) उधार और अन्य देयताएं: लोक ऋण का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + आकस्मिक निधि का निवल + लोक लेखा का निवल (प्राप्तियाँ-संवितरण) + प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ शेष का निवल।

(स) पूँजीगत स्वाते पर व्यय में पूँजीगत व्यय और संवितरित ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।

1.4.2 सरकार की परिसंपत्तियों और देयताओं का सूक्ष्मावलोकन

सरकारी लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं और व्यय से सृजित की गई परिसंपत्तियों को संकलित करते हैं। देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधार, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम, लोक लेखा प्राप्तियाँ एवं आरक्षित निधियाँ और परिसंपत्तियाँ जिनमें मुख्यतः पूँजीगत परिव्यय, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित हैं। तालिका 1.4 एवं परिशिष्ट 1.2, 31 मार्च 2020 को देयताओं एवं परिसंपत्तियों का सार प्रस्तुत करते हैं।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों और देयताओं की सारांशीकृत स्थिति

(₹ करोड़ में)

		देयतायें			परिसंपत्तियाँ				
		2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि		2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि	
समेकित निधि									
अ	आन्तरिक ऋण	2,19,311.48	2,42,077.41	10.4	अ	सकल पूँजीगत परिव्यय	1,88,108.83	2,02,806.46	7.8
ब	भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	13,927.40	17,302.50	24.2	ब	ऋण एवं अग्रिम	23,262.49	9,847.92	(-) 57.7

देयतायें				परिसम्पत्तियाँ					
	2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि		2018-19	2019-20	प्रतिशत वृद्धि		
आकस्मिकता निधि									
आकस्मिकता निधि	500.00	500.00	-						
लोक लेखा									
अ	अल्प बचतें, भविष्य निधि आदि	47,478.08	51,468.62	8.4	अ	अग्रिम	3.21	3.21	-
ब	जमायें	28,817.51	33,842.46	17.4	ब	प्रेषण	2.05	10.37	405.9
स	आरक्षित निधियाँ	5,551.37	9,881.68	78.0	स	उच्चत एवं विविध	206.65	120.15	(-) 41.9
द	प्रेषण	-	-			नकद शेष (चिह्नित निधियों में निवेश सहित)	5,793.75	7,704.41	33.0
						योग	2,17,376.98	2,20,492.52	1.4
						राजस्व खाते में घाटा	98,208.86	1,34,580.15	37.0
	योग	3,15,585.84	3,55,072.67	12.5		योग	3,15,585.84	3,55,072.67	12.5

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियाँ 1.4 प्रतिशत जबकि देयताएँ 12.5 प्रतिशत बढ़ीं।

1.5 राजकोषीय संतुलन: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की प्राप्ति

घाटे की प्रकृति सरकार के विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन का एक संकेतक है। इसके अतिरिक्त, वे तरीके जिनसे घाटे को वित्तपोषित किया जाता है, और जुटाये गए संसाधनों का उपयोग करना राज्य की राजकोषीय स्थिति के महत्वपूर्ण संकेतक हैं। यह भाग इन घाटों के वित्त पोषण की प्रवृत्ति, प्रकृति, परिमाण एवं तरीके और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम/नियमों के तहत निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में राजस्व और राजकोषीय घाटे के वास्तविक स्तर के आकलन को भी प्रस्तुत करता है।

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, राज्य में विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन सुनिश्चित करने एवं राजकोषीय स्थिरता बनाये रखने के उद्देश्य से, राज्य सरकार द्वारा अपना 'राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया गया था। इसको वर्ष 2011 एवं 2016 में संशोधित किया गया। इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग ने भी राज्य के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के लिए रोडमैप का सुझाव दिया।

राज्य की राजकोषीय स्थिति की समीक्षा में निम्नलिखित बिन्दु दृष्टिगत हुये:

(i) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (क) में किये गये प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2011-12 से शून्य राजस्व घाटे के लक्ष्य को प्राप्त करना था और उसके बाद इसे बनाये रखना था अथवा राजस्व अधिशेष की स्थिति को प्राप्त करना था। तथापि, राज्य सरकार केवल वर्ष 2011-12 और 2012-13

के दौरान ही राजस्व अधिशेष को बनाए रख सकी और उसके बाद वर्ष 2019-20 तक लगातार सात वर्षों के दौरान राजस्व घाटा रहा है।

गत छः वर्षों के दौरान राजस्व घाटे/अधिशेष के सन्दर्भ में बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों एवं वास्तविक आँकड़ों की स्थिति को नीचे सारांशीकृत किया गया है:

तालिका 1.5: बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविकों के संदर्भ में राजस्व घाटे/अधिशेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16*	2016-17*	2017-18*	2018-19		2019-20	
					उदय सहित	उदय रहित	उदय सहित	उदय रहित
बजट अनुमान	(+) 738	(+) 557	(-) 8,802	(-) 13,528	(-) 17,455	(-) 5,455	(-) 27,015	(-) 13,199
संशोधित अनुमान	(-) 4,220	(-) 5232	(-) 17,838	(-) 20,166	(-) 24,825	(-) 12,825	(-) 28,041	(-) 14,225
वास्तविक	(-) 3,215	(-) 5,954	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 16,900	(-) 36,371	(-) 22,555

* उदय के प्रभाव सहित¹

उपरोक्त तालिका से यह दृष्टिगत होता है कि राजस्व घाटा ₹ 36,371 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 27,015 करोड़) एवं संशोधित अनुमानों (₹ 28,041 करोड़) में लगाये गए अनुमानों से अधिक रहा। उपरोक्त तालिका यह भी इंगित करती है कि वर्ष 2014-15 से 2019-20 के लिए बजट अनुमान दोषपूर्ण थे क्योंकि इन वर्षों के दौरान संशोधित अनुमानों और वास्तविकों में बजट अनुमानों की तुलना में निरन्तर एवं उल्लेखनीय गिरावट देखी गयी।

राज्य सरकार वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व घाटे को बजट अनुमानों तक सीमित रखने में असमर्थ रही क्योंकि ₹ 1,64,005 करोड़ के बजट अनुमान के समक्ष वास्तविक राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 1,40,114 करोड़ (जीएसटी के लागू होने के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 4,440 करोड़ सहित) अर्थात् 14.57 प्रतिशत (₹ 23,891 करोड़) से कम रही, जबकि ₹ 1,91,020 करोड़ के बजट अनुमानों के समक्ष वास्तविक राजस्व व्यय ₹ 1,76,485 करोड़ अर्थात् मात्र 7.61 प्रतिशत (₹ 14,535 करोड़) से कम रहा।

इस प्रकार, बजट की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में अधिक गिरावट और व्यय पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण रहा जो यह इंगित करता है कि राज्य को राज्य का बजट तैयार करते समय प्राप्तियों और व्यय के अधिक यथार्थवादी अनुमान लगाने की आवश्यकता है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि राज्य की अर्थ व्यवस्था में आई मंदी के कारण राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य प्राप्त नहीं किये जा सके। इसके अलावा, मुख्यतः वेतन, पेंशन, इत्यादि

1. उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय), विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय कुप्रबंधन के स्थायी समाधान के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया वित्तीय काया कल्प एवं पुनरुद्धार पैकेज है।

प्रतिबद्ध व्यय जिनको कम नहीं किया जा सकता था, के कारण राजस्व व्यय की अपेक्षा राजस्व प्राप्तियों में ज्यादा गिरावट आयी।

(ii) एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ख) (2011 में संशोधित) में वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक रखने तथा उसके बाद इस अनुपात को बनाये रखने या इसे कम करने की परिकल्पना की गई थी। चौदहवें वित्त आयोग ने भी राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक बनाए रखने की सिफारिश की थी।

गत तीन वर्षों के दौरान राजकोषीय घाटे-जीएसडीपी अनुपात की प्रवृत्ति को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.6: बजट अनुमान/संशोधित अनुमान तथा वास्तविक के संदर्भ में राजकोषीय घाटे की स्थिति

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक
2017-18	2.99	3.46	3.03
2018-19	2.98	3.39	3.66
2019-20	3.19	3.16	3.69

वर्ष 2019-20 के दौरान यह दृष्टिगत हुआ कि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा, एफआरबीएम अधिनियम और चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निर्धारित किये गये 3 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में अधिक था। राजकोषीय घाटा ₹ 37,654 करोड़ रहा जो कि बजट अनुमानों (₹ 32,679 करोड़) एवं संशोधित अनुमानों (₹ 32,214 करोड़) में किये गए आंकलन से अधिक था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि राजस्व प्राप्तियों के लक्ष्य राज्य की अर्थ व्यवस्था में मंदी के कारण प्राप्त नहीं किये जा सके।

(iii) राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कुल बकाया देयताओं की सीमा जीएसडीपी के 34.0 प्रतिशत तक निर्धारित करने के लिए एफआरबीएम अधिनियम की धारा 6 (ग) के प्रावधानों में संशोधन किया गया (अप्रैल 2016)। तथापि, वर्ष 2019-20 के दौरान देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात 34.55 रहा, जो कि एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा से अधिक था।

तालिका 1.7: एफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों की अनुपालना

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय संकेतक	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धियां				
		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	राजस्व अधिशेष	-5,954	-18,114	-18,535	-28,900	-36,371
		×	×	×	×	×
	तीन प्रतिशत	-63,070 (-9.25)	-46,318 (-6.09)	-25,342 (-3.03)	-34,473 (-3.66)	-37,654 (-3.69)

राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)		×	×	×	×	×
कुल बकाया देयताओं का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	लक्ष्य	36.50	36.50	35.50	35.00	34.00
	उपलब्धि	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55
		✓	✓	✓	✓	×

चौदहवें वित्त आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय वातावरण और राजकोषीय सुदृढीकरण रोडमैप की सिफारिश की थी। जिसमें (क) वार्षिक बजट प्रावधान के उपयुक्त गुणज के रूप में नए पूंजीगत कार्यों की स्वीकृति के लिए एक वैधानिक सीमा निश्चित करना (ख) मौजूदा एफआरबीएम अधिनियम को अनुच्छेद 293 (1) के तहत देयता सीमा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान द्वारा प्रतिस्थापित करना शामिल था।

विभाग ने अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि राज्य ने नए पूंजीगत कार्यों की स्वीकृति के लिए वैधानिक सीमा की सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया है क्योंकि यह व्यावहारिक नहीं थी। इसके साथ, ऋण सीमा एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान सम्बन्धी सिफारिश को मौजूदा एफआरबीएम अधिनियम में संशोधित करके लागू कर दिया गया।

वर्तमान वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय नीति (एमटीएफपी) में राजकोषीय मापदंडों के निर्धारित किए गये लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक जो राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत किये गये, को नीचे तालिका में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 1.8: 2019-20 के लिए एमटीएफपी में किये गये अनुमानों के साथ-साथ वास्तविक


(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजकोषीय मापदंड	एमटीएफपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2019-20)	अंतर (प्रतिशत में)
1	स्व-कर राजस्व	73,743	59,245	(-) 19.67
2	कर-भिन्न राजस्व	19,124	15,714	(-) 17.83
3	केन्द्रीय करों का हिस्सा	44,462	36,049	(-) 18.92
4	भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	26,676	29,106	9.11
5	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3+4)	1,64,005	1,40,114	(-) 14.57
6	राजस्व व्यय	1,91,020	1,76,485	(-) 7.61
7	राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+) (5-6)	(-) 27,015	(-) 36,371	34.63
8	राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-) 32,678	(-) 37,654	15.23
9	ऋण-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत में)	33.19	34.55	4.10
10	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.24	8.32	(-) 18.75

जैसा कि तालिका से देखा जा सकता है, दो प्रमुख राजकोषीय मापदंडों अर्थात् राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे के संदर्भ में वास्तविक, एमटीएफपी के अनुमानों से अधिक थे एवं वर्ष के अंत में एमटीएफपी में अनुमानित देयता से जीएसडीपी का अधिक अनुपात और जीएसडीपी में कम वृद्धि के साथ देयता-जीएसडीपी अनुपात और जीएसडीपी की वृद्धि दर से संबंधित अनुमानों को पूरा नहीं किया गया।


चार्ट 1.4 और 1.5 वर्ष 2015-20 की अवधि में घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं।

चार्ट 1.4: घाटे के संकेतकों की प्रवृत्ति




*उदय रहित

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सन्दर्भ में घाटे (उदय सहित) के संकेतकों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं और जीएसडीपी की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



2019-20 के दौरान, आंतरिक ऋण में 10.38 प्रतिशत (₹ 22,765 करोड़), लोक लेखा दायित्वों में 19.44 प्रतिशत (₹ 15,187 करोड़) तथा केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिमों में 24.24 प्रतिशत (₹ 3,376 करोड़) की वृद्धि के कारण, राजकोषीय देयतायें गत वर्ष की तुलना में 13.27 प्रतिशत से (₹ 41,328 करोड़) बढ़ गईं।

31 मार्च 2020 को विद्यमान ₹ 3,52,702 करोड़ की राजकोषीय देयतायें, जिनमें उदय के तहत ₹ 44,730 करोड़ की बकाया उधारी जरी किये गए गैर वैधानिक तरलता अनुपात (एस.एल.आर) बॉण्ड एवं जब्ती बॉण्ड के कारण, राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण का गठन करते हैं।

वर्ष 2019-20 के दौरान, जीएसडीपी से राजकोषीय देयता (कुल बकाया ऋण) का अनुपात (34.55 प्रतिशत) एफआरबीएम लक्ष्य (34.0 प्रतिशत), चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित सीमा (24.4 प्रतिशत), के साथ-साथ राज्य सरकार के एमटीएफपी लक्ष्य (33.13 प्रतिशत) से अधिक था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की वार्षिक वृद्धिजन्य उधार² (₹ 41,328 करोड़), चौदहवें वित्त आयोग की संस्तुति पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक उधारों की सीमा (₹ 33,216 करोड़) से अधिक थी।

- इसमें खुले बाजार से उधार, वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से अनुबन्धित ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि से ऋण, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित केन्द्रीय सरकार से ऋण, राज्य आयोजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए कोई ऋण, अल्प बचत के अंतर्गत लोक लेखा अन्तरण से उत्पन्न अन्य देयतायें, प्रावधानी निधि, आरक्षित निधियाँ, जमाएँ, इत्यादि शामिल हैं।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त उधार अनुमत्य होने के कारण ऋण-जीएसडीपी अनुपात थोड़ा ही अधिक था।

1.6 लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात घाटा एवं कुल देयतायें

राज्य के वित्त की बेहतर तस्वीर पेश करने के लिए, राजस्व व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करने और बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है।

1.6.1 लेखापरीक्षा पश्चात-घाटा

राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय में गलत वर्गीकरण एवं बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहार घाटे के आंकड़ों को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, सुस्पष्ट दायित्वों को टाल देना, समेकित निधि में उपकर/रॉयल्टी जमा नहीं करना, नयी अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस), डूबत और मोचन निधि में कम अंशदान, आदि भी राजस्व और राजकोषीय घाटे को प्रभावित करते हैं। घाटे के वास्तविक आंकड़ों पर पहुंचने के लिए ऐसी अनियमितताओं के प्रभाव को उलटने की आवश्यकता होती है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात राजस्व एवं राजकोषीय घाटा

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव (कम आँका गया) (₹ करोड़ में)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (कम आँका गया) (₹ करोड़ में)
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों एवं सरकार के अंशदान का कम अन्तरण	83.27	83.27
राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त राज्य आपदा मोचन निधि का निधि में अन्तरण नहीं करना	784.60	784.60
राज्य क्षतिपूरक वनीकरण निधि में उपलब्ध शेष पर ब्याज जमा नहीं करना	55.95	55.95
राजस्थान राज्य सड़क विकास निधि को डीजल और पेट्रोल पर उपकर का हस्तांतरण नहीं करना	252.51	252.51
पर्यावरण सुधार और स्वास्थ्य निधि को पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर का हस्तांतरण नहीं करना	0.85	0.85
निधि को जल संरक्षण उपकर का हस्तांतरण नहीं करना	86.17	86.17
गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए मुद्रांक शुल्क पर उपकर का हस्तांतरण नहीं करना	227.52	227.52
ब्याज-सहित आरक्षित निधियों एवं जमाओं पर ब्याज को जमा नहीं करना	13.42	13.42
राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को श्रम उपकर का हस्तांतरण नहीं करना	30.23	30.23
योग	1,534.52	1,534.52

स्रोत: वित्त लेखा और लेखा परीक्षा विश्लेषण।

यह स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा ₹ 1,534.52 करोड़ कम हस्तांतरित किये गये, इस प्रकार, उतनी ही सीमा तक राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे को कम आँका गया।

1.6.2 लेखापरीक्षा पश्चात - कुल लोक ऋण

राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल दायित्व से अभिप्रायः राज्य की समेकित निधि एवं सामान्य प्रावधायी निधि सहित राज्य के लोक लेखा के अंतर्गत सुनिश्चित देयताओं से है।

तालिका 1.10: लेखापरीक्षा जाँच के पश्चात सकल ऋण

1.		लेखों के अनुसार सकल ऋण (₹ 3,52,701.80 करोड़)	जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में (34.55 प्रतिशत)
2.	समग्र ऋण (कम आँका गया) पर प्रभाव के कारण (₹ करोड़ में)		
अ	(i) बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहारों जैसे राज्य सरकार के माध्यम से विभिन्न जिला परिषदों द्वारा ली गई उधारों जिनके मूल और/या ब्याज को राज्य के बजट से चुकाया जाना है।	1,901.54	0.18
	(ii) बजट से इतर राजकोषीय संव्यवहारों जैसे राज्य सरकार के माध्यम से राजस्थान कृषि विपणन मण्डल द्वारा ली गई उधारों जिनका मूल और/या ब्याज राज्य के बजट से चुकाया जाना है।	1,000.00	0.10
ब	राज्य सरकार के डिपोजिट कार्यों के निष्पादन के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, एसपीवी, इत्यादि द्वारा स्वयं की निधियों जिनको राज्य सरकार द्वारा उधार के माध्यम से पोषित किया जाना था, का परिनियोजन।	-	-
स	राज्य सरकार के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों/निगमों, एसपीवी, इत्यादि को उनके द्वारा लिए गए ऋणों के मूलधन/ब्याज घटक की प्रतिपूर्ति का अभाव:		
	(i) वर्ष 2019-20 के लिए	-	-
	(ii) विगत वर्षों के लिए	-	-
	योग 2(अ+ब+स)	2,901.54	0.28
	योग (1+2)	3,55,603.34	34.83

इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बजट से इतर ₹ 2,901.54 करोड़ की राशि के राजकोषीय संव्यवहारों के परिणामस्वरूप कुल ऋण को जीएसडीपी के 0.28 प्रतिशत से कम दर्शाया गया।

अध्याय II: राज्य का वित्त

प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, गत वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समग्रों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच पांच वर्षों की अवधि के दौरान समग्र रुझान, राज्य की ऋण स्थिरता और राज्य के वित्त लेखों एवं राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्रमुख लोक लेखा संव्यवहारों का विश्लेषण करता है।

2.1 वर्ष 2018-19 की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समग्रों में बड़े बदलाव

तालिका 2.1 वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय समग्रों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती है और **परिशिष्ट 2.1** प्राप्तियों एवं संवितरणों का सारांश प्रदान करता है। इन संकेतकों में से प्रत्येक का विश्लेषण आगे अनुच्छेदों में किया जाएगा।

तालिका 2.1: वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में राजकोषीय समग्रों का सारांश

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ			संवितरण		
	2018-19	2019-20		2018-19	2019-20
अनुभाग-अ : राजस्व खाता					
कर राजस्व	57,380.34	59,244.98	सामान्य सेवायें	54,364.06	56,186.29
कर-भिन्न राजस्व	18,603.01	15,714.16	सामाजिक सेवायें	65,686.92	68,313.23
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	41,852.35	36,049.14	आर्थिक सेवायें	46,722.12	51,985.51
भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान	20,037.32	29,105.53	सहायतार्थ अनुदान और अंशदान	0.09	0.07
योग अनुभाग-(अ) राजस्व प्राप्तियाँ	1,37,873.02	1,40,113.81	योग अनुभाग-अ राजस्व व्यय	1,66,773.19	1,76,485.10
अनुभाग-ब: पूंजीगत खाता और अन्य					
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20.13	20.42	पूँजीगत परिव्यय	19,638.20	14,718.05
			सामान्य सेवायें	588.26	463.42
			सामाजिक सेवायें	6,912.75	5,489.68
			आर्थिक सेवायें	12,137.19	8,764.95
ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ	15,158.41	15,669.75	संवितरित ऋण और अग्रिम	1,113.09	2,255.18
लोक ऋण प्राप्तियाँ*	37,846.82	46,173.72	लोक ऋण की पुनर्दायगी*	16,914.80	20,032.69
आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ#	1,70,527.88	1,93,165.05	लोक लेखा संवितरण#	1,60,570.22	1,79,741.07
प्रारंभिक रोकड़ शेष	9,376.99	5,793.75	अंतिम रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41
योग अनुभाग-ब प्राप्तियाँ	2,32,930.23	2,60,822.69	योग अनुभाग-ब संवितरण	2,04,030.06	2,24,451.40
सर्व योग (अ+ब)	3,70,803.25	4,00,936.50	सर्व योग (अ+ब)	3,70,803.25	4,00,936.50

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* मार्गोपाय अग्रिम और अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल संव्यवहारों को छोड़कर।

लोक लेखा प्राप्तियों/संवितरणों की राशि सकल आधार पर दिखाई गई है।

वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में प्रमुख राजकोषीय समग्रों में बदलाव

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 1.63 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ राज्य की स्व-कर प्राप्तियाँ 3.25 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ स्व-कर भिन्न प्राप्तियाँ 15.53 प्रतिशत से कम हुई। ➤ केन्द्रीय करों और शुल्कों का राज्यांश 13.87 प्रतिशत कम हुआ। ➤ भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान 45.26 प्रतिशत से बढ़ा।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राजस्व व्यय 5.82 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 3.35 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 4.00 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 11.27 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सहायतार्थ अनुदान पर व्यय 22.22 प्रतिशत से कम हुआ।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूँजीगत व्यय 25.05 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 21.22 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 20.59 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 27.78 प्रतिशत से कम हुआ।
ऋण एवं अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण 102.61 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 3.37 प्रतिशत से बढ़ी।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियाँ 22.00 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ लोक ऋणों का पुनर्भुगतान 18.43 प्रतिशत से बढ़ा।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियाँ 13.27 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ लोक लेखा संवितरण 11.94 प्रतिशत से बढ़ा।
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"> ➤ वर्ष 2019-20 के दौरान गत वर्ष की तुलना में रोकड़ शेष ₹ 1,910.66 करोड़ (32.98 प्रतिशत) से बढ़ा।

2.2 निधियों के स्रोत एवं उपयोग


तालिका 2.2 वर्ष 2018-19 के साथ वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य की निधियों के स्रोतों और उपयोग की तुलना करती है, जबकि चार्ट 2.1 और 2.2 वर्ष 2019-20 के दौरान समेकित निधि में प्राप्तियों और व्यय का प्रतिशतता के रूप में विवरण देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2018-19 एवं वर्ष 2019-20 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण

(₹ करोड़ में)

	विवरण	2018-19	2019-20	बढ़त/कमी
स्रोत	भारतीय रिजर्व बैंक के पास प्रारम्भिक रोकड़ शेष	9,376.99	5,793.75	(-) 3,583.24
	राजस्व प्राप्तियाँ	1,37,873.02	1,40,113.81	2240.79
	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	20.13	20.42	0.29
	ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15,158.41	15,669.75	511.34
	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	20,932.02	26,141.04	5,209.02
	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	9,957.66	13,423.98	3,466.32
	योग	1,93,318.23	2,01,162.75	7,844.52
उपयोग	राजस्व व्यय	1,66,773.19	1,76,485.10	9,711.91
	पूँजीगत व्यय	19,638.20	14,718.05	(-) 4,920.15
	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	1,113.09	2,255.19	1,142.10
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास अंतिम रोकड़ शेष	5,793.75	7,704.41	1,910.66
	योग	1,93,318.23	2,01,162.75	7,844.52

स्रोत: वित्त लेखे



2.3 राज्य के संसाधन

राज्य के संसाधनों को नीचे वर्णित किया गया है:

- राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों और शुल्कों में राज्यांश और भारत सरकार (भास) से सहायतार्थ-अनुदान शामिल हैं।
- पूंजीगत प्राप्तियों** में विविध पूंजीगत प्राप्तियां जैसे कि विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियां (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं।

राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां दोनों राज्य की समेकित निधि के भाग हैं।

- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ:** ये कुछ व्यवहारों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, जमाओं, उचंतों, प्रेषणों आदि से सम्बन्धित प्राप्तियां एवं संवितरण हैं, जो समेकित निधि का भाग नहीं हैं।

इन्हें संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है। यहां, सरकार एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। निधियों के संवितरण के बाद उपलब्ध शेष राशि सरकार के पास उपयोग के लिए उपलब्ध रहती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियाँ और पूंजीगत प्राप्तियाँ राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करने वाली प्राप्तियों के दो प्रवाह हैं। इसके अतिरिक्त, लोक लेखे में संवितरण के बाद उपलब्ध निधियों का उपयोग भी सरकार द्वारा अपने घाटे का वित्तपोषण करने हेतु किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2019-20 के दौरान वित्तीय संसाधनों के घटक और उप-घटक



2.3.2 राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ

यह अनुच्छेद कुल राजस्व प्राप्तियों और इसके घटकों की प्रवृत्तियाँ देता है। आगे यह प्राप्तियों की प्रवृत्ति को भारत सरकार से प्राप्तियों और राज्य की स्व-प्राप्तियों में विभाजित करता है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और वृद्धि

तालिका 2.3 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां और वृद्धि के साथ-साथ पांच वर्षों की अवधि वर्ष 2015-20 में जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, जीएसडीपी के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों में प्रवृत्तियां और राजस्व प्राप्तियों का संयोजन क्रमशः चार्ट 2.4 और 2.5 के साथ-साथ परिशिष्ट 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873	1,40,114
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	9.8	8.7	16.8	8.3	1.6
स्व-कर राजस्व	42,713	44,372	50,605	57,380	59,245
कर-भिन्न राजस्व	10,928	11,615	15,734	18,603	15,714
स्व-राजस्व प्राप्तियाँ	53,641	55,987	66,339	75,983	74,959
स्व-प्राप्तियों की वृद्धि दर (स्व-कर एवं कर-भिन्न राजस्व) (प्रतिशत)	3.35	4.37	18.49	14.54	(-)1.35
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में) (2011-12 श्रृंखला)	6,81,482	7,60,750	8,35,170 ^Σ	9,42,586 [£]	10,20,989 [#]
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.7	11.6	9.8	12.9	8.3
राजस्व प्राप्ति/जीएसडीपी (प्रतिशत)	14.7	14.3	15.2	14.6	13.7
उत्प्लावकता अनुपात ¹					
जीएसडीपी के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	0.9	0.8	1.7	0.6	0.2
राज्य की जीएसडीपी के सन्दर्भ में स्व-राजस्व उत्प्लावकता	0.3	0.4	1.9	1.1	(-) 0.2

जीएसडीपी के आंकड़ों के स्रोत: आर्थिक समीक्षा (2019-20), आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार।


^Σ संशोधित अनुमान- III

[£] संशोधित अनुमान-I

[#] अग्रिम अनुमान


1. उत्प्लावकता अनुपात, आधार अनुपात में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की लोचशीलता या डिग्री की अस्थिरता को इंगित करता है। उदाहरण के लिए, जीएसडीपी के संबंध में राजस्व उत्प्लावकता 1.7 से तात्पर्य है कि जीएसडीपी में एक प्रतिशत की वृद्धि होने पर राजस्व प्राप्तियों में 1.7 प्रतिशत अंक की वृद्धि होती है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)



राज्य की राजस्व प्राप्तियों की सामान्य प्रवृत्तियाँ इस प्रकार हैं:

- राजस्व प्राप्तियाँ 8.72 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के साथ वर्ष 2015-16 में ₹ 1,00,285 करोड़ से 39.72 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 1,40,114 करोड़ हो गई। वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में राजस्व प्राप्तियों में ₹ 2,241 करोड़ (1.63 प्रतिशत)

की वृद्धि हुई, जबकि कर-भिन्न राजस्व में ₹ 2,889 करोड़ की कमी के कारण स्व-राजस्व प्राप्तियों में ₹ 1,024 करोड़ (1.35 प्रतिशत) की मामूली कमी हुई।

- जुलाई 2019 (₹ 14,189 करोड़) और मार्च 2020 (₹ 16,347 करोड़) की संयुक्त राजस्व प्राप्तियाँ सम्पूर्ण वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 21.8 प्रतिशत थी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 53.5 प्रतिशत राज्य के स्व-संसाधनों से आया था, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान का 46.5 प्रतिशत योगदान था, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायतार्थ अनुदान राजस्थान की राजकोषीय स्थिति पर बड़ा प्रभाव रखते हैं।
- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व व्यय में 5.82 प्रतिशत (₹ 9,712 करोड़) की वृद्धि, राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि 1.63 प्रतिशत (₹ 2,241 करोड़) से उल्लेखनीय रूप से अधिक थी जिससे गत वर्ष की तुलना में राजस्व घाटे में वृद्धि हुई।
- जीएसडीपी के सन्दर्भ में राजस्व उत्प्लावकता और स्व-राजस्व उत्प्लावकता में व्यापक उतार-चढ़ाव थे। तथापि, राजस्व उत्प्लावकता 2018-19 में 0.6 थी, लेकिन संबंधित वर्ष में प्राप्तियों की वृद्धि दर 8.3 प्रतिशत से घटकर 1.6 प्रतिशत रहने के कारण यह वर्ष 2019-20 में 0.2 रह गयी।
- जीएसडीपी से राजस्व प्राप्तियों का अनुपात वर्ष 2018-19 में 14.6 प्रतिशत से गिरकर वर्ष 2019-20 में 13.7 प्रतिशत रह गया।

2.3.2.2 राज्य के स्व-संसाधन


केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर निर्धारित किया जाता है। केंद्र सरकार से सहायतार्थ अनुदान, केंद्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह की मात्रा और योजनाओं के लिए प्रत्याशित केंद्रीय सहायता से निर्धारित होती है। अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन इसके स्व-संसाधनों के संदर्भ में किया जाना चाहिए जिसमें इसके स्व-कर और कर-भिन्न संसाधनों के राजस्व सम्मिलित हों।

स्व-कर राजस्व

राज्य के स्व-कर राजस्व में कर जैसे कि राज्य जीएसटी, बिक्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर, इत्यादि शामिल हैं।

चार्ट 2.6: वर्ष 2015-20 के दौरान स्व-कर राजस्व की वृद्धि

(₹ करोड़ में)



वर्ष 2015-20 के दौरान संग्रहित किए गए स्व-कर राजस्व के घटक-वार विवरण निम्नानुसार रहे।

तालिका 2.4: राज्य के स्व-कर राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्क लाइन
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	26,345	28,558	19,008	14,791	15,843	
माल एवं यात्री कर	848	803	341	51	41	
मनोरंजन कर और विलासिता कर (वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य करों और शुल्कों के अंतर्गत)	171	220	64	5	01	
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	12,137*	22,938*	21,954*	
योग	27,364	29,581	31,550	37,785	37,839	
राज्य उत्पाद शुल्क	6,713	7,054	7,276	8,694	9,592	
वाहनों पर कर	3,199	3,623	4,363	4,576	4,951	
मुद्रांक और पंजीकरण शुल्क	3,234	3,053	3,675	3,886	4,235	
भू-राजस्व	272	315	364	290	364	
अन्य कर ²	1,931	746	3,377	2,149	2,264	
कुल योग	42,713	44,372	50,605	57,380	59,245	

* अप्रमाणित आंकड़े

स्रोत: वित्त लेखे

- अन्य कर में कृषि भूमि से भिन्न अन्य अचल संपत्तियों पर कर, विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क (मनोरंजन कर और विलासिता कर को छोड़कर) शामिल हैं। इसमें विद्युत पर कर एवं शुल्क की वर्ष 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 1,921 करोड़, ₹ 738 करोड़, ₹ 3,376 करोड़, ₹ 2,148 करोड़ एवं ₹ 2,263 करोड़ की प्राप्तियां शामिल हैं।

राज्य का स्व-कर राजस्व 8.52 प्रतिशत सीएजीआर से वर्ष 2015-16 में ₹ 42,713 करोड़ से ₹ 16,532 करोड़ बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 59,245 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, कर राजस्व के मुख्य अंशदाता राज्य वस्तु एवं सेवा कर (37.06 प्रतिशत), बिक्री, व्यापार, आदि पर कर (26.74 प्रतिशत) और राज्य उत्पाद शुल्क (16.19 प्रतिशत) रहे। वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, मुद्रांक और पंजीकरण तथा भू-राजस्व में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 10.3 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत, 9.0 प्रतिशत और 25.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार, केंद्र सरकार जीएसटी लागू होने के कारण राज्य सरकारों को होने वाली राजस्व की कमी की क्षतिपूर्ति आधार वर्ष से 14 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर मानते हुए पांच वर्ष के लिए करेगी। तदनुसार, आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व ₹ 17,158.62 करोड़ पर 14 प्रतिशत प्रति वर्ष की आंकलित वृद्धि दर लागू करते हुए राजस्थान के लिए वर्ष 2019-20 हेतु ₹ 28,980.23 करोड़ राजस्व निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 28,980.23 करोड़ के आंकलित राजस्व की तुलना में राज्य का जीएसटी (एसजीएसटी) संग्रह वर्ष 2018-19 में ₹ 22,938.33 करोड़ की तुलना में ₹ 984.16 करोड़ (4.29 प्रतिशत) की कमी दर्ज करते हुए ₹ 21,954.17 करोड़ (आईजीएसटी³ से अग्रिम विभाजन की राशि ₹ 13.26 करोड़ को शामिल करते हुए) था। वर्ष 2019-20 के दौरान जीएसटी के तहत राज्य की कुल प्राप्तियां ₹ 32,183.68 करोड़ रही जिसमें एसजीएसटी संग्रह तथा राज्यों को नियत किये गए सीजीएसटी⁴ का निवल आगम शामिल था जबकि राज्य को राज्यों को नियत किये गए आईजीएसटी के निवल आगमों का अपना हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ।

जीएसटी (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम 2017 की धारा 7 के अनुसार, जीएसटी के क्रियान्वयन के कारण होने वाली राजस्व की हानि की केंद्र सरकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए राज्य द्वारा संग्रहित वास्तविक जीएसटी राजस्व की भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा/प्रमाणीकरण किया जाता है। राज्य को वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 4,034.53 करोड़ (गत वर्ष से संबंधित ₹ 405 करोड़ को छोड़कर) की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह की पूरी प्रक्रिया को जीएसटीएन आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन किया गया है। जीएसटीएन के पेन-इंडिया आंकड़ों तक पहुँच उपलब्ध कराने का भारत सरकार का निर्णय 22 जून 2020 को अवगत कराया गया। राजस्थान सरकार द्वारा जीएसटी सिस्टम तक

3. एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर।

4. केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर।

पहुँच उपलब्ध कराने की प्रशासनिक कार्यवाही नवम्बर 2020 में शुरू की गयी तथा दिसम्बर 2020 तक पहुँच उपलब्ध करायी गयी। वर्ष 2019-20 के लेखों को नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर प्रमाणित किया गया है, जैसाकि तब किया जा रहा था जब अभिलेखों को मानवीकृत रखा जा रहा था, जीएसटीएन आंकड़ों तक पहुँच सुनिश्चित करने के भारत सरकार के निर्णय का पूर्ण कार्यान्वयन लंबित है।

इसके कारण, जीएसटी रिफंड की लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई कुछ भौतिक प्रतियों पर केवल सीमित लेखापरीक्षा जाँच ही की जा सकी। इसलिए, वर्ष की जीएसटी प्राप्तियाँ अप्रमाणित रह गई एवं केंद्र सरकार से प्राप्त हुई क्षतिपूर्ति अनंतिम है।

राजस्व के बकाया का विश्लेषण

राजस्व का बकाया रहना सरकार द्वारा राजस्व की विलंबित वसूली को इंगित करता है और बकाया निर्धारण संभावित राजस्व को इंगित करता है जो विलम्ब से निर्धारण के कारण अवरुद्ध रहता है। दोनों सरकार को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

31 मार्च 2020 तक राजस्व के कुछ प्रमुख शीर्षों से संबंधित राजस्व की बकाया राशि ₹ 23,926.61 करोड़ था, जिसमें से ₹ 3,343.89 करोड़ पांच वर्षों से अधिक के लिए बकाया थे, जैसा कि तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2019 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2020 को कुल बकाया राशि और विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि	31 मार्च 2020 को पांच वर्ष से अधिक बकाया राशि
1	वाणिज्यिक कर	21,330.59	21,820.33 (+) 2.30	2,822.05
2	परिवहन	63.10	64.14 (+) 1.65	37.45
3	भू-राजस्व	258.19	179.69 (-) 30.40	80.02
4	पंजीकरण और मुद्रांक	494.72	1,339.42 (+) 170.74	119.15
5	राज्य उत्पाद शुल्क	194.52	201.58 (+) 3.63	193.55
6	स्वान, भूविज्ञान और पेट्रोलियम	240.04	321.45 (+) 33.91	91.67
	कुल	22,581.16	23,926.61 (+) 5.96	3,343.89

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

जिन स्तरों पर बकाया संग्रह के लिए लम्बित थे, से सम्बन्धित सूचना (मार्च 2021) उपलब्ध नहीं करायी गई थी।

बकाया निर्धारण

वाणिज्यिक कर, पंजीकरण एवं मुद्रांक, स्वान, भूविज्ञान एवं पेट्रोलियम और परिवहन विभागों द्वारा वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध कराये गये लंबित मामले, मूल्यांकन के कारण बनने वाले मामले, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामले और वर्ष के अंत में लंबित मामलों की संख्या का विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है।

तालिका 2.6 : बकाया निर्धारण

विभाग का नाम	प्रारंभिक शेष	वर्ष 2019-20 के दौरान निर्धारण योग्य नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	वर्ष 2019-20 के दौरान निपटाये गये मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान का प्रतिशत (कॉलम 5/4)
1	2	3	4	5	6	7
वाणिज्यिक कर	39	5,30,677	5,30,716	5,30,698	18	99.99
पंजीकरण एवं मुद्रांक	4,980	8,691	13,671	8,549	5,122	62.53
स्नान, भू-विज्ञान तथा पेट्रोलियम	5,581	11,627	17,208	8,409	8,799	48.87
परिवहन	1,938	22,236	24,174	22,637	1,537	93.64

स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना।

यह देखा जा सकता है कि वाणिज्यिक कर विभाग ने निपटान के उच्च प्रतिशत को प्राप्त करने के लिए अच्छा प्रदर्शन किया। तथापि, पंजीकरण और मुद्रांक, स्नान, भू-विज्ञान तथा पेट्रोलियम और परिवहन विभागों में मामलों का निपटान बहुत कम था। ये विभाग मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकते हैं।

विभागों द्वारा पता लगायी गई कर चोरी का विवरण

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2019-20 के दौरान कर चोरी के 285 मामले देखे गए एवं 234 मामलों में निर्धारण/जांच पूरी हुई। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मामलों सहित वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पाए गए 1,862 मामलों में दंड आदि के साथ राशि ₹ 5,123.79 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई थी, जिसमें से वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने 1,316 मामलों में 66.29 प्रतिशत निपटान के साथ ₹ 4,311.41 करोड़ वसूल किये। स्नान एवं भू-विज्ञान विभाग में वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक पाए गए 15 मामलों में दंड आदि के साथ राशि ₹ 52.25 करोड़ की अतिरिक्त मांग की गई थी, जिसमें से वर्ष 2019-20 के दौरान विभाग ने 10 मामलों में ₹ 2.74 करोड़ वसूल किये। लंबित मामलों का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

भू-राजस्व, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन, पंजीकरण एवं मुद्रांक विभागों ने अवगत कराया कि कर चोरी के किसी भी मामले का पता नहीं चला है (नवंबर 2020)। इससे ज्ञात होता है कि इन विभागों के पास खुफिया सूचना एकत्र करने तथा आगतों के रिसाव पर रोक लगाने के लिए एक उचित तंत्र का अभाव था, जैसाकि इन विभागों में राजस्व के रिसाव से सम्बन्धित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान ज्ञात हुआ जैसे बिना आज्ञा वाहनों का परिचालन, अवैध स्नान, आवासीय या व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कृषि भूमि का रूपांतरण नहीं होना, मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण और शराब एवं अन्य दवाओं का अवैध परिवहन आदि।

तालिका 2.7: कर चोरी का पता लगाया गया

राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2019 को बकाया मामले	वर्ष 2019-20 के दौरान ज्ञात मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/जाँच पूर्ण कर ली गई और शास्ति इत्यादि के साथ अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2020 को अन्तिमीकरण लिए बकाया मामले
				मामलों की संख्या	मांग की राशि (₹ करोड़ में)	
बिक्री, व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	68	285	353	234	190.41	119
स्वान एवं भू-विज्ञान	0	87	87	80	0.87	7

रिफंड के मामलों का बकाया रहना

विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 की प्रारंभ में लंबित रिफंड के मामले, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत रिफंड और वर्ष 2019-20 के अंत में लंबित बताये गए मामलों को तालिका 2.8 में दिया गया है।

तालिका 2.8: रिफंड के मामलों का लंबित रहना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वाणिज्यिक कर		पंजीकरण एवं मुद्रांक		परिवहन		खनन, भू-विज्ञान एवं पेट्रोलियम	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	181	103.42	974	5.27	412	1.98	17	2.17
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	5930	412.64	1937	13.96	537	2.78	10	0.78
3	वर्ष के दौरान रिफंड	3135	203.03	1861	9.22	367	2.08	4	0.25
4	वर्ष के दौरान निरस्त	1686	182.51	63	0.07	28	0.11	0	0
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	1290	130.52	987	9.94	554	2.57	23	2.70

स्रोत: विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना

प्रगति से पता चलता है कि विभाग धन वापसी के प्रकरणों को संस्थात्मक रूप से पूर्ण करने में सक्षम नहीं हैं और साथ ही सभी करों की लंबित राशि बढ़ गयी है। संबंधित विभाग रिफंड के मामलों के त्वरित निपटान के लिए उपयुक्त उपायों पर विचार कर सकते हैं क्योंकि इससे न केवल दावेदारों को लाभ होगा, बल्कि सरकार रिफंड के विलंबित भुगतान पर ब्याज के भुगतान से भी बच सकती है।

कर-भिन्न राजस्व

कर-भिन्न राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, पेट्रोलियम से राजस्व, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल हैं। वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर-भिन्न राजस्व की प्रवृत्ति तालिका 2.9 में दी गई है।

तालिका 2.9: राज्य के कर-भिन्न राजस्व के घटक

(₹ करोड़ में)

राजस्व शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	स्पार्क लाइन
ब्याज प्राप्तियाँ	1,982	1,933	4,859	5,791	3,852	
पेट्रोलियम से राजस्व ⁵	2,342	2,332	2,579	3,883	3,320	
अलौह स्वनन तथा धातुकर्म उद्योग	3,782	4,234	4,522	5,302	4,579	
लाभांश तथा लाभ	97	68	67	56	55	
अन्य कर भिन्न प्राप्तियाँ	2,725	3,048	3,707	3,571	3,908	
योग	10,928	11,615	15,734	18,603	15,714	

स्रोत: वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में कर-भिन्न राजस्व 10 प्रतिशत से 13 प्रतिशत तक था। वर्ष 2019-20 के दौरान, कर-भिन्न राजस्व (₹ 15,714 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 15.5 प्रतिशत (₹ 2,889 करोड़) की कमी मुख्यतः सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों से ब्याज प्राप्तियों में ₹ 1,939 करोड़ (33.5 प्रतिशत), अलौह स्वनन और धातुकर्म में ₹ 723 करोड़ (13.6 प्रतिशत) और कच्चे तेल पर रायल्टी से पेट्रोलियम प्राप्तियों में ₹ 563 करोड़ (14.5 प्रतिशत) की उल्लेखनीय राजस्व कमी के कारण हुई।

2.3.2.3 केंद्र द्वारा हस्तांतरण

केंद्र सरकार से हस्तांतरण मुख्य रूप से वित्त आयोग की सिफारिश पर आधारित हैं। चौदहवें वित्त आयोग ने केन्द्रीय करों में राज्य का हिस्सा 32 प्रतिशत से 42 प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की। तेरहवें के साथ-साथ चौदहवें वित्त आयोग की अवधि को शामिल करते हुए 10 वर्ष की अवधि के लिए केंद्र द्वारा हस्तांतरण की प्रवृत्ति नीचे तालिका में दी गई है।

5. बाड़मेर-सांचोर बेसिन से उत्पादित कच्चे तेल पर रायल्टी से राजस्व।

तालिका 2.10: केंद्र से हस्तांतरण में प्रवृत्तियाँ


(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय करों में हिस्सा	केंद्र से अनुदान	केंद्र से हस्तांतरण
1	2	3	4 = (2+3)
2010-11	12,856	6,020	18,876
2011-12	14,977	7,482	22,459
2012-13	17,103	7,174	24,277
2013-14	18,673	8,745	27,418
2014-15	19,817	19,608	39,425
2015-16	27,916	18,728	46,644
2016-17	33,556	19,483	53,039
2017-18	37,028	23,940	60,968
2018-19	41,853	20,037	61,890
2019-20	36,049	29,106	65,155

स्रोत: वित्त लेखे

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2010-11 में ₹ 18,876 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 65,155 करोड़ हो गया। गत वर्ष की तुलना में केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी में गिरावट आई है, जबकि केंद्र से अनुदान में वर्ष 2019-20 में वृद्धि दर्ज की गई।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण में प्रवृत्तियाँ



केंद्रीय कर हस्तांतरण

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा केंद्रीय करों में राज्यों के 32 प्रतिशत हिस्से (तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश) को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई थी। केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के घटकों को तालिका 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.11: केंद्रीय करों में राज्य के हिस्से के विभिन्न घटकों का हस्तांतरण

(₹ करोड़ में)

केंद्रीय कर हस्तांतरण के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सीमा शुल्क	4,464	4,620	3,735	2,966	2,285
केंद्रीय उत्पाद शुल्क	3,731	5,275	3,905	1,971	1,589
सेवा कर	4,864	5,433	4,227	389	-
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी)	-	-	520	10,329	10,229
एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी)	-	-	3,736	824	-
निगम कर	8,760	10,739	11,334	14,553	12,291
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,073	7,464	9,571	10,718	9,631
धन कर	2	25	- ⁶	5	1
वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	22	- ⁷	- ⁸	22	23
अन्य	-	-	-	76	-
केंद्रीय कर हस्तांतरण	27,916	33,556	37,028	41,853	36,049
गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	40.9	20.2	10.3	13.0	(-)13.9
राजस्व प्राप्तियों से केंद्रीय करों की प्रतिशतता	27.8	30.8	29.1	30.4	25.7

पांच वर्ष की अवधि वर्ष 2015-20 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण वर्ष 2015-16 के ₹ 27,916 करोड़ से 29.13 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 36,049 करोड़ हो गया, यह राजस्व प्राप्तियों का 26 प्रतिशत था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, केंद्रीय कर हस्तांतरण (₹ 36,049 करोड़) में गत वर्ष की तुलना में 13.9 प्रतिशत (₹ 5,804 करोड़) की कमी मुख्यतः निगम कर में ₹ 2,262 करोड़ (15.5 प्रतिशत), निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर में ₹ 1,087 करोड़ (10.1 प्रतिशत), एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) में ₹ 824 करोड़ (100 प्रतिशत) और सीमा शुल्क में ₹ 681 करोड़ (23.0 प्रतिशत) की उल्लेखनीय कमी के कारण हुई।

6. ₹ (-) 0.34 करोड़।

7. ₹ 0.09 करोड़।

8. ₹ (-) 0.01 करोड़।

भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

वर्ष 2015-20 के दौरान राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायतार्थ अनुदान तालिका 2.12 में वर्णित है।

तालिका 2.12: भारत सरकार से सहायतार्थ अनुदान

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
आयोजना-भिन्न अनुदान*	5,241	5,928	-	-	-
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान*	12,957	13,462	-	-	-
केंद्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान (केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं सहित)*	530	93	-	-	-
केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें	-	-	16,104	13,317	14,966
वित्त आयोग अनुदान	-	-	4,262	3,121	7,332
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	-	-	3,574	3,599	6,808
योग	18,728	19,483	23,940	20,037	29,106
गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	(-) 4.5	4.0	22.9	(-) 16.3	45.3
राजस्व प्राप्तियों से सहायतार्थ अनुदान का प्रतिशत	18.7	17.9	18.8	14.5	20.8

स्रोत: वित्त लेखे।

* योजना के नामकरण के बाद से कोई आंकड़े नहीं हैं और वर्ष 2017-18 से आयोजना एवं आयोजना भिन्न अनुदान को हटा दिया गया, और उनके स्थान पर सीएसएस के लिए अनुदान, वित्त आयोग अनुदान और राज्यों को अन्य अनुदान द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था।

भारत सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान में वर्ष के दौरान गत वर्ष की तुलना में ₹ 9,069 करोड़ (45 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए ₹ 3,681 करोड़ (270.3 प्रतिशत), जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति ₹ 2,263 करोड़ (104.0 प्रतिशत), राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के लिए ₹ 1,423 करोड़ (270.5 प्रतिशत) और शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹ 482 करोड़ (60.1 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान सहायतार्थ अनुदान राजस्व प्राप्तियों का 21 प्रतिशत था। राज्य को वर्ष के दौरान केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान (₹ 14,966 करोड़) कुल अनुदान का 51 प्रतिशत था। अन्य अनुदानों में स्थानीय निकाय और राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के लिए वित्त आयोग अनुदान (₹ 7,332 करोड़) जो कुल अनुदान का 25 प्रतिशत था, जीएसटी के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व के नुकसान की क्षतिपूर्ति और अनुदान (₹ 4,440 करोड़) और एनडीआरएफ के लिए अनुदान (₹ 1,950 करोड़) शामिल हैं।

चौदहवें वित्त आयोग के अनुदान

चौदहवें वित्त आयोग (चौविआ) ने 1 अप्रैल, 2015 से प्रारंभ पांच-वर्ष की अवधि (2015-20) के लिए अपना प्रतिवेदन दिसंबर 2014 में प्रस्तुत किया। चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार वर्ष 2015-2020 के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को सहायतार्थ अनुदान राशि ₹ 24,240.75 करोड़ (एसडीआरएफ के राज्यांश सहित) का आवंटन किया।

सहायतार्थ अनुदान के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय अनुश्रवण समिति गठित की (जनवरी 2016)। वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान, उच्च-स्तरीय अनुश्रवण समिति ने न तो कोई बैठक आयोजित की और न ही सहायतार्थ अनुदान के उपयोग का मूल्यांकन किया। विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (नवम्बर 2020) कि वर्ष 2019-20 के दौरान अपरिहार्य कारणों से बैठकें आयोजित नहीं की जा सकी।

वर्ष 2015-20 के दौरान, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित, भारत सरकार द्वारा जारी और राज्य सरकार द्वारा हस्तांतरित सहायतार्थ अनुदान की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

तालिका 2.13: सहायतार्थ अनुदान की अनुशंसित राशि, वास्तविक जारी की गई और अंतरित राशि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	हस्तांतरण	वर्ष 2015-20 के लिए चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा			भारत सरकार द्वारा वास्तविक जारी			रास द्वारा जारी		
			2015-16 से 2018-19	2019- 20	कुल	2015-16 से 2018-19	2019-20	योग	2015-16 से 2018-19	2019-20	योग (कॉलम 9 का प्रतिशत)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	स्थानीय निकाय										
	(i) पीआरआई को अनुदान	13,633.63	9,502.74	4,130.89	13,633.63	7,797.05	5,043.12	12,840.17	7,797.05	5,043.12	12,840.17 (100)
	(a) सामान्य मूल अनुदान	12,270.27	8,589.26	3,681.01	12,270.27	7,227.15	5,043.12	12,270.27	7,227.15	5,043.12	12,270.27 (100)
	(b) सामान्य निष्पादन अनुदान	1,363.36	913.48	449.88	1,363.36	569.90	-	569.90	569.90	-	569.90 (100)
	(ii) शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान	4,513.12	3,132.15	1,380.97	4,513.12	2,704.38	1,283.43	3,987.81	2,704.38	1,283.43	3,987.81 (100)
	(a) सामान्य मूल अनुदान	3,610.50	2,527.38	1,083.12	3,610.50	2,527.38	1,083.13	3,610.51	2,527.38	1,083.13	3,610.51 (100)
	(b) सामान्य निष्पादन अनुदान	902.62	604.77	297.85	902.62	177.00	200.30	377.30	177.00	200.30	377.30 (100)
	योग (1)	18,146.75	12,634.89	5,511.86	18,146.75	10,501.43	6,326.55	16,827.98	10,501.43	6,326.55	16,827.98 (100)
2	राज्य आपदा मोचन निधि*	6,094.00	4,754.00	1,340.00	6,094.00	4,754.00	1,340.00	6,094.00	4,658.22	1,435.78	6094.00 (100)
	महा योग (1 से 2)	24,240.75	17,388.89	6,851.86	24,240.75	15,255.43	7,666.55	22,921.98	15,159.65	7,762.33	22,921.98 (100)

स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन एवं राज्य के वित्त लेखे।

* कुल अनुदान में राज्यांश के 25 प्रतिशत सहित।

स्थानीय निकायों (ग्रामीण और शहरी) को अंतरण

चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, भारत सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी (अक्टूबर 2015) किए। दिशा निर्देशों के अनुच्छेद 11 से 13 में परिकल्पित है कि अनिवार्य शर्तों अर्थात् (i) प्राप्तियों और व्यय के आंकड़ों के साथ विश्वसनीय लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना, और (ii) स्थानीय निकायों द्वारा अपने राजस्व के स्रोतों में सुधार की पूर्ति के बाद ही ग्रामीण स्थानीय निकायों को निष्पादन अनुदान लिए स्वीकार्य है।

यह देखा गया कि ग्रामीण स्थानीय निकायों को वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित ₹ 343.58 करोड़ और ₹ 449.88 करोड़ का सामान्य निष्पादन अनुदान सितंबर 2020 तक भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया था जबकि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए अनिवार्य शर्तों से सम्बंधित सूचना भारत सरकार को क्रमशः 20.06.2019 तथा 20.03.2020 को प्रेषित कर दी गई थी। वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए निष्पादन अनुदान जारी नहीं करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं किया गया था (मार्च 2021)।

इसी तरह, चौदहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को क्रमशः वर्ष 2017-18, 2018-19 तथा 2019-20 के लिए क्रमशः ₹ 200.30 करोड़, ₹ 227.47 करोड़ और ₹ 297.85 करोड़ के सामान्य निष्पादन अनुदान की सिफारिश की। तथापि, भास द्वारा केवल वर्ष 2017-18 के लिए अनुदान वर्ष 2019-20 में जारी किया जबकि वर्ष 2018-20 के लिए अनुदान सितंबर 2020 तक जारी नहीं किया था। वर्ष 2018-20 के लिए निष्पादन अनुदान जारी नहीं करने के और वर्ष 2017-18 के लिए देरी से जारी करने के कारणों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया (मार्च 2021)।

2.3.3 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूंजीगत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से आय, ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ, आंतरिक स्रोतों से निवल ऋण प्राप्तियाँ एवं भारत सरकार से अग्रिम शामिल है। निवल पूंजीगत प्राप्तियाँ लोक ऋण के निर्वहन के बाद शुद्ध लोक ऋण प्राप्तियाँ और अन्य पूंजीगत प्राप्तियाँ हैं।

निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियों को निम्न तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: निवल पूंजीगत प्राप्तियों के घटक एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

राज्य की पूंजीगत प्राप्तियों के स्रोत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पूंजीगत प्राप्तियाँ	57,511	40,615	32,033	36,110	41,831
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	25	28	16	20	20
ऋण और अग्रिमों की वसूलियाँ	1,447	1,713	15,134	15,158	15,670
निवल लोक ऋण प्राप्तियाँ	56,039	38,874	16,883	20,932	26,141
आंतरिक ऋण	54,815	35,993	15,959	19,068	22,766
वृद्धि दर	325.09	(-) 34.34	(-) 55.66	19.48	19.39
भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	1,224	2,881	924	1,864	3,375
वृद्धि दर	327.97	135.38	(-) 67.93	101.73	81.07

ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर	325.15	-30.63	-56.57	23.98	24.89
गैरऋण पूंजी-गत प्राप्तियों की वृद्धि दर	44.46	18.27	770.19	0.18	3.37
जीएसडीपी की वृद्धि दर	10.69	11.63	9.78	12.86	8.32
पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	305.01	(-) 29.38	(-) 21.13	12.73	15.84

स्रोत: वित्त लेखे और आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा।

पूँजीगत प्राप्तियाँ वर्ष 2018-19 में ₹ 36,110 करोड़ से वर्ष 2019-20 में 15.84 प्रतिशत से बढ़कर ₹ 41,831 करोड़ हो गयी। वर्ष 2019-20 के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ 54 प्रतिशत निवल आंतरिक ऋणों से तथा 37 प्रतिशत कर्जों तथा अग्रिमों की वसूलियों से आयी।

2.3.4 संसाधनों को जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

केंद्रीय करों में राज्यांश एवं सहायतार्थ अनुदानों का निर्धारण वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर किया जाता है, राज्य के संसाधन जुटाने की निष्पादकता का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों के सन्दर्भ में किया गया जिसमें कर एवं कर-भिन्न संसाधन सम्मिलित थे।

राज्य के वास्तविक स्व-कर और कर-भिन्न राजस्व के साथ-साथ चौदहवें वित्त आयोग एवं बजट अनुमानों में किये गये आंकलन को तालिका 2.15 में दिया गया है।

तालिका 2.15: वर्ष 2019-20 के लिए राज्य के स्व-कर तथा कर-भिन्न राजस्व आंकलन तथा वास्तविक प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक का प्रतिशत विचलन	
				बजट अनुमान	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन
स्व-कर राजस्व	1,04,964	73,743	59,245	(-) 19.66	(-) 43.56
कर-भिन्न राजस्व	26,665	19,124	15,714	(-) 17.83	(-) 41.07

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आंकलन की तुलना में कर राजस्व तथा कर-भिन्न राजस्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ क्रमशः 43.56 प्रतिशत (₹ 45,719 करोड़) तथा 41.07 प्रतिशत (₹ 10,951 करोड़) कम थी जबकि बजट अनुमानों से क्रमशः 19.66 प्रतिशत तथा 17.83 प्रतिशत की कमी राज्य द्वारा संसाधनों को जुटाने में उल्लेखनीय कमी को दर्शाती है।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य सरकार द्वारा संसाधनों का उपयोग राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान की संरचना के दायरे में रहना चाहिए, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करना होता है कि राज्य के जारी राजकोषीय सुधार एवं एकीकरण प्रक्रिया कहीं पूँजीगत आधारभूत ढाँचे तथा सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए निर्दिष्ट व्यय की कीमत पर तो नहीं है। यह अनुच्छेद उप-अनुच्छेदों के साथ राज्य में व्यय का विश्लेषण प्रदान करता है।

2.4.1 व्यय का संयोजन एवं वृद्धि

तालिका 2.16 'आर्थिक वर्गीकरण' के रूप में इसके संयोजन को दर्शाते हुए पाँच वर्षों (2015-20) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.16: कुल व्यय तथा इसका संयोजन


(₹ करोड़ में)

मानक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458
राजस्व व्यय	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485
पूंजीगत व्यय	21,986	16,980	20,623	19,638	14,718
ऋण एवं अग्रिम	36,602	12,965	1,334	1,113	2,255
जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में					
कुल व्यय/जीएसडीपी	24.2	20.6	20.1	19.9	18.9
राजस्व व्यय/जीएसडीपी	15.6	16.7	17.4	17.7	17.3
पूंजीगत व्यय/जीएसडीपी	3.2	2.2	2.5	2.1	1.4
ऋण एवं अग्रिम/जीएसडीपी	5.4	1.7	0.2	0.1	0.2

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका दर्शाती है कि राज्य का कुल व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 1,64,827 करोड़ से 17 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 1,93,458 करोड़ था। वर्ष के दौरान इसमें गत वर्ष से 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अवधि 2015-20 के दौरान कुल व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में 18.9 प्रतिशत से 24.2 प्रतिशत के मध्य रहा।

चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: वित्त लेखे।

जैसा कि उपरोक्त चार्ट और तालिका 2.17 से स्पष्ट है, पिछले कुछ वर्षों में पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय कमी आई है, इसका अंश जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में वर्ष 2015-16 में 3.2 प्रतिशत से घटकर

2019-20 में 1.4 प्रतिशत हो गया है। इस कमी को इस तथ्य के सन्दर्भ में देखा जाना चाहिए कि पूंजीगत व्यय वर्ष 2015-16 में ₹ 21,986 करोड़ से घटकर वर्ष 2019-20 में ₹ 14,718 करोड़ रह गया।

तालिका 2.17: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों के सापेक्ष घटक


(प्रतिशत में)

मानक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
सामान्य सेवायें	19.1	25.2	26.2	29.3	29.3
सामाजिक सेवायें	29.9	35.4	35.9	38.7	38.1
आर्थिक सेवायें	28.8	31.1	37.1	31.4	31.4
अन्य (ऋण एवं अग्रिम)	22.2	8.3	0.8	0.6	1.2


स्रोत: वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से ज्ञात होता है कि वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं के सापेक्ष अंश में कमी मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा, जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और सफाई, शहरी विकास और अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत व्यय में कमी के कारण हुई।

चार्ट 2.9: कुल व्यय-गतिविधि वार व्यय



चार्ट 2.10: व्यय का संयोजन



2.4.2 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय, सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने और पिछले दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाता है। इसी कारण यह राज्य के आधारभूत ढांचे एवं सेवाओं में किसी प्रकार की वृद्धि में योगदान नहीं देता है।

तालिका 2.18: राजस्व व्यय—आधार मापदंड


(₹ करोड़ में)

मापदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल व्यय	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458
राजस्व व्यय	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485
राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	12.4	19.7	14.7	14.4	5.8
राजस्व व्यय कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में	64.5	80.9	86.9	88.9	91.2
राजस्व व्यय/जीएसडीपी (प्रतिशत)	15.6	16.7	17.5	17.7	17.3
राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	105.9	116.6	114.6	121.0	126.0
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता-के साथ					
जीएसडीपी (अनुपात)	1.2	1.7	1.5	1.1	0.7
राजस्व प्राप्तियाँ (अनुपात)	1.3	2.3	0.9	1.7	3.6

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे ।

वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 91.2 प्रतिशत था। यह वर्ष 2015-16 के ₹ 1,06,239 करोड़ से 13.53 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर 2019-20 में ₹ 1,76,485 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व व्यय में गत वर्ष की तुलना में 5.8 प्रतिशत (₹ 9,712 करोड़) की वृद्धि हुई।

चार्ट 2.11: राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण



2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

वर्तमान वर्ष एवं गत वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के संबंध में लेखे के विभिन्न शीर्षों के तहत महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विवरण तालिका 2.19 में दिया गया है।

तालिका 2.19: वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय में परिवर्तन

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	(₹ करोड़ में)
			वृद्धि (+)/ कमी (-)
2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5,993.11	8,195.48	2,202.37
2049- ब्याज अदायगी	21,695.20	23,643.27	1,948.07
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	6,155.20	7,807.53	1,652.33
2801- बिजली	21,203.73	22,734.43	1,530.70
2425- सहकारिता	3,727.80	5,158.98	1,431.18
3054- सड़क तथा सेतु	1,242.21	2,102.55	860.34
2211- परिवार कल्याण	2,803.39	3,402.36	598.97
2245- प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2,054.00	2,609.47	555.47
2202- सामान्य शिक्षा	34,158.69	33,145.84	(-) 1,012.85
3454- जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	1,283.87	693.40	(-) 590.47

स्रोत: वित्त लेखे।

तालिका दर्शाती है कि वर्ष के दौरान सामान्य शिक्षा और जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी के तहत राजस्व व्यय में उल्लेखनीय गिरावट मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान और भामाशाह योजना पर व्यय में कमी के कारण हुई।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध व्यय


राजस्व स्वाते में राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी और पेंशन पर व्यय शामिल हैं। यह सरकारी संसाधनों पर प्रथम प्रभार है। प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति से सरकार की विकास गतिविधियों के लिए संसाधन सीमित हो जाते हैं। तालिका 2.20 वर्ष 2015-20 के दौरान इन घटकों पर व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है।

तालिका 2.20: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वेतन एवं मजदूरी	25,871	30,016	37,611	49,790	49,066
पेंशन पर व्यय	10,864	12,296	13,925	20,396	20,761
ब्याज अदायगी	12,008	17,677	19,720	21,695	23,643
योग	48,743	59,989	71,256	91,881	93,470
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	25.80	27.53	29.54	36.11	35.02
पेंशन पर व्यय	10.83	11.28	10.94	14.80	14.82
ब्याज अदायगी	11.97	16.21	15.49	15.74	16.87
योग	48.60	55.02	55.97	66.65	66.71
राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में					
वेतन एवं मजदूरी	24.35	23.61	25.79	29.85	27.80
पेंशन पर व्यय	10.23	9.67	9.55	12.23	11.76
ब्याज अदायगी	11.30	13.90	13.52	13.01	13.40
योग	45.88	47.18	48.86	55.09	52.96

चार्ट 2.12: कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का अंश



प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व व्यय में अंश वर्ष 2015-16 के 45.88 प्रतिशत से लगातार बढ़कर वर्ष 2018-19 में 55.09 प्रतिशत हो गया, लेकिन वर्ष 2019-20 के दौरान यह घटकर 52.96 प्रतिशत रह गया। प्रतिबद्ध व्यय का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात भी वर्ष 2015-16 में 48.60 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 66.71 प्रतिशत हो गया।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2015-16 के ₹ 25,871 करोड़ से 17.35 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 49,066 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में गत वर्ष की तुलना में 1.45 प्रतिशत की मामूली कमी रही। यह मध्यकालिक राजकोषीय नीति विवरण (एमटीएफपीएस) (₹ 55,785 करोड़) में राज्य सरकार द्वारा किए गए आंकलन से ₹ 6,719 करोड़ कम था।

पेंशन भुगतान

पेंशन भुगतान पर व्यय 2015-16 में ₹10,864 करोड़ से 17.57 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर 2019-20 में ₹ 20,761 करोड़⁹ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में पेंशन भुगतान पर व्यय पेंशनरों की कुल संख्या¹⁰ में 17,635 (4.3 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण 1.8 प्रतिशत बढ़ा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों पर व्यय वर्ष 2019-20 के दौरान कुल राजस्व व्यय का 11.8 प्रतिशत (वर्ष 2018-19 में 12.2 प्रतिशत) था।

राज्य सरकार के अपने एमटीएफपीएस/बजट आंकलनों तथा चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गए आंकलन की तुलना में पेंशन भुगतान पर व्यय **तालिका 2.21** में दिया गया है।

तालिका 2.21: चौदहवें वित्त आयोग के आंकलन और राज्य के अनुमानों के सापेक्ष पेंशन भुगतान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन	राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस/बजट में किये गए अनुमान	वास्तविक
2019-20	14,556	22,580	20,761

तालिका यह दर्शाती है कि राज्य सरकार द्वारा पेंशन भुगतान पर व्यय वर्ष 2019-20 के लिए किए गए अपने एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के भीतर था। तथापि, यह वर्ष के लिए चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आंकलन की तुलना में ₹ 6,205 करोड़ अधिक था।

9. इसमें 31 दिसम्बर 2003 को या इससे पहले भर्ती राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ के पेटे वर्ष के दौरान हुये व्यय ₹18,806 करोड़ तथा परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के ₹ 1,954.81 करोड़ शामिल है।

10. पेंशनरों की संख्या 2018-19: 4,13,296 एवं 2019-20: 4,30,931

ब्याज अदायगियाँ

ब्याज अदायगियाँ वर्ष 2015-16 के ₹ 12,008 करोड़ से 18.46 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 23,643 करोड़ हो गई। ब्याज अदायगियाँ गत वर्ष (₹ 21,695 करोड़) की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान (₹ 23,643 करोड़) 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो मुख्यतः बाजार ऋण ₹ 31,592 करोड़ एवं अल्प बचतों, राज्य भविष्य निधि, आदि में ₹ 3,991 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

ब्याज अदायगियों का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात राज्य की ऋण स्थिरता को निर्धारित करता है। राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का अनुपात वर्ष 2019-20 के लिए 16.9 प्रतिशत था, जो गत वर्ष (15.7 प्रतिशत) से मामूली रूप से अधिक रही।

चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आंकलन और राज्य सरकार के अपने एमटीएफपीएस/बजट अनुमानों के संदर्भ में ब्याज अदायगियों को तालिका 2.22 में दिया गया है।

तालिका 2.22: चौदहवें वित्त आयोग के आंकलन और राज्य के अनुमानों के सापेक्ष ब्याज अदायगियाँ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	चौदहवें वित्त आयोग का आंकलन	राज्य सरकार द्वारा एमटीएफपीएस/बजट में अनुमान	वास्तविक
2019-20	19,928	23,133	23,643

तालिका दर्शाती है कि ब्याज अदायगियाँ राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए एमटीएफपीएस और बजट में किए गए अपने अनुमानों के साथ-साथ चौदहवें वित्त आयोग के आंकलन से अधिक रही।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अनुन्मुक्त दायित्व

राजस्थान में 01.01.2004 को या उसके बाद नियुक्त सभी सरकारी सेवकों के लिए परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना जिसे नवीन अंशदायी पेंशन योजना (एनपीएस) के नाम से जाना जाता है, लागू की जा चुकी है। दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक कर्मचारी को मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करना अनिवार्य है और समान अंशदान सरकार द्वारा दिया जाना है। कर्मचारियों के अंशदान को नियोक्ता के समान अंशदान के साथ नेशनल सिक्वोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)/ट्रस्टी बैंक के माध्यम से नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) ट्रस्ट द्वारा नियुक्त नामित पेंशन निधि में जमा करवाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।

राजस्थान सरकार ने पेंशन निधि नियामक विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा प्रारूपित किए गए एनपीएस आर्किटेक्चर को हु-बहू अंगीकृत किया है तथा एनएसडीएल और एनपीएस ट्रस्ट के साथ क्रमशः 09 नवंबर 2010 एवं 02 दिसंबर 2010 को समझौता किया। अंशदान विवरण और अनुरूप राशियां नवंबर 2011 से एनएसडीएल और ट्रस्टी बैंक को हस्तांतरित की जा रही हैं। नवम्बर 2011 से पहले, कर्मचारियों के पेंशन स्वाते के अंशदान और सरकार के समान अंशदान (स्वाते के सम्बंधित वेतन शीर्ष से) को लिगेसी राशि के रूप में वर्ष 2011-12 तक संबंधित कोषालय अधिकारियों द्वारा बजट शीर्ष 8011-106-103-01 में संधारित ब्याज सहित निजी निक्षेप (पीडी) स्वाते में जमा किया जा रहा था।

निदेशालय, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि (एसआईपीएफ) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एनएसडीएल को हस्तांतरित लीगेसी राशि का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 2.23: एनएसडीएल को हस्तांतरित लीगेसी राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लीगेसी राशि का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान हस्तांतरित की गई कुल राशि	अहस्तांतरित लीगेसी राशि	बकाया लीगेसी राशि पर ब्याज	हस्तांतरित की जाने वाली शेष लीगेसी राशि
31/10/2011 तक	1,393.92	0.00	1,393.92	0.00	1,393.92
01/11/2011 से 31/03/2012	1,393.92	0.00	1,393.92	97.41	1,491.33
2012-13	1,491.33	613.58	877.75	56.20	933.95
2013-14	933.95	363.97	569.98	60.00	629.98
2014-15	629.98	297.31	332.67	37.09	369.76
2015-16	369.76	131.66	238.10	34.97	273.07
2016-17	273.07	161.70	111.37	9.46	120.83
2017-18	120.83	65.04	55.79	7.34	63.13
2018-19	63.13	20.72	42.41	4.02	46.43
2019-20	46.43	10.14	36.29	7.65	43.94

उपरोक्त तालिका से, यह स्पष्ट है कि 31 मार्च 2020 को, लीगेसी राशि के पेटे ₹ 43.94 करोड़ शेष राशि हस्तांतरण के लिए लंबित हैं। इसके अलावा, यह पाया गया कि जावक और आवक प्रविष्टियों के मिलान नहीं होने के कारण पाँच जिला कोषागार कार्यालयों¹¹ में राशि ₹ 0.57 करोड़ के ऋणात्मक शेष थे।

नवंबर 2011 से, राजस्थान सरकार अखिल भारतीय सेवा (ए आई एस) के अधिकारियों के अंशदान के लिए मुख्य शीर्ष 8342-117 और अन्य सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों के अंशदान के सम्बन्ध में मुख्य शीर्ष 8011-106 संचालित करती है। कर्मचारियों के अंशदान को इन शीर्षों में हस्तांतरित किया जा रहा है तथा सरकार के अंशदान को एनएसडीएल और एनपीएस ट्रस्ट को आगे हस्तांतरण के लिए एसआईपीएफ विभाग द्वारा 01 अप्रैल 2012 से मुख्य शीर्ष 2071-01-117-01-89 से आहरित किया जा रहा है।

राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक, ₹ 127.21 करोड़ की राशि (₹ 43.94 करोड़ लीगेसी राशि के रूप में, ₹ 82.92 करोड़ राज्य सरकार के कर्मचारियों के अहस्तांतरित अंशदान और ₹ 0.35 करोड़ एआईएस अधिकारियों के अहस्तांतरित अंशदान) एनएसडीएल में हस्तांतरण के लिए लंबित थी, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर ब्याज देयता थी। इसके अलावा, नियोक्ता के

11. अलवर: ₹ 0.38 लाख, दौसा: ₹ 7.26 लाख, कोटा: ₹ 29.78 लाख, सवाई माधोपुर: ₹ 15.93 लाख तथा चुरू: ₹ 3.64 लाख।

अनुकूल सह-अंशदान ₹ 83.27 करोड़ (₹ 82.92 करोड़ राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए और ₹ 0.35 करोड़ एआईएस अधिकारियों के लिए) का कम हस्तांतरण था, जो राज्य सरकार का दायित्व है।

2.4.2.4 अर्थ-सहाय्य


एक कल्याणकारी राज्य में, समाज के साधनहीन वर्गों को अर्थ-सहाय्य प्रदान किया जाता है। विगत पांच वर्षों के लिए अर्थ-सहाय्य और राजस्व प्राप्तियों (रा प्रा) एवं राजस्व व्यय (रा व्य) के प्रतिशत के रूप अर्थ-सहाय्य निम्नानुसार हैं:

तालिका 2.24: वर्ष 2015-20 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर व्यय

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
अर्थ-सहाय्य	10,461	17,208	23,674	21,540	18,990
अर्थ-सहाय्य राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में	10.43 (1,00,285)	15.78 (1,09,026)	18.60 (1,27,307)	15.62 (1,37,873)	13.55 (1,40,114)
अर्थ-सहाय्य राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में	9.85 (1,06,239)	13.53 (1,27,140)	16.23 (1,45,842)	12.92 (1,66,773)	10.76 (1,76,485)
अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में	175.70 (5,954)	95.00 (18,114)	127.73 (18,535)	74.53 (28,900)	52.21 (36,371)
सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र को दिया गया अर्थ-सहाय्य	10,186	16,842	23,391	21,204	18,644
विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य कुल अर्थ-सहाय्य के प्रतिशत के रूप में	97.4	97.9	98.8	98.4	98.2

चार्ट 2.13: अर्थ-सहाय्य और राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य



यद्यपि, वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थ-सहाय्य पर भुगतान (₹ 18,990 करोड़) गत वर्ष (₹ 21,540 करोड़) की तुलना में 11.84 प्रतिशत कम रहा, यह वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्व व्यय का 10.76 प्रतिशत तथा कुल राजस्व प्राप्तियों का 13.55 प्रतिशत था। राजस्व घाटे के प्रतिशत के रूप में अर्थ-सहाय्य

दर्शाता है कि राजस्व घाटे में अर्थ-सहाय्य का योगदान कितना है। 100 से अधिक प्रतिशतता यह दर्शाती है कि यह केवल वर्ष के दौरान अर्थसहाय्य प्रदान करने के कारण है, जिससे राजस्व अधिशेष राजस्व घाटे में परिवर्तित हो जाता है। जबकि वर्ष 2015-16 में अर्थ-सहाय्य राजस्व घाटे का 175.70 प्रतिशत था, यह वर्ष 2019-20 में राजस्व घाटे का 52.21 प्रतिशत, वर्ष 2018-19 के 74.53 प्रतिशत से कम था।

राजस्थान सरकार के अर्थ-सहाय्य का सबसे वृहत घटक विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य था जो कुल अर्थ-सहाय्य का 98.2 प्रतिशत (₹ 18,644 करोड़) था। वर्ष 2019-20 के दौरान विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य मुख्यतः उदय योजना¹² के अंतर्गत वितरण कंपनियों को सहायता (₹ 9,726.06 करोड़), विद्युत दरों में वृद्धि नहीं करने हेतु अनुदान (₹ 7,384.00 करोड़) और विद्युत शुल्क हेतु अनुदान (₹ 1,482.81 करोड़) प्रदान की गई थी। इसके अलावा, विद्युत क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की गई कुल अर्थ-सहाय्य के 97.4 प्रतिशत से 98.8 प्रतिशत के मध्य रही।

विद्युत क्षेत्र अर्थ-सहाय्य (₹18,644.02 करोड़) गत वर्ष (₹ 21,203.73 करोड़) की तुलना में 12.07 प्रतिशत (₹ 2,560 करोड़) कम हुई, जो मुख्य रूप से उदय योजना के अंतर्गत वितरण कंपनियों को सहायता के रूप में ₹ 2,273.94 करोड़ की कमी के कारण हुई।

अर्थ-सहाय्य का दूसरा सबसे बड़ा घटक फसल कृषि कर्म (₹ 215 करोड़) था। हालांकि, फसल कृषि कर्म को अर्थ-सहाय्य वर्ष 2018-19 में ₹ 301.20 करोड़ से 28.74 प्रतिशत कम होकर वर्ष 2019-20 में ₹ 214.64 करोड़ रह गयी। राष्ट्रीय स्वाद्य सुरक्षा योजना के तहत अर्थ-सहाय्य वर्ष 2018-19 में ₹ 15.92 करोड़ से 552 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 103.82 करोड़ हो गई।

2.4.2.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थानों को अनुदानों और ऋणों के रूप में ₹ 41,024.82 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी। वर्ष 2019-20 के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता, मुख्यतः सरकारी कंपनियों को सहायता में वृद्धि के कारण गत वर्ष की तुलना में 17.68 प्रतिशत (₹ 34,862.21 करोड़) बढ़ी। इसके अलावा, वर्ष 2015-20 की अवधि के दौरान, स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को कुल वित्तीय सहायता राजस्व व्यय की 21 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के मध्य थी।

वर्ष 2015-20 के दौरान स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को अनुदान और ऋण के माध्यम से उपलब्ध करायी गई सहायता की मात्रा को **तालिका 2.25** में दिया गया है।

12. उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना।

तालिका 2.25: स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
(अ) स्थानीय निकाय					
नगर निगम एवं नगरपालिकाएं	3,063.89	3,839.93	3,695.48	3,811.13	3,781.24
पंचायती राज संस्थाएं	15,981.85	14,472.66	18,550.27	14,834.25	15,270.45
योग (अ)	19,045.74	18,312.59	22,245.75	18,645.38	19,051.69
(ब) अन्य					
शैक्षिक संस्थाएं (अनुदानित विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इत्यादि)	1,239.54	1,671.13	1,283.29	1,452.88	1,487.70
विकास अभिकरण	6.19	7.61	11.68	13.65	12.41
अस्पताल और अन्य धर्मार्थ संस्थाएं	116.62	77.41	918.96	1,241.07	898.43
अन्य संस्थान	11,316.72	12,823.46	10525.42	13,509.23	19,574.59 ¹³
योग (ब)	12,679.07	14,579.61	12,739.35	16,216.83	21,973.13
योग (अ+ब)	31,724.81	32,892.20	34,985.10	34,862.21	41,024.82
राजस्व व्यय	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485
राजस्व व्यय से सहायता का प्रतिशत	30	26	24	21	23

स्रोत: वित्त लेखें


वर्ष 2019-20 के दौरान, वित्तीय सहायता मुख्यतः चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत सामान्य मूल अनुदान (₹ 5,039.78 करोड़), कृषि ऋण माफी योजना (₹ 4,245.09 करोड़), उदय के तहत सहायता (₹ 4,090.11 करोड़), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (₹ 2,345.67 करोड़), प्रधान मंत्री आवास योजना के तहत जिला परिषदों को (₹ 2,279.24 करोड़), पंचायत समितियों को प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान के लिए (₹ 1,980.81 करोड़), नगर निगमों/नगर पालिकाओं/नगर परिषदों के लिए विशेष अनुदान (₹ 1,897.41 करोड़), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (₹ 1,896.28 करोड़) और फसल बीमा योजना (₹ 1,034.95 करोड़) को दी गई।

2.4.3 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय मुख्यतः स्थायी आधारभूत सम्पत्तियों के सृजन जैसे सड़क, भवन आदि पर होने वाला व्यय है।

13. इसमें मुख्यतः (i) सहकारी संस्थानों: ₹ 5,292.60 करोड़ ; (ii) सरकारी कम्पनियों: ₹ 4,458.89 करोड़; (iii) परिवार कल्याण: ₹ 2,510.64 करोड़; (iv) शिक्षा: ₹ 2,035 करोड़; (v) फसल कृषि कर्म: ₹ 1,350.06 करोड़; और (vi) प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत: ₹ 1,078.57 करोड़ के लिए दिया जाने वाला अनुदान शामिल है।

चार्ट 2.14: राज्य में पूंजीगत व्यय



वर्ष 2019-20 के दौरान, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत (₹ 4,920 करोड़) की कमी हुई। कुल व्यय पर पूंजीगत व्यय का प्रतिशत वर्ष 2018-19 में 10.47 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2019-20 के दौरान 7.61 प्रतिशत रह गया। यह वर्ष 2015-16 में ₹ 21,986 करोड़ से 9.55 प्रतिशत सीएजीआर से घटकर वर्ष 2019-20 में ₹ 14,718.05 करोड़ रह गया।

2.4.3.1 पूंजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी को तालिका 2.26 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.26: वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान पूंजीगत व्यय

मुख्य लेखा शीर्ष	2018-19	2019-20	वृद्धि (+)/कमी (-)
4801- विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	3,822.35	2,130.00	(-) 1,692.35
5054- सड़क व पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	4,161.48	3,200.81	(-) 960.67
4215- जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	3,869.69	3,184.44	(-) 685.25
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,296.09	694.92	(-) 601.17
5475 -अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	631.18	187.69	(-) 443.49

स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष 2019-20 के दौरान, पूंजीगत व्यय में गत वर्ष की तुलना में 25 प्रतिशत (₹ 4,920 करोड़) की कमी हुई। यह कमी मुख्यतः विद्युत परियोजनाओं (₹ 1,692.35 करोड़), सड़क और पुल (₹ 960.67 करोड़), जलापूर्ति एवं सफाई (₹ 685.25 करोड़), शहरी विकास (₹ 601.17 करोड़) और अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं (₹ 443.49 करोड़) पर पूंजीगत परिव्यय के अंतर्गत हुई।

तालिका 2.27: निवेश पर प्रतिलाभ

निवेश/प्रतिलाभ/उधार की लागत	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के अंत तक निवेश (₹ करोड़ में)	37,417.62	41,733.94	45,780.60	49,861.39	52,208.91
प्रतिलाभ (₹ करोड़ में)	97.41	67.80	66.76	55.80	54.47
प्रतिलाभ (प्रतिशत)	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर ¹⁴ (प्रतिशत)	6.7	7.6	7.3	7.3	7.1
ब्याज दर एवं प्रतिलाभ का अंतर (प्रतिशत)	6.4	7.4	7.2	7.2	7.0
सरकारी उधारों पर ब्याज और निवेश पर प्रतिलाभ में अंतर (₹ करोड़ में)#	2,394.73	3,088.31	3,296.20	3,590.02	3,654.62

स्रोत: वित्त लेखे।

वर्ष के अंत तक निवेश * ब्याज दर और प्रतिलाभ के बीच अंतर।

राज्य सरकार के वित्त लेखे के विवरण संख्या 19 में सरकार के निवेश का विवरण निहित है। विवरण पत्र के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक 43 सरकारी कम्पनियों (₹ 49,845.97 करोड़), सात सांविधिक निगमों (₹ 764.34 करोड़), दो ग्रामीण बैंकों (₹ 73.69 करोड़), 11 संयुक्त साँझी कम्पनियों (₹ 916.36 करोड़), 22 संयुक्त पूंजी कम्पनियों (₹ 2.16 करोड़), एक साझेदारी निकाय¹⁵ तथा सहकारी बैंक और समितियों (₹ 606.39 करोड़) में कुल सरकारी निवेश ₹ 52,208.91 करोड़ था। पांच विद्युत कम्पनियों में राज्य सरकार का निवेश ₹ 47,395 करोड़ था जो राज्य सरकार के कुल निवेश का 90.78 प्रतिशत था। वर्ष 2015-20 के दौरान इस निवेश पर औसत प्रतिलाभ 0.1 से 0.3 प्रतिशत रहा, जबकि सरकार ने इनके उधारों पर 6.7 से 7.6 प्रतिशत की औसत दर पर ब्याज चुकाया (तालिका 2.27) जो यह दर्शाता है कि राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिलाभ अत्यधिक कम रहा।

तालिका 2.28: पूर्णतः अपक्षरित निवल संपत्तियों वाली कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी/निगम	31 अक्टूबर 2020 तक प्राप्त लेखों की अवधि	31 मार्च 2020 को निवल संपत्ति	वर्ष के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2020 तक संचयी निवेश
1	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.	2019-20	-17,539.83	549.04	11,332.51
2	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.	2019-20	-19,276.93	533.42	10,487.99
	योग		-36,816.76	1,082.46	21,820.50

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वर्ष 2019-20 के अंतिम लेखों के अनुसार, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनकी निवल संपत्तियाँ पूरी तरह अपक्षरित हो गयी हैं में वर्ष के दौरान

14. सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर = ब्याज अदायगी/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]*100

15. केवल ₹ 20,833

₹ 1,082.46 करोड़ का निवेश किया गया। इसके अलावा, सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में जिसकी वर्ष 2018-19 के अंतिम लेखों के अनुसार निवल सम्पतियाँ (-) ₹ 19,000.52 करोड़ थी, में ₹ 447.54 करोड़ (वर्ष 2019-20 तक संचयी निवेश ₹ 10,465.57 करोड़) का निवेश किया।

तालिका 2.29: घाटे में चल रही कम्पनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	कंपनी/निगम	गत वर्ष के दौरान हानि	वर्ष 2019-20 के दौरान किया गया निवेश	31 मार्च 2020 तक संचयी निवेश
1	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	128.02	250.00	4,691.04

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में ₹ 250.00 करोड़ का निवेश किया, जो 2018-19 में घाटे में चल रही कंपनी थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल पूंजीगत व्यय ₹ 14,718.05 करोड़ में से राज्य सरकार ने कम्पनियों में ₹ 1,780 करोड़ का निवेश किया जिनकी निवल संपत्ति पूर्ण रूप से अपक्षरित हो गयी थी या हानि में चल रही थी।

राज्य सरकार द्वारा कर्जे एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कम्पनियों में निवेश के अतिरिक्त, सरकार इनमें से कई संस्थाओं/संगठनों को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही है। तालिका 2.30, 31 मार्च 2020 को बकाया ऋण एवं अग्रिम और विगत पांच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के साथ-साथ ब्याज अदायगियों को दर्शाती है।

तालिका 2.30: पांच वर्षों के दौरान संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा

(₹ करोड़ में)

संवितरित एवं वसूले गए ऋणों की मात्रा	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	4,701	39,856	51,108	37,308	23,263
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	36,602	12,965	1,334	1,113	2,255
वर्ष के दौरान वसूली गई राशि	1,447	1,713	15,134*	15,158*	15,670*
बकाया ऋणों का अन्तिम शेष	39,856	51,108	37,308	23,263	9,848
वर्ष के दौरान निवल वृद्धि (संवितरण-वसूली)	35,155	11,252	(-)13,800	(-)14,045	(-)13,415
ब्याज प्राप्तियाँ	196	172	3,020	4,390	2,568
सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज दर	0.9	0.4	6.8	14.5	15.5
सरकार द्वारा चुकाए गए बकाया ऋण पर ब्याज दर	6.7	7.6	7.3	7.3	7.1
चुकाए गए ब्याज एवं प्राप्त ब्याज की दर में अंतर (प्रतिशत)	(-) 5.8	(-) 7.2	(-) 0.5	(+) 7.2	(+) 8.4

स्रोत: वित्त लेखे

*अंश पूंजी, अर्थ-सहाय्य एवं सहायतार्थ अनुदान में परिवर्तित उदय ऋण सहित: 2017-18= ₹ 15,000 करोड़, 2018-19= ₹ 15,000 करोड़ एवं 2019-20= ₹ 14,722 करोड़।

कुल ऋण एवं अग्रिम (₹ 9,848 करोड़) में बिजली परियोजनाओं को दिये गये ₹ 5,641 करोड़ (57 प्रतिशत) के ऋण एवं अग्रिम शामिल हैं। संवितरित ऋण एवं अग्रिम की राशि वर्ष 2018-19 में ₹ 1,113 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 2,255 करोड़ (आर्थिक सेवाओं: ₹ 1,969 करोड़ और सामाजिक सेवाओं: ₹ 286 करोड़) हो गयी।

वर्ष के दौरान, ऋणों का बड़ा भाग जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 688 करोड़), अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 541 करोड़), जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 532 करोड़), जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹ 142 करोड़) और राजस्थान पेंशनर्स मेडिकल कोष (₹ 130 करोड़) को अग्रिम दिया गया था।

अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी

अपूर्ण पूंजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूंजी में प्रवृत्ति का आकलन भी पूंजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। 31 मार्च 2020 को अपूर्ण परियोजनाओं (प्रत्येक ₹10 करोड़ से अधिक) से सम्बन्धित विभाग-वार सूचना तालिका 2.31 और तालिका 2.32 में दी गई है।

तालिका 2.31: 31 मार्च 2020 को अपूर्ण परियोजनाओं का वर्ष-वार विवरण (₹ करोड़ में) तालिका 2.32: 31 मार्च 2020 को अपूर्ण परियोजनाओं का विभाग-वार विवरण (₹ करोड़ में)

वर्ष (प्रारम्भ)	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2020 को)	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत (संशोधित लागत सहित)	व्यय (31 मार्च 2020 को)
2010-11 तक	25	9,685.14	8,729.09	जल संसाधन	85	17,960.29	9,342.96
2011-12	6	174.40	90.67				
2012-13	21	5,345.63	4,280.19				
2013-14	34	18,383.20	11,528.94	लोक निर्माण	158	6,096.35	3,139.83
2014-15	4	321.62	227.69				
2015-16	15	1,565.85	1,162.48				
2016-17	37	2,604.81	1,255.87	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	86	25,724.93	18,891.71
2017-18	106	5,852.74	2,883.62				
2018-19	80	5,830.18	1,215.94				
2019-20	1	18.00	0.01				
योग	329	49,781.57	31,374.50	योग	329	49,781.57	31,374.50

राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2020 को 329 अपूर्ण परियोजनाएँ (प्रत्येक ₹ 10 करोड़ से अधिक) थी, जिस पर ₹ 31,374.50 करोड़ की राशि का व्यय किया हुआ था जो कि राज्य के संचयी पूंजीगत परिव्यय (₹ 2,02,806.46 करोड़) का 15.5 प्रतिशत था।

अधूरी परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों का अवरोधन, व्यय की गुणवत्ता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है और राज्य को अपेक्षित लाभ से वंचित करता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित वर्षों के दौरान इन

परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उधार ली गई निधियों पर ऋण और ब्याज दायित्वों के रूप में अतिरिक्त राजकोषीय बोझ का कारण है। इन सभी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि लोगों तक लाभ पहुंच सके और आगे लागत वृद्धि से बचा जा सके।

उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) का क्रियान्वयन

विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्तीय बदलाव हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने उदय योजना का शुभारम्भ (नवम्बर 2015) किया था।

इस योजना के अन्तर्गत राज्य डिस्कॉम की परिचालन एवं वित्तीय दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, राजस्थान सरकार और राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों अर्थात् अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया (27 जनवरी 2016)। यह योजना राजस्थान सरकार को डिस्कॉम के 30 सितंबर 2015 को बकाया ऋण के 75 प्रतिशत हिस्से को दो वर्ष में अधिग्रहण करने की सुविधा प्रदान करती है।

तीनों डिस्कॉम का कुल बकाया ऋण 30 सितंबर 2015 को ₹ 83,229.89 करोड़ था। इसमें से, राजस्थान सरकार ने उदय के अन्तर्गत ₹ 62,421.96 करोड़¹⁶ (₹ 83,229.89 करोड़ का 75 प्रतिशत) अधिग्रहण किया जिसमें ₹ 8,700 करोड़ अंश पूंजी के रूप में, ₹ 44,722 करोड़ ऋण के रूप में एवं ₹ 9,000 करोड़ अर्थ-सहाय्य के रूप में शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार को सूचित किया गया कि उदय के तहत डिस्कॉम को दिये गये ऋण (₹ 44,721.96 करोड़) को आगामी तीन वर्षों में अर्थात् उदय में दी गई छूट के अनुसार 2019-20 तक अनुदान और अंशपूंजी में परिवर्तित किया जायेगा। तदनुसार, वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान राजस्थान सरकार ने ₹ 44,721.96 करोड़ के ऋण को ₹ 6,905.49 करोड़ अंशपूंजी, ₹ 33,726.06 करोड़ अर्थ-सहाय्य एवं ₹ 4,090.41 करोड़ को पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान में परिवर्तित कर दिया है। अंततः, योजना की अवधि के समापन पर डिस्कॉम को अंश पूंजी सहायता, राजस्थान सरकार द्वारा अधिग्रहित किये गए कुल ऋण का 25 प्रतिशत थी, जो योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित 25 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। विवरण **तालिका 2.33** में दिया गया है।

16. वर्ष 2015-16 के दौरान: ₹ 40049.77 करोड़ एवं 2016-17: ₹ 22372.19 करोड़।

तालिका 2.33: उदय के अंतर्गत अंश पूंजी/ऋण/अर्थ-सहाय्य की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अंश पूंजी निवेश	ऋण	अर्थ-सहाय्य/सहायतार्थ अनुदान	कुल
2015-16	5,700.00	34,349.77	-	40,049.77
2016-17	3,000.00	10,372.19	9,000.00	22,372.19
योग	8,700.00	44,721.96	9,000.00	62,421.96
2017-18	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
2018-19	3,000.00	(-) 15,000.00	12,000.00	-
2019-20	905.49	(-) 14,721.96	13,816.47	-
योग	6,905.49		37,816.47	
31-03-2020 को स्थिति	15,605.49 (25.00%)	-	46,816.47 (75.00%)	62,421.96

उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि मार्च 2020 तक उदय के अन्तर्गत डिस्कॉम के ऋण को अधिग्रहण करते हुए राजस्थान सरकार ने अंश पूंजी के रूप में ₹ 15,605.49 करोड़ का निवेश एवं अर्थ-सहाय्य के रूप में ₹ 46,816.47 करोड़ इन तीनों डिस्कॉम को प्रदान किया। इस ऋण के अधिग्रहण हेतु राजस्थान सरकार ने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के दौरान ₹ 62,421.96 करोड़ (2015-16 के दौरान ₹ 40,049.77 करोड़ और 2016-17 के दौरान ₹ 22,372.19 करोड़) का ऋण लिया। मार्च 2020 के अन्त तक उदय के अन्तर्गत गैर वैधानिक तरलता बॉण्ड तथा जब्ती बॉण्ड के रूप में राज्य सरकार की बकाया उधारी ₹ 44,730.29 करोड़ थी।

2.4.3.2 निजी जन सहभागिता परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य की संसाधन उपलब्धता

निजी जन सहभागिता (पीपीपी) सरकार या वैधानिक इकाई और निजी क्षेत्र की इकाई के मध्य एक व्यवस्था है, जो आधारभूत विकास के लिए जनता की बढ़ती माँग को पूरा करने के लिए उन्हें साथ काम करने योग्य बनाने के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करती है। पीपीपी प्रकोष्ठ की स्थापना राज्य सरकार द्वारा आयोजना विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में की गई (जुलाई 2007) थी। यह पीपीपी के लिए राज्य सरकार के सभी प्रयासों के समन्वय और अनुरक्षण के लिए नोडल एजेंसी के रूप में एवं राज्य में पीपीपी परियोजनाओं से संबंधित सभी सूचनाओं के भंडार के रूप में कार्य करता है।

पीपीपी प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध कराई गई (जुलाई 2020) सूचना के अनुसार, 31 मार्च 2020 तक ₹ 16,985.30 करोड़ की 184 परियोजनायें पूर्ण हो चुकी हैं एवं ₹ 2,558.98 करोड़ की 31 परियोजनाएँ प्रगति पर हैं। इसके अतिरिक्त, सड़क, शहरी आधारभूत संरचना, विद्युत, जल, सामाजिक और अन्य क्षेत्रों से संबंधित ₹ 17,316.32 करोड़ की 38 परियोजनाएँ भविष्य के लिए विचाराधीन हैं। पूर्ण हो चुकी, प्रगतिरत और भविष्य के लिये पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण तालिका 2.34 में दिया गया है।

तालिका 2.34: पीपीपी परियोजनाओं का क्षेत्र-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	पूर्ण		प्रगतिरत		भविष्य के लिए नियोजित	
		संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत
1.	सड़क	70	8,536.58	05	597.87	10	1,565.04
2.	शहरी आधारभूत संरचना	23	454.34	12	612.37	16	12,859.55
3.	विद्युत	11	7,097.90	8	1,310.92	2	45.00
4.	जल	1	46.00	-	-	2	2,165.00
5.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	1	54.01	-	-	-	-
6.	सामाजिक	63	636.11	5	23.76	5	213.43
7.	अन्य	15	160.36	1	14.06	3	468.30
	योग	184	16,985.30	31	2,558.98	38	17,316.32

वर्ष 2019-20 के बजट दस्तावेजों की संवीक्षा में प्रकट हुआ है कि राज्य सरकार ने गत वर्ष में पीपीपी परियोजनाओं में किये गये निवेश से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं कराया। इसके अलावा, राज्य सरकार की इन परियोजनाओं से उत्पन्न राजस्व को बजट दस्तावेज में निर्धारित (निजी क्षेत्र द्वारा भी) करना सम्भव नहीं था। वर्तमान वर्ष के लिए भी, राज्य सरकार से जुड़ी पीपीपी परियोजनाओं के संबंध में निजी और सरकारी क्षेत्रों द्वारा किए जाने वाले अनुमानित निवेश का बजट प्रपत्र में पृथक एवं स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है।

2.4.4 व्यय की प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि राज्य प्रमुख सामाजिक सेवाओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर अपने व्यय को बढ़ाये। किसी क्षेत्र विशेष से जुड़ी राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी के अन्तर्गत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात) न्यून होती है यदि आवंटन सम्बन्धित राष्ट्रीय औसत से कम है। इन घटकों का कुल व्यय से अनुपात जितना अधिक होगा, उतना व्यय की गुणवत्ता को बेहतर माना जायेगा।

तालिका 2.35, वर्ष 2014-15 और 2019-20 के दौरान सामान्य श्रेणी के राज्यों (जीसीएस) के औसत की तुलना में राज्य सरकार की समग्र व्यय, पूंजीगत व्यय, शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय के संबंध में राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.35 : स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में व्यय की प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

	समग्र व्यय /जीएसडीपी	पूंजीगत व्यय /समग्र व्यय	शिक्षा/समग्र व्यय	स्वास्थ्य/समग्र व्यय
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत 2014-15	15.99	13.98	16.54	4.92
राजस्थान 2014-15	18.09	14.46	17.44	5.80
सामान्य श्रेणी राज्यों का औसत 2019-20	15.15	12.97	15.91	5.21
राजस्थान 2019-20	18.95	7.61	17.73	6.28


स्रोत: राजस्थान की जी एस डी पी के लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान सरकार से संग्रहित सूचना एवं वित्त लेखे।

तालिका 2.35 निम्नानुसार इंगित करती है:

- वर्ष 2019-20 के दौरान सामान्य श्रेणी राज्यों (15.15 प्रतिशत) की तुलना में राज्य में समग्र व्यय का जीएसडीपी से अनुपात अधिक (18.95 प्रतिशत) था।
- वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में पूंजीगत व्यय का समग्र व्यय से अनुपात (7.61 प्रतिशत) सामान्य श्रेणी राज्यों (12.97 प्रतिशत) की तुलना में कम था।
- वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य में शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय का समग्र व्यय से अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में अधिक था।

2.4.5 कार्यात्मक शीर्ष-वार व्यय

व्यय के विशिष्ट प्रयोजन/उद्देश्य के बारे में जानकारी कार्यात्मक शीर्ष-वार व्यय देता है।



वर्ष 2019-20 के दौरान, कुल व्यय का 72.7 प्रतिशत वेतन, पेंशन, सहायतार्थ-अनुदान (गैर-संवेतन), ब्याज/लाभांश भुगतान और अर्थ-सहाय्य पर व्यय किया गया, जबकि शेष 27.3 प्रतिशत अन्य उद्देश्यों पर व्यय किया गया।

2.5 लोक लेखा

कुछ संव्यवहारों जैसे अल्प बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो कि समेकित निधि के भाग नहीं है को संविधान की धारा 266 (2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा में रखा जाता है तथा यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्यक्षीन नहीं होता है। सरकार इन संव्यवहारों के संबंध में एक बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरणों के पश्चात शेष उपलब्ध निधियाँ सरकार के पास विभिन्न उद्देश्यों में उपयोग के लिए रहती है।

2.5.1 लोक लेखा निवल शेष

विगत पांच वर्षों के दौरान लोक लेखा में घटक-वार निवल शेष तालिका 2.36 में दिये गये हैं।

तालिका 2.36: 31 मार्च को लोक लेखा में घटक वार निवल शेष*

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
I. अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	अल्प बचतें, भविष्य निधि, इत्यादि	3,267	3,380	3,201	5,383	3,991
J. आरक्षित निधियाँ	(अ) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	(-) 61	93	(-) 243	587	3,094
	(ब) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	979	566	1,079	(-) 20	1,236
	उप-योग	918	659	836	567	4,330
K. जमा एवं अग्रिम	(अ) ब्याज वाली जमा	154	425	393	436	2,150
	(ब) बिना ब्याज वाली जमा	2,102	2,815	5,309	3,620	2,875
	(स) अग्रिम	(-) 1	2	1	-	-
	उप-योग	2,255	3,242	5,703	4,056	5,025
L. उचंत एवं विविध	(ब) उचंत	61	(-) 89	(-) 7	(-) 30	105
	(स) अन्य लेखे	(-) 2	(-) 30	(-) 20	(-) 27	(-) 19
	(द) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	-	-	-	-	-
	(य) विविध	-	-	-	-	-
	उप-योग	59	(-) 119	(-) 27	(-) 57	86
M. प्रेषण	(अ) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(-) 20	(-) 3	11	8	4
	(ब) अन्तःसरकार समायोजन लेखा	-	-	(-) 1	1	(-) 12
	उप-योग	(-) 20	(-) 3	10	9	(-) 8
योग		6,479	7,159	9,723	9,958	13,424

* निवल शेष का अर्थ है वर्ष के दौरान सम्बंधित मद के अंतर्गत प्राप्तियों और संवितरणों का अन्तर।


नोट : धन नामे शेष को दर्शाता है एवं ऋण जमा शेष को दर्शाता है।

राज्य की निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ वर्ष 2015-20 के दौरान सीएजीआर 19.98 प्रतिशत से बढ़ी और वर्ष 2015-16 में ₹ 6,479 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 13,424 करोड़ हो गई। हालांकि, वर्ष 2019-20 के दौरान, निवल लोक लेखा प्राप्तियों में गत वर्ष की तुलना में 34.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

पांच वर्षों की अवधि 2015-20 में लोक लेखा के शेषों के संयोजन में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.15 में दिया गया है।

चार्ट 2.15: लोक लेखा के शेषों के संयोजन में वार्षिक परिवर्तन

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

2.5.2 आरक्षित निधियां

राज्य बजट नियमावली के अनुच्छेद 4.5 के अनुसार, आरक्षित और आरक्षित निधियां राज्य सरकार के लेखों (लोक लेखा) के अन्तर्गत विशिष्ट और सुपरिभाषित उद्देश्यों के लिए सृजित की जाती है। ये निधियां राज्य की समेकित निधि या बाह्य एजेंसियों से प्राप्त अंशदान या अनुदान द्वारा बनाई जाती हैं। इन निधियों को आगे दो भागों में विभक्त किया गया है (i) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ और (ii) ब्याज रहित आरक्षित निधियाँ। राज्य की समेकित निधि से संबंधित व्यय शीर्ष को नामे करने के बाद राशि अन्तरित कर ये निधियाँ बनाई जाती है। इसके पश्चात, वर्ष के दौरान किये गये कुल व्यय का संबंधित आरक्षित निधि से पुनर्भरण किया जाता है।

31 मार्च 2020 को, ₹ 3,831.86 करोड़ की चार ब्याज वाली संचालित निधियों सहित लोक लेखे में राशि ₹ 9,881.68 करोड़¹⁷ की 28 आरक्षित निधियाँ थी।

17. इसमें (अ) ब्याज वाली (i) राज्य आपदा मोचन निधि: ₹ 2096.22 करोड़, (ii) राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि: ₹ 1688.16 करोड़ (iii) हास आरक्षित निधि के अन्तर्गत जल निर्माण कार्य: ₹ 67.28 करोड़ एवं (ब) बिना ब्याज वाली (iv) गारन्टी मोचन निधि: ₹ 4917.30 करोड़, (v) जल संरक्षण उपकर निधि: ₹ 236.31 करोड़ (vi) राजस्थान परिवहन आधारभूत अवसंरचना विकास निधि: ₹ 298.96 करोड़ (vii) समर्पित सड़क सुरक्षा निधि: ₹ 220.38 करोड़ (viii) संसाधन विकास निधि: ₹ 180.88 करोड़ तथा (ix) स्नन क्षेत्रों में पर्यावरण सुधार एवं स्वास्थ्य निधि: ₹ 79.51 करोड़ शामिल थी।

- **संचालित आरक्षित निधियाँ**

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य की 24 संचालित आरक्षित निधियों में ₹ 7,692.20 करोड़ जमा किये गये थे, जिसमें मुख्यतः राज्य आपदा मोचन निधि (₹ 2,642.89 करोड़¹⁸), राज्य क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि (₹ 1,748.26 करोड़), राज्य सड़क तथा सेतु निधि (₹ 1,170.00 करोड़), गारंटी मोचन निधि (₹ 837.14 करोड़), अन्य विकास और कल्याण कोष (₹ 794.51 करोड़) और पशुपालन उद्देश्यों के लिए विकास निधि (₹ 490.50 करोड़) शामिल थी।

- **असंचालित आरक्षित निधियाँ**

वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे के अनुसार, चार आरक्षित निधियाँ (₹ 4.24 करोड़) पांच साल से अधिक समय से असंचालित थीं। इनमें से, एक निधि¹⁹ (₹ 0.20 करोड़) ब्याज वाली थी और तीन निधियाँ²⁰ (₹ 4.04 करोड़) बिना ब्याज वाली थीं।

राज्य सरकार को 31 मार्च 2019 को ₹ 67.48 करोड़ की दो ब्याज वाली निधियों (एक संचालित: ₹ 67.28 करोड़ और एक असंचालित: ₹ 0.20 करोड़) पर ₹ 5.06 करोड़ के ब्याज भुगतान (परम्परागत रूप से अनुमानित 7.5 प्रतिशत, मार्गोपाय अग्रिम की औसत ब्याज दर) की आवश्यकता थी। हालांकि, यह देखा गया कि ब्याज जमा नहीं किया गया था।

2.5.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि

भारत सरकार (भास) ने पूर्ववर्ती आपदा राहत निधि को 1 अप्रैल 2010 से राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के साथ बदल दिया। चौदहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि इस निधि में भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वार्षिक अंशदान दिया जाना था।

केंद्रीय अंशदान प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंशदान को लोक लेखे (मुख्य शीर्ष-8121, ब्याज वाली आरक्षित निधि) में हस्तान्तरित किया जाना है, अन्यथा विलम्ब अवधि के लिए ब्याज (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर पर) निधि को हस्तांतरित किया जाना आवश्यक है।

राज्य सरकारों को भारतीय रिजर्व बैंक के ओवरड्राफ्ट विनियमन दिशानिर्देशों के तहत ओवरड्राफ्ट के लिए लागू दर पर एसडीआरएफ को ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। ब्याज को छः माही आधार पर जमा किया जाना है। एसडीआरएफ के प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों (जुलाई 2015) के अनुसार, एसडीआरएफ के निवेश पर अर्जित आय के साथ एसडीआरएफ में हुई वृद्धि को केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों,

18. इसमें एनडीआरएफ के ₹ 1164.99 करोड़ शामिल थे।

19. झामर कोटड़ा राक फॉस्फेट की विभागीय प्रबन्धन योजना: ₹ 20.45 लाख।

20. (i) कृषक सुधार निधि: ₹ 0.74 लाख, (ii) विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम की सहायता से सघन प्रजनन नया मुर्गी उत्पादन एवं विपणन केन्द्रों के लिए निधि: ₹ 0.95 लाख एवं (iii) राज्य सड़क सुधार विकास कोष: ₹ 402.08 लाख।

नीलामी वाले कोषालय बिलों तथा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ब्याज वाली अन्य जमाओं में निवेश किया जाना था।

आपदा प्रबंधन, राहत और नागरिक सुरक्षा विभाग के अभिलेखों और प्राप्त जानकारी की संवीक्षा (सितंबर 2020) के दौरान, यह पाया गया:

(i) चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, राज्य सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 1,435.78 करोड़ (केन्द्रीय अंशदान ₹ 1,005.00 करोड़, राज्यांश ₹ 335.00 करोड़ और प्राप्त केंद्रीयंश का बकाया प्राप्त लेकिन वर्ष 2018-19 में निधि में हस्तांतरित नहीं किया ₹ 95.78 करोड़) हस्तांतरित किया। यह देखा गया कि भारत सरकार ने एसडीआरएफ की पहली किस्त ₹ 502.50 करोड़ के लिए स्वीकृति (30 जुलाई 2019) दी जो राज्य सरकार ने अपने अंशदान (₹ 167.50 करोड़) के साथ 12 दिनों के विलम्ब से 26 अगस्त 2019 को हस्तांतरित किया था। इसी प्रकार, भारत सरकार ने वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीयंश की पहली किस्त के बकाया के रूप में ₹ 95.78 करोड़ की स्वीकृति दी (10 सितंबर 2018), जिसे 408 दिनों के विलम्ब के साथ 7 नवम्बर 2019 को निधि में हस्तांतरित किया गया था।

यह भी पाया गया कि भारत सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) में हस्तांतरण के लिए ₹ 1,949.59 करोड़ की अनुदान राशि जारी करने की स्वीकृति दी (30 जुलाई 2019 और 27 मार्च 2020), जिसमें से राजस्थान सरकार ने मात्र ₹ 1,164.99 करोड़ हस्तांतरित किये (26 अगस्त 2019), परिणामस्वरूप ₹ 784.60 करोड़ का कम हस्तांतरण किया गया। इसके कारण राज्य का राजस्व घाटा इस सीमा तक कम हुआ।

इसके अतिरिक्त, 30 जुलाई 2019 को प्राप्त ₹ 1,164.99 करोड़ की राशि 12 दिनों के विलम्ब के साथ 26 अगस्त 2019 को एनडीआरएफ को हस्तांतरित की गई। इस प्रकार, राज्य सरकार विलम्ब की अवधि के लिए ₹ 10.20 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी।

(ii) 31 मार्च 2020 तक आपदा राहत कार्यों पर ₹1,217.42 करोड़ के व्यय के बाद एसडीआरएफ में ₹ 2,096.22 करोड़ (एनडीआरएफ में शेष सहित) का निवल शेष था। वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्थान सरकार ने एसडीआरएफ की अप्रयुक्त राशि का किसी भी निर्धारित साधन में निवेश नहीं किया। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2018-19 के दौरान अनिवेशित राशि पर ₹ 8.67 करोड़ के ब्याज का भुगतान तथा वर्ष 2019-20 के दौरान अनिवेशित राशि पर अर्द्ध-वार्षिक (अप्रैल-सितम्बर 2019) ब्याज के रूप में ₹ 33.45 करोड़ का भुगतान किया।

अप्रयुक्त एसडीआरएफ शेष को दिशा-निर्देशों में निर्धारित साधनों में निवेश करने में विफलता के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व की हानि हुई।

तालिका 2.37: एसडीआरएफ पर भारित व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

मुख्य लेखा शीर्ष	लघु लेखा शीर्ष	वर्ष 2019-20 के दौरान व्यय
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 01-सूखा	102- पेयजल आपूर्ति	7.42
	104- चारे की आपूर्ति	40.60
	800- अन्य व्यय	338.02
	उप-योग	386.04
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 02-बाढ़, चक्रवात इत्यादि	101-आनुग्रहिक राहत	1.17
	106-स्वराब सड़कों एवं पुलों की मरम्मत एवं पुनः स्थापना	38.41
	111-शोकार्त परिवारों को अनुग्रह पूर्वक अदायगी	5.51
	113-घर की मरम्मत/ पुननिर्माण के लिए सहायता	33.97
	114-कृषि आगतों के क्रय के लिए किसानों को सहायता	688.05
	117-पशु धन के क्रय हेतु किसानों को सहायता	(-) 0.03
	122-स्वराब सिंचाई प्रणाली की मरम्मत एवं पुनः स्थापना तथा बाढ़ नियन्त्रण कार्य	1.29
	282-जन स्वास्थ्य	63.01
उप-योग	831.38	
2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत 80-सामान्य	800-अन्य व्यय	8.71
	उप-योग	8.71
	योग	1,226.13
05-राज्य आपदा मोचन निधि	101-आरक्षित निधियों जमा लेखों को अन्तरण राज्य आपदा मोचन निधि	2,600.76
	901-घटाइये-राज्य आपदा मोचन निधि से पूरी की गई राशि	(-) 1,217.42
	उप-योग	1,383.34
महा योग		2,609.47

वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 1,226.13 करोड़ का व्यय बजट शीर्ष 'प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत' पर किया गया था, जिसमें से ₹ 1,217.42 करोड़ सरकार ने एसडीआरएफ से समायोजित किये।

2.5.2.2 प्रत्याभूति मोचन निधि

राज्य सरकार ने राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या अन्य निकायों द्वारा जारी बॉन्डों एवं अन्य उधारों के संबंध में सरकार द्वारा जारी गारंटी और लाभार्थियों द्वारा भुगतान में चूक से उत्पन्न भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिए 1999-2000 में 'प्रत्याभूति मोचन निधि (निधि)' संस्थापित की।

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 26.10.2002 के अनुसार, प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क को मुख्य शीर्ष '0075-108 गारंटी फीस' के तहत जमा किया जाएगा और प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क के लिए प्रावधान बजट शीर्ष 2075 के तहत किया जाएगा और आगे मुख्य शीर्ष 8235-'प्रत्याभूति मोचन निधि' में स्थानांतरित किया जाएगा। संचित निधि का उपयोग केवल प्रत्याभूति के भुगतान के लिए किया जाता है

जो सरकार द्वारा जारी की गई और संस्थानों द्वारा भुगतान नहीं की गई थी जिसकी जिम्मेदारी पर प्रत्याभूति जारी की गई थी। यह आदेश 01 अप्रैल 2003 से प्रभावी था।

वित्त विभाग (मार्गोपाय), राजस्थान सरकार के कार्यालय आदेश दिनांक 15.12.2007 के अनुसार, निधि में निवेशित निधियों पर अर्जित ब्याज सहित संचित निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार के 364 दिनों के कोषालय बिलों में निवेश किया जावेगा।

भारतीय रिजर्व बैंक, जो निधि का प्रबन्ध करता है, के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधि के कोष को बकाया प्रत्याभूतियों के 5 प्रतिशत के इच्छित स्तर तक धीरे-धीरे बढ़ाना है। प्रत्याभूति मोचन निधि के अन्तर्गत 31 मार्च 2020 को ₹ 4,917.30 करोड़ का शेष है जो कि बकाया प्रत्याभूति (₹ 80,631.25 करोड़) का 6.10 प्रतिशत था।

वित्त विभाग (मार्गोपाय), राजस्थान सरकार से प्राप्त (16 सितंबर 2020) सूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 को, शीर्ष '8235-117' के अन्तर्गत निधि में ₹ 4,080.16 करोड़ प्रारम्भिक शेष था। वर्ष 2019-20 के दौरान, ₹ 586.86 करोड़ (2018-19 की अवधि से संबंधित 0.64 करोड़ और 2019-20 की ₹ 586.22 करोड़²¹) की राशि निधि में अन्तरित की गई थी और इस अवधि में कोई गारंटी बाधित नहीं हुई। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2018-19 के दौरान निधि से किए गए निवेश पर ब्याज के रूप में सरकार से ₹ 250.28 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2020 को, निधि में अंतिम शेष राशि ₹ 4,917.30 करोड़ थी, जिसमें से केवल ₹ 1,700.32 करोड़ 364 दिनों के कोषालय बिलों में निवेश किये गये थे और वित्त विभाग के आदेश दिनांक 15.12.2007 का उल्लंघन कर 31 मार्च 2020 को शेष राशि ₹ 3,216.98 करोड़ निवेश नहीं की गई।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, सरकार के ऋण के प्रबंधन के लिए एक रणनीति की स्थापना और क्रियान्वयन की प्रक्रिया है, जिसमें आवश्यक निधियाँ जुटाने, अपने जोखिम और लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो सरकार ने अधिनियम या अन्य कोई वार्षिक बजट घोषणाओं के माध्यम से निर्धारित किए हैं।


तालिका 2.38: वर्ष 2015-20 के दौरान कुल बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बकाया ऋण	2,09,386	2,55,002	2,81,182	3,11,374	3,52,702
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	41.85	21.79	10.27	10.74	13.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	6,81,482	7,60,750	8,35,170	9,42,586	10,20,989
ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55

21. ₹ 637.75 करोड़ की प्राप्य प्रत्याभूति शुल्क राशि के समक्ष शीर्ष "0075-108" के अन्तर्गत ₹ 586.30 करोड़ प्राप्त हुई।

चार्ट 2.16: 2015-20 के दौरान बकाया ऋण की स्थिति



राज्य सरकार का कुल ऋण वर्ष 2015-16 में ₹ 2,09,386 करोड़ से 13.92 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 3,52,702 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान, गत वर्ष की तुलना में इसमें 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2.6.1 ऋण रूपरेखा: घटक

राजस्थान एफआरबीएम अधिनियम, 2005 के अनुसार, कुल दायित्व से अभिप्रायः राज्य की समेकित निधि और सामान्य प्रावधानी निधि को सम्मिलित करते हुए राज्य के लोक लेखा के अन्तर्गत सुनिश्चित देयताओं से है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण शर्तों की व्याख्या **परिशिष्ट-2.3** में की गई है।

तालिका 2.39: घटक वार ऋण की प्रवृत्ति


(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बकाया ऋण	2,09,386*	2,55,002*	2,81,182*	3,11,374*	3,52,702*
लोक ऋण					
आंतरिक ऋण	1,48,292	1,84,285	2,00,244	2,19,312	2,42,077
भारत सरकार से ऋण	8,258	11,139	12,063	13,927	17,303
लोक लेखा दायित्व	52,836	59,578	68,875	78,135	93,322


	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	41.85	21.79	10.27	10.74	13.27
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	6,81,482	7,60,750	8,35,170	9,42,586	10,20,989
कुल ऋण/ जीएसडीपी (प्रतिशत)	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55
कुल ऋण प्राप्तियाँ	1,99,313	2,01,683	1,86,325	2,08,734	2,39,012
कुल ऋण पुनर्भुगतान	1,37,536	1,56,067	1,60,145	1,78,542	1,97,684
कुल उपलब्ध ऋण	61,777	45,616	26,180	30,192	41,328
उपलब्ध ऋण/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशतता)	30.99	22.62	14.05	14.46	17.29

* बकाया उदय ऋण: 2015-16= ₹40,050 करोड़, 2016-17= ₹ 62,422 करोड़, 2017-18= ₹ 58,272 करोड़, 2018-19= ₹ 51,636 करोड़ तथा 2019-20= ₹ 44,730 करोड़ सहित।

चार्ट 2.17: वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बकाया ऋणों का विभाजन




चार्ट 2.18: घटक वार ऋण की प्रवृत्तियाँ*



* निवल आंकड़े यथा वर्ष के दौरान सम्बन्धित घटकों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों के मध्य का अंतर है।

चार्ट 2.19: आन्तरिक ऋण लेने की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



राजकोषीय घाटे के घटक एवं उनके वित्तपोषण का स्वरूप

तालिका 2.40 वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य के राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण के मद-वार निवल संवितरण/बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है (तालिका 2.41 संदर्भित करती है)।

तालिका 2.40: राजकोषीय घाटे के घटक और उनके मद वार वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

	2015-16#	2016-17#	2017-18#	2018-19	2019-20	
(अ) राजकोषीय घाटे का संयोजन						
1	राजस्व घाटा/अधिशेष (-)	5,954	18,114	18,535	28,900	36,371
2	निवल पूँजीगत व्यय	21,961	16,952	20,607	19,618	14,698
3	निवल ऋण एवं अग्रिम*	35,155 [®]	11,252 [®]	(-) 13,800	(-) 14,045	(-) 13,415
	योग (अ)	63,070	46,318	25,342	34,473	37,654
(ब) राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप						
1	बाजार से उधार	13,807	14,325	20,927	26,822	31,592
2	भारत सरकार से कर्ज	1,224	2,881	924	1,864	3,375
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधियों को जारी की गई विशेष प्रत्याभूतियाँ	(-) 86	(-) 1,536	(-) 1,536	(-) 1,560	(-) 1,585
4	मार्गोपाय	-	-	-	-	-
5	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	41,094	23,204	(-) 3,432	(-) 6,194	(-) 7,241
6	अल्प बचतें, भविष्य निधि, आदि	3,267	3,380	3,201	5,383	3,991
7	जमा एवं अग्रिम	2,255	3,242	5,703	4,056	5,025
8	उचन्त एवं विविध	59	(-) 119	(-) 27	(-) 57	86
9	प्रेषण	(-) 20	(-) 3	10	09	(-) 8
10	आरक्षित निधियाँ	918	659	836	567	4,330

(₹ करोड़ में)

		2015-16#	2016-17#	2017-18#	2018-19	2019-20
	योग (ब)	62,518	46,033	26,606	30,890	39,565
11	रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+)(अ-ब)	552	285	(-) 1,264	3,583	(-) 1,911
12	समग्र राजकोषीय घाटा (ब+11)	63,070	46,318	25,342	34,473	37,654

स्रोत: वित्त लेखे।

उदय के प्रभाव सहित स्थिति।

@ उदय ऋण वर्ष 2015-16 (₹ 40,050 करोड़) तथा 2016-17 (₹ 22,372 करोड़) में दिए गए उदय ऋण सहित।


* निवल ऋण एवं अग्रिम का अर्थ है, वर्ष के दौरान ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण- ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियां।

राजकोषीय घाटा राज्य की कुल उधार आवश्यकता है तथा यह राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों की तुलना में कर्जे एवं अग्रिम सहित राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय का आधिक्य है। राज्य द्वारा अपने राजस्व एवं गैर-ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता का विभिन्न उधारों से पूरा करने की सीमा राजकोषीय घाटे के संयोजन से प्रकट होती है।

बाजार से उधारों से निरन्तर राजकोषीय घाटे के एक बड़े भाग को वित्तपोषित किया जाता रहा है। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इनका अंश वर्ष 2018-19 में 78 प्रतिशत से बढ़कर 2019-20 में 84 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 37,654 करोड़ के राजकोषीय घाटे की पूर्ति, मुख्यतः बाजार से उधार (₹ 31,592 करोड़) से की गई।

चार्ट 2.20: वाटर फ्लो चार्ट के माध्यम से राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण की अभिव्यक्ति

(₹ करोड़ में)



तालिका 2.41: राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के घटकों के अंतर्गत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1 बाजार से उधार	39,092	7,500	31,592
2 भारत सरकार से ऋण	4,209	834	3,375
3 एनएसएसएफ को जारी की गयी विशेष प्रतिभूति	-	1,585	(-) 1,585
4 भारतीय रिजर्व बैंक से मार्गोपाय अग्रिम	1,416	1,416	-
5 वित्तीय संस्थानों से कर्ज	1,456	8,697	(-) 7,241
6 अल्प बचत, भविष्य निधि, इत्यादि	12,204	8,213	3,991
7 जमा एवं अग्रिम	1,69,401	1,64,376	5,025
8 उचंत एवं विविध	115	29	86
9 प्रेषण	3,753	3,761	(-) 8
10 आरक्षित निधि	7,692	3,362	4,330
11 समग्र घाटा	2,39,338	1,99,773	39,565
12 रोकड़ शेष में वृद्धि (-)/कमी (+)	-	-	(-) 1,911
13 सकल राजकोषीय घाटा	-	-	37,654

2.6.2 ऋण रूपरेखा: परिपक्वता और पुनर्भुगतान

31 मार्च 2020 को राज्य के ऋण की परिपक्वता रूपरेखा (विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में देय राशि) को तालिका 2.42 और चार्ट 2.21 में दर्शाया गया है:


तालिका 2.42: राज्य के ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता रूपरेखा

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशतता (लोक ऋण के सम्बन्ध में)
0 – 1	16,555.57	6.38
1 – 3	35,706.22	13.77
3 – 5	47,383.05	18.27
5 – 7	47,844.41	18.45
7 एवं अधिक	93,830.81	36.17
अन्य ²²	18,059.85	6.96
योग	2,59,379.91	100.00

स्रोत: वित्त लेखे

22. इस राशि का भुगतान विवरण प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संधारित नहीं किया जा रहा है।

चार्ट 2.21: ऋण परिपक्वता रूपरेखा



31 मार्च 2020 को लोक ऋण के बकाया ऋण की परिपक्वता रूपरेखा दर्शाती है कि बकाया लोक ऋण ₹ 2,59,379.91 करोड़ में से 56.86 प्रतिशत (₹ 1,47,489.25 करोड़) आगामी सात वर्षों के अन्तर्गत देय है जबकि शेष 43.14 प्रतिशत (₹ 1,11,890.66 करोड़) सात वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि में है।

बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान अनुसूची

बकाया बाजार ऋण और इन ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची तालिका 2.43 और चार्ट 2.22 में नीचे दर्शायी गई है।


तालिका 2.43: बाजार ऋणों और बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

पुनर्भुगतान की अवधि (वर्षों में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (मूलधन) (₹ करोड़ में)	बाजार ऋणों का पुनर्भुगतान (ब्याज) (₹ करोड़ में)
0 – 1	6,180.00	13,432.99
1 – 3	15,041.10	25,276.19
3 – 5	28,050.00	21,833.90
5 – 7	34,853.78	16,834.31
7 -10	78,234.04	12,560.14
10 से अधिक	6,500.00	2,164.09
योग	1,68,858.92	92,101.62

स्रोत: वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

चार्ट 2.22: बाजार ऋणों और बाजार ऋणों पर ब्याज की पुनर्भुगतान अनुसूची

(₹ करोड़ में)



राज्य को आगामी तीन वित्तीय वर्षों में अर्थात् 2022-23 तक ₹ 21,221.10 करोड़ के बाजार ऋण का पुनर्भुगतान और ₹ 38,709.18 करोड़ ब्याज का भुगतान करना होगा। आगामी दो वर्षों 2024-25 तक ₹ 28,050.00 करोड़ का मूलधन और ₹ 21,833.90 करोड़ का ब्याज देय होगा। अगले पांच वर्षों के दौरान 2024-25 तक मूलधन और ब्याज का वार्षिक पुनर्भुगतान लगभग ₹ 21,962 करोड़ होगा।

वर्ष 2025-26 से 2029-30 की अवधि में ₹1,13,087.82 करोड़ का ऋण और ₹ 29,394.45 करोड़ का ब्याज देय होगा। इसी प्रकार, राज्य को वर्ष 2025-26 से वर्ष 2029-30 की अवधि के दौरान औसतन लगभग ₹ 28,496 करोड़ का वार्षिक भुगतान करना होगा।

इसलिए, राज्य सरकार को ऋण के जाल में फंसने से बचने के लिए एक सुविचारित ऋण अदायगी की रणनीति पर काम करना होगा।

2.7 ऋण धारणीयता विश्लेषण (डीएसए)

ऋण धारणीयता

ऋण को धारणीय माना जाता है यदि उधारकर्ता, इस मामले में राज्य, अपने ऋण को वर्तमान और भविष्य में अदा करने का सामर्थ्य रखता हो। ऋण धारणीयता संकेतकों के अनुसार, उधारकर्ताओं की ऋण साख और तरलता की स्थिति का आंकलन उनकी ऋण चुकाने की क्षमता और राजस्व के चालू और नियमित स्रोतों की जांच करके किया जाता है।

वर्ष 2015-16 से प्रारम्भ पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण प्रासंगिक संकेतकों के अनुसार तालिका 2.44 में किया गया है।

तालिका 2.44: ऋण धारणीयता संकेतकों में प्रवृत्तियाँ

ऋण धारणीयता संकेतक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कुल ऋण (₹ करोड़ में)	2,09,386	2,55,002	2,81,182	3,11,374	3,52,702
बकाया लोक ऋण* (₹ करोड़ में)	1,56,550	1,95,424	2,12,307	2,33,239	2,59,380
बकाया लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	55.8	24.8	8.6	9.9	11.2
जीएसडीपी (₹ करोड़ में)	6,81,482	7,60,750	8,35,170 ²³	9,42,586 ²⁴	10,20,989 ²⁵
जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	10.69	11.63	9.78	12.86	8.32
लोक ऋण/जीएसडीपी	0.23	0.26	0.25	0.25	0.25
कुल ऋण/जीएसडीपी (प्रतिशत)	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55
राज्य ऋण के पुनर्भुगतान की ऋण परिपक्वता – पूर्व की चूक सहित, यदि कोई हो (₹ करोड़ में)	4,215	4,386	11,000	16,096	17,702
लोक ऋण प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	60,998	43,889	28,557	37,847	46,173
लोक ऋण पुनर्भुगतान (₹ करोड़ में)	4,959	5,015	11,674	16,915	20,032
बकाया लोक ऋण पर ब्याज अदायगियाँ (₹ करोड़ में)	8,872	14,439	16,214	17,804	19,236
बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	6.90	8.20	7.95	7.99	7.81
राजस्व प्राप्तियों से ब्याज अदायगियों का प्रतिशत	8.85	13.24	12.74	12.91	13.73
लोक ऋण प्राप्ति से लोक ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	8.13	11.43	40.88	44.69	43.38
राज्य के पास उपलब्ध निवल लोक ऋण [#] (₹ करोड़ में)	47,167	24,435	669	3,128	6,905
लोक ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में निवल लोक ऋण उपलब्धता	77.33	55.67	2.34	8.26	14.95

स्रोत: वित्त लेखे

*बकाया लोक ऋण, शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण एवं 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम के अंतर्गत बकाया शेषों का योग है।


[#] राज्य सरकार के पास उपलब्ध निवल ऋण की उपलब्धता की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान एवं लोक ऋण पर अदा किये गये ब्याज के बाद लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

23. संशोधित अनुमान-III

24. संशोधित अनुमान-I

25. अग्रिम अनुमान

चार्ट 2.23: ऋण धारणीयता संकेतकों की प्रवृत्तियाँ



उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता

उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को लोक ऋण मोचन (मूलधन+ब्याज अदायगी) के लोक ऋण प्राप्तियों से अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है तथा यह ऋण प्राप्तियों की उस मात्रा, जिस तक ये पुराने ऋण के मोचन में उपयोग में आयी है, को इंगित करता है।

ब्याज एवं अदायगी का प्रावधान करने के पश्चात वर्तमान परिचालनों हेतु उधारों से उपलब्ध निवल कोष वर्ष 2015-16 में ₹ 47,167 करोड़ से घटकर वर्ष 2019-20 में ₹ 6,905 करोड़ रह गया, जिसका अर्थ है कि ऋण प्राप्तियों का एक बड़ा भाग पुराने लोक ऋण के मोचन के लिए उपयोग किया जा रहा है, परिणामस्वरूप बिगड़ती ऋण स्थिति है।

2.7.1 उधार ली गई निधियों का उपयोग

उधार ली गई निधियों का उपयोग आदर्श रूप से पूंजी सृजन और विकासात्मक गतिविधियों हेतु किया जाना चाहिए। वर्तमान उपभोग को पूरा करने के लिए और बकाया ऋणों पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधियों का उपयोग करना धारणीय नहीं है।


तालिका 2.45: उधार ली गई निधियों का उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
वर्ष के दौरान प्राप्त कुल उधार	1	1,99,313	2,01,683	1,86,325	2,08,734	2,39,012
पूर्व उधारों का पुनर्भुगतान (मूलधन)(प्रतिशत)	2	1,37,536 (69.01)	1,56,067 (77.38)	1,60,144 (85.95)	1,78,542 (85.54)	1,97,684 (82.71)
निवल पूंजीगत व्यय (प्रतिशत)	3	21,961 (11.02)	16,952 (8.41)	20,607 (11.06)	19,618 (9.40)	14,698 (6.15)
निवल ऋण एवं अग्रिम	4	35,155	11,252	(-) 13,800	(-) 14,045	(-) 13,415
निवल उपलब्ध उधारों से राजस्व व्यय के अंश की पूर्ति (प्रतिशत)	5=1-2-3-4	4,661 (2.34)	17,412 (8.63)	19,374 (10.40)	24,619 (11.79)	40,045 (16.75)

स्रोत: वित्त लेख।

चार्ट 2.24: उधार ली गई निधियों के उपयोग की प्रवृत्तियाँ



वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए ₹ 40,045 करोड़ के उधार का उपयोग किया गया। कुल ऋण से ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत वर्ष 2015-16 में 69 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 82.7 प्रतिशत हो गया। हालांकि, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में इसमें 2.8 प्रतिशतता बिन्दु की कमी हुई है।

2.7.2 प्रत्याभूतियों की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

प्रत्याभूतियां राज्य की समेकित निधि के ऊपर वे आकस्मिक देयताएं हैं जो उधार लेने वाले, जिनके लिए प्रत्याभूति दी गई थी, द्वारा चूक के प्रकरण में होती है। एफआरबीएम अधिनियम, 2005 (अप्रैल 2016 में संशोधित) के अनुसार 31 मार्च 2017 को बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की

समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा उसके पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त तक कुल बकाया सरकारी प्रत्याभूतियाँ, उस वित्तीय वर्ष में राज्य की समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियों के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे के विवरण 9 के अनुसार, गत पाँच वर्षों के लिए राज्य द्वारा दी गई प्रत्याभूति की अधिकतम राशि तथा बकाया प्रत्याभूतियां तालिका 2.46 में दी गई है।

तालिका 2.46: राजस्थान सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ में)

प्रत्याभूतियाँ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
ब्याज सहित अधिकतम प्रत्याभूति की राशि	1,61,236	1,18,161	1,12,057	1,31,026	1,44,676
ब्याज सहित प्रत्याभूतियों की बकाया राशि	53,620	51,119	61,761	70,430	80,631
कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में प्रत्याभूतियों की अधिकतम राशि	160.8	108.4	88.0	95.0	103.3
समेकित निधि में अनुमानित प्राप्तियाँ	1,34,430	1,67,405	1,77,390	2,08,306	2,24,905
अनुमानित प्राप्तियों के परिप्रेक्ष्य में बकाया प्रत्याभूतियाँ (प्रतिशत में)	39.9	30.5	34.8	33.8	35.9

स्रोत : वित्त लेखे और बजट दस्तावेज ।

बकाया प्रत्याभूतियाँ, वर्ष 2018-19 में ₹ 70,430 करोड़ से 14.5 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 80,631 करोड़ हो गयी तथा यह सरकार की राजस्व प्राप्तियों (₹ 1,40,114 करोड़) की 57.5 प्रतिशत थी। बकाया प्रत्याभूतियाँ मुख्यतः पाँच विद्युत कम्पनियों (₹ 63,803 करोड़), शहरी विकास और आवास क्षेत्र (₹ 4,686 करोड़), एक सड़क और परिवहन निगम (₹ 3,086 करोड़) और सात सहकारी संस्थाओं (₹ 6,967 करोड़) से सम्बंधित थी। ऋण/अधिविकर्ष के पुनर्भुगतान, बॉन्ड/ऋण पत्रों को जारी कर राशि प्राप्त करने एवं निर्दिष्ट दरों पर ब्याज भुगतान के लिए विद्युत कम्पनियों को प्रत्याभूतियाँ दी गई थी।

वर्ष 2019-20 के दौरान बकाया प्रत्याभूति का अनुमानित प्राप्तियों से अनुपात (35.9 प्रतिशत) एफआरबीएम अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा (60.0 प्रतिशत) के भीतर रहा था।

2.7.3 रोकड़ शेषों का प्रबंधन

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ करार के अनुसार, राज्य सरकार को 01-03-1999 से समस्त दिवसों में न्यूनतम रोकड़ शेष ₹ 2.34 करोड़ बनाये रखना होगा। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम से कम हो जाता है, तो समय-समय पर साधारण और विशेष मार्गोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष लेकर कमी को ठीक किया जाता है।

दैनिक रोकड़ शेष बनाये रखने हेतु मार्गोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के प्रयोजन के लिए आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों के साथ-साथ, दिन के लिए सूचित किए गए लेनदेनों (आरबीआई काउंटर, अंतर-सरकारी लेनदेन और एजेंसी बैंक द्वारा सूचित किये गए कोषालय लेन-देनों) का मूल्यांकन करता है। इस प्रकार प्राप्त रोकड़ शेष में, 14 दिनों की परिपक्वता के कोषालय बिलों, यदि कोई है, को जोड़ा जाता है और न्यूनतम रोकड़ शेष बनाए रखने के बाद अतिरिक्त शेष, यदि कोई है, को कोषालय बिलों में पुनः निवेशित किया

जाता है। यदि निवल रोकड़ शेष, न्यूनतम रोकड़ शेष या जमा शेष से कम प्राप्त होता है और उस दिन कोई 14 दिनों के कोषालय बिलों की परिपक्वता नहीं है, तो आरबीआई 14 दिनों के कोषालय बिलों की धारिता की कटौती करती है और कमी को पूरा करता है। यदि उस दिन 14 दिनों के कोषालय बिल नहीं है, तो राज्य सरकार मार्गोपाय अग्रिम/विशेष मार्गोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष के लिए आवेदन करती है।

राज्य सरकार के लिए 27.01.2016 से मार्गोपाय अग्रिम की सामान्य सीमा ₹ 1,630.00 करोड़ थी एवं 31 मार्च 2020 तक यही रही। आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के रेहन के विरुद्ध विशेष मार्गोपाय अग्रिम भी देता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा को समय-समय पर आरबीआई द्वारा संशोधित किया जाता है। विशेष मार्गोपाय अग्रिम की सीमा 1 अप्रैल 2019 को ₹ 3,496.20 करोड़ और 31 मार्च 2020 को ₹ 1,750.15 करोड़ थी।

सरकार ने वर्ष 2019-20 के दौरान आरबीआई में न्यूनतम नकद शेष राशि का किस सीमा तक संधारित किया को नीचे दिया गया है:

(i) **विशेष मार्गोपाय अग्रिम:** 1 अप्रैल 2019 को विशेष मार्गोपाय अग्रिम के तहत शेष शून्य था। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने आरबीआई से ₹ 1,416.40 करोड़ तीन बार ((₹ 366.01 करोड़ 01-06-2019 से 03-06-2019 तक), (₹ 564.54 करोड़ 03-06-2019 के लिए) और (₹ 485.85 करोड़ 10-06-2019 के लिए)) विशेष मार्गोपाय अग्रिम प्राप्त किए। वर्ष 2019-20 के अंत में शेष शून्य था।

(ii) **रोकड़ शेष:** 31 मार्च 2020 को राज्य का सामान्य रोकड़ शेष, 'रोकड़ शेष निवेश खाते में निवेश' (₹ 5,807.73 करोड़), 'चिन्हित निधियों में निवेश' (₹ 1,870.87 करोड़) और अन्य रोकड़ शेष (₹ 3.69 करोड़) के अलावा, ₹ 22.12 करोड़ था जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

- अ. कोषालयों में नकद (मुख्य शीर्ष 8999-101) = ₹ 0.05 करोड़
 ब. आरबीआई में जमा (मुख्य शीर्ष 8999-102) = ₹ 49.03 करोड़
 स. मार्गस्थ प्रेषण-स्थानीय (मुख्य शीर्ष 8999-104) = ₹ (-) 26.96 करोड़

'आरबीआई के पास जमा' मार्च 2020 के लेखों के बंद होने के बाद 31 मार्च 2020 को रिज़र्व बैंक जमा (राज्य) के संबंध में मासिक नकद शेष को दर्शाता है। वित्त लेखे (₹ 49.03 करोड़ (नामे)) के आंकड़ों और आरबीआई द्वारा सूचित किये गये (₹ 29.80 करोड़ (जमा) के बीच ₹ 19.23 करोड़ (जमा) का अंतर था। राशि ₹ 13.92 करोड़ (जमा) का मिलान एवं निपटान कर लिया गया है। ₹ 5.31 करोड़ (जमा) का अंतर अभी भी बकाया है और इसके मिलान की आवश्यकता है।

तालिका 2.47: रोकड़ शेष और उनका निवेश

(₹ करोड़ में)

	1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
अ. सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	0.05	0.05
रिज़र्व बैंक के पास जमा	(-) 64.45	49.03
मार्गस्थ प्रेषण - स्थानीय	(-) 12.32	(-) 26.96

	1 अप्रैल 2019 को प्रारम्भिक शेष	31 मार्च 2020 को अंतिम शेष
योग	(-) 76.72	22.12
रोकड़ शेष निवेश खाते में किये गये निवेश	2,154.46	5,807.73
योग (अ)	2,077.74	5,829.85
ब. अन्य रोकड़ शेष तथा निवेश		
विभागीय अधिकारियों अर्थात् सार्वजनिक निर्माण, वन अधिकारियों के पास रोकड़	0.87	0.85
विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगियाँ	2.86	2.84
चिन्हित निधियों में निवेश	3,712.28	1,870.87
योग (ब)	3,716.01	1,874.56
योग (अ + ब)	5,793.75	7,704.41
प्राप्त ब्याज	281.20	77.12

स्रोत : वित्त लेखे ।


तालिका 2.48: रोकड़ शेष निवेश खाता (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि (+) / कमी (-)	अर्जित ब्याज
2015-16	7,628.58	5,915.95	(-) 1,712.63	578.23
2016-17	5,915.95	5,585.10	(-) 330.85	460.86
2017-18	5,585.10	6,401.72	816.62	365.84
2018-19	6,401.72	2,154.46	(-) 4,247.26	281.20
2019-20	2,154.46	5,807.73	3,653.27	77.12


राज्य सरकार के अधिशेष रोकड़ शेष 5 प्रतिशत वार्षिक की औसत ब्याज दर से 14 दिन के कोषालय बिलों में स्वतः निवेशित हो जाते हैं और आंशिक रूप से 91, 181 और 364 दिवसीय आरबीआई के नीलामी वाले कोषालय बिलों में निवेशित हो जाते हैं। वर्ष 2019-20 के अंत तक ₹ 5,807.73 करोड़ की राशि भारत सरकार के कोषालय बिलों/प्रतिभूतियों में निवेशित की गयी, जिन पर ₹ 77.12 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। इसके अलावा, ₹ 1,870.87 करोड़ का निवेश चिन्हित निधियों में भी किया गया।

चार्ट 2.25: बाजार ऋण की तुलना में रोकड़ शेष



चार्ट 2.26: वर्ष के दौरान रोकड़ शेष और निवल रोकड़ शेष निवेश का माहवार विचलन

(₹ करोड़ में)



2.8 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

घाटे के संकेतक, राजस्व वृद्धि और व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के आंकलन के लिए प्रमुख मापदंड हैं।

प्रमुख मापदंड

सकारात्मक संकेतक	मापदंड जिन्हें ध्यान में रखा जाना है
अर्थ-सहाय्य व्यय में कमी	कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का प्रतिशत कम होना
सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत की तुलना में शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर अधिक व्यय	जीएसडीपी से ऋण अनुपात में वृद्धि होना
	राजस्व/राजकोषीय/प्राथमिक घाटा
	प्रतिबद्ध व्यय में वृद्धि होना
	कंपनियों और निगमों को ऋण या निवेश, जो हानि में चल रही है या जिनकी निवल पूंजी पूरी तरह अपक्षरित हो गई है
	राजस्व घाटे में वृद्धि होना
	आरक्षित निधियों में कम अंशदान

राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष ध्यान की आवश्यकता वाले संकेतकों के बारे में प्रयास करने की आवश्यकता है जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है।

अध्याय 3: बजटीय प्रबन्ध


प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य सरकार की आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा और बजट तैयार करने की पारदर्शिता एवं इसके कार्यान्वयन की प्रभावशीलता पर टिप्पणी करता है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन यह सुनिश्चित करता है कि निधियों के अपव्यय या हस्तांतरण के बिना प्रशासनिक स्तर पर लिये गये नीतिगत निर्णय सफलता पूर्वक लागू किया जायें।

3.1 बजट प्रक्रिया

बजट बनाने की वार्षिक प्रक्रिया का अर्थ है, सार्वजनिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए रोडमैप तैयार करना। बजट शब्दावली **परिशिष्ट 3.1** में दी गयी है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, वित्त विभाग द्वारा सभी प्राप्तियों एवं व्यय जो वर्ष के दौरान प्राप्त या व्यय होना अनुमानित है, का विवरण तैयार करना आवश्यक है। इस विवरण को संविधान के अनुच्छेद 202 में निर्दिष्ट वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट के रूप में लोकप्रिय) के रूप में जाना जाता है। बजट प्रक्रिया में वित्त विभाग द्वारा की जाने वाली गतिविधियाँ:

चार्ट 3.1: बजट प्रक्रिया



बजट प्रक्रिया समान्यतः प्रत्येक वर्ष अगस्त में बजट परिपत्र जारी होने के साथ शुरू होती है, जो विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने में मार्गदर्शन करता है। राज्य में बजट तैयार करने की प्रक्रिया नीचे चार्ट में दी गई है:

चार्ट 3.2: बजट तैयार करने की प्रक्रिया




सीएसएस:केन्द्रीय प्रवर्तित योजनायें; सीएस: केन्द्रीय योजनायें।

जैसे ही संविधान के अनुच्छेद 202-204 में निर्धारित प्रक्रियानुसार विस्तृत अनुमान एवं अनुदान विधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित होते हैं, वित्त विभाग सभी विभागों के प्रमुखों और बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट वर्ष के दौरान उनके निपटान के लिए रखे गए आवंटन लिखित रूप में सूचित करता है। अनुदानों को सूचित करने वाले पत्रों की प्रतियाँ सम्बंधित प्रशासनिक विभागों तथा महालेखाकार को भेजी जाती हैं। वित्त विभाग बजट दस्तावेज की प्रतियाँ महालेखाकार को भी भेजता है।

इस प्रकार की सभी सूचनाएं एवं बजट के आंकड़े वित्त विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंध तंत्र पर अपलोड किये जाते हैं और वे सम्बंधित प्राधिकारियों की पहुँच में उपलब्ध रहते हैं।

वित्त विभाग, वर्ष के दौरान विभागों द्वारा अनुपूरक अनुदान एवं पुनर्विनियोजन के अनुरोधों की समीक्षा करता है। अनुपूरक अनुदान के अतिरिक्त पुनर्विनियोजन का उपयोग अनुदान के अंतर्गत निधि पुनः आवंटित करने के लिए भी कर सकते हैं। पुनर्विनियोजन, विनियोजन की एक इकाई की बचत को अनुदान या प्रभारित विनियोजन के एक ही खंड (राजस्व दत्तमत, राजस्व प्रभारित, पूंजीगत दत्तमत, पूंजीगत प्रभारित) के अंतर्गत अन्य इकाई के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तांतरण है। वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य विधानसभा द्वारा अनुमोदित कुल राशि, मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत नीचे दर्शायी गई है:

चार्ट 3.3: मूल एवं अनुपूरक बजट, व्यय और बचत की स्थिति



राज्य बजट नियमावली (राबनि) यह निर्धारित करती है कि व्यय के अनुमान जहाँ तक संभव हो यथार्थ होने चाहिए। किसी अनुमान में परिहार्य आधिक्य उसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता है जिस प्रकार वास्तविक व्यय में अधिक्य है। बजट प्रक्रिया परिकल्पित करती है कि किसी विशेष मद पर व्यय के अनुमान के अनुसार उपलब्ध करायी गई राशि वह राशि होनी चाहिए जो वर्ष में व्यय की जा सकती है और यह न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम।

बजट प्रक्रिया/दस्तावेज नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा आयोजित बाह्य लेखापरीक्षा के अधीन है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि (i) राजस्व प्राप्ति और व्यय के औचित्य के लिए हर संभव प्रयास किये गये (ii) सरकार द्वारा सेवाओं की अदायगी ईमानदारी और निष्ठा के साथ की गई है, और (iii) पूरे बजट चक्र के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

3.1.1 वित्तीय वर्ष के दौरान कुल प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों एवं बचतों/आधिक्य का सारांश

वर्ष 2019-20 के दौरान कुल बजट प्रावधान, संवितरण और बचत/आधिक्य का सारांश तालिका 3.1 में दिया गया है।

तालिका 3.1: वर्ष 2019-20 के दौरान बजट प्रावधान, संवितरण एवं बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

कुल बजट प्रावधान		संवितरण		बचत/आधिक्य	
दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
1,98,835.29	44,061.51	1,74,658.95	43,879.83	24,176.34	181.67

तालिका से यह देखा जा सकता है कि बचतें मुख्यतया बजट प्रावधान के दत्तमत भाग से संबंधित हैं।

3.1.2 प्रभारित एवं दत्तमत संवितरण

संविधान के अनुच्छेद 112(2) के अनुसार, प्रभारित एवं दत्तमत व्यय के बीच अंतर किया जाता है। प्रभारित व्यय राज्य के राजस्व पर प्रभारित व्यय है जो संविधान के तहत विधानसभा के मत के अधीन नहीं है। दत्तमत व्यय विधानसभा के मत के अधीन है। संविधान का अनुच्छेद 202 (3) उन व्ययों की श्रेणियों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें राज्य की समेकित निधि पर भारित किया जा सकता है।

गत पाँच वर्षों (2015-20) के दौरान कुल संवितरणों के प्रभारित एवं दत्तमत में वर्गीकरण की प्रवृत्तियों का विश्लेषण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.2: वर्ष 2015-20 के दौरान दत्तमत एवं प्रभारित संवितरण और बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	संवितरण		बचत/आधिक्य	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
2015-16	1,56,718.87	17,089.31	(-) 17,434.41	(+) 169.91
2016-17	1,43,262.70	22,913.17	(-) 17,297.87	(-) 90.45
2017-18	1,52,446.45	31,640.86	(-) 15,882.96	(-) 107.23
2018-19	1,70,938.53	38,837.74	(-) 19,224.26	(-) 77.79
2019-20	1,74,658.95	43,879.83	(-) 24,176.34	(-) 181.67

प्रभारित संवितरण वर्ष 2015-16 में ₹17,089.31 करोड़ से 156 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 43,879.83 करोड़ हो गया। दत्तमत संवितरण 2015-16 में ₹ 1,56,718.87 करोड़ से 11.44 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2019-20 में ₹ 1,74,658.95 करोड़ हो गया और वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष दत्तमत भाग के तहत बचत ₹15,000 करोड़ से अधिक रही।

3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे हैं जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के तहत पारित विनियोग अधिनियम में उल्लेखित अनुसूचियों में निर्दिष्ट दत्तमत अनुदानों और विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रभारित विनियोगों की तुलना करते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। ये लेखे मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक अनुदान, अभ्यर्पण और पुनर्विनियोजन को

स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं और बजट के प्रभारित एवं दत्तमत व्यय दोनों मदों के संबंध में विनियोग अधिनियम द्वारा अधिकृत विभिन्न निर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूंजीगत और राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। विनियोग लेखे इस प्रकार धन के उपयोग की समझ, वित्त के प्रबंधन और बजट प्रावधानों के अनुश्रवण की सुविधा प्रदान करते हैं और इसलिए, वित्त लेखों के पूरक हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह पता लगाने के लिए विनियोजन की लेखापरीक्षा करते हैं कि क्या वास्तव में बजट में निहित विभिन्न अनुदानों के तहत व्यय किया गया है, वर्ष के लिए विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकारों के भीतर है और क्या प्रभारित विनियोग संविधान के प्रावधानों के तहत आरोपित किए जाने आवश्यक थे। यह भी पता लगाना आवश्यक है कि क्या ऐसा व्यय कानून, प्रासंगिक नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुरूप है।

3.3 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर टिप्पणियाँ

3.3.1 अनावश्यक या अत्यधिक अनुपूरक अनुदान

राज्य बजट नियमावली (राबनि) का अनुच्छेद 24.2 प्रावधित करता है कि यदि वित्तीय वर्ष के दौरान, उद्देश्य के लिए उपलब्ध करायी गई राशि अपर्याप्त रहती है अथवा किसी उद्देश्य या सेवा पर व्यय के लिए वर्ष के दौरान आवश्यकता उत्पन्न होती है, जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो विधानसभा द्वारा अनुपूरक प्रावधान स्वीकृत किया जा सकता है।

वर्ष 2019-20 के लिए राज्य विधानसभा ने 44 अनुदानों/विनियोजनों में ₹ 2,937.13 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान (फरवरी 2020) का अनुमोदन किया। प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या उससे अधिक के 17 मामलों में कुल ₹ 916.05 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया उन्हें तालिका 3.3 में दिया गया है।

तालिका 3.3: वर्ष 2019-20 के दौरान ऐसे मामले जहाँ अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक रहा

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधान से बचत
अनावश्यक अनुपूरक					
राजस्व (दत्तमत)					
1.	2- मंत्रिपरिषद	15.01	1.89	14.88	-0.13
2.	9- वन	780.23	18.9	703.43	-76.8
3.	16-पुलिस	6362.99	74.40	6169.33	-193.66
4.	20-आवास	71.13	0.86	59.02	-12.11
5.	21-सड़कें और पुल	2528.34	63.87	2217.59	-310.75
6.	26-चिकित्सा, लोक स्वास्थ्य और सफाई	10189.19	95.99	9593.02	-596.17
7.	27-पेयजल योजना	3999.86	50.53	3628.51	-371.35
8.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	5019.99	24.45	3826.68	-1193.31
9.	35-विविध सामुदायिक और आर्थिक सेवाएँ	499.68	37.99	490.39	-9.29

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	वास्तविक	प्रावधान से बचत
10.	41-सामुदायिक विकास	5947.43	358.41	5537.12	-410.31
11.	43-स्वनिज	185.17	10.89	137.67	-47.5
12.	44-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	30.78	1.49	28.39	-2.39
13.	46-सिंचाई	1984.17	34.60	1853.53	-130.64
	योग	37613.97	774.41	34259.56	3354.41
पूँजीगत (प्रभारित)					
14.	लोक ऋण	20043.53	6.26	20032.68	-10.85
	योग	20043.53	6.26	20032.68	-10.85
पूँजीगत (दत्तमत)					
15.	16-पुलिस	174.61	43.09	150.61	-24
16.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	539.22	62.00	495.24	-43.98
17.	46-सिंचाई	1866.58	30.29	1635.34	-231.24
	योग	2580.41	135.38	2281.19	299.22
	महायोग	60237.91	916.05	56573.43	3664.48

ऊपर दिये गये सभी प्रकरणों में, यह पाया गया कि अनुदान के लिये अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल बजट अनुमान से भी कम था। यह इंगित करता है कि संविधान और राबनि के प्रावधान के विपरीत मूल प्रावधान की पर्याप्तता के उचित आंकलन किये बिना अनुपूरक अनुदान प्राप्त किये गये।

उपरोक्त तथ्यों से, यह स्पष्ट होता है कि बजट नियंत्रण अधिकारी राबनि के अध्याय 24 के तहत परिकल्पित अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन किए बिना अनुपूरक प्रावधानों की मांग बजटीय नियंत्रण और अपर्याप्त मूल्यांकन की कमी को दर्शाती है। विभागों को भविष्य में इस तरह के मामलों से बचने के लिए धन की आवश्यकता का उचित आंकलन करने और अनुपूरक प्रावधानों के आधार की समीक्षा करने की आवश्यकता है।

3.3.2 अनावश्यक या अत्यधिक पुनर्विनियोग

पुनर्विनियोजन, अनुदान के अंतर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत की प्रत्याशा होती है से दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता है, निधियों का हस्तांतरण है। राबनि के अनुच्छेद 23.3 के अनुसार, पुनर्विनियोजन केवल तभी स्वीकार्य हैं, जब यह ज्ञात हो या प्रत्याशित हो कि विनियोजन के लिए जिस इकाई से निधियों को निकाला जाना है, वहां इसका पूर्ण उपयोग नहीं किया जाएगा या इसमें बचत निश्चित रूप से इससे प्रभावित हो सकती है। वर्ष 2019-20 के दौरान, 31 मार्च 2020 तक ₹ 11,980.10 करोड़ के पुनर्विनियोजन आदेश जारी किए गए।

कई मामलों में, पुनर्विनियोजन अपर्याप्त/अत्यधिक या अनावश्यक सिद्ध हुये और जिसके परिणामस्वरूप बड़ी बचतें रही। पुनर्विनियोजन के बाद 30 लेखा शीर्षों में एक करोड़ से अधिक की अंतिम बचत/आधिक्य रहे (*परिशिष्ट 3.2*)। सात लेखा शीर्षों में अपर्याप्त पुनर्विनियोजन, चार लेखा शीर्षों में अनावश्यक पुनर्विनियोजन एवं 19 लेखा शीर्षों में अत्यधिक पुनर्विनियोजन हुआ।

निधियों के अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन के परिणामस्वरूप 96 उप-शीर्षों में ₹ 623.44 करोड़ आधिक्य व्यय हुआ एवं 420 उप-शीर्षों में ₹ 452.80 करोड़ की अंतिम बचत रही। राज्य सरकार ने इन पुनर्विनियोजनों के लिए कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया (मार्च 2021)।

उपरोक्त उदाहरण इस तथ्य के संकेत हैं कि बजट को नियंत्रित करने वाले नियंत्रक अधिकारी आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से आंकलन करने में विफल रहे और उनके पास पुनर्विनियोजन से पूर्व व्यय के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना नहीं थी।

राबनि का अनुच्छेद 23.15.6 परिकल्पित करता है कि विभाग द्वारा आधिक्य या बचतों के पूर्वानुमानों के कारणों को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। वित्त विभाग द्वारा जारी (31 मार्च 2020) पुनर्विनियोजन आदेशों की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि 1,504 पुनर्विनियोजन आदेशों में से मात्र 585 प्रकरणों (38.9 प्रतिशत) में कारणों को स्पष्ट रूप से बताया गया। शेष 919 प्रकरणों में स्पष्टीकरण अस्पष्ट और गैर-विशिष्ट जैसे 'वास्तविक आवश्यकता', 'नवीनतम मूल्यांकन पर आधारित' और 'व्यय का प्रतिबंध' प्रकृति के पाये गये।

3.3.3 अव्ययित राशि और अभ्यर्पित विनियोग और/या बड़ी बचतें/समर्पण

राज्य बजट नियमावली का अनुच्छेद 13.7 उपबंध करता है कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान तैयार करने के लिए गत तीन वर्षों में हुए वास्तविक व्यय के साथ चालू वित्त वर्ष के लिए किये गए संशोधित अनुमान को भी ध्यान में रखना चाहिए। पिछले आंकड़ों का उपयोग व्यय में वृद्धि या कमी के लिए किसी भी ध्यान देने योग्य प्रवृत्ति की पहचान करने के लिए किया जाना चाहिए, पिछले वर्षों के दौरान कोई असाधारण विशेषता, व्यय के आवागमन में कोई विशेष नियमितता और व्यय को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकने वाली किसी विशेष घटना की संभावना है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, बजट आवंटन से पर्याप्त बचत के प्रकरण पाये गये, जिससे बजट प्रक्रिया और बजट अनुश्रवण की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। विनियोग लेखापरीक्षा के परिणामों में प्रकट हुआ कि वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 24,358.00 करोड़ (10.03 प्रतिशत) की कुल बचतों में से 25 अनुदानों जिनमें बचतें प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक की रही में राशि ₹ 22,979.81 करोड़ (कुल बचत का 94.34 प्रतिशत) की बचतें रही, जिनको **परिशिष्ट 3.3** में दिया गया है।


विभागों द्वारा पर्याप्त बचत के मुख्य कारण भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां जारी नहीं करना/कम जारी करना बताये गये। अन्य कारणों में कार्य की धीमी प्रगति, भारत सरकार से स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होना, कार्य का निष्पादन नहीं/कम होना, निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, पदों का रिक्त रहना, वेतन और भत्तों पर कम व्यय, जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चुनाव नहीं होना, एनएसडीएल द्वारा अनुमानित की तुलना में प्रशिक्षुओं को प्रान कम जारी होने से एनपीएस के संभावित अंशदान की कम प्राप्ति, मार्च 2020 के अंतिम दिनों के दौरान लोकडाउन के कारण कोषालय में बिलों को पारित नहीं होना, निर्माण स्वीकृति जारी न करने, मरम्मत और रखरखाव पर कम व्यय,

आईएसबीआईजी¹ परियोजना के दिशा-निर्देशों का जारी न होना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों के पीडी स्त्रातों में निधियों का हस्तांतरण नहीं होना, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविधालय को अनुदान जारी न करना, बजट सीमा में कटौती आदि अवगत कराये गये। यद्यपि, यह उल्लेख करना समीचीन है कि वर्ष के दौरान वास्तविक प्राप्तियाँ (₹ 2,01,977.70 करोड़) बजट अनुमान (₹ 2,24,904.84 करोड़) की तुलना में ₹ 22,927.14 करोड़ तथा संशोधित अनुमानों (₹ 2,17,254.69 करोड़) की तुलना में ₹ 15,276.99 करोड़ कम रही।

यह इंगित करता है कि इन विभागों और इन अनुदानों के बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा व्यय के बजट अनुमान तैयार करने के दौरान व्यय के अनुमानों से संबंधित राबनि के अध्याय 13 के प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22,979.81 करोड़ की भारी बचतें हुईं।

प्रत्येक समूह में कुल बचतें ₹ करोड़ में के साथ, बचत के प्रतिशत के आधार पर अनुदान/विनियोगों की संख्या का वर्गीकरण नीचे चार्ट 3.4 में दर्शाया गया है।


चार्ट 3.4: कुल बचत के साथ अनुदानों/विनियोगों की संख्या



पूंजीगत-दत्तमत भाग में 12 अनुदान और राजस्व-दत्तमत भाग में एक अनुदान में 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग के साथ, पांच अनुदानों में गत पांच में से दो वर्षों में कम उपयोग हुआ, जो कि प्रणालीगत मामलों के संकेत है जो सुधारात्मक उपायों को शुरू करने को सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा गहन समीक्षा पर जोर देते हैं। वर्ष 2015-16 से 2019-20 पांच वर्ष की अवधि के लिए इन 13 अनुदानों में बजट आवंटन का उपयोग निम्नानुसार तालिका 3.4 और चार्ट 3.5 में दर्शाया गया है।

1. सिंचाई अंतर को कम करने के लिए प्रोत्साहन योजना।

चार्ट 3.5: वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान बजट उपयोग



तालिका 3.4: 50 प्रतिशत से कम बजट उपयोग वाले अनुदान/विनियोग

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	वर्षों की संख्या*	बजट 2019-20	कुल बजट (5 वर्षों)
	पूँजीगत दत्तमत								
1.	11-विविध सामाजिक सेवाएं	24 %	25%	36%	41%	35%	5	10.71	118.73
2.	12-अन्य कर	50%	33%	7%	90%	54%	3	24.00	762.24
3.	19-लोक निर्माण कार्य	72%	44%	59%	55%	52%	1	805.24	6099.78
4.	23-श्रम और रोजगार	29%	50%	47%	60%	0%	4	31.00	186.15
5.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	40%	49%	58%	71%	69%	2	252.08	1483.22
6.	32-नागरिक आपूर्ति	6%	7%	23%	15%	1%	5	3.88	20.43
7.	37-कृषि	52%	39%	82%	44%	48%	3	246.80	1813.49
8.	38-लघु सिंचाई एवं मृदा संरक्षण	65%	18%	91%	35%	100%	2	0.28	5.97
9.	41-सामुदायिक विकास	17%	85%	63%	32%	16%	3	9.62	87.46
10.	42-उद्योग	20%	67%	17%	5%	20%	4	95.06	625.19
11.	43-स्वनिज	0%	6%	18%	58%	92%	3	173.53	1105.78
12.	47-पर्यटन	79%	43%	40%	61%	13%	3	30.88	239.20
	राजस्व दत्तमत								
13.	49-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	19%	19%	56%	40%	32%	4	0.21	1.50


* 50 प्रतिशत से कम उपयोग के साथ वर्षों की संख्या

इन क्षेत्रों में कम उपयोग और कम उपयोग की पुनरावृत्ति के मामलों इन क्षेत्रों पर कम जोर देने के साथ-साथ बजट प्रक्रिया की कमी को इंगित करते हैं। सरकार द्वारा इन अनुदानों में कम उपयोग की पुनरावृत्ति कारणों की जांच और आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त, यह देखा गया कि वर्ष के दौरान अनुदान संख्या 23 (पूँजीगत दत्तमत भाग) के अंतर्गत पूँजीगत परिव्यय के लिए ₹ 31.00 करोड़ का प्रावधान किया गया लेकिन वर्ष के दौरान उल्लेखित उद्देश्य के लिए कोई व्यय नहीं किया गया।

चार्ट 3.6: वित्तीय वर्ष 2019-20 के समापन से पूर्व बचतें और अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)



जैसा कि चार्ट से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान ₹ 24,358.00 करोड़ की कुल बचतों के विरुद्ध, ₹ 121.59 करोड़ की निधियों के अधिक अभ्यर्पण के कारण ₹ 24,479.59 करोड़ (100.5 प्रतिशत) अभ्यर्पित की गई, विवरण **तालिका 3.5** में दिया गया है।

प्रत्याशित बचतों का अन-अभ्यर्पण

राबनि के अनुच्छेद 23.16 के अनुसार, जिन अनुदानों का समुचित उपयोग नहीं किया जा सकता, उन्हें अभ्यर्पित कर देना चाहिए। तदनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रत्याशित बचतें जैसे ही दर्शित हो तो उन्हें वर्ष के अंत का इंतजार किए बिना, तुरंत सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाये, जब तक कि वे उसी अनुदान के तहत अन्य इकाइयों के तहत आधिकार्यों को पूरा करने के लिए निश्चित रूप से आवश्यक ना हो। उनके द्वारा कोई भी बचत भविष्य के संभावित अधिक्त को पूरा करने के लिए आरक्षित नहीं रखी जा सकती है।

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभिन्न अनुदानों/विनियोगों के तहत राशि ₹ 479.01 करोड़ की राशि का अभ्यर्पण नहीं किया गया था और दो अनुदानों में ₹ 600.60 करोड़ के अतिरिक्त अभ्यर्पण से इसकी पूर्ति की गई, के परिणामस्वरूप ₹ 121.59 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण रहा।

17 अनुदानों/विनियोजनों (जहाँ बचतें ₹ एक करोड़ और उससे अधिक थी) के तहत 23 मामलों में कुल बचतें ₹ 17254.89 करोड़ में से ₹ 474.14 करोड़ की राशि अभ्यर्पित नहीं की गई (परिशिष्ट 3.4)। शीघ्र अभ्यर्पण अन्य क्षेत्रों में, जहाँ कमी है, संसाधनों का अधिक लाभप्रद उपयोग सुनिश्चित कर सकता है।

यह इंगित करता है कि विभागों ने आवश्यकताओं का यथार्थवादी आंकलन नहीं किया और मासिक व्यय विवरणों के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहे।

मार्च के अंत में निधियों का अभ्यर्पण (₹ 10 करोड़ से अधिक) का विवरण

दो अनुदानों में ₹ 1,102.65 करोड़ की बचतों के समक्ष ₹ 1,703.25 करोड़ की राशि अभ्यर्पित की गई जो कि ₹ 600.60 करोड़ से अधिक थी जैसाकि तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: प्रकरण जहां अधिक अभ्यर्पण किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	मूल बजट	अनुपूरक	कुल	व्यय	बचत	अभ्यर्पित की गई राशि	अधिक अभ्यर्पण
1.	16- पुलिस (राजस्व-दत्तमत)	6,362.99	74.4	6,437.39	6,169.33	268.06	272.14	4.08
2.	21- सड़कें एवं पुल (राजस्व-दत्तमत)	2,528.34	63.87	2,592.21	2,217.59	374.62	939.42	564.8
3.	21- सड़कें एवं पुल (पूंजीगत-दत्तमत)	3,759.48	0	3,759.48	3,299.51	459.97	491.69	31.72
	योग	12,650.81	138.27	12,789.08	11,686.43	1,102.65	1,703.25	600.6

स्रोत: विनियोग लेखे।

वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण के संबंध में विभागों ने कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये (मार्च 2021)।

जैसा कि देखा जा सकता है, अभ्यर्पित की गई राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जो इन दो अनुदानों में अपर्याप्त बजट नियंत्रण को इंगित करती है।

निरंतर बचतें

जन लेखा समिति (पीएसी) ने अपने 86 वें (मार्च 2016) और 153 वें (मार्च 2017) प्रतिवेदनों में भविष्य में निरंतर बचतों के मामलों से बचने के लिए प्रभावी उपाय करने और बजट अनुमान तैयार करते समय यथोचित ध्यान देने की सुनिश्चितता की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के बावजूद, वर्ष 2019-20 के दौरान निरंतर बचतों के मामलें लगातार जारी रहे।

गत तीन वर्षों के दौरान, आठ अनुदानों के नौ मामलों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की निरंतर बचतें कुल प्रावधान के 10.5 प्रतिशत से 47.58 प्रतिशत के मध्य रही, जैसा कि तालिका 3.6 में दिया गया है।

तालिका 3.6: विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत निरंतर बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत						
1.	21-सड़कें और पुल	2017-18	2017.89	1700.22	317.67	15.74
		2018-19	1668.65	1362.34	306.31	18.36
		2019-20	2592.21	2217.59	374.62	14.45
2.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2017-18	934.93	770.68	164.25	17.57
		2018-19	1,012.06	769.29	242.77	23.99
		2019-20	645.24	431.45	213.79	33.13
3.	29-शहरी आयोजना और क्षेत्रीय विकास	2017-18	4,984.89	3,881.28	1,103.61	22.14
		2018-19	5,099.28	4,015.09	1,084.19	21.26
		2019-20	4916.82	4016.24	900.58	18.32
4.	37-कृषि	2017-18	2,471.37	2,212.86	258.51	10.46
		2018-19	2,507.20	2,013.91	493.29	19.67
		2019-20	2502.34	2168.48	333.86	13.34
पूंजीगत-दत्तमत						
5.	19- लोक निर्माण कार्य	2017-18	1,509.83	884.68	625.15	41.41
		2018-19	1024.80	560.35	464.45	45.32
		2019-20	805.24	422.12	383.12	47.58
6.	27-पेयजल योजना	2017-18	3,901.51	3,218.49	683.02	17.51
		2018-19	3,744.05	2,700.23	1,043.82	27.88
		2019-20	3244.50	2221.98	1022.52	31.52
7.	29-शहरी आयोजना और क्षेत्रीय विकास	2017-18	1,501.58	950.74	550.84	36.68
		2018-19	1,477.17	1,280.37	196.80	13.32
		2019-20	1300.87	811.25	489.62	37.64
8.	46-सिंचाई	2017-18	1,616.99	1,381.46	235.53	14.57
		2018-19	1,653.77	1,414.63	239.14	14.46
		2019-20	1896.87	1635.34	261.53	13.80
9.	51-अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2017-18	5537.1	3872.12	1664.98	30.07
		2018-19	5293.39	3959.49	1333.9	25.20
		2019-20	4178.83	3194.2	984.63	23.56

स्रोत: विनियोग लेखे।

सम्बंधित विभागों द्वारा अवगत कराये गए कारणों के अनुसार, निरंतर बचतें मुख्यतः भारत सरकार/राजस्थान सरकार द्वारा अंश/निधियां कम/जारी नहीं करने के कारण थी। बचतों के अन्य कारण कार्यों की धीमी प्रगति, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना, कार्यों का कम निष्पादन या निष्पादित नहीं होना, निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, पदों का रिक्त रहना, इत्यादि थे।

अवधि के दौरान निरंतर बचतें, संभावित व्यय के अवास्तविक अनुमानों, व्यय पर कमज़ोर नियंत्रण और अपर्याप्त वित्तीय अनुश्रवण की ओर इंगित करती है।

3.4 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की पारदर्शिता पर टिप्पणियाँ

3.4.1 एकमुश्त बजट प्रावधान

एक मुश्त बजट प्रावधान, बजट के एक सामान्य, गैर-विशिष्ट दृष्टिकोण को संदर्भित करता है जिसे कि अनुदान के प्रमुख के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। राबनि के अनुच्छेद 13.16 में निर्दिष्ट है कि नियमानुसार अनुमानों में एक मुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जहाँ एक मुश्त आवंटन से व्यय प्रचलित स्वीकृतियों, अनुदेशों अथवा नियमों से विनियमित होता है, बजट टिप्पणी में एक मुश्त अनुमानों के प्रस्तावित प्रावधानों हेतु विस्तृत स्पष्टीकरण दिए जाने चाहिए।

लोक निर्माण कार्य वित्तीय और लेखा नियमों (पीडब्ल्यूएफ एंड एआर) के नियम 287 के अनुसार, वित्तीय स्वीकृति से अभिप्राय है कि नियम 284² में उल्लेखित सभी प्रमुख कार्यों के लिए प्रस्तावित व्यय तथा एकमुश्त प्रावधान के विरुद्ध वित्त विभाग में सरकार की विशिष्ट सहमति है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 11 अनुदानों के 40 मामलों के अंतर्गत (जहां अभ्यर्पित प्रावधान ₹ 5 करोड़ से अधिक था) अनुमानों में ₹ 2,523.76 करोड़ का एकमुश्त प्रावधान किया गया था। इसमें से, ₹ 1,642.16 करोड़ (65.07 प्रतिशत) अनुपयोजित रहे जिन्हें वर्ष के अंत में अभ्यर्पित/पुनर्विनियोजित किया गया (*परिशिष्ट 3.5*)। इन प्रकरणों में एकमुश्त बजट प्रावधान करने के कारण सरकार द्वारा सूचित नहीं किये गये (मार्च 2021)।

पूँजीगत परियोजनाओं में कम व्यय, विभाग के स्तर पर कार्यों के पर्याप्त अनुश्रवण और व्यय के प्रवाह की कमी और विभाग द्वारा बिना उचित योजना के तैयार किये जा रहे प्रस्तावों की ओर इंगित करता है। इसके अतिरिक्त, कार्यों में विलम्ब से लागत में वृद्धि से इंकार नहीं किया जा सकता है।

3.5 बजटीय और लेखा प्रक्रिया की प्रभावशीलता पर टिप्पणियाँ

3.5.1 बजट प्रक्षेपण तथा अपेक्षित एवं वास्तविक के बीच अंतर

वर्ष 2019-20 के दौरान 55 अनुदानों/विनियोगों के समक्ष किये गये वास्तविक व्यय की सारांशीकृत स्थिति तालिका 3.7 में दी गई है।

2. कार्य को तीन भागों में बांटा गया है (i) छोटे कार्य जैसे जिनकी लागत ₹ 4.00 लाख से अधिक नहीं है, (ii) लघु कार्य जिनकी लागत ₹ 4.00 लाख से अधिक लेकिन ₹ 5.00 करोड़ से अधिक नहीं है एवं (iii) प्रमुख कार्य जैसे जिनकी लागत ₹ 5.00 करोड़ से अधिक है।

तालिका 3.7: मूल/अनुपूरक प्रावधानों के समक्ष वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूलअनुदान/विनि योग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय*	निविल बचतें (-)	मार्च में अभ्यर्पित	
							राशि	प्रतिशत
दत्तमत	I. राजस्व	1,72,775.96	1,989.08	1,74,765.04	1,55,942.36	18,822.68	19,084.98	103.39
	II. पूंजीगत	21,357.35	245.47	21,602.82	16,461.41	5,141.41	4,939.99	96.08
	III. ऋण एवं अग्रिम	2,408.53	58.90	2,467.43	2,255.19	212.24	281.87	132.81
	योग	1,96,541.84	2,293.45	1,98,835.29	1,74,658.96	24,176.33	24,306.84	100.54
प्रभारित	V. राजस्व	23,374.30	637.30	24,011.60	23,847.05	164.55	155.64	94.59
	VII. पूंजीगत	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
	VIII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	20,043.53	6.27	20,049.80	20,032.68	17.12	17.11	99.94
	योग	43,417.83	643.67	44,061.50	43,879.83	181.67	172.75	95.09
आकस्मिकता निधि को विनियोग (यदि कोई हो)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल योग	2,39,959.67	2,937.12	2,42,896.79	2,18,538.79	24,358.00	24,479.59	


स्रोत: विनियोग लेखे।

* वास्तविक व्यय के आंकड़ों में व्यय में कमी के रूप में समायोजित वसूलियां सम्मिलित हैं (राजस्व: ₹ 3,304.31 करोड़, पूंजीगत: ₹ 1,743.46 करोड़ तथा कुल: ₹ 5,047.77 करोड़)।

₹ 24,358.00 करोड़ की समग्र बचतें राजस्व अनुभाग के 49 अनुदानों और 43 विनियोगों तथा पूंजीगत अनुभाग के 35 अनुदानों और 4 विनियोगों में बचतों का परिणाम थी। वर्ष के दौरान ₹ 2937.12 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान प्राप्त हुआ जो मूल प्रावधान का 1.22 प्रतिशत था। वर्ष के दौरान बजट प्रावधान ₹ 2,42,896.79 करोड़ के समक्ष कुल बचतों के साथ सभी अनुदानों और विनियोगों के अंतर्गत ₹ 24,358.00 करोड़ (10.03 प्रतिशत) की बड़ी बचतें रही जो प्राप्त अनुपूरक बजट से लगभग आठ गुना थी। यह इंगित करता है कि अनुपूरक प्रावधान आवश्यकताओं के उचित आंकलन के बिना तैयार किए गए जैसा कि अनुच्छेद 3.3.1 में उल्लेखित किया गया है।

विभागों ने मूल प्रावधान के तहत निधियों की उपलब्धता के उपरांत भी अनुपूरक प्रावधान प्राप्त करने के बारे में अवगत नहीं कराया। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा नियंत्रण अधिकारियों से व्यय में विचलन अर्थात् 1447 उप-शीर्षों में बचतों/आधिक्यो का स्पष्टीकरण मांगा गया। तथापि, 610 उप-शीर्षों (बचत: 511 और अधिक्य: 99) से सम्बन्धित स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए थे (नवम्बर 2020)।

चार्ट 3.7: विनियोग लेखों में विचलन के लिए स्पष्टीकरण का सारांश



बजटीय आवंटन और उनके उपयोग के बीच विचलन के लिए स्पष्टीकरण का अभाव सरकार की वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के साधन के रूप में बजट पर विधायी नियंत्रण को सीमित करती है।

अवधि वर्ष 2015-2020 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य की समग्र स्थिति तालिका 3.8 में विस्तृत है:

तालिका 3.8: वर्ष 2015-20 के दौरान मूल बजट, वास्तविक व्यय और बचत/आधिक्य

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
मूल बजट	1,41,232.02	1,74,840.75	1,86,654.01	2,17,433.13	2,39,959.67
अनुपूरक बजट	49,840.66	8,723.44	13,423.49	11,645.19	2,937.12
अनुपूरक बजट की मूल बजट से प्रतिशतता	35.3	5.0	7.2	5.4	1.2
योग	1,91,072.68	1,83,564.19	2,00,077.50	2,29,078.32	2,42,896.79
वास्तविक व्यय	173808.18	166175.87	184087.31	209776.27	218538.79
बचत/आधिक्य	17264.50	17388.32	15990.19	19302.05	24358.00
बचत का प्रतिशत	9.04	9.47	7.99	8.43	10.03
बजट उपयोग	90.96	90.53	92.01	91.57	89.97

अवधि 2015-2020 के दौरान मूल प्रावधानों के समक्ष पूरक प्रावधान 1.2 प्रतिशत से 35.3 प्रतिशत के मध्य रहे। तथापि, वर्ष 2017-18 से मूल प्रावधान के समक्ष अनुपूरक प्रावधान में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी।

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान लिये गये अनुपूरक प्रावधान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि इन सभी वर्षों में बचतें अनुपूरक प्रावधानों से अधिक रही। कुल प्रावधानों के समक्ष, बजट के अंतर्गत अनुपयोगी प्रावधान/बचत 7.99 प्रतिशत से लेकर 10.03 प्रतिशत के मध्य रही। यह इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रावधानों के उचित आंकलन तथा वित्तीय योजना के निष्पादन में कमी रही।

3.5.2 अनुपूरक बजट और अवसर लागत

सम्बंधित वर्षों के विनियोग लेखों की संवीक्षा दर्शाती है कि वर्ष 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान किया गया अनुपूरक प्रावधान लगातार अनावश्यक सिद्ध हुए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल प्रावधान के विरुद्ध बजट के तहत अनुपयोगी प्रावधान/बचत 7.99 प्रतिशत (₹ 15,990.19 करोड़) से लेकर 10.03 प्रतिशत (₹ 24,358 करोड़) के मध्य रही।

वर्ष 2019-20 के दौरान, पूंजीगत दत्तमत भाग के अन्तर्गत 29 प्रकरणों में अनुपूरक/मूल प्रावधान के समक्ष अनुपयोजित निधियों के शेषों को नीचे तालिका 3.9 में दिया गया है।

तालिका 3.9: अनुपूरक/मूल प्रावधान के समक्ष अनुपयोजित निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अनुपयोजित निधियां
पूंजीगत (दत्तमत)						
1	009- वन	79.08	0	79.08	60.46	18.62
2	011-विविध सामाजिक सेवाएं	10.71	0	10.71	3.75	6.96
3	012-अन्य कर	24	0	24	12.85	11.15
4	016- पुलिस	174.61	43.09	217.7	150.61	67.09
5	019- लोक निर्माण कार्य	805.24	0	805.24	422.12	383.12
6	020-आवास	90	0	90	26.41	63.59
7	021-सड़कें एवं पुल	3,759.48	0	3,759.48	3300	459.48
8	022- क्षेत्रीय विकास	268.05	0	268.05	131.38	136.67
9	023-श्रम और रोजगार	31	0	31	0.00	31.00
10	024-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	539.22	62	601.22	495.24	105.98
11	026-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	252.08	0	252.08	174.07	78.01
12	027-पेयजल योजना	3,244.50	0	3,244.50	2,221.98	1,022.52
13	028-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	308.25	0	308.25	252.81	55.44
14	029-नगर आयोजना एवं क्षेत्रीय विकास	13,00.87	0	1,300.87	811.25	489.62
15	030-जनजाति क्षेत्र विकास	3190.76	0	3190.76	2,552.84	637.92
16	032-नागरिक आपूर्ति	3.88	0	3.88	0.02	3.86
17	033-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	212.80	58.9	271.7	240.28	31.42
18	035-विविध समुदायिक और आर्थिक सेवाएँ	102.20	51.05	153.25	127.64	25.61
19	036-सहकारिता	10.47	0	10.47	8.78	1.69
20	037- कृषि	246.8	0	246.8	118.39	128.41
21	039-पशुपालन एवं चिकित्सा	26.78	0	26.78	18.04	8.74

क्र.सं.	अनुदान का नाम	मूल आवंटन	अनुपूरक	कुल	वास्तविक व्यय	अनुपयोजित निधियां
22	041- सामुदायिक विकास	9.62	0	9.62	1.55	8.07
23	042-उद्योग	95.06	0	95.06	18.71	76.35
24	043- स्वनिज	115.04	58.49	173.53	160.3	13.23
25	046-सिंचाई	1,866.58	30.29	1,896.87	1,635.34	261.53
26	047-पर्यटन	30.88	0	30.88	5.69	25.19
27	048-विद्युत	2,787.48	0	2,787.48	2,570.76	216.72
28	050-ग्रामीण रोजगार	1.42	0.44	1.86	1.80	0.06
29	051-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशेष्ट संघटक योजना	4,178.83	0	4,178.83	3,194.20	984.63
	योग	23,765.69	304.26	24,069.95	18,717.27	5,352.68

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, जल संसाधन विभाग (85), लोक निर्माण विभाग (158) और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (86) से संबंधित कुल 329 परियोजनाएँ (₹ 49,781.57 करोड़) अपूर्ण रही थी, जिनमें से ₹ 100 करोड़ से अधिक अनुमानित लागत वाली 12 प्रमुख परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.10: अपूर्ण परियोजनाओं के नाम जिनकी लागत ₹ 100 करोड़ से अधिक है

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना/परियोजना का नाम (₹100 करोड़ या अधिक अनुमानित लागत वाली)	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत/संशोधित लागत	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि	31 मार्च 2020 तक व्यय	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
जल संसाधन विभाग					
1	अनूपगढ़ शाखा आरडी 0 से 40, सूरतगढ़ शाखा आरडी 19.20 से 48 की रिलाईनिंग तथा रावतसर शाखा की सीधी माइनर्स एवं एनडीआर वितरिका	127.13	2019-20	95.92	86
2	अनूपगढ़ शाखा प्रणाली और गोविंदसागर की सास्ली माइनर, कोडिबंध वितरिका, मोमीवाला वितरिका माइनर, स्वरवाला वितरिका, हिसमकी वितरिका मि गोविंद सागर सब माइनर, सुरजांसर माइनर, बस्तावरपुर माइनर और उप-माइनर, डूंगियावाली माइनर, ब्रहनन माइनर, भोपुलपुरा माइनर, रजना माइनर और चिदासर माइनर, सरदारपुरा माइनर, किशनपुरा माइनर, भोजियावाला-II वितरिका, आईजीएमएन, एपीएस आरडी 40-65 तथा आर डी 65-105 की केसरदेसर वितरिका की सीधी प्रणाली का पुनर्वास,	110.05	2019-20	87.27	100
लोक निर्माण विभाग					
3	एनएच -65 पर पेवड शोल्डर सहित चार लेन की विद्यमान किमी 267/500 से किमी 296/070 की चौड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण (नेत्रा गांव से मंडोर	269.22	2016-17	197.99	100

क्र. सं.	योजना/परियोजना का नाम (₹100 करोड़ या अधिक अनुमानित लागत वाली)	योजना/परियोजना की अनुमानित लागत/संशोधित लागत	कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि	31 मार्च 2020 तक व्यय	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)
	सेक्शन)				
4	NH-12 कोटा-दरा सेक्शन के किमी 256/550 से किमी 289/500 पर सी सी फुटपाथ के साथ पेवड शोल्डर सहित फोर लेन का चौड़ीकरण (राजस्थान राज्य में एपिक मोड़ पर कोटा-झालावाड़ सड़क)	621.43	2018-19	475.75	90
5	राजस्थान राज्य के एपिक मोड़ पर एनएच-65 पर किमी 166/260 से किमी 180/500 तक नागौर बाईपास का निर्माण	155.76	2017-18	159.13	78
6	एपिक मोड़ पर राजस्थान राज्य में एन एच 325 पर चल रही परियोजना को छोड़ते हुए बालोतरा से सांडेराव वाया जालौर पर किमी 58/00 से किमी 91/600 (59.460 से 62.900), (73.120 से 75.920), (82.650 से 83.300 चैनल छोड़ते हुये) पेवड शोल्डर सहित दो लेन का उन्नयन	179.32	2018-19	158.24	90
7	एपिक मोड़ पर राजस्थान राज्य में एन एच 325 पर चल रही परियोजना को छोड़ते हुए बालोतरा से सांडेराव वाया जालौर पर पेवड शोल्डर सहित दो लेन का उन्नयन किमी 118.900 से किमी 156.955 (किमी 151.100 से 154.730 चैनल को छोड़ते हुये)	163.54	2018-19	112.63	97
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग					
8	चम्बल भीलवाड़ा जलापूर्ति परियोजना	913.80	2018-19	792.47	100
9	आपणी योजना चरण- II	971.21	2019-20	845.92	100
10	निवाई जलापूर्ति परियोजना के 191 गावों हेतु आरडब्ल्यूएसएस	142.57	2018-19	111.89	100
11	बस्सी जलापूर्ति परियोजना के 210 गावों के लिए आरडब्ल्यूएसएस	299.55	2018-19	234.07	100
12	डब्ल्यूएसपी बोरबास मंडाना	118.04	2019-20	75.75	100
	योग	4071.62		3,347.03	

स्रोत: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त जानकारी।

उपरोक्त तालिका के अनुसार, 12 में से सात परियोजनाओं की भौतिक प्रगति 100 प्रतिशत है, तथापि, कार्यकारी एजेंसियों को बकाया भुगतानों के कारण इन परियोजनाओं की स्थिति अपूर्ण है, जिसके कारण इन परियोजनाओं को राज्य सरकार को नहीं सौंपा गया है। राज्य सरकार ने इसके लिए कोई कारण नहीं बताये (मार्च 2021)। यह दर्शाता है कि अन्य अनुदानों के तहत रही बचतें इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रदान नहीं की गई थी।

वर्ष के दौरान बचतों और अपूर्ण परियोजनाओं/योजनाओं के आधार पर अनुदान संख्या 21-‘सड़क एवं सेतु’ का विस्तृत विश्लेषण किया गया जैसाकि नीचे दिया गया है।

अनुदान संख्या 21-सड़कें एवं पुल

प्रस्तावना

लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) सामान्यतः सरकारी कार्यालय भवनों, सरकारी आवासीय भवनों और सड़कों के निर्माण (राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और मुख्य जिला सड़कों) से संबंधित कार्यों का निष्पादन करता है। विभाग का प्रमुख, प्रमुख सचिव, लोनिवि, राजस्थान सरकार है।

अवधि 2017-18 से 2019-20 के दौरान अनुदान के संबंध में बजट प्रावधान, व्यय और बचत की समग्र स्थिति नीचे विस्तृत है:

तालिका 3.11: अनुदान संख्या 21 के तहत लोक निर्माण विभाग के बजट की तुलना में व्यय
(₹ करोड़ में)

	2017-18		2018-19		2019-20	
	राजस्व (दत्तमत)	पूंजीगत (दत्तमत)	राजस्व (दत्तमत)	पूंजीगत (दत्तमत)	राजस्व (दत्तमत)	पूंजीगत (दत्तमत)
प्रावधान (मू + पू)	2,017.89	4,164.70	1,668.65*	4,929.31*	2,592.21*	3,759.48*
योग	6,182.59		6597.96		6351.69	
व्यय	1,700.22	3,977.81	1,362.34	4,025.55	2,217.59	3,299.51
योग	5,678.03		5387.89		5517.10	
बचत (%)	317.67 (15.74)	186.89 (4.49)	306.21 (18.35)	903.76 (18.33)	374.62 (14.45)	459.97 (12.23)
योग	504.56		1209.97		834.59	
अभ्यर्पण	347.26	190.36	312.67	898.11	939.42	491.69
योग	537.62		1210.78		1431.11	

* राजस्व भाग के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 133.41 करोड़, और 2019-20 के दौरान ₹ 63.87 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान और पूंजीगत भाग के तहत 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः ₹ 309.10 करोड़ और मात्र ₹ 1000 का अनुपूरक प्रावधान शामिल है।

तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचतें 14.45 प्रतिशत से 18.35 प्रतिशत के मध्य और पूंजीगत भाग के अंतर्गत 4.49 प्रतिशत से लेकर 18.33 प्रतिशत के मध्य थी।

पूंजीगत और राजस्व भागों के अंतर्गत समग्र बचतें अनुदान के विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत वास्तविक बचतों का स्पष्ट चित्रण नहीं करती है क्योंकि बचतें पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त राशि और आधिक्य व्यय से संतुलित हो जाती है। वर्ष 2017-2020 की अवधि के लिए अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत वास्तविक बचतें 21.32 प्रतिशत से 67.58 प्रतिशत के मध्य और अनुदान के पूंजीगत भाग के अन्तर्गत अनुपयोजित बजट प्रावधान/बचतें 23.86 प्रतिशत से 35.82 प्रतिशत के मध्य थी। यह संबंधित शीर्षों के तहत निधियों के अत्यधिक आंकलन को इंगित करता है।

वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक अभ्यर्पित प्रावधानों में महत्वपूर्ण वृद्धि, मासिक व्यय विवरण के माध्यम से व्यय के प्रवाह पर आवश्यक बजटीय नियंत्रणों को लागू करने में विभाग की विफलता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त,

- यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, राबनि के मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखे बिना ₹ 1,027.67 करोड़ का प्रावधान किया गया, जिसके कारण पांच शीर्षों³ के अधीन सम्पूर्ण प्रावधानों को अभ्यर्पित कर दिया गया। यह इंगित करता है कि विभाग प्रावधानों की आवश्यकता का आंकलन करने में विफल रहा।
- यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, तीन शीर्षों⁴ में सम्पूर्ण प्रावधान को अभ्यर्पित करने के बाद ₹ 602.73 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया गया, जो वित्तीय अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।
- लेखापरीक्षा के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान, 27 योजनाओं/कार्यक्रमों में ₹ 1,868.10 करोड़ की पर्याप्त बचतें हुईं। विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 3.12: योजनाएँ/कार्यक्रम जहाँ उल्लेखनीय बचतें हैं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	योग	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1.	3054-02-337-01-02 महत्वपूर्ण और सीमा सड़कों का रखरखाव एवं जीर्णोद्धार	173.49	0.00	173.49	100.00
2.	3054-03-337-01-01 राज्य राजमार्गों के तहत सड़कों का संधारण	137.20	114.18	23.02	16.78
3.	3054-03-337-03-01 अतिरिक्त परिचालन लागत	1.32	0.09	1.23	93.18
4.	3054-03-337-03-02 आधुनिकीकरण	1.65	0.19	1.46	88.48
5.	3054-03-337-04-01 अतिरिक्त परिचालन लागत	0.38	0.02	0.36	94.74
6.	3054-03-337-04-02 आधुनिकीकरण	1.44	0.00	1.44	100.00
7.	3054-80-797-03 केंद्रीय सड़क निधि को स्थानांतरण	750.00	0.00	750.00	100.00
8.	3054-80-800-01 इंडियन रोड कांग्रेस और अन्य समकक्ष संस्थान-प्रतिबद्ध	0.70	0.09	0.61	87.14
9.	5054-02-337-03 सीमा सड़क विकास के माध्यम से	42.00	0.00	42.00	100.00
10.	5054-03-337-05 केंद्रीय सड़क निधि द्वारा वित्तपोषित सड़क	519.38	215.83	303.55	58.44
11.	5054-04-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना -I (ए डी बी)	552.42	411.21	141.21	25.56

3. 3054-02-337-01-02 (₹ 173.49 करोड़), 3054-03-337-04-02 (₹ 1.44 करोड़), 3054-80-797-03 (₹ 750.00 करोड़), 5054-02-337-03 (₹ 42.00 करोड़) एवं 5054-04-337-17-01 (₹ 60.73 करोड़)।

4. 3054-02-337-01-02 (₹ 149.82 करोड़), 3054-80-797-03 (₹ 415.17 करोड़) एवं 5054-02-337-03 (₹ 37.74 करोड़)।

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	योग	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
12	5054-04-337-17-01 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	60.73	0.00	60.73	100.00
13	3054-04-800-11-20 नाबार्ड आरआईडीएफ -XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)	276.34	217.19	59.15	21.40
14	5054-04-800-14-90 निर्माण कार्य	480.09	423.52	56.57	11.78
15	5054-04-800-22-01 ग्रामीण सड़कें	67.69	36.56	31.13	45.99
16	5054-03-796-07 केंद्रीय सड़क निधि से प्रतिपूरक सड़कें	96.52	41.37	55.15	57.14
17	5054-03-796-10 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना -I (ए डी बी)	99.40	84.31	15.09	15.18
18	5054-04-796-05 शहरी सड़कें	2.39	1.38	1.01	42.26
19	5054-04-796-06-12 सड़क उन्नयन परियोजना (त्रायोविन्शितत्माह)	5.96	3.27	2.69	45.13
20	5054-04-796-06-13 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXIV (सड़क उन्नयन परियोजना)	54.28	41.39	12.89	23.75
21	5054-04-796-06-14 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	11.93	0.00	11.93	100.00
22	5054-04-796-16-01 ग्रामीण सड़कें	13.48	8.09	5.39	39.98
23	5054-03-789-07 केंद्रीय सड़क निधि से प्रतिपूरक सड़कें	134.10	71.54	62.56	46.65
24	5054-03-789-10 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना -I (ए डी बी)	142.01	111.48	30.53	21.50
25	5054-04-789-03 शहरी सड़कें	3.36	1.35	2.01	59.82
26	5054-04-789-04-14 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	15.83	0.00	15.83	100.00
27	5054-04-789-13-01 ग्रामीण सड़कें	17.83	10.70	7.13	39.99
	योग	3,661.92	1,793.76	1,868.09	

सड़कों के निर्माण के लिए, मुख्य शीर्ष 5054 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और जनजातिय क्षेत्र विकास (टीएडी) के लिए विशेष संघटक योजना के अंतर्गत भी प्रावधान किए गए हैं, जिनकी स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 3.13: टीएडी और अजा/अजजा के तहत पूंजीगत प्रावधान/व्यय की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2017-18		2018-19		2019-20	
	पूंजीगत (टीएडी)	पूंजीगत (अजा/अजजा अंश)	पूंजीगत (टीएडी)	पूंजीगत (अजा/अजजा अंश)	पूंजीगत (टीएडी)	पूंजीगत (अजा/अजजा अंश)
प्रावधान (मू + पू)	822.54	1096.92	792.11	1,097.82	774.68	884.65
व्यय	707.86	1018.60	689.53	998.33	594.74	781.51
बचत	114.68	78.32	102.58	99.49	179.94	103.14
बचत (%)	13.98	7.14	12.95	9.06	23.23	11.68

बचतों की क्षेत्रवार स्थिति

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न क्षेत्रों (कुछ शीर्षों पर) में बजट आवंटन का उल्लेखनीय हिस्सा अनुपयोजित रहा जैसा कि तालिका में दर्शाया गया है, जो संबंधित वर्षों में अनुमानित वित्तीय परिव्यय की गैर-उपलब्धि को इंगित करता है। यह भी इंगित करता है कि गत वास्तविको पर विचार किए बिना बजट आवंटन किए गए जो राबनि के अनुच्छेद 13.7 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

तालिका 3.14: निरन्तर बचतों की क्षेत्रवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

	बजट	व्यय	प्रतिकूल बचतों के साथ	प्रतिकूल बचतों के अलावा	प्रतिकूल बचतों के सन्दर्भ में बचतों का प्रतिशत
राज्य राजमार्ग					
2017-18	1,827.07	1,593.43	233.64	326.10	17.85
2018-19	2,491.75	1,608.78	882.97	940.31	37.74
2019-20	2,339.19	1,942.67	396.52	609.71	26.06
योग	6,658.01	5,144.88	1,513.13	1,876.12	
जिला सड़कें एवं पुल					
2017-18	3,797.80	3,606.30	191.50	734.82	19.35
2018-19	3,765.79	3,678.63	87.16	805.73	21.40
2019-20	2,487.29	2,339.28	148.01	261.70	10.52
योग	10,050.88	9,624.21	426.67	1,802.25	
निदेशन एवं प्रशासन					
2017-18	418.93	382.93	36.00	36.00	8.59
2018-19	421.3	318.84	102.46	102.46	24.32
2019-20	340.41	310.6	29.81	29.81	8.76
योग	1,180.64	1,012.37	168.27	168.27	

आगे यह देखा गया कि:

- राज्य राजमार्गों के कार्यों के लिए ₹ 6,658.01 करोड़ के प्रावधान के समक्ष, वर्ष 2017-20 के दौरान ₹ 5,144.88 करोड़ (62 प्रतिशत) की राशि व्यय की गई। विभाग ने सूचित किया कि यह संशोधित अनुमान में कमी, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, कोविड 19 महामारी के कारण अधिकांश ठेकेदारों द्वारा बिल प्रस्तुत नहीं करने, आदि कारणों से हुई।
- वर्ष 2017-20 के दौरान, जिला और अन्य सड़कों के लिए ₹ 10,050.88 करोड़ की राशि का बजट रखा गया था, जिसके विरुद्ध ₹ 9,624.21 करोड़ व्यय किया गया।
- **प्रतिशतता प्रभार:** लोनिवि द्वारा पूंजीगत परियोजनाओं पर लगाए गए अपने संसाधनों और उपकरण और संयंत्रों की लागत के लिए प्रतिशतता प्रभार लिया जाता है। एक निश्चित दर से परियोजना की कुल लागत के ऊपर प्रतिशतता प्रभार लगाया जाता है। प्रतिशतता प्रभार के तीन घटक हैं; (i) स्थापना प्रभार (8 प्रतिशत), जो निजी संवेदकों जिन्हें परियोजनायें आवंटित की गई है के कार्य की समयबद्ध प्रगति और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लोनिवि द्वारा लगाए जाते हैं, (ii) उपकरण और संयंत्रों की लागत (2 प्रतिशत) और (iii) लोनिवि के कार्य प्रभारित कर्मचारियों की स्थापना लागत प्रभार (3 प्रतिशत)। जिस दर पर सभी प्रतिशतता प्रभारों की गणना की जानी है वह राजस्थान सरकार के लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों में निर्दिष्ट है।

प्रत्येक कार्य/परियोजना की कुल लागत की गणना प्रतिशतता प्रभार शामिल करने के बाद की जाती है। वर्ष 2017-2020 के दौरान, पूंजीगत कार्यों के लिए प्रतिशतता प्रभार सहित ₹ 3,592.69 करोड़ का अनुमान किया गया था। जिसमें से, ₹ 2,080.58 करोड़ की राशि पूंजीगत कार्यों/परियोजनाओं के अन्तर्गत अनुमानित की गई, जिसके समक्ष ₹ 1,651.53 करोड़ की राशि व्यय हुई, परिणामस्वरूप ₹ 429.05 करोड़ की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, ₹ 1,512.11 करोड़ की एक राशि को कार्य/प्रतिशतता प्रभार के रूप में अनुमानित किया गया था जिसके समक्ष ₹ 1,249.56 करोड़ की राशि व्यय की गई। यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रतिशतता प्रभार के लिए ₹ 34.34 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान किया गया जो कि अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुमान के स्तर तक नहीं हुआ था। प्रतिशतता प्रभार के अन्तर्गत दर्ज किए गए कम व्यय विभाग के स्तर पर पूंजीगत परियोजनाओं/कार्यों के निष्पादन में कमी को इंगित करता है जिसके परिणामस्वरूप बचतें हुईं।

इस प्रकार, वर्ष 2017-20 के दौरान कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध उल्लेखनीय बचतें एक सतत प्रवृत्ति थी, जो विभाग द्वारा विभिन्न शीर्षों के तहत निधियों की आवश्यकता के अति-आंकलन और व्यय के उचित अनुश्रवण की कमी का सूचक है। पूंजीगत परियोजनाओं पर कम व्यय भी इंगित करता है कि विभाग द्वारा प्रस्ताव उचित योजना के बिना तैयार किए गए।

अनुदान में टोकन प्रावधान: राबनि के अनुच्छेद 13.14 के अनुसार, उप-शीर्ष या विनियोग की अन्य इकाई जो लगातार तीन वर्षों तक निष्क्रिय रहती है, उसे संबंधित विभाग की अनुदान मांगों से हटा दिया

जाना चाहिए। अनुदान की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक, अनुदान के तहत कुल 210 शीर्षों में से 36 (17.14 प्रतिशत) में टोकन प्रावधान किया गया, जो पुनर्विनियोजन द्वारा बिना प्रावधान किये टोकन प्रावधान बने रहे और वित्तीय वर्ष के अंत में सभी शीर्षों के टोकन प्रावधानों को अभ्यर्पित कर दिया गया। यह इंगित करता है कि विभाग में प्रावधानों के उचित आंकलन और वित्तीय योजना के निष्पादन की कमी थी। इस संबंध में संबंधित बजट शीर्षों के बजट नियंत्रण अधिकारियों का उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2021)।

पीडब्लूएफ एंड एआर के नियम 285 (ए) और (बी) प्रावधान करते हैं कि (i) किसी कार्य के लिए एक परियोजना से जुड़े चार मुख्य चरण हैं, प्रशासनिक स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति, तकनीकी स्वीकृति और विनियोग या निधियों का पुनर्विनियोजन; (ii) बजट आवंटन के बाद प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन शुरू नहीं होना चाहिए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वेक्षण, जांच, परामर्श सेवाओं सहित विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग, भूमि का अधिग्रहण जैसे प्रारंभिक कार्यों पर व्यय की मंजूरी दी जा सकती है। प्रत्येक विभाग में ऐसे कार्यों के लिए अलग से बजट प्रावधान उपलब्ध होना चाहिए। सभी तकनीकी और कार्य के विवरणों को पूरा करने और सर्वेक्षण और जांच के पूरा होने के बाद, कार्य की ड्राइंग/डिजाइन तैयार करने, विस्तृत तकनीकी अनुमान तैयार और स्वीकृत किए जाने चाहिए।

वित्त लेखों के अनुसार सड़क कार्यों की भौतिक प्रगति नीचे दी गई है:

- राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, यह देखा गया कि कुल 129 सड़क निर्माण कार्य पूर्ण होने थे, जिनमें से 6 परियोजनाएं 2010-15 और 123 परियोजनाएं 2015-2020 की अवधि से सम्बन्धित थीं। कार्यों की भौतिक प्रगति नीचे दी गई है:

तालिका 3.15: कार्यों की भौतिक प्रगति प्रतिशतता में

	प्रगति प्रतिशत में					
	0 से 10	10 से 30	30 से 50	50 से 70	70 से 90	90 से 100
परियोजनाओं की संख्या	7	18	11	15	17	61

विभाग द्वारा अधिकांश कार्यों के अपूर्ण रहने के लिए दिए गए विभिन्न कारणों में उपयोगिता शिफ्टिंग/ अतिक्रमण/कोर्ट केस के कारण विलम्ब, लंबित वन्य जीव अनुमति, बजट की कमी, एजेंसी के स्तर पर विलम्ब और भूमि विवाद इत्यादि शामिल हैं। कार्यों का कम निष्पादन एवं धीमी प्रगति विभाग के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।

कुछ परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है जहां बजट प्रावधान या स्वीकृतियों की कमी के कारण निष्पादन प्रभावित रहा:

तालिका 3.16: कुछ परियोजनाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	कार्य की लागत	प्रारंभ वर्ष	पूर्णता वर्ष	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक अद्यतन व्यय
1.	मांगरोल बमोरी कलां से एम पी बॉर्डर (एस एच-198) किमी 2/500 से 15/500 का नवीकरण /सुदृढ़ीकरण।	20.00	2018-19	2019-20	0.00	0.00
2.	बूंदी बायपास का निर्माण एस एच-29 किमी 95/500 से एन एच-12 (नया NH-52)	40.00	2018-19	2020-21	5.84	5.84
3.	झुंझुनू चिड़ावा रोड (एस एच -37) का सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण	20.00	2017-18	2019-20	5.80	6.89
4.	धौलपुर आठ मील पुराने एन एच-118 पर एयर स्ट्रिप रनवे का निर्माण	30.48	2017-18	2020-21	0.00	15.52
5.	धौलपुर राजाखेड़ा रोड एस एच 2-ए किमी 2/0 से 14/0 और 24/0 से 44/200 का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण	52.00	2017-18	2020-21	0.00	12.97
6.	मांगरोल-सीसवाली सीमेंट कंक्रीट रोड़ (एस एच - 51ए) पर फुटपाथ का उठाव और पुनर्निर्माण किमी0/0 से 14/0 तक	30.00	2017-18	2018-19	2.90	6.10
7.	टपूकड़ा से मिलकपुर किमी 0/0 से 7/500	15.77	2017-18	2019-20	3.75	12.61
8.	अलीपुर-खेड़ी-कानपुर दगरानपुर निमलका कलगावं हिन्गवाहेड़ा तिजारा फिरोजपुर झिरका सड़क	38.42	2017-18	2019-20	4.97	7.63

राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, इन परियोजनाओं में से अधिकांश पूर्ण हो गई, तथापि, कार्यकारी एजेंसियों को बकाया भुगतान के कारण इन परियोजनाओं को सरकार को नहीं सौंपा गया है जो कि सरकार द्वारा आवश्यक निधियों के प्रावधान की कमी को इंगित करता है।

सम्बन्धित वर्षों के विनियोग लेखों की जांच से प्रकट होता है कि इन वर्षों के दौरान, समग्र अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए और विभिन्न अनुदानों के तहत निरन्तर बचतें रही, जिनका उपयोग इन परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए किया जा सकता था।

अपूर्ण रह गई परियोजनाओं के कारण परियोजना लागत में वृद्धि के अलावा इन परियोजनाओं/योजनाओं का अपेक्षित लाभ जनता को प्रदान नहीं हो सका।

3.5.3 बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक वित्त पोषण

विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि विभिन्न योजनाओं के तहत किए गए बजट प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहे। वर्ष 2019-20 के दौरान, 165 योजनाओं/शीर्षों के अन्तर्गत किए गए संपूर्ण प्रावधान (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) ₹ 2,766.38 करोड़ उपयोग नहीं किए गए थे। विवरण **परिशिष्ट 3.6** में दिया गया है।

वर्ष 2019-20 के दौरान उपयोग नहीं किए गए बजट प्रावधानों (प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक) की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य सरकार ने संशोधित अनुमानों में 33 योजनाओं में बजट प्रावधानों को वापस ले लिया और 54 योजनाओं में टोकन बजट प्रावधान किए गए थे। यह इंगित करता है कि इन योजनाओं/शीर्षों के लिए प्रावधान विभागों की वित्तीय आवश्यकताओं और आवश्यकता के उचित मूल्यांकन के बिना किए गए थे।

इस संबंध में विभागों द्वारा अवगत कराये गए विभिन्न कारणों में योजनाओं का क्रियान्वयन न होना, निर्माण कार्य का निष्पादन न करना, भारत सरकार से निधियां प्राप्त नहीं होना, कार्य प्रारम्भ करने में लोनिवि की विफलता के कारण स्वीकृति का निरस्त होना, कार्य का निष्पादन न करना, वेतन और भत्तों पर कम व्यय, बजट सीमा में कमी, राज्य सरकार से स्वीकृति का अभाव, कोविड लॉकडाउन के कारण परियोजना का क्रियान्वयन न होना, नए निर्माण के लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति का अभाव, उपयोगिता प्रमाण पत्रों का प्राप्त न होना आदि शामिल हैं।

आगे, यह भी देखा गया कि संबंधित विभाग के अनुदानों की मांगों से हटाए बिना जैसा कि राबनि द्वारा प्रावधित था, गत तीन वर्षों से निरन्तर अनावश्यक प्रावधान किए जाने के मामलें थे और वित्तीय वर्ष के अंत में संपूर्ण प्रावधानों को अभ्यर्पित किया जा रहा था। ऐसे उदाहरणों को **परिशिष्ट 3.7** में सूचीबद्ध किया गया है।

वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित बजट जुलाई 2019 में प्रस्तुत करते हुए, राज्य सरकार ने प्रमुख योजनाओं/नीतियों की घोषणा की थी। संबंधित विभागों ने इनमें से कुछ प्रमुख नीतिगत पहलों पर अद्यतन प्रगति से अवगत कराया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निम्नलिखित परियोजनाओं/नीतिगत पहलों के संबंध में, सीमित या कोई प्रगति नहीं थी:

तालिका 3.17: प्रमुख परियोजनाएं/नीतियां

बजट भाषण का अनुच्छेद	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति
102	चिकित्सा शिक्षा	जोधपुर में कैंसर रोगियों के इलाज के लिए ₹ 31 करोड़ की लागत से एक लीनियर एक्सेलरेटर मशीन की स्थापना की जाएगी।	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर एवं दिसम्बर 2020) पी पी पी मोड के माध्यम से मशीन की स्थापना के लिए दो बार निविदाएं आमंत्रित की गईं लेकिन कोई बोली नहीं लगी। आगे सूचित किया कि बजट 2020-21 में क्षेत्रीय कैंसर केंद्र (मथुरा दास माथुर अस्पताल, जोधपुर) के चरणवार निर्माण की (घोषणा सं. 28) घोषणा की और लीनियर एक्सेलरेटर मशीन की खरीद क्षेत्रीय कैंसर केंद्र के निर्माण के बाद की जावेगी। तथ्य यह है कि बजट 2019-20 की घोषणा संख्या 102 के अनुसार लीनियर एक्सेलरेटर

बजट भाषण का अनुच्छेद	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति
			मशीन की खरीद एवं स्थापना नहीं की जा सकी।
117	जनजाति क्षेत्र विकास	अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और व्यक्तित्व विकास हेतु जयपुर में ₹ 10 करोड़ की लागत से करियर परामर्श केंद्र शुरू किया जाएगा।	विभाग ने अवगत कराया (नवम्बर 2020) कि ₹ 4.46 करोड़ का व्यय किया जा चुका है एवं कार्य प्रगति पर है।
124	शिक्षा	स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए “सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्यालय सुदृढीकरण योजना” के अंतर्गत लिए 14,000 से अधिक अतिरिक्त कमरों का निर्माण, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, 23 नए स्कूल भवन, 83 भवनों का मरम्मत कार्य किया जायेगा। इन कार्यों पर वर्ष 2019-20 में ₹ 1,581 करोड़ का व्यय होगा।	लेखा परीक्षा द्वारा मांगे जाने पर भी कार्यान्वयन की स्थिति प्रदान नहीं की गई (मार्च 2021)।
150	पर्यटन	पर्यटन के विकास के लिए ऐतिहासिक किले लोहागढ़ भरतपुर में एक लाइट एंड साउंड शो, कुल ₹ 2.50 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा।	वर्ष 2019-20 में कोई बजट आवंटित नहीं किया गया था। कार्यकारी एजेंसी आरएचपीपीए के पीडी स्वाते में स्थानांतरण के लिए मात्र ₹ 30 लाख की वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जुलाई 2020 में दी गई थी। विभाग ने सूचित किया (जुलाई 2020) कि सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया चल रही है।
155	कला और संस्कृति	राजस्थान के लेखकों, कवियों, विचारकों, कलाकारों आदि को एक मंच प्रदान करवाने के लिए जयपुर में एक ‘राजस्थानी साहित्य महोत्सव’ का आयोजन होगा। इस प्रयोजन के लिए ₹ 2.00 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।	वर्ष 2019-20 में साहित्य महोत्सव नहीं हुआ। विभाग द्वारा सितम्बर 2020 तक स्थल एवं तिथि का अन्तिमिकरण नहीं किया गया था।
171	राजस्व और सैनिक कल्याण	जिला कलेक्टरों के अधीन प्रत्येक जिले में ‘मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि’ बनाई जाएगी। इस उद्देश्य के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार किये जायेंगे।	लेखा परीक्षा द्वारा मांगे जाने पर भी कार्यान्वयन की स्थिति प्रदान नहीं की गई (मार्च 2021)।
174	आपदा प्रबंधन,	राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में आग की	यह स्वायत्त शासन विभाग एवं नागरिक

बजट भाषण का अनुच्छेद	विभाग का नाम	बजट भाषण में की गई घोषणाओं का संक्षिप्त विवरण	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति
	राहत और नागरिक सुरक्षा	घटनाओं को देखते हुए वर्ष 2019-20 में ₹ 26.00 करोड़ की लागत से 100 अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे।	सुरक्षा विभाग से सम्बंधित है। वर्ष 2019-20 में कोई स्वीद नहीं की गई थी। सम्बंधित विभागों ने अवगत कराया (सितम्बर 2020) कि स्वीकृतियां जून 2020 में पुर्ननवीनीकृत की जा चुकी है और निविदा प्रक्रिया जारी है।

बजट भाषण की प्रमुख घोषणाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई की कमी, बजट भाषण के दौरान घोषित पहलों के अनुश्रवण और अनुसरण की कमी की सूचक है।

3.5.4 व्यय का प्रवाह

व्यय की एक समान गति बनाए रखना स्वस्थ लोक वित्तीय प्रबन्धन का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटक है। राबनि के अनुसार, राज्य की संभावित नकद शेष की स्थिति के पूर्वानुमान तैयार करने में वित्त विभाग की सहायता के लिए, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट तारीखों के अनुसार हर माह राजस्व और व्यय का अनुमानित प्रवाह दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है। वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अधिकता से बचा जाना चाहिए।


वर्ष 2019-20 के दौरान, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में कुल व्यय (₹ 2,13,491 करोड़) का 33.04 प्रतिशत (₹ 70,536 करोड़) व्यय किया गया जो यह दर्शाता है कि वर्ष के दौरान व्यय की एक समान गति को बनाए नहीं रखा जा सका था। यह भी देखा गया कि कुल प्राप्तियों (₹ 2,01,978 करोड़) में से 32.75 प्रतिशत (₹ 66,150 करोड़) अंतिम तिमाही के दौरान प्राप्त हुई। तथापि, वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में किए गए व्यय में पिछले वर्ष 2018-19 की तुलना में 2.11 प्रतिशत (₹ 1,519 करोड़) की गिरावट आई।

वर्ष 2019-20 के दौरान, 18 अनुदानों के अन्तर्गत 52 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में, कुल व्यय ₹ 18,246.54 करोड़ वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में किया गया जो कि कुल व्यय (₹ 18,825.92 करोड़) का 96.92 प्रतिशत था। इसमें से ₹ 18,058.26 करोड़ (95.92) अकेले मार्च 2020 में व्यय किया गया था जैसाकि **परिशिष्ट 3.8** में विस्तृत है।

वर्ष 2019-20 के दौरान सरकारी खजाने में प्राप्तियों का मासिक प्रवाह और संवितरण निम्नलिखित **चार्ट 3.8** में दिया गया है।

चार्ट 3.8: वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्तियों और संवितरण का मासिक प्रवाह

(₹ करोड़ में)



चार्ट से पता चलता है कि प्राप्तियाँ और व्यय फरवरी 2020 तक लगभग सभी महीनों में समान रूप से वितरित किए गए थे। तथापि, वर्ष के शेष महीनों की तुलना में मार्च 2020 के महीने में प्राप्तियाँ और व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके अलावा, 2019-20 के दौरान व्यय की प्रवृत्ति की संवीक्षा से ज्ञात होता है कि राज्य सरकार ने मार्च के महीने में कुल व्यय ₹ 2,13,491 करोड़ के लगभग 20.40 प्रतिशत ₹ 43,562 करोड़ का व्यय किया।

संयोग से, वर्ष के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित/जमा किए गए ₹ 33,827.12 करोड़ में से, ₹ 4,936.18 करोड़ (14.59 प्रतिशत) मार्च, 2020 में ही हस्तांतरित किए गए, जैसा कि अनुच्छेद 3.5 में विस्तृत है।

सात मुख्य शीर्षों का विवरण, जहां मार्च महीने के दौरान किया गया व्यय कुल व्यय के 50 प्रतिशत से अधिक था, नीचे तालिका 3.18 में दिया गया है:

तालिका 3.18: वर्ष 2019-20 के दौरान मार्च में 50 प्रतिशत से अधिक व्यय के साथ अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या/लेखा शीर्ष	विवरण	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	योग	मार्च में व्यय	मार्च में व्यय कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में
1.	2075	विविध सामान्य सेवाएँ	0.67	1.48	0.26	589.10	591.51	587.25	99.28
2.	2435	अन्य कृषि कार्यक्रम	2.58	2.79	2.66	24.78	32.81	22.95	69.95
3.	2801	ऊर्जा	2,718.69	3,095.41	515.38	16,404.95	22,734.43	15,479.98	68.09
4.	2852	उद्योग	14.01	16.74	17.38	160.71	208.84	147.44	70.60
5.	4236	पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00	19.89	19.89	15.93	80.09


6.	4801	ऊर्जा परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	134.64	373.36	273.19	1348.81	2130	1296.77	60.88
7.	5425	अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय शोध पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.15	0.63	0.78	0.60	76.92
			2,870.59	3,489.78	809.02	18,548.87	25,718.26	17,550.92	

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

मार्च माह में व्यय का उच्च प्रतिशत वाले उद्योग विभाग के मुख्य शीर्ष 2852 का माह-वार व्यय चार्ट 3.9 में नीचे दिया गया है।

चार्ट 3.9: मुख्य शीर्ष 2852-उद्योग का माह-वार व्यय

(₹ करोड़ में)



वर्ष के अंतिम महीने में किया गया भारी व्यय, व्यय/प्राप्तियों पर कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और बजटीय नियंत्रण/प्रबंधन की कमी को इंगित करता है। विभाग नियमित रूप से पूरे वर्ष व्यय की प्रगति का अनुश्रवण कर सकता है और व्यय का एक समान प्रवाह बनाए रख सकता है।

3.5.5 चयनित अनुदानों की समीक्षा

एक विशेष अनुदान का विस्तृत विश्लेषण करने की दृष्टि से अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण का चयन विगत तीन वर्षों के लिए बजटीय अनुमान के विरुद्ध व्यय के आधार पर किया गया है। इस विश्लेषण के अंतर्गत बजट और व्यय, संशोधित अनुमानों के सम्बन्ध में प्राप्तियां, पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के पश्चात आधिक्य व्यय, अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान, सम्पूर्ण प्रावधानों का उपयोग नहीं करना, निरंतर बचतें तथा इन अनुदानों के तहत विगत बजट भाषणों की योजनाओं की स्थिति पर कई टिप्पणियाँ शामिल हैं।

अनुदान संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

विकास, समाज के हर वर्ग के लिए समान अवसरों के साथ वर्तमान सामाजिक संरचना और रहन-सहन से बेहतर और विकसित सामाजिक संरचना से सामाजिक परिवर्तन है। सामाजिक विकास/सामाजिक कल्याण एक कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है और इसे भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया गया है, जैसे “राज्य की जनता के कमजोर वर्गों विशेष रूप से, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को विशेष रूप से बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा”।

अनुदान संख्या 33 का प्रशासनिक नियन्त्रण प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार (रास) के अधीन है। वर्ष 2017-20 के दौरान बजटीय स्थिति, व्यय और बचत की समग्र स्थिति का विवरण नीचे **तालिका 3.19** में दिया गया है:

तालिका 3.19: बजट प्रावधान

(₹ करोड़ में)

	2017-18				2018-19				2019-20			
	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	अभ्यर्पण
राजस्व	5,139.87	4,902.68	237.19 (4.61%)	216.56	6,453.76	5,912.99	540.77 (8.38%)	507.73	7942.83	7,476.66	466.17 (5.87%)	424.25
पूंजीगत	237.63	188.24	49.39 (20.78%)	49.39	202.07	161.51	40.56 (20.07%)	40.41	271.69	240.28	31.41 (11.56%)	31.41
योग	5,377.50	5,090.92	286.58	265.95	6,655.83	6,074.50	581.33	548.14	8,214.52	7,716.94	497.58	455.66

इस अनुदान के अंतर्गत बजट और व्यय की विस्तृत लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि:

- वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 4.61 प्रतिशत से 8.38 प्रतिशत के मध्य थी।
- वर्ष 2017-18 से 2019-20 की अवधि के दौरान अनुदान के पूंजीगत भाग के अंतर्गत अनुपयोगी बजट प्रावधान/बचतें 11.56 प्रतिशत से 20.78 प्रतिशत के मध्य थी।
- वर्ष 2019-20 के दौरान, राजस्व भाग के अंतर्गत ₹ 466.17 करोड़ (5.87 प्रतिशत) की अंतिम बचतों में से राशि ₹ 41.92 करोड़ अभ्यर्पित नहीं की गई।

उल्लेखनीय बचतें

वर्ष 2019-20 के दौरान, 18 योजनाएं/कार्यक्रम जहां प्रावधान अत्यधिक किए गए थे और बचतें (₹ एक करोड़ और अधिक) कुल अनुदान/विनियोग के 30 प्रतिशत से अधिक थी। इन योजनाओं में, कुल ₹ 394.55 करोड़ की उल्लेखनीय बचतें थी, विवरण नीचे **तालिका 3.20** में दिया गया है:

सारणी 3.20: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत ध्यान में आयी उल्लेखनीय बचतें

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मू + पू)	व्यय	बचत (बचत का प्रतिशत)	बचत के कारण
1.	2225-01-793-01 अनुसूचित जाति घटक योजना, अनुसूचित जाति उप परियोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता।	60.00	34.63	25.37 (42)	लोगों में योजना के बारे में रुचि नहीं थी क्योंकि पूर्व की तुलना में आर्थिक सहायता कम थी तथा बैंकों द्वारा ऋण कम स्वीकृत किये थे।
2.	2225-03-196-13-03 देवनारायण गर्ल्स स्टूडेंट स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन राशि योजना के लिए अनुदान	7.50	0.29	7.21 (96)	वित्त विभाग द्वारा व्यय सीमा में कटौती।
3.	2225-04-800-01-01 राजस्थान वक्फ बोर्ड को अनुदान	3.93	0.34	3.59 (91)	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
4.	2235-02-103-05-14 महिलाओं के लिए बेसिक कम्प्यूटर कोर्स	6.31	1.66	4.65 (74)	सीमा में कटौती और प्रशिक्षण का विलम्ब से प्रारंभ होना।
5.	2235-02-103-12 महिला स्वयं सहायता समूह संस्थाएँ	2.85	1.35	1.50 (53)	कोषालय द्वारा बिल पारित किये जाने के बाद राशि का भुगतान न करना।
6.	2235-02-103-23-01 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से उज्ज्वला योजना	2.07	0.01	2.06 (100)	लाभार्थी संस्थानों द्वारा आवश्यक अभिलेख और निरीक्षण/जाँच समिति की रिपोर्ट विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण।
7.	2235-02-196-02-36 महिला शक्ति केंद्र	3.72	1.06	2.66 (72)	वित्त विभाग से अस्थायी संविदा पदों के लिए स्वीकृति प्राप्ति में विलम्ब।
8.	2235-02-196-05-02 संयुक्त सहायता कार्यक्रम एवं गतिविधियाँ के लिए अनुदान	2.05	0.80	1.25 (61)	लाभार्थियों से पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण अंग उपकरणों के वितरण के लिए शिविरों का आयोजन नहीं होना।
9.	2235-02-196-22-06 पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	5.00	1.71	3.29 (66)	लाभार्थियों से पात्र आवेदन पत्रों की कम संख्या में प्राप्ति।
10.	2235-60-800-03-01 मिसा/डीआईआर पेंशनरों को पेंशन	47.00	22.62	24.38 (52)	पेंशन की कम निकासी और अक्टूबर 2019 से पेंशन बंद करना।
11.	2236-02-101-01-01 समेकित बाल विकास सेवायें विभाग के माध्यम से पोषाहार क्रेष कार्यक्रम	265.28	145.52	119.76 (45)	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
12.	2236-02-101-01-12	25.00	2.52	22.48	विभाग द्वारा कारण सूचित

क्र. सं.	शीर्ष का नाम	कुल (मू +पू)	व्यय	बचत (बचत का प्रतिशत)	बचत के कारण
	राजीव गाँधी किशोरी बालिका उत्थान एवं पोषण योजना			(90)	नहीं किये गए।
13.	2236-02-101-01-17 राष्ट्रीय पोषण मिशन	131.87	42.66	89.21 (68)	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
14.	2236-02-101-01-18 प्रधान मंत्री मातृत्व वंदना योजना	98.59	52.30	46.29 (47)	विभाग द्वारा कारण सूचित नहीं किये गए।
15.	4225-04-102-01-01 बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	60.44	37.64	22.80 (38)	बजट विभाग से स्थानांतरण आदेश न मिलने के कारण कार्यकारी एजेंसी को राशि का हस्तांतरण नहीं किया गया।
16.	4235-02-800-10-01 रैंप एवं लिफ्ट आदि का निर्माण.	15.81	4.12	11.69 (74)	पीडब्ल्यूडी द्वारा सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से विकलांगों के लिए रैंप और लिफ्ट के निर्माण से संबंधित कार्य का कम निष्पादन।
17.	4236-02-800-03 भवन निर्माण	3.00	0.78	2.22 (74)	जिला परियोजना कार्यालयों और आंगनबाड़ी
18.	4236-02-800-09 आईसीडीएस मिशन के अन्तर्गत आँगनबाड़ी केन्द्र निर्माण	13.96	9.82	4.14 (30)	केंद्र भवनों हेतु भवन निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता।
कुल		754.38	359.83	394.55	

बजट आवंटन के विरुद्ध उल्लेखनीय बचतें संकेत देती हैं कि बजट निर्माण/अनुदानों की माँगें तैयार करने और अनुश्रवण के बारे में राबनि के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

निरन्तर बचतें

अनुदान की लेखापरीक्षा से ज्ञात होता है कि वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक निरन्तर बचत वाली योजनायें (₹ एक करोड़ से अधिक प्रावधान) थीं जैसाकि नीचे वर्णित है:

तालिका 3.21: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत देखी गयी निरन्तर बचतें

(₹ करोड़ में)

शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
2225-01-793-01 अनुसूचित जाति घटक योजना, अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता	2017-18	60.00	59.86	0.14	0.24
	2018-19	60.00	0.14	59.86	99.77
	2019-20	60.00	34.63	25.37	42.29
2225-03-196-06-05 देवनारायण योजना के तहत (शिक्षा विभाग के माध्यम से) विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति (प्रारंभिक शिक्षा विभाग)	2017-18	9.65	7.05	2.60	26.95
	2018-19	10.00	6.70	3.30	33.00
	2019-20	7.00	5.28	1.72	24.50
2225-04-800-01-01	2017-18	4.23	1.72	2.51	59.38

शीर्ष का नाम	वर्ष	कुल (मू+पू)	व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
उप-सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से राजस्थान वक्फ़ बोर्ड को अनुदान	2018-19	4.65	0.80	3.85	82.81
	2019-20	3.93	0.34	3.59	91.35
2235-02-103-05-14 महिलाओं के लिए बेसिक कंप्यूटर कोर्स	2017-18	8.16	5.15	3.01	36.94
	2018-19	6.16	3.92	2.24	36.34
	2019-20	6.31	1.66	4.65	73.68
2235-02-103-12 महिला स्वयं सहायता समूह संस्थाएँ	2017-18	2.40	1.44	0.96	39.96
	2018-19	2.88	1.44	1.44	50.15
	2019-20	2.85	1.35	1.50	52.59
2235-02-196-02-33 चिराली योजना	2017-18	1.40	0.58	0.82	58.49
	2018-19	3.13	0.20	2.93	93.71
	2019-20	1.27	0	1.27	100.00
2236-02-101-01-02 समेकित बाल विकास योजना	2017-18	139.34	97.93	41.41	29.72
	2018-19	159.98	104.16	55.82	34.89
	2019-20	150.24	79.65	70.59	46.98
2235-02-196-22-06 पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	2017-18	5.00	0.94	4.06	81.19
	2018-19	5.00	1.28	3.72	74.44
	2019-20	5.00	1.71	3.29	65.76
2236-02-197-01-02 खंड/मध्यवृत्ति पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय	2017-18	513.85	502.17	11.68	2.27
	2018-19	860.95	619.92	241.03	28.00
	2019-20	817.94	687.04	130.90	16.00
4225-04-102-01-01 निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम	2017-18	55.42	55.27	0.15	0.27
	2018-19	61.61	48.87	12.74	20.67
	2019-20	60.44	37.64	22.80	37.72
4225-04-800-01-01 निदेशालय अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से छात्रावास भवन का निर्माण	2017-18	5.00	0.62	4.38	87.64
	2018-19	4.00	0.40	3.60	90.09
	2019-20	4.17	0.00	4.17	100.00
4235-02-800-10-01 विकलांगता अधिनियम के तहत लोगों के लिए रैंप एवं लिफ्ट आदि का निर्माण	2017-18	7.00	0.47	6.53	93.25
	2018-19	32.00	21.98	10.02	31.32
	2019-20	15.81	4.12	11.69	73.95
4236-02-800-03 भवन निर्माण	2017-18	5.00	1.24	3.76	75.27
	2018-19	5.00	0.40	4.60	92.07
	2019-20	3.00	0.78	2.22	73.94
4236-02-800-09 आईसीडीएस मिशन मोड़ के तहत आँगन बाड़ी केन्द्रों का निर्माण	2017-18	46.06	4.11	41.95	91.08
	2018-19	13.96	0.00	13.96	100.00
	2019-20	13.96	9.82	4.14	29.66
4236-02-800-10 आईसीडीएस मिशन के तहत क्रेच निर्माण सहित आँगन बाड़ी केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत	2017-18	27.20	13.02	14.18	52.13
	2018-19	16.16	0.00	16.16	100.00
	2019-20	4.69	3.70	0.99	21.23

बजट नियंत्रण अधिकारी ने बचत के मुख्य कारण जैसे पीडब्ल्यूडी द्वारा सरकारी कार्यालयों में विशेष रूप से विकलांगों के लिए रैंप और लिफ्ट निर्माण से संबंधित कार्यों का कम निष्पादन, बाड़मेर में छात्रावास भवन की भूमि पर अतिक्रमण, कोषालय द्वारा कोविड-19 महामारी के कारण बिलों का पारित नहीं

करना, पदों का रिक्त रहना, जिला/परियोजना कार्यालयों और आंगन बाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण के लिए भूमि की अनुपलब्धता और वर्ष 2019-20 में चिराली योजना को बंद होना बताये।

निरन्तर बचतें यह दर्शाती हैं कि बजट अनुमान वास्तविक नहीं थे और विभाग में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं थे।

सम्पूर्ण प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

राबनि के अनुसार, व्यय का अनुमान यथासंभव सटीक होना चाहिए। वर्ष 2019-20 के दौरान, इस अनुदान के अंतर्गत प्रकरण, जहां सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे, नीचे दिये गये हैं:

तालिका 3.22: विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोजित प्रावधान

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष का नाम	कुल (पू+मू)	व्यय	बचत	प्रतिशत बचत
1.	2235-02-103-20-01 मिशन ग्राम्य शक्ति	2.21	0	2.21	100.00
2.	2235-02-196-02- 33 चिराली योजना	1.27	0	1.27	100.00
3.	2235-02-196-19-04 जनश्री बीमा योजना के लिए बीपीएल परिवारों को अनुदान	1.92	0	1.92	100.00
4.	2235-02-196-19-18 जन बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए बीपीएल परिवारों को सहायता	12.48	0	12.48	100.00
5.	2235-02-196-21-06 पोस्ट-मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना	0.93	0	0.93	100.00
6.	4225-04-800-01-01 छात्रावास भवन का निर्माण	4.17	0	4.17	100.00
7.	4235-02-103-09 महिला स्वयं सहायता समूह भवन का निर्माण	1.00	0	1.00	100.00
8.	4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवनों का निर्माण	7.00	0	7.00	100.00
9.	6225-03-800-01 राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त और सहकारी निगम को ऋण	1.00	0	1.00	100.00
योग		31.98	0	31.98	

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया और अवगत कराया (फरवरी 2021) कि निधियों के अनुपयोजित रहने के कारण मुख्यतः केंद्र और राज्य के हिस्से का भारतीय जीवन बीमा निगम को हस्तांतरण नहीं होना, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन प्राप्त नहीं होना, छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां प्राप्त नहीं होना और ऋण वितरण के लिए वित्त विभाग को अपर्याप्त हिस्सा राशि जारी करना रहे।

यह इंगित करता है कि बजट प्रावधान को वास्तविक आवश्यकता का आंकलन किए बिना एक तदर्थ आधार पर तैयार किया गया।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि कुछ बजट शीर्षों में राबनि के सिद्धांतों को ध्यान में रखे बिना पिछले तीन वर्षों से निरन्तर प्रावधान किए जा रहे थे, जिसके कारण सम्पूर्ण प्रावधान वित्तीय वर्ष के अंत में अभ्यर्पित किए गये, जैसा कि **तालिका 3.23** में दिया गया है:

तालिका 3.23: गत तीन वर्षों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के तहत प्रावधानों का अनुपयोजित रहना

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
1.	2225-03-196-18-01 छात्रावास में रहने वालों को साईकिल वितरण	0.50	0.25	0.25
2.	2225-04-190-03 राजस्थान अल्प संख्यक वित्त एवं विकास निगम को ब्याज पर अनुदान	0.20	0.20	0.50
3.	2235-02-103-20-01 मिशन ग्राम्य शक्ति	10.60	7.35	2.21
4.	2235-02-196-19-14 भिक्षावृत्ति में संलिप्त लोगों के पुनर्वास के लिए अनुदान	0.20	0.10	0.05
5.	4235-02-103-09 महिला स्वयं सहायता समूहों के भवन का निर्माण	0.12	0.12	1.00
6.	4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवनों का निर्माण	7.00	8.00	7.00
	योग	18.62	16.02	11.01

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (फरवरी 2021) कि साईकिल आपूर्ति के लिए संवेदकों द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं लेन, गैर-सरकारी संघठनों से पुनर्वास गृहों के संचालन के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना और छात्रावास भवनों के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी नहीं करना, अनुपयोजन के कारण थे।

पुनर्विनियोग/अभ्यर्पण के बाद व्यय

राबनि के अनुसार संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी विनियोग के अभ्यर्पण के बाद हुए किसी भी व्यय के लिए जिम्मेदार है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन कर पुनर्विनियोजन/अभ्यर्पण के बाद बजट शीर्ष 2235-60-800-03-01-मिसा/डीआईआर कैदियों (प्रतिबद्ध) को पेंशन से सम्बन्धित राशि ₹ 13.83 लाख व्यय की गई।

अनुदान में टोकन प्रावधान

यह दर्शित हुआ कि वर्ष 2019-20 में, इस अनुदान के तहत कुल 313 शीर्षों में से 93 शीर्षों में जिनमें टोकन प्रावधान किया गया था, जो कि टोकन प्रावधानों के रूप में बने हुए थे एवं वित्तीय वर्ष के अंत में

टोकन प्रावधान या तो अभ्यर्पित किये गये या बजट अंतिमीकरण समिति (बीएफसी) की बैठक के दौरान संशोधित अनुमानों में शून्य कर दिये गये।

गत बजट भाषण में घोषित योजनाओं की स्थिति

बजट भाषण घोषणाओं और उनकी वर्तमान स्थिति का विवरण **तालिका 3.24** में दिया गया है:

तालिका 3.24: गत बजट भाषण में प्रमुख योजना की घोषणाएँ

क्र.सं.	बजट भाषण में की गई संक्षिप्त घोषणाएँ	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
1.	<p>वर्ष 2015-16 के बजट भाषण के दौरान, राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चयनित ब्लॉकों में ₹ 44.75 करोड़ का प्रस्ताव रखा, जहां अधिकांश आबादी अल्पसंख्यकों की थी:</p> <ol style="list-style-type: none"> जैसलमेर जिले के सम ब्लॉक में चार और सकरा ब्लॉक में 10 सार्वजनिक स्वास्थ्य उप केन्द्रों का निर्माण। अलवर जिले के किशनगढ़बास, लक्ष्मणगढ़; नगर-भरतपुर जिले; सेदवा (चौहटन), बाड़मेर जिला; हनुमानगढ़ जिले और टोंक जिले में 6 आईटीआई भवनों का निर्माण। ₹ 9 करोड़ की लागत से जोधपुर, कोटा, रामगढ़ (अलवर) और फतेहपुर (सीकर) में चार नए छात्रावास भवनों का निर्माण किया जाना था। 	<p>विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2020) कि:</p> <ol style="list-style-type: none"> लक्ष्य (14) के विरुद्ध, 13 जन स्वास्थ्य उप-केन्द्रों के कार्य पूर्ण कर लिए थे जिन पर ₹ 3.08 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹ 2.20 करोड़ व्यय किया गया था। इसके अलावा, एक काम निरस्त कर दिया गया था। पांच आईटीआई भवनों के निर्माण कार्य पूरे किए गए, जिसके लिए स्वीकृत राशि ₹ 28.32 करोड़ के विरुद्ध ₹ 24.49 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके अलावा, टोंक जिले में एक काम चल रहा है। लक्ष्य (4) के विरुद्ध, तीन छात्रावास भवनों को पूर्ण कर लिया गया, जिसके लिए ₹ 7.08 करोड़ की स्वीकृत राशि के विरुद्ध ₹ 5.92 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके अलावा एक काम फतेहपुर (सीकर) शुरू नहीं हो सका।
2.	<p>बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने 82 छात्रावासों की चारदीवारी, 41 छात्रावासों में शौचालय, 27 छात्रावासों में स्नानघर आदि के लिए ₹ 7.98 करोड़ का प्रस्ताव किया।</p>	<p>विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि प्रस्तावित राशि ₹ 7.98 करोड़ के विरुद्ध, 74 कार्यकारी एजेन्सियों (पंचायत समितियों तथा नगर निकायों) को ₹ 4.78 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी थी और राशि उनके पीडी स्वातों में हस्तांतरित की गई है। इनमें से, ₹ 1.06 करोड़ के उपयोगिता प्रमाणपत्र कार्यकारी एजेन्सियों से प्राप्त कर लिए गए थे।</p>
3.	<p>बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले में ग्राम पंचायत जैसंदर में 280 छात्राओं की क्षमता वाले दो निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयों (एक अनुसूचित के लिए तथा एक सभी वर्गों की छात्राओं जाति के छात्रों के लिए) के संचालन के लिए ₹ 4.44 करोड़ प्रस्तावित किया।</p>	<p>विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2020) कि निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है और जिला न्यायाधीश, बाड़मेर से निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर शैक्षिक सत्र 2021-22 से विद्यालय संचालित किये जा सकते हैं। तथ्य यह है कि विद्यालय संचालित नहीं किये जा सके जबकि शैक्षिक सत्र 2016-17 से विद्यालय के संचालन की घोषणा की गयी थी।</p>
4.	<p>बजट भाषण 2016-17 के दौरान, राज्य सरकार ने आगामी 3 वर्षों के लिए सरकारी भवनों में संचालित किए जा रहे आंगन बाड़ी केंद्रों के सुदृढीकरण और रखरखाव के लिए ₹ 75 करोड़ का प्रस्ताव किया।</p>	<p>विभाग ने सूचित किया (अगस्त 2020) कि वर्ष 2016-17 के दौरान लक्ष्य (4,381) के विरुद्ध 2,296 कार्य पूर्ण किए गए और जिसके विरुद्ध ₹ 20.95 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके अलावा, 670 कार्य शुरू नहीं किए जा सके। वर्ष</p>

क्र.सं.	बजट भाषण में की गई संक्षिप्त घोषणाएँ	विभाग द्वारा की गई अनुवर्ती कार्यवाही की स्थिति
		2017-18 के दौरान, ₹ 16.84 करोड़ की राशि जिला परिषद के पीडी स्वातों में हस्तांतरित की गई, जिसके विरुद्ध मात्र ₹ 1.09 करोड़ व्यय किए गए और लक्ष्य (2,265) के विरुद्ध 122 कार्य पूर्ण किए गए। वर्ष 2018-19 के दौरान, वित्त विभाग द्वारा कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई। तीन वर्षों में, प्रस्तावित कुल ₹ 75 करोड़ के विरुद्ध राशि ₹ 48.42 करोड़ स्वीकृत की गई है, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा मात्र ₹ 22.05 करोड़ व्यय किए गए और 6,646 कार्यों के लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 2,418 कार्य पूर्ण किए गए हैं।
5.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए आकस्मिक निधि के रूप में ₹ एक करोड़ के साथ “दिव्यांग कोष” की स्थापना की घोषणा की।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि वित्त विभाग के निर्देशों के अनुपालन में विकलांग अधिनियम 2016 की धारा 101 के तहत प्रारूप नियम तैयार किये जा रहे हैं और राजपत्र में प्रकाशन की प्रक्रिया चल रही है जिसके बाद “दिव्यांग कोष” की स्थापना की जाएगी।
6.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिलों में प्रत्येक छात्रावास में 100 लड़कियों की क्षमता के (प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रही है) बहुउद्देश्य छात्रावासों के निर्माण के लिए ₹ 12 करोड़ का प्रस्ताव किया।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में छात्रावासों की स्थापना के लिए वित्तीय स्वीकृति अक्टूबर 2020 में जारी की गई है। डूंगरपुर जिले में कॉलेज परिसर में छात्रावास (पहले से निर्मित छात्रावास) संचालित है।
7.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लड़के और लड़कियों के लिए जो बांसवाड़ा में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, के लिए दो अलग आवासीय छात्रावासों की स्थापना के लिए ₹ 8 करोड़ का प्रस्ताव रखा।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि जनवरी 2019 में वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई है। अगस्त 2020 तक मात्र ₹ 3.14 करोड़ की राशि व्यय की गई थी। कार्यकारी एजेंसी (राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड) द्वारा कार्य निर्धारित तिथि 27 दिसम्बर 2019 के विरुद्ध जून 2021 तक पूर्ण किया जाना संभावित है।
8.	बजट भाषण 2018-19 के दौरान, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति क्षेत्रों में खेल के प्रदर्शन में सुधार के लिए पांच खेल छात्रावासों का खेल अकादमियों के रूप में उन्नयन करने के लिए ₹ 5 करोड़ का प्रस्ताव दिया।	विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2020) कि मई 2018 में कार्यों की स्वीकृतियां जारी कर दी गई है। कार्यकारी एजेंसी (स्वच्छ परियोजना) द्वारा तकनीकी अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

उपरोक्त तालिका में प्रदर्शित विवरण कार्य की धीमी गति और बजट भाषण घोषणाओं की असंतोषजनक प्रगति का संकेत देता है।

इन योजनाओं/कार्यक्रमों पर निधियों का कम/उपयोग नहीं करना न केवल आगामी वर्षों में राजकोषीय बोझ को बढ़ाता है, बल्कि देरी और लाभार्थियों को लाभ से वंचित रखने का कारण भी बनता है।

3.6 प्रशंसनीय कदम

बजट प्रबंधन के पहलू जिनमें राज्य सरकार द्वारा प्रगति की गई नीचे दिए गए हैं:

- गत वर्षों की तुलना में अनुपूरक अनुदान पर कम जोरा।
- गत तीन वर्षों के दौरान किसी भी अनुदान में बजट प्रावधान से अधिक व्यय का कोई उदाहरण नहीं है।
- गत तीन वर्षों के दौरान आकस्मिकता निधि से कोई विनियोग नहीं किया गया।
- वित्तीय वर्ष के समापन से पहले सभी पुनर्विनियोजन आदेशों और अभ्यर्पण आदेशों का प्रस्तुतिकरण।
- वर्ष के अंत से पहले अधिकांश बचतों का अभ्यर्पण।
- सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा प्राप्तियों और व्यय का 100 प्रतिशत अंकमिलान करना।

3.7 सिफारिशें

- i. अत्यधिक बचतों को टालने, खासकर जहां निरन्तर बचतों के उदाहरण देखे गए हैं और अनुपूरक प्रावधानों को कम करने के लिए जो अनुपयोजित रहते हैं, के लिए बजट नियंत्रण प्रणाली, विशेष रूप से मासिक व्यय नियंत्रण और निगरानी तंत्र को मजबूत किया जा सकता है।
- ii. सरकार समय पर निधियों का अभ्यर्पण सुनिश्चित कर सकती है ताकि अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता वाले अन्य शीर्षों में उनका उपयोग किया जा सके। विलम्ब से अभ्यर्पण ने कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निधियों की उपलब्धता और परिणामों को प्रभावित किया। निधियों के अत्यधिक/अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोजन से भी बचा जा सकता है।
- iii. राज्य सरकार द्वारा बजट कार्यान्वयन के उचित क्रियान्वयन और अनुश्रवण को सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त नियंत्रण प्रणाली स्थापित किए जाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अनुदान/विनियोजन के भीतर बड़ी बचतें नियंत्रित हो, और प्रत्याशित बचतों की पहचान की जा सके और निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अभ्यर्पित किया जावे। इस संबंध में आईएफएमएस का इष्टतम उपयोग लाभदायी हो सकता है।
- iv. बजट के उचित विश्लेषण और आगामी विनियोग लेखों की सटीक तैयारी में सहायता के लिए बजट आवंटन से व्यय के विचलन के स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए बजट नियंत्रक अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारी से अवगत कराने की आवश्यकता है।

अध्याय-IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रस्तावना

सुदृढ आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी सहित राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग में गुणवत्ता और समबद्धता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्टिंग यदि प्रभावी और कार्यात्मक है तो सरकार को रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित अपनी आधारभूत नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलती है।

यह अध्याय, वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

4.1 राज्य सरकार के ऋणों को समेकित निधि में जमा नहीं करना

4.1.1 राज्य सरकार के बजट से इतर उधार और बढ़ती आकस्मिक देयताएं

राज्य सरकार भारत क्षेत्र के अन्दर राज्य की समेकित निधि की प्रत्याभूति पर उधार ले सकती है और ऐसी उधार की सीमा संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के अन्तर्गत विनियमित होती है। इन उधारों के अतिरिक्त राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिये जिला परिषदों/कम्पनियों/निगमों द्वारा बाजार/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों की प्रत्याभूति देती है, जो राज्य के बजट के बाहर प्रदर्शित होते हैं। यद्यपि, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि इन कार्यक्रमों के लिये जुटाई गई निधियां इन जिला परिषदों/कम्पनियों/निगमों द्वारा जुटाये गये संसाधनों से चुकाई जायेगी जबकि ऐसे कई उधारों का सरकार द्वारा ही पुनर्भुगतान किया जाता है और अंत में यह राज्य सरकार की देनदारियां बन जाती हैं। इस प्रकार, इन्हें 'बजट से इतर उधार' कहा जा सकता है क्योंकि ये बजट में शामिल नहीं होते हैं एवं विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। राजस्थान में ऐसे दो उदाहरण देखे गये हैं जो नीचे दिये गये हैं:

- वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने अवगत कराया (जुलाई 2020) कि वर्ष 2011-12 से राज्य सरकार ने जिला परिषदों द्वारा मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे (सीएमबीपीएल) आवास योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों के निर्माण हेतु शहरी आवास विकास निगम (हुडको) से लिए गए ऋण राशि ₹ 3,948.66 करोड़ के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दी। राज्य सरकार इन ऋणों के विरुद्ध मूलधन एवं ब्याज का भुगतान कर

रही है। लेखापरीक्षा संवीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा ₹ 433.36 करोड़ (₹ 235.88 करोड़ मूलधन एवं ₹ 197.48 करोड़ ब्याज) 31 जिला परिषदों द्वारा सीएमबीपीएल आवास योजना के लिये हुडको से लिए गए ऋण के मूलधन एवं ब्याज के भुगतान के लिए उनके निजी निक्षेप खातों में हस्तांतरित किये। वर्ष 2019-20 के प्रारम्भिक शेष ₹ 2,137.42 करोड़ के विरुद्ध वर्ष के दौरान राशि ₹ 235.88 करोड़ की प्रत्याभूति का समायोजन करते हुए वर्ष के अन्त में बकाया प्रत्याभूति ₹ 1,901.54 करोड़ रही।

- वर्ष 2019-20 के बजट भाषण की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर ने राजस्थान सरकार की प्रत्याभूति पर ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स से कृषक कल्याण कोष के लिये राशि ₹ 1,000 करोड़ का ऋण प्राप्त किया। इस ऋण के मूलधन एवं उपार्जित ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्थान सरकार द्वारा जिम्मेदारी ली गयी। इस प्रकार, ऋण के पुनर्भुगतान का समस्त उत्तरदायित्व राजस्थान सरकार का है बोर्ड का नहीं, हालांकि देयता का उल्लेख राज्य सरकार के लेखों में नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के दौरान राज्य सरकार ने इन ऋणों के ब्याज के भुगतान के लिये राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड को ₹ 22.00 करोड़ का अनुदान जारी किया था।

तालिका 4.1: 31 मार्च 2020 को बजट से इतर उधार

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	राशि
अ .	(i) राज्य सरकार की ओर से जिला परिषदों द्वारा उधार जहाँ मूलधन एवं ब्याज राज्य के बजट से इतर रखे जाते हैं ।	1,901.54
	(ii) राज्य सरकार की ओर से राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा उधार जहाँ मूलधन एवं ब्याज राज्य के बजट से इतर रखे जाते हैं ।	1,000.00
	योग	2,901.54

तालिका 4.2: बजट से इतर उधार की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राशि	जीएसडीपी का प्रतिशत
2017-18	2,372.91	0.28
2018-19	2,137.42	0.23
2019-20	2,901.54	0.28

इस प्रकार, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान बजट से इतर उधार ₹ 764.12 करोड़ से बढ़ गये। इस प्रकार, बजट से इतर उधारों के कारण राज्य सरकार की देनदारी/उधारी को लेखों में कम आंका गया।

4.2 निधियां सीधे ही राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तान्तरित

केन्द्र सरकार सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये बड़ी मात्रा में निधियां सीधे ही राज्य की कार्यकारी एजेंसियों (आईए)¹ को हस्तान्तरित करती है। इन निधियों को राज्य के वित्त लेखों में नहीं दर्शाया जाता है, चूंकि इन निधियों का अंतरण राज्य बजट/कोषालय के माध्यम से नहीं किया जाता है एवं राज्य की प्राप्तियों और व्यय के साथ उनसे व्युत्पन्न अन्य राजकोषीय चरों/मापदंडों की सम्पूर्ण स्थिति का इस स्तर तक प्रतिनिधित्व नहीं करते। इस प्रकार, केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वर्ष 2014-15 से सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और खंड अनुदानों के अन्तर्गत योजनागत सहायता को राज्य योजना को केन्द्रीय सहायता के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा और राज्य की समेकित निधि के माध्यम से कार्यकारी एजेंसी को हस्तान्तरित की जायेगी।

यद्यपि, वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 9,483.87 करोड़ की केन्द्रीय निधि सीधे राज्य की कार्यकारी एजेंसियों को हस्तान्तरित की गयी। इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिये राशि ₹ 5,427.78 करोड़, प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (पी एम-किसान) के लिये ₹ 3,284.17 करोड़, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के लिये ₹ 170.00 करोड़, सोलर पावर आफ ग्रिड/डिस्ट्रीब्यूटेड एवं डी-सेन्ट्रलाईज रिन्यूवेबल पावर के लिये ₹ 88.12 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिये ₹ 87.80 करोड़ और राज्य एजेंसियों को सहायतार्थ एनएफएसए के अन्तर्गत एफपीएस डीलरों को स्वाद्यान्नों के अंतर्राज्यीय आवागमन के लिये सहायता ₹ 78.35 करोड़ हस्तान्तरित की। सीधे राज्य कार्यकारी एजेंसियों को हस्तान्तरित निधियों की मात्रा नीचे तालिका 4.3 में दी गई है और विवरण परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है।

तालिका 4.3: वर्ष 2013-20 के दौरान भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यकारी एजेंसियों को हस्तान्तरित निधियां (₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
राशि	8,571.62	561.46	615.47	3,799.71	3,946.78	4,648.31	9,483.87

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि केन्द्र सरकार से राज्य कार्यकारी एजेंसियों को सीधे हस्तान्तरण में कमी केवल वर्ष 2014-15 के दौरान दर्ज की गई जबकि इसके बाद हस्तान्तरण में लगातार वृद्धि हुई है।

4.3 स्थानीय निधियों की जमा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 64 के अनुसार जिला परिषद (जेडपी), पंचायत समिति (पीएस), एवं ग्राम पंचायत (जीपी) क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि की जमा-109 पंचायत निकाय निधियों के अन्तर्गत) का रखरखाव करती है, जिसमें अधिनियम के तहत वसूल हुई या वसूली योग्य राशि और पंचायती राज

1. कार्यकारी एजेंसियों में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करते हुए वे संगठन/ संस्थाएं सम्मिलित हैं जिनको राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।

संस्थाओं द्वारा भिन्न रूप में प्राप्त समस्त धनराशियां, जैसे कि केन्द्रीय वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार से प्राप्त राशि और उनके स्व-राजस्व, जिसमें पंचायतों की कर प्राप्तियां और कर-भिन्न प्राप्तियां शामिल है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 यह परिकल्पित करती है कि नगरपालिका निधि को नगरपालिका द्वारा धारित किया जाता है एवं अधिनियम के तहत वसूल हुई या वसूली योग्य राशि और नगर पालिका द्वारा भिन्न रूप में प्राप्त समस्त धनराशि को नगरपालिका निधि के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 8448-स्थानीय निधि को जमा-102 नगरपालिका निधि में रखा जाता है।

31 मार्च 2020 को पंचायती राज संस्थानों में स्थानीय निधियों एवं नगरपालिका निधि में जमाओं की स्थिति तालिका 4.4 में दी गई है।

तालिका 4.4: स्थानीय निधियों को जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जिला परिषद निधि (8448-109-03)				पंचायत समिति निधि (8448-109-02)				वर्ष के अंत में कुल अन्तिम शेष	नगरपालिका निधि (8448-102)			
	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम शेष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम शेष		प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	व्यय	अन्तिम शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(5+9)=10	11	12	13	14
2012-13	1,104.83	2,356.16	2,044.31	1,416.68	470.2	884.48	704.67	650.01	2,066.69	337.78	1,545.16	1,284.08	598.86
2013-14	1,416.68	2,619.37	2,578.78	1,457.27	650.01	1,568.13	1,473.86	744.28	2,201.55	598.86	1,637.98	1,688.86	547.98
2014-15	1,457.27	2,732.06	2,753.13	1,436.20	744.28	1,289.63	1,140.81	893.1	2,329.30	547.98	1,841.45	1,772.50	616.93
2015-16	1,436.20	4,412.58	3,879.91	1,968.87	893.1	1,091.19	967.73	1,016.56	2,985.43	616.93	2,217.67	1,903.89	930.71
2016-17	1,968.87	3,044.50	3,330.05	1,683.32	1,016.56	1,546.68	1,283.19	1,280.05	2,963.37	930.71	2,647.54	2,160.13	1,418.12
2017-18	1,683.32	2,220.82	2,032.13	1,872.01	1,280.05	1,599.99	1,430.26	1,449.78	3,321.79	1,418.12	2,351.12	2,117.23	1,652.01
2018-19	1,872.01	1,781.83	2,144.98	1,508.86	1,449.78	1,776.44	1,762.27	1,463.95	2,972.81	1,652.01	2,527.25	2,775.08	1,404.17
2019-20	1,508.86	1,198.28	1,407.07	1,300.07	1,463.95	3,205.03	3,496.43	1,172.55	2,472.62	1,404.17	2,874.08	2,835.52	1,442.73

स्रोत: राज्य का बजट व वित्त लेखे।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2013-20 के दौरान जिला परिषद निधियों, पंचायती समिति निधियों और नगरपालिका निधियों में उल्लेखनीय शेष था। वर्ष 2019-20 के दौरान इन निधियों में अंतिम शेष क्रमशः ₹ 1,300.07 करोड़, ₹ 1,172.55 करोड़ और ₹ 1,442.73 करोड़ था।

ग्राम पंचायतें अनुसूचित बैंक की निकटतम शाखा में स्वाते संचालित करती है। ग्राम पंचायतों के इन स्वातों में पड़ी अनुपयोजित निधियों की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इनका विवरण न तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर संकलित किये गये थे और न ही कोषालय लेखों में उपलब्ध कराये गये।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने सूचित किया (मार्च 2020) कि लेखापरीक्षा आक्षेपों की अनुपालना में ग्राम पंचायतों के स्वातों में अनुपयोजित निधियों के विवरण को पंचायत समिति या जिला परिषद के स्तर पर संकलित करने के लिए फिर से दिशानिर्देश फरवरी 2020 में जारी किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, वित्त विभाग ने बजट परिपत्र (सितम्बर 2020) के माध्यम से आईएफएमएस के

भुगतान प्रबन्धक माड्यूल में सभी पीडी खातों की जानकारी प्रदान करने, आगे की जांच नियंत्रण अधिकारी द्वारा करने और निष्क्रिय बैंक खातों को बन्द करने के निर्देश दिये। यद्यपि, इन आदेशों की अनुपालना की स्थिति विभाग द्वारा प्रदान नहीं की गयी।

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सा वि एवं ले नि), 2012 के नियम 284 एवं 286 में निर्धारित किया गया है कि विशिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रदान किये गये अनुदानों² के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राही से प्राप्त किये जाने चाहिये तथा सत्यापन के बाद, उनकी स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर, जब तक की अन्यथा निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रेषित किये जाने चाहिये। इसी प्रकार, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिये प्रदान की गई निधियों के संबन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को प्रेषित किया जाना आवश्यक है, जहां अनुदान विशिष्ट प्रयोजनों के लिये प्रदान किया गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 34,862.16 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान जारी किया, जिसमें से ₹ 28,372.38 करोड़ कार्यात्मक शीर्ष 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन) और ₹ 799.14 करोड़ 93-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान के अंतर्गत जारी किये।

वर्ष 2004-05 से 2018-19 की अवधि के दौरान, विभिन्न विभागों से मई 2020 तक कुल ₹ 940.61 करोड़ के 770 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे जैसा कि तालिका 4.5 में उल्लेखित है। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से, 581 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की राशि ₹ 914.30 करोड़ पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान से संबंधित हैं। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का आयु-वार विवरण नीचे तालिका में सारान्शीकृत है।

तालिका 4.5: आयु-वार बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		प्रस्तुतिकरण के लिए बकाया	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2016-17 तक	104	9.32	31	42.14	73	49.12	62	2.34
2017-18	62	2.34	308	51.32	175	47.69	195	5.97
2018-19	195	5.97	808	970.44	233	35.80	770	940.61

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना।

2. सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 285(4) के अनुसार, सामान्य उद्देश्य के अलावा जारी अनुदान यथा राज्य निधि या केन्द्रीय सहायता योजनान्तर्गत वेतन एवं स्थापना व्यय (₹ 5690.64 करोड़) हेतु जारी अनुदानों जहाँ उपयोगिता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है।

तालिका 4.6: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्रों की संख्या	राशि
2004-05	1	0.12
2009-10	2	0.01
2010-11	6	0.10
2011-12	8	0.18
2012-13	10	0.11
2013-14	8	0.06
2014-15	3	0.01
2015-16	5	0.11
2017-18	128	3.94
2018-19	599	935.98
योग	770	940.61

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) कार्यालय द्वारा संकलित सूचना।

प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, मई 2020 तक लम्बित 770 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से दिसम्बर 2020 तक विभिन्न विभागों से 137 उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

उपयोगिता प्रमाण पत्रों की बकाया राशि का लगभग 97.66 प्रतिशत मुख्यतः परिवार कल्याण विभाग (₹ 260.67 करोड़), पंचायती राज विभाग (₹ 236.64 करोड़), चिकित्सा विभाग (₹ 55.32 करोड़) तथा शहरी विकास विभाग (₹ 28.81 करोड़) से सम्बन्धित थी। बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विभागवार विभाजन नीचे तालिका 4.7 में सारान्शीकृत और चार्ट 4.1 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.7: विभाग-वार बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों की स्थिति


(₹ करोड़ में)

विभाग के नाम	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	राशि
परिवार कल्याण विभाग, जयपुर	22	260.67
शहरी विकास, जयपुर (स्थानीय स्वशासन)	33	28.81
पंचायती राज विभाग, जयपुर	372	236.64
चिकित्सा विभाग, जयपुर	10	55.32
शिक्षा विभाग, जयपुर	4	7.41
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, जयपुर	2	0.29
वन विभाग, जयपुर	3	0.66
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	18	5.06
तकनीकी शिक्षा विभाग, जयपुर	2	0.54
योग	633	595.40

स्रोत: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना।

चार्ट 4.1: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)



लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात होता है कि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में अनिवार्य होने पर भी लेखों में शामिल करने के लिए स्वीकृतियां और उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रतियां कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक) को प्रेषित नहीं की जा रही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2020) कि अधीनस्थ कार्यालयों से लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अन्य संबंधित विभागों के उत्तर प्रतीक्षित हैं।

निर्दिष्ट अवधि से अधिक बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करते हैं, बल्कि नियत उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता को भी इंगित करते हैं। समय पर उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विफलता, भारत सरकार से आगामी किश्तों के जारी नहीं होने का भी कारण बनती है जो राज्य में योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करती है।

4.4.1 अनुदानग्राही संस्था को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना

सहायतार्थ अनुदान (जीआईए) एक सरकारी निकाय/संस्था/व्यक्ति द्वारा किसी अन्य सरकारी निकाय/संस्था/व्यक्ति को सहायता, दान या योगदान के रूप में भुगतान है। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान को तीन कार्यात्मक शीर्षों में विभाजित किया गया है, जैसे (i) 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन); (ii) 92-सहायतार्थ अनुदान (वेतन); और (iii) 93- पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायतार्थ अनुदान।

लेखा परीक्षा और लेखाओं पर संशोधित विनियम, 2007 के विनियम 88 यह प्रावधान करता है कि सरकार और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकारियों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, ऐसे निकाय और प्राधिकारी जिन्हें अनुदान और/या ऋण ₹ 10 लाख या अधिक का भुगतान पूर्ववर्ती वर्ष

के दौरान किया गया था, का एक विवरण (अ) सहायता की राशि (ब) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी और (स) निकाय या प्राधिकारी का कुल व्यय दर्शाते हुए लेखापरीक्षा कार्यालय में प्रत्येक वर्ष जुलाई के अंत तक प्रस्तुत करेगा।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे 2019-20 के अनुसार, सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल व्यय का 21.2 प्रतिशत था और वर्ष के दौरान कुल सहायतार्थ अनुदान ₹ 41,024.82 करोड़ में से ₹ 10,222.30 करोड़ (24.92 प्रतिशत) की राशि 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को संवितरित की गई थी, जहाँ 'अन्य' का तात्पर्य विभिन्न सरकारी विभागों से है जैसाकि नीचे तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8: संस्थानों को वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
1.	पीआरआई, यूएलबी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, गैर-सरकारी उपक्रम, स्वायत्त निकाय, सहकारी समिति और संस्थान एवं सांविधिक निकाय और विकास प्राधिकरण	22,287.29	21,142.87	25,223.22	24,837.17	30,802.52
2.	अन्य	9,437.52	11,749.33	9,761.88	10,025.04	10,222.30
	कुल अनुदान	31,724.81	32,892.20	34,985.10	34,862.21	41,024.82
	कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत	29.75	35.72	27.90	28.76	24.92
3.	राज्य का कुल व्यय	1,64,887	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458
4.	कुल अनुदान का राज्य के कुल व्यय से प्रतिशत	19.24	20.94	20.85	18.59	21.21

स्रोत: वित्त लेखे।

उपरोक्त तालिका दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान 'अन्य' को दिये गये अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान का 24.92 प्रतिशत से 35.72 प्रतिशत के मध्य था। इसके अलावा, तालिका यह भी दर्शाती है कि वर्ष 2015-16 से 2019-20 की अवधि के दौरान कुल अनुदान का कुल व्यय से प्रतिशत 18.59 प्रतिशत से 21.21 प्रतिशत रहा।

इसलिए, 'अन्य' प्रकार के संस्थानों को सहायतार्थ अनुदान, राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाता है। अनुदानग्राही संस्थान के उपयुक्त लेखांकन का अभाव वित्तीय रिपोर्टिंग/लेखों की पारदर्शिता पर नकारात्मक प्रभाव रखता है।

4.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल

सारांशीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमितता

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 219 के अनुसार, सेवा शीर्षों को नामे कर सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तैयार करके कुछ राशि आहरित करने के लिए नियंत्रण और संवितरण अधिकारियों को अधिकृत किया गया है तथा विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में

वाउचर) को कोषालय के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हक) को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। नियम 219 के अंतर्गत डीसी बिल के प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया निर्धारित है, जिसके अनुसार डीसी बिल जहाँ सक्षम प्राधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर अनिवार्य हैं, उद्देश्य पूर्ण होने के तुरंत बाद नियंत्रक अधिकारी को भेजा जाना आवश्यक है, लेकिन आगामी माह की 10 तारीख के बाद नहीं। नियंत्रक अधिकारी विस्तृत संवीक्षा के उपरांत बिल को प्रतिहस्ताक्षरित करेगा और डीसी बिल के प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर बिल को आहरण एवं संवितरण अधिकारी को लौटायेगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी सम्बन्धित कोषालय अधिकारी को बिल प्रस्तुत करेगा। संवीक्षा के उपरांत, कोषालय अधिकारी तीन दिनों के भीतर बिल को महालेखाकार को भेजेगा। जिन प्रकरणों में प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं, डीसी बिल सीधे ही कोषालय अधिकारी को भेजा जायेगा। इसके आलावा, नियम 220(1) आगे एसी बिलों के आहरण से तीन महीने की अवधि के भीतर डीसी बिलों को प्रस्तुत करना उपबंधित करता है (सिवाय विदेश से मशीनरी/उपकरण और अन्य सामान साख पत्र द्वारा क्रय के प्रकरणों में, जहां डीसी बिल सक्षम अधिकारी को एसी बिल आहरित किये जाने के छह महीने में प्रस्तुत किए जायेंगे)।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि मई 2020 को राज्य सरकार द्वारा आहरित किये गए ₹ 55.49 करोड़ के 202 बिलों के संबंध में डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये। बकाया डीसी बिलों का वर्षवार विवरण निम्नलिखित तालिका 4.9 में दिया गया है:

तालिका 4.9: डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में देरी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया डीसी बिल	डीसी बिलों की राशि
मार्च 2011 तक	6	2.93
2012-13	1	1.04
2014-15	3	2.47
2016-17	3	2.61
2017-18	4	24.37
2018-19	18	5.40
2019-20	167	16.67
योग	202	55.49

स्रोत: वित्त लेखे और कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा संकलित सूचना।

तालिका 4.10: बकाया डीसी बिलों की आयु वार स्थिति

(₹ करोड़ में)


आयु	बकाया डीसी बिलों की संख्या	राशि
20 से 30 वर्षों के मध्य	5	0.01
11 से 15 वर्षों के मध्य	1	2.92
5 से 10 वर्षों के मध्य	4	3.51
1 से 5 वर्षों के मध्य	25	32.38
0 से 1 वर्ष के मध्य	167	16.67

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है कि राशि ₹ 2.93 करोड़ के छह बिल 11 से 30 वर्षों के लिए लंबित थे और राशि ₹ 35.89 करोड़ के 29 बिल एक से 10 वर्षों से लंबित थे।

वित्त विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि नवम्बर 2020 को राशि ₹ 39.55 करोड़ के 64 डीसी बिल बकाया थे।

लंबित एसी बिलों के मुख्य शीर्ष-वार विवरण के साथ-साथ नवम्बर 2020 तक की अवधि के लिए बकाया राशि को निम्नलिखित चार्ट 4.2 में प्रस्तुत किया गया है और परिशिष्ट 4.2 में वर्णित है।

चार्ट 4.2: बकाया डीसी बिलों की विभाग वार स्थिति



इसके अलावा, वर्ष 2019-20 के दौरान 905 एसी बिल (₹ 76.83 करोड़) आहरित किये गए जिनमें से ₹ 1.17 करोड़ के 35 बिल (3.87 फीसदी) मार्च में आहरित किये गये। पुलिस विभाग (राशि ₹ 0.39 करोड़ के छः बिल) और राहत विभाग (राशि ₹ 0.36 करोड़ के चार बिल) द्वारा उल्लेखनीय राशि ₹ 0.75 करोड़ आहरित की गई।

(i) डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करना

लेखा परीक्षा संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2019 तक की अवधि के 30 एसी बिल 1 से 30 वर्ष तक की अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी असमायोजित रहे। विवरण निम्न तालिका 4.11 में दिया गया है।

तालिका 4.11: डीसी बिलों को प्रस्तुत नहीं करना

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा प्रस्तुत विलम्ब के कारण/लेखापरीक्षा आक्षेप
1.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055	283/6.1.2015 395/27.3.2015 368/29.3.2017 421/28.3.2018 348/9.2.2018 347/9.2.2018 285/13.3.2019 286/13.3.2019	57.00 180.50 239.00 66.50 83.50 161.50 261.40 161.97	अधिकतर यंत्र खरीदे जा चुके हैं। बजट की कमी और तकनीकी अयोग्यता के कारण कुछ मामलों में आदेश नहीं दिए जा सके और दोबारा टेंडर किये जाने थे।
2.	प्रशासनिक अधिकारी, एनसीसी	2204	77/21.12.2018	2.64	निदेशालय एनसीसी से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त नहीं होना।

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	मुख्य शीर्ष	एसी बिल संख्या एवं दिनांक	राशि	विभाग द्वारा प्रस्तुत विलम्ब के कारण/लेखापरीक्षा आक्षेप
	मुख्यालय, जयपुर				
3.	राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर	2051	299/6.10.2016	2.00	कार्मिक विभाग से पत्राचार प्रक्रियाधीन है।
4.	सहायक निदेशक, डाईट, जालौर	2202	63/6.2.91	0.30	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार एसी बिल आहरित नहीं किया गया।
5.	उप निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	3425	1076/15.3.2019 1075/15.3.2019 1077/15.3.2019	8.00 2.00 6.00	चार जिलों के 72 स्कूलों से वाउचर प्राप्त नहीं होने के कारण डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये गये।
6.	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	4202	66/13.6.1992 59/27.2.1991	0.24 0.30	कार्यालय रिकार्ड के अनुसार एसी बिल आहरित नहीं किये गये।
7.	राजस्व मंडल, अजमेर	2029	182/5.3.2008	292.00	एनआईसीएसआई, नई दिल्ली से ₹ 15.64 लाख की वसूली लंबित होने के कारण, डीसी बिल लंबित है। विभाग द्वारा वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।
8.	कलक्टर, डीएमआरडी, अलवर	2245	813/19.3.2013	103.50	गबन की राशि जमा न करना एवं अन्य योजनाओं को भुगतान के लिए विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं करना।
9.	प्राचार्य एवं अतिरिक्त प्राचार्य एस पी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	4210	1487/30.3.2018	2125.67	विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि मशीन के अपूर्ण स्थापन एवं प्रदर्शन कार्य के कारण डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किया जा सका।
10.	प्राचार्य डाईट, बीकानेर	2202	356/22.1.1990	0.30	विभाग ने सूचित किया (नवम्बर 2020) कि कार्यालय रिकार्ड के अनुसार एसी बिल आहरित नहीं किया गया।
11.	राजस्व मंडल, अजमेर	2029	512/14.10.2019	52.00	₹ 31.83 लाख के बिल प्रस्तुत किये जा चुके हैं विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि राजस्व मंडल से अनुपालना अपेक्षित है।
12.	जिला प्रोढ़ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	2202	112/22.3.1997	0.08	विभाग द्वारा कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये गए।

*जून 2020 से अक्टूबर 2020 के दौरान समायोजित किये गए पांच एसी बिल गत वर्षों से, जैसाकि **तालिकाओं 4.9** और **4.10** में दर्शाया गया है, से सम्बंधित हैं।

विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए कारण स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि डीसी बिल को प्रस्तुत नहीं करना विभाग के साथ-साथ कोषालयों में अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

राज्य की समेकित निधि में कार्यात्मक लेखा शीर्ष के विरुद्ध एसी बिल के माध्यम से आहरित राशि का लेखांकन होता है। जब तक डीसी बिलों के माध्यम से निर्धारित समय के भीतर खातों का निपटान नहीं हो जाता, तब तक व्यय उस सीमा तक बढ़ जाता है।

(ii) *विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलंब*

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (सा वि एंव ले नि), 2012 के नियम 8 (2) में निर्धारित किया गया है कि निधियों का आहरण तभी किया जावे जब तत्काल भुगतान किया जाना हो एवं व्यय या भुगतान सक्षम प्राधिकारी से प्राधिकृत हो।

लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान, वर्ष 2019-20 के दौरान डीसी बिल प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण देरी ध्यान में आयी। विवरण निम्न तालिका 4.12 में दिया गया है।

तालिका 4.12: डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में देरी की मात्रा

(₹ लाखों में)				
क्र.सं.	कार्यालय का नाम	विलम्ब से प्रस्तुत डीसी बिलों की संख्या (एसी बिल संख्या के साथ)	विलम्ब की अवधि (महिनों में)	चालान के द्वारा जमा करायी गई राशि
1.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	3 (396, 367, 347)	27 से 39	3.33
2.	प्रशासनिक कार्यालय, एनसीसी मुख्यालय, जयपुर	1(76)	15	0
3.	राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	7(259,510,195,514,122, 215,507,216,260)	10 से 21	0
4	राजस्व मंडल, अजमेर	2(991, 266)	9 से 12	9.16
5.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	1 (107)	4	0
6.	कमांडिंग अधिकारी 3 राजस्थान डीएन एनसीसी, सीकर	2 (53, 54)	5	0
7.	सहायक निदेशक, आयुर्वेद, अजमेर	1 (436)	56	0
8.	जिला कलेक्टर, डी एम आर डी, उदयपुर	2(36, 49)	15 से 18	2386.74
9	डी ई ओ, (छात्र), कोटा	1 (33)	28 वर्ष	0.26
10	प्राचार्य एस एन मेडिकल कॉलेज, जोधपुर	1 (1968)	15	0
11	जिला निर्वाचन अधिकारी, बाड़मेर	1 (107)	5	0
12	जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	4 (64,65,74,16)	4 से 8	0
13	जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर	1 (114)	5	0
14	अतिरिक्त निदेशक (प्रशा.), स्नान एवं भू-विज्ञान, उदयपुर	1 (339)	6	0
15	आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	(346) 1	14	0
16	प्राचार्य, एस पी चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	(1317) 1	34	0
	योग	30 (₹ 6734.69 लाख)		₹ 2399.49 लाख

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण में 4 माह से 28 वर्षों की देरी थी जिससे पता चलता है कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना निधियों का आहरण किया गया। यह एसी बिलों के माध्यम से व्यय को अपारदर्शी करता है।

आगे, नमूना जांच के दौरान, यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में उल्लेखित किये गए लंबित डीसी बिलों में से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने 82 डीसी बिलों के प्रस्तुतीकरण के साथ ही सरकारी खाते में चालान के माध्यम से ₹ 1.20 करोड़ की राशि जमा कराई थी।

(iii) **अन्य अनियमितताएं:** निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर ने एक उपकरण खरीदने के लिए एसी बिल (422/28.3.2018) के माध्यम से ₹ 6.00 लाख की राशि आहरित की थी। हालांकि, डीसी बिल प्रस्तुत करते समय चालान से पूरी राशि वापस जमा करा (दिसंबर 2019) दी गई। यह दर्शाता है कि उपकरण के लिए तत्काल भुगतान की कोई आवश्यकता नहीं थी जिसके बावजूद विभाग ने एसी बिल के माध्यम से राशि आहरित की थी।

एसी बिलों के माध्यम से निधियों का आहरण कर अनियमित अवरोधन विभागों को बजट प्रावधान के व्यपगत होने से बचाने और वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले राशि व्यय करने के लिए बजटीय मजबूरी को दरकिनार करने में सक्षम बनाता है। पहले से आहरित एसी बिलों के विरुद्ध लंबित डीसी बिलों के मामलों के नियमित अनुश्रवण के लिए एक प्रणाली लागू की जानी आवश्यक है।

4.6 निजी निक्षेप खाता

निजी निक्षेप खाता लोक लेखे के जमा शीर्ष के अंतर्गत संबंधित कोषालय के साथ खोले जाने वाला एक खाता है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 260(1) के अनुसार सरकारी लेखे में कोई भी धनराशि जब तक निक्षेप के लिए प्राप्त नहीं की जाएगी, जब तक कि उन्हें किन्ही कानूनी उपबंधों या सरकार के किन्ही सामान्य या विशेष आदेशों के द्वारा सरकार की अभिरक्षा में रखना आवश्यक अथवा अधिकृत न किया गया हो। एक निजी निक्षेप (पीडी) खाता खोलने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) की पूर्व सहमति प्राप्त करने के लिए राजस्थान कोषालय नियमों में कोई प्रावधान नहीं है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, पीडी खाते के मुख्य शीर्ष 8443-सिविल निक्षेप-106-निजी निक्षेप के अंतर्गत राशि ₹ 33,827.12 करोड़ हस्तांतरित/जमा किए गए, जो कि कुल व्यय (₹ 1,93,458 करोड़) का 17.5 प्रतिशत था जिसमें से ₹ 23,574.03 करोड़ राज्य की समेकित निधि को नामे (डेबिट) करके हस्तांतरित किए गए। ₹ 23,574.03 करोड़ में से, राशि ₹ 4,936.18 करोड़ (18.6 प्रतिशत) केवल मार्च 2020 में पीडी खातों में हस्तांतरित/जमा की गई। राज्य बजट नियमावली (राबनि) के अनुसार, बजट अनुदान को व्यपगत होने से बचाने के लिए राशि आहरित करने की कार्यप्रणाली तथा सार्वजनिक खातों या बैंक में इस तरह की धन राशि को रखना निषिद्ध है। इसलिए, मार्च माह के दौरान निजी निक्षेप खाते में व्यापक राशि का हस्तांतरण राबनि के प्रावधानों का उल्लंघन है।

31 मार्च 2020 को राज्य सरकार के पीडी खातों (प्रचलित एवं अप्रचलित) की स्थिति तालिका 4.13 में नीचे दी गई है।

तालिका 4.13 : प्रचलित एवं अप्रचलित पीडी खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या (1 अप्रैल 2019 को)		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बंद		पीडी खातों की संख्या (31 मार्च 2020 को)	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
प्रचलित पीडी खाते	1863	13,325.41	46*	33,827.25*	64**	30,869.05**	1,845	16,283.61
अप्रचलित पीडी खाते (पांच वर्षों से अधिक)	36	0.18	55	5.46	36*	0.18*	55	5.46
योग	1,899	13,325.59	101	33,832.71	100	30,869.23	1,900	16,289.07

*12 अप्रचलित पीडी खाते (₹ 0.13 करोड़) सम्मिलित हैं जिन्हें वर्ष के दौरान प्रचलित किया गया था।

**55 पीडी खाते (₹ 5.46 करोड़) सम्मिलित हैं जो वर्ष के दौरान अप्रचलित हो गए।

1,900 पीडी खातों में ₹ 16,289.07 करोड़ का अव्ययीत शेष था जिसमें से 26 पीडी खाते³ (प्रत्येक में ₹100 करोड़ और अधिक का शेष) जिनमें ₹ 10,573.24 करोड़ अर्थात् कुल अव्ययीत शेष का 64.91 प्रतिशत था, सम्मिलित है। वर्ष के दौरान 291 पीडी खातों में कोई लेन देन नहीं हुआ था। पीडी खातों का अवधि-वार विवरण और उनके शेष तालिका 4.14 में नीचे दिये गए हैं:

तालिका 4.14 : 31 मार्च 2020 तक पीडी खातों का अवधि वार विवरण

(₹ करोड़ में)

आयु सीमा	पीडी खातों की संख्या	31 मार्च 2020 को राशि
0-1 वर्ष	34	1,731.68
1-3 वर्ष	395	4,455.44
3-5 वर्ष	90	1,299.34
5-10 वर्ष	130	475.43

3. राजस्थान राज्यस्वास्थ्य समिति, जयपुर (सचिवालय)(₹ 1,231.03 करोड़); उप प्रबंधक, राजस्थान राज्य कॉरपोरेशन बैंक जयपुर शहर (₹ 558.88 करोड़); सचिव राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण जयपुर शहर (₹ 415.34 करोड़); राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड जयपुर(सचिवालय) (₹ 552.19 करोड़); राजस्थान शहरी ढांचागत वित्त विकास निगम (₹ 537.17 करोड़); डीएमएफटी, भीलवाड़ा (₹ 876.09 करोड़); डीएमएफटी,राजसमन्द (₹ 657.93 करोड़); निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर (सचिवालय)(₹ 471.73 करोड़); प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर (सचिवालय) (₹ 363.09 करोड़); इंदिरा आवास योजना, जयपुर (सचिवालय)(₹ 119.23 करोड़); आयुक्त टी.ए.डी, उदयपुर (₹ 296.51 करोड़); कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा (₹ 193.74 करोड़); अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, अजमेर (₹ 112.61 करोड़); अध्यक्ष, डीएमएफटी निधि, अजमेर (₹ 159.31 करोड़); प्रबंध निदेशक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य पुल सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 124.12 करोड़); डीएमएफटी, उदयपुर (ग्रामीण)(₹ 238.74 करोड़); डीएमएफटी, चित्तौड़गढ़ (₹ 220.09 करोड़); डीएमएफटी, पाली (₹ 157.07 करोड़); राजस्थान भवन निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, जयपुर शहर (₹ 482.61 करोड़); कृषक कल्याण कोषालय (के-3), जयपुर (शहर) (₹ 1,500 करोड़); राजस्थान राज्य स्वास्थ्य इश्योरेंस एजेन्सी (₹ 338.69 करोड़); निदेशक/ आयुक्त ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर (सचिवालय) (₹ 362.09 करोड़); प्रबंध निदेशक, राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन, लिमिटेड जयपुर (सचिवालय)(₹ 114.53 करोड़); राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (ग्रामीण विकास विभाग), जयपुर (सचिवालय)(₹ 199.05 करोड़); राजस्थान चिकित्सा शिक्षा समिति, जयपुर (सचिवालय)(₹ 189.38 करोड़) एवं डीएमएफटी, सिरौही (₹ 102.02 करोड़)।

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष

132

के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

10 वर्ष से अधिक	1,043	6,899.76
विवरण उपलब्ध नहीं	208	1,427.42
योग	1,900	16,289.07

पीडी स्वातों के विस्तृत विश्लेषण के दौरान, निम्नलिखित अनियमिततायें दृष्टिगत हुईं:

4.6.1 भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के लिए पीडी खाता

राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से कटौती के बाद एलआईसी प्रीमियम के भारतीय जीवन बीमा निगम को हस्तांतरण के लिए प्रत्येक कोषालय में बजट शीर्ष 8443-106 के अंतर्गत एक अलग पीडी खाता संख्या 471 खोला गया था।

वर्ष 2015-2020 की अवधि के लिए इस पीडी खाते के मासिक कोषालय-वार अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान यह देखा गया कि 40 कोषालयों में से मात्र 7 कोषालय⁴, कर्मचारियों की भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की कटौती को समय पर हस्तांतरित कर रहे थे। शेष कोषालयों द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को नियमित रूप से प्रीमियम हस्तांतरण में विफलता आहरण एवं संवितरण अधिकारी के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करती है।

विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि 12 कोषालय⁵ कर्मचारियों की भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रीमियम की कटौती को पीडी स्वातों से हस्तांतरित कर चुके हैं।

राज्य सरकार पीडी खाते से भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रीमियम को हस्तान्तरित करने की समय सीमा निर्धारित कर सकती है।

4.6.2 जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)

राज्य सरकार ने राजस्थान डीएमएफटी नियम 2016 के नियम 5 के अनुसार राज्य के सभी जिलों में शाषी परिषद और प्रबंध समिति के साथ डीएमएफटी की स्थापना (जून 2016) की। डीएमएफटी का उद्देश्य जिले में खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित व्यक्तियों और क्षेत्र के हित और लाभ के लिए काम करना था। डीएमएफटी अंशदान का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) और खनन प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्य और केंद्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं में करना है।

डीएमएफटी निधि का शेष ₹ 2,838.01 करोड़ था, जो 31 मार्च 2020 को राजस्थान में डीएमएफटी के 38 पीडी स्वातों में पड़ा हुआ था। विभाग ने सूचित किया (सितंबर 2020) कि 31 जुलाई 2020 तक एकत्रित कुल राशि ₹ 3,949.97 करोड़ में से केवल राशि ₹ 912.90 करोड़ (23 प्रतिशत) का उपयोग किया गया था।

4. ब्यावर, चित्तौड़गढ़, गंगानगर, जयपुर (सचिवालय), जालौर, पाली एवं सीकर।

5. उदयपुर, दौसा, जयपुर (शहर), जयपुर (ग्रामीण), करौली, बूंदी, सिरौही, टोंक, चूरू, नागौर, कोटा एवं धौलपुर।

सभी जिलों में ब्याज रहित पीडी स्वातों को बाद में ब्याज वाले पीडी स्वातों में परिवर्तित (जून 2018) किया जाना था। इस संबंध में, वित्त विभाग ने डीएमएफटी के ब्याज वाले निक्षेप स्वातों के लिए एक नया उप-शीर्ष खोलने के लिए प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) को एक प्रस्ताव भेजा (20.08.2020)। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय ने इस उद्देश्य के लिए एक नया उप-शीर्ष 8342-120-65 डीएमएफटी खोलने के लिए वित्त विभाग को सहमति (12.10.2020) दी।

4.6.3 कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा

भारत सरकार ने जुलाई 2014 में सम्पूर्ण भारत में 100 स्मार्ट शहर बनाने के लिए स्मार्ट सिटी योजना की घोषणा की। शहर में स्मार्ट पहल के विकास और एकीकरण को केंद्र और राज्य सरकार के साथ स्थानीय रूप से उत्पन्न निधि के द्वारा वित्त पोषित किया जायेगा।

कोटा स्मार्ट सिटी परियोजना कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड, कोटा द्वारा कार्यान्वित थी। इसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 50:50 हिस्सा के आधार पर वित्त पोषित किया गया था। कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड का एक पीडी स्वाता (संख्या 6627) 31 मार्च 2018 को खोला गया।

पीडी स्वाते में मार्च 2018, मार्च 2019 एवं मार्च 2020 को क्रमशः ₹ 168.40 करोड़, ₹ 161.09 करोड़ और ₹ 193.73 करोड़ का अव्ययीत शेष था। वर्ष 2017-20 की अवधि के दौरान स्मार्ट सिटी के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन में मात्र ₹ 19.28 करोड़ का उपयोग किया गया।

मुख्य लेखा अधिकारी, कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने बताया (फरवरी-अक्टूबर 2020) कि फरवरी 2020 के दौरान ₹ 436 करोड़ के कार्यादेश जारी किये गए जिसकी पुष्टि वित्त विभाग ने की है (फरवरी 2021)। वित्त विभाग के निर्देशानुसार बैंक स्वाते से पीडी स्वाते को हस्तांतरित अवशेष राशि ₹ 33.41 करोड़ के कारण वर्ष 2019-20 के दौरान पीडी स्वाते का अवशेष बढ़ गया। हालांकि, राज्य के हिस्से पर ब्याज का अभी तक उपयोग नहीं किया गया एवं राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने के बाद इसका उपयोग किया जाएगा।

4.6.4 राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि

भारत सरकार (भास) ने भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (अधिनियम) अधिनियमित किया, जो संनिर्माण कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को बनाने एवं कार्यान्वयन के लिए 'राज्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बोर्ड)' के गठन के लिए प्रावधान करता है। अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) नियम 2009 (बीओसीडब्ल्यू नियम) बनाए और राजस्थान भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि (बीओसीडब्ल्यू निधि) सृजित की। बीओसीडब्ल्यू निधि को निजी निक्षेप स्वाते के रूप में संचालित किया जा रहा है। बीओसीडब्ल्यू नियम अधिदेश करते हैं कि उपकर से संग्रहित राशि को संग्रहण के 30 दिनों के भीतर बोर्ड को हस्तांतरित करना होगा।

बीओसीडब्ल्यू निधि के तुलनपत्र के अनुसार, 31 मार्च 2017 को ₹ 1,189.19 करोड़ की 'चल संपत्ति' थी, जिसमें विभिन्न बैंकों में सावधि जमा के रूप में ₹ 1,185.06 करोड़ एवं बचत खातों में ₹ 4.13 करोड़ की राशि सम्मिलित थी। यह राशि कल्याणकारी योजनाओं पर कम व्यय के कारण पिछले वर्षों से संबंधित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, राज्य के समेकित निधि से बीओसीडब्ल्यू निधि के पीडी खाते में ₹ 382.59 करोड़ की राशि हस्तांतरित की गई। हालांकि, पीडी खाते से बीओसीडब्ल्यू बोर्ड को हस्तांतरण के लिए ₹ 482.62 करोड़ की राशि लंबित थी। वर्ष के दौरान बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के पीडी खाते में कोई निधि हस्तांतरित नहीं की गयी। वर्ष 2017-18 के बाद से बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत सरकार ने पीएमजीकेवाई पैकेज में संनिर्माण कर्मकारों को राहत देने के लिए बीओसीडब्ल्यू निधि के उपयोग के लिए राज्य सरकारों को निर्देश दिया। राज्य सरकार ने इस उद्देश्य के लिए पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और अन्य श्रेणी के व्यक्ति /परिवार यथा स्वरोजगार वालों, फेरीवालों और कमजोर व्यक्ति एवं असहाय व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्णय (अगस्त 2020) लिया।

राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, संनिर्माण कर्मकारों को हस्तांतरण के लिए कुल आवश्यकता ₹ 383.76 करोड़⁶ में से ₹ 328.50 करोड़ बीओसीडब्ल्यू निधि से राज्य सरकार (मार्च 2020)को हस्तांतरण किए जाने थे और शेष ₹ 55.26 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जानी थी, जिसे भविष्य में बीओसीडब्ल्यू निधि संग्रह के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। जबकि ₹ 328.50 करोड़ लाभार्थियों को हस्तांतरित किए गए थे, लेकिन राज्य सरकार ने ₹ 55.26 करोड़ की शेष राशि के प्रावधान का विवरण उपलब्ध नहीं कराया।

श्रम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, बीओसीडब्ल्यू के साथ 23.44 लाख संनिर्माण कर्मकार पंजीकृत हैं। उनमें से, राज्य सरकार ने केवल 15.35 लाख पंजीकृत कर्मकारों (65.49 प्रतिशत) को लाभ दिया और शेष 8.09 लाख कर्मकारों को कोई लाभ नहीं मिला।

पिछले वर्षों से संबंधित पर्याप्त धन की उपलब्धता के बावजूद, राज्य सरकार ने केवल बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के पास उपलब्ध धन के एक हिस्से का उपयोग किया। महामारी के दौरान सभी पंजीकृत संनिर्माण कर्मकारों को आवश्यक राहत प्रदान करने के लिए बीओसीडब्ल्यू बोर्ड के धन का उपयोग भी किया जा सकता है।

4.6.5 निजी निक्षेप खातों का मिलान

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम 264(5) के अंतर्गत, पीडी खातों के प्रशासक को इन खातों की शेष राशि का कोषाधिकारी (जहां विस्तृत लेखों को कोषालय द्वारा संधारित किया जाता है) के साथ

6. ₹ 2,500 प्रति व्यक्ति * 15,35,054 निर्माण श्रमिक।

मिलान किया जाना आवश्यक है। राजस्थान कोषागार नियमावली, 2012 के नियम 99 में बताया गया है कि कोषाधिकारी/उप-कोषाधिकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक निजी निक्षेप खातों के प्रशासक से अवशेष पर एक प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि मार्च 2020 के अंत में पीडी खाते की शेष राशि के संबंध में 27 कोषालयों⁷ द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं किए गए थे। यह भी देखा गया कि 16 कोषालयों⁸ के 71 पीडी खातों के प्रकरण में कोषालयों और प्रशासकों के बीच अवशेष आंकड़ों में अंतर था, जो नियमानुसार मिलान की कमी को इंगित करता है।

राज्य सरकार द्वारा पीडी खातों में योजना-वार शेष राशि के संबंध में सूचना संधारित नहीं की जाती है। राज्य पीडी खातों में सभी योजनाओं के लिए योजना-वार खाता संधारित कर सकता है। समय-समय पर पीडी खाते के अवशेषों का मिलान नहीं करना लोक निधि के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन की जोखिम को बढ़ाता है। इसलिए, पीडी खातों के प्रशासकों द्वारा कोषालय अधिकारियों के साथ-साथ प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) के साथ पीडी खातों के अवशेषों का मिलान करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जा सकती है।

वित्त विभाग ने अवगत कराया (फरवरी 2021) कि सभी कोषालयों को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में पीडी खातों के प्रशासकों के साथ शेषों के मिलान तथा उनसे प्रमाण पत्र प्राप्त करने सम्बन्धी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

4.6.6 अप्रचलित निजी निक्षेप खाता

राजस्थान कोषागार नियम, 2012 का नियम 98 यह प्रदत्त करता है कि कोषाधिकारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में प्रचलित पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजने हेतु पिछले पांच वित्तीय वर्षों में अप्रचलित रहे खातों की सूची तैयार करेगा एवं इनको बंद करने की अनुशंसा करेगा।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा रखे गए पीडी खातों की स्थिति की समीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2020 को, राशि ₹ 5.46 करोड़ के शेष वाले कुल 55 पीडी खाते गत पांच वर्षों (2015-20) से अप्रचलित थे इनमें से 8 अप्रचलित पीडी खातों में पिछले 5 वर्षों में शून्य शेष है, इन पीडी खातों की वर्तमान स्थिति का विवरण **परिशिष्ट-4.3** में दिया गया है। वित्त विभाग ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि 42 अप्रचलित पीडी खातों को बंद कर दिया गया है, पांच अप्रचलित पीडी खातों के संचालन की सशर्त अनुमति वित्त (मार्गोपाय) विभाग से ले ली गई है तथा शेष आठ पीडी खातों के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही विचाराधीन है।

7. अलवर, बारां, बीकानेर, बूंदी, भरतपुर, भीलवाड़ा, चुरु, दौसा, डूंगरपुर, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर(शहर), जयपुर(ग्रामीण), जयपुर(सचिवालय), जोधपुर(शहर), जोधपुर(ग्रामीण), झालावाड़, जालौर, पाली, करौली, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़, सीकर, टोंक, उदयपुर।

8. अजमेर(1), बीकानेर(8), चुरु(6), धौलपुर(5), झालावाड़(6), कोटा(6), बारां (1), बूंदी(2), भरतपुर(1), दौसा(2), हनुमानगढ़(2), जयपुर(शहर)(4), जयपुर(ग्रामीण)(1), जयपुर(सचिवालय)(19), जोधपुर(ग्रामीण)(1), नागौर(6)।

पांच वर्षों तक अप्रचलित रहने के बावजूद पीडी स्वतंत्रों को बंद नहीं किया जाना सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 264(2) तथा राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 का उल्लंघन है और कोषालयों के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को इंगित करता है।

4.7 लघु शीर्ष-800 का उपयोग

लघु शीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां और 800-अन्य व्यय के अंतर्गत प्राप्तियों या व्यय की बुकिंग को प्राप्तियों और व्यय के अपारदर्शी वर्गीकरण के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये शीर्ष प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों आदि जिनसे राशि संबंधित है को प्रकट नहीं करते हैं।

राबनि का परिशिष्ट 'अ' निर्धारित करता है कि प्राकलन अधिकारी को पर्याप्त सावधानी यह सुनिश्चित करने के लिए रखनी चाहिए कि व्यय उचित विस्तृत शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और यथासंभव अन्य व्यय की श्रेणी के तहत दर्ज करने से बचना चाहिए।

वर्ष 2019-20 के दौरान लेखों के शीर्षों जिनमें लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत दर्ज राशि कुल प्राप्ति/व्यय का 50 प्रतिशत या उससे अधिक है, को तालिका 4.15 में दिया गया है।

तालिका 4.15: लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत दर्ज

विवरण	प्राप्ति		व्यय	
	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	लेखा शीर्ष
100 प्रतिशत	65.71	0035, 0056, 0217, 0220, 0801, 0851, 0852, 1452	4.76	2047, 4047, 5425
75 प्रतिशत से 99 प्रतिशत के मध्य	566.93	0230, 0235, 0401, 0435, 0515, 0701, 1475	11.65	3425
50 प्रतिशत से 74 प्रतिशत के मध्य	284.78	0070, 0202, 0406, 0425, 0702	5,210.91	2040, 2435, 2700, 2701, 3452, 4235, 4236, 4401, 4575, 4885, 5054, 5452, 5475
योग	917.42		5,227.32	

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने पांच वर्ष की अवधि वर्ष 2015-20 के दौरान इस लघु शीर्ष को बड़े पैमाने पर संचालित किया है। इस लघु शीर्ष में दर्ज की गई राशियों को तालिका 4.16 में दिया गया है।

तालिका 4.16: वर्ष 2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियां/व्यय के अंतर्गत दर्ज राशियाँ

(₹ करोड़ में)


वर्ष	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत व्यय (₹ करोड़ में)	सम्बंधित शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय का प्रतिशत	लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	सम्बंधित शीर्ष के अंतर्गत कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
2015-16	7,052.45	47.50	1,584.63	34.49
2016-17	9,364.25	41.45	2,060.49	31.85

2017-18	9,870.31	40.13	2,570.01	24.45
2018-19	10,014.77	35.81	5,822.23	24.88
2019-20	6,974.85	34.92	4,298.43	16.65

मामले जहां व्यय और प्राप्तियों का पर्याप्त भाग (50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकृत किया गया था, को **परिशिष्ट-4.4** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय के संचालन की सीमा को संबंधित शीर्षों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में **चार्ट 4.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: वर्ष 2015-20 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन



लघु शीर्ष-800 के तहत दर्ज पर्याप्त राशि वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है।

4.8 मुख्य उच्च शीर्ष और डीडीआर शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

उच्च शीर्ष राज्य के शेष, नामे और जमा के अंतिम समायोजन बकाया रहने तक लेनदेनों के लिए अस्थाई सुविधा के लिए अभिप्रेत है। केंद्र सरकार की ओर से किए जाने वाले लेन देन का लेखा भी इसी शीर्ष में रखा जाता है।

प्रेषण में सभी समायोजन शीर्ष शामिल है, जिसके तहत कोषालयों में नकद प्रेषण और विभिन्न लेखांकन क्षेत्रों के बीच हस्तांतरण प्रकट होते हैं। इन संभागों में शीर्ष के प्रारंभिक नामे या जमा अंततः प्राप्तियों या

भुगतानों द्वारा या तो उसी क्षेत्र के खाते के बीच या किसी अन्य क्षेत्र के खाते में समायोजित हो जाती है। वित्त लेखे उच्च और प्रेषण शीर्षों में निवल शेष को प्रतिबिम्बित करते हैं। इन शीर्षों के तहत बकाया शेषों को विभिन्न शीर्षों के तहत बकाया नामे और जमा शेष को अलग-अलग समेकित करने का काम किया जाता है। उच्च और प्रेषण मद का निपटान राज्य कोषालयों/निर्माण और वन प्रभागों आदि द्वारा प्रस्तुत विवरणों पर निर्भर करता है। भुगतान और लेखा कार्यालयों द्वारा उच्च शेषों के खाते उप/विस्तृत शीर्षवार बनाये रखना आवश्यक है। मुख्य शीर्ष 8658-उच्च खाता के तहत उच्च लघु शीर्ष 101-पीएओ उच्च, 102-उच्च लेखा (सिविल) और 112-स्रोतों पर कर कटौती को, नीचे तालिका 4.17 में वर्णित किया गया है।

तालिका: 4.17 उच्च और प्रेषण शीर्षों के तहत शेष

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष	2017-18		2018-19		2019-20	
	नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
मुख्य शीर्ष 8658-उच्च						
101- पीएओ उच्च	120.99	1.76	157.98	35.15	168.25	48.83
निवल	नामे 119.23		नामे 122.83		नामे 119.42	
102-उच्च लेखा-सिविल	0.77	0.01	0.83	3.15	0.38	76.18
निवल	नामे 0.76		जमा 2.32		जमा 75.80	
106-संचार लेखा कार्यालय उच्च	-*	-	-*	-	-*	-
निवल	नामे *		नामे *		नामे *	
109-रिजर्व बैंक उच्च मुख्यालय	-	-	-	-	-#	-@
निवल	-		-		नामे \$	
112-स्रोतों पर कर कटौती उच्च (टीडीएस)	-	77.05	-	48.14	-	42.98
निवल	(जमा) 77.05		जमा 48.14		जमा 42.98	
123-अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	-	0.16	-	0.16	-	0.17
निवल	जमा 0.16		जमा 0.16		जमा 0.17	
129- सामग्री क्रय परिशोधन उच्च	-	(-) 3.18	-	(-) 3.20	-	(-) 3.27
निवल	जमा (-) 3.18		जमा (-) 3.20		जमा (-) 3.27	
139-स्रोत पर जीएसटी कटौती उच्च	-	-	-	-	-	33.62
निवल	-		-		(जमा) 33.62	
निवल योग	(जमा) 74.03		(जमा) 45.10		(जमा) 73.50	
मुख्य शीर्ष 8782-नकद प्रेषण						
102-पीडब्ल्यूडी प्रेषण	42.65	34.28	32.95	33.28	27.98	30.57
निवल	नामे 8.37		जमा 0.33		जमा 2.59	
103- वन प्रेषण	1.76	0.14	1.75	0.14	0.05	0.13
निवल	नामे 1.62		नामे 1.61		नामे 0.08	
108- अन्य विभागीय प्रेषण	0.03	-	0.03	-	0.03	-
निवल	नामे 0.03		नामे 0.03		नामे 0.03	
129- इंदिरा गांधी नहर	77.41	76.67	77.41	76.67	77.41	76.67

लघु शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
परियोजना के तहत हस्तांतरण			
निवल	नामे 0.74	नामे 0.74	नामे 0.74
निवल योग	(नामे) 10.74	(नामे) 2.05	(जमा) 1.79

*₹ 588 मात्र, #₹ 4213 मात्र, @₹ 240 मात्र, ₹ 3973 मात्र।

गत तीन वर्षों के लिए मुख्य उच्चत और प्रेषण शीर्षों में सकल आंकड़ों की स्थिति से पता चलता है कि वित्त लेखों में मुख्य शीर्ष 8658-उच्चत लेखों में कुल निवल शेष में वर्ष 2017-18 से ₹ 0.53 करोड़ की कमी दर्ज की गई।

• **भुगतान और लेखा अधिकारी (पीएओ) उच्चत (लघु शीर्ष 101)**

यह लघु शीर्ष एक केन्द्रीय भुगतान और लेखा अधिकारी, संघ शासित प्रदेशों के अलग लेखा अधिकारी और महालेखाकार जहाँ अन्य पक्ष भुगतान और लेखा अधिकारी हैं, के लेखों में होने वाले अंतर-सरकारी लेने-देनों के प्रारंभिक अभिलेख के लिए अभिप्रेत है। इस शीर्ष में प्रत्येक लेखाधिकारी, जिसके साथ लेनदेनों का समायोजन किया जाना है, के लिए पृथक से उप-शीर्ष खोला जाता है। इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया नामे शेष लेनदेनों जो वेतन और लेखा अधिकारी द्वारा दूसरों की ओर से किए गए हैं और अभी तक वसूल नहीं किए जा सके हैं, को इंगित करते हैं और जमा शेष राशि जिसका भुगतान किया जाना है, को प्रदर्शित करते हैं।

मार्च 2020 के अंत में इस स्वाते में बकाया नामे शेष राशि ₹ 168.25 करोड़ और जमा शेष राशि ₹ 48.83 करोड़ थी। बकाया नामे शेष मुख्यतः पीएओ, केंद्रीय पेंशन लेखा अधिकारी, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली (₹ 156.23 करोड़) और पीएओ (एनएच), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जयपुर (₹ 11.63 करोड़) से संबंधित है, जबकि जमा शेष मुख्यतः पीएओ (एनएच), खनन मंत्रालय (₹ 76.17 करोड़) से संबंधित है।

• **उच्चत लेखा सिविल (लघु शीर्ष 102)**

यह लघु शीर्ष महालेखाकार द्वारा संचालित होता है, जो लेन देन में पाए गए अंतरों को अंतिम रूप से समायोजित करने के लिए होता है, जिन्हें कुछ सूचनाओं/दस्तावेजों जैसे वाउचरों, चालानों इत्यादि के अभाव में प्राप्ति/व्यय के अंतिम शीर्ष में नहीं लिया जा सकता है। इस लेखों में प्राप्तियों को जमा तथा व्यय को नामे किया जाता है और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर क्रमशः ऋणात्मक जमा और ऋणात्मक नामे कर निपटान किया जाता है।

मार्च 2020 के अंत में इस शीर्ष में बकाया नामे शेष मुख्यतः सीडीए⁹ (पेंशन), अलाहाबाद (₹ 0.04 करोड़) और सीडीए (एससी)¹⁰, पुणे (₹ 0.34 करोड़) से सम्बंधित हैं। मुख्य जमा शेष को अन्य विविध उच्चत (₹ 0.76 करोड़) के तहत दर्शाया गया था।

9. नियंत्रक रक्षा लेखा।

10. दक्षिणी कमान।

- **स्रोतों पर कर कटौती (टीडीएस) उच्चत (लघु शीर्ष 112)**

यह लघु शीर्ष स्रोतों पर आयकर कटौती की प्राप्तियों को समायोजित करने के लिए है। टीडीएस प्राप्तियों को मुख्य शीर्ष 8658-उच्चत लेखा के अंतर्गत लघु शीर्ष 112-टीडीएस उच्चत में जमा किया जाता है। प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत तक इन जमाओं को समायोजित किया जाता है और आयकर विभाग को जमा किया जाता है।

यद्यपि, 31 मार्च 2020 तक इसमें ₹ 42.98 करोड़ का बकाया था, जो आयकर विभाग को जमा किया जाना था।

- **डीडीआर शीर्षों में प्रतिकूल शेष**

प्रतिकूल शेष लेखों के उन शीर्षों में प्रकट होने वाले नकारात्मक शेष हैं, जहां नकारात्मक शेष नहीं होने चाहिए और इसके प्रतिकूल हैं।

31 मार्च 2020 को 9 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ऋण, जमा तथा प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों में 57 प्रकरणों¹¹ में राशि ₹ 1,852.37 करोड़ के प्रतिकूल शेष थे। प्रतिकूल शेष मुख्यतः नगर परिषद/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन निधि (₹ 1,805.58 करोड़) के अंतर्गत था। डीडीआर शीर्ष में 57 प्रकरणों में राशि ₹ 1,852.37 करोड़ के प्रतिकूल शेषों को प्राथमिकता से अंक मिलान और समायोजित करने की आवश्यकता है।

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

आंकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्त और व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। सावि एवं लेनि के नियम 11 (3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आंकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आंकड़ों से मिलान करना आवश्यक है।

वर्ष 2019-20 के दौरान, (i) 418 नियंत्रण अधिकारियों द्वारा कुल व्यय ₹ 2,13,491.02 करोड़ (निवल) और (ii) 181 नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कुल प्राप्तियों ₹ 1,40,134.23 करोड़ (निवल) (विविध पूंजीगत प्राप्तियों सहित) का शत प्रतिशत अंक मिलान किया गया। वास्तव में, गत पांच वर्षों में राज्य सरकार व्यय और प्राप्तियों का 100 प्रतिशत अंक मिलान कर सकी है।

11. केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम (एक प्रकरण : ₹ 0.06 करोड़); विद्युत परियोजनाओं को ऋण (तीन प्रकरण : मात्र ₹ 1220); सरकारी कर्मचारियों को ऋण (44 प्रकरण : ₹ 2.74 करोड़); राज्य प्रावधानी निधि (एक प्रकरण : ₹ 0.01 करोड़); बीमा और पेंशन निधि (एक प्रकरण : ₹ 1,805.58 करोड़); स्थानीय निधि को जमा (एक प्रकरण : ₹ 10.31 करोड़); सिविल जमा (एक प्रकरण : ₹ 30.91 करोड़); उच्चत लेखा (दो प्रकरण : ₹ 0.02 करोड़) और रोकड़ प्रेषण और उन्ही अधिकारियों को लेखे प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के मध्य समायोजन (तीन प्रकरण : ₹ 2.74 करोड़)।

4.10 नकद शेष का मिलान

‘रिजर्व बैंक के पास जमा’ के समक्ष शेष सरकारी लेखों में शेष को प्रदर्शित करती है, जिसमें 15 अप्रैल 2020 तक भारतीय रिजर्व बैंक को अंतर-सरकारी मौद्रिक परिशोधन शामिल है। स्वाते में दर्शाए गए आंकड़े (₹ 49.03 करोड़ (नामे)) और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए (₹ 29.80 करोड़ (जमा)) के बीच ₹ 19.23 करोड़ (जमा) का निवल अंतर था। इसमें से, ₹ 13.92 करोड़ (जमा) का अंक मिलान कर निपटान कर दिया गया है, जबकि ₹ 5.31 करोड़ (जमा) अंक मिलान के लिए लंबित है।

4.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति संघ और राज्यों के लेखों के लिए प्रपत्र निर्धारित करते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 में सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानक निर्धारित करने के लिए, जवाबदेही तंत्र विकसित करने के लिए सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गसाब) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए हैं। निम्न तालिका 4.18 इन तीन लेखांकन मानकों के अनुपालन की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 4.18: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सारांश	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी का प्रभाव
1.	आईजीएएस-1: सरकार द्वारा की गई गारंटी प्रकटीकरण की आवश्यकताएं	इस मानक में सरकार को अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान (वर्ग और क्षेत्र वार) अधिकतम गारंटी राशि के साथ वृद्धि, कमी, नहीं चुकाई गई, चुकाई गई और वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया, अनुदानदाता कमीशन, और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों के प्रकटीकरण की आवश्यकता होती है।	अनुपालन की गई	---
2.	आईजीएएस-2: सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण	सरकार को, सहायतार्थ अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रूप में अंतिम उपयोग पर विचार किये बिना वर्गीकृत किया जाना	आंशिक रूप से अनुपालन, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान की प्रकृति की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है।	लेखांकन मानक के अनुसार सहायतार्थ अनुदान की प्रकृति के प्रकटीकरण का

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएस का सारांश	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी का प्रभाव
		चाहिए। सहायतार्थ अनुदान के प्रकार को प्रकट करने की आवश्यकता है।		अभाव पाया गया।
3.	आईजीएस-3: सरकार द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम	सरकार द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम की पहचान, माप और मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से संबंधित है अपने वित्तीय विवरणों में सरकार द्वारा लिए गए ऋण एवं अग्रिम को पूर्ण, सही और एक समान लेखांकन और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने से संबंधित है।	आंशिक रूप से अनुपालन किया। अवसूलनीय ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालने, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम पर इकाई वार जमा ब्याज का विवरण, वर्ष के दौरान वितरित नए ऋण एवं अग्रिम के कारण, और बकाया मूलधन और ब्याज के विवरण जहां विस्तृत लेखे राज्य द्वारा संधारित किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे।	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के प्रकटीकरण की आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है।

4.12 स्वायत्त निकायों के लेखे/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करना

राज्य के 41 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों¹² के लेखों की लेखा परीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) और 20 (1) के अंतर्गत सीएजी को सौंपी गयी। अक्टूबर 2020 तक, सभी 41 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2018-19 तक के लेखे सिवाय भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसीडब्लू) के वर्ष 2017-18 और 2018-19 और दो जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए), चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के वर्ष 2018-19 के लेखों को छोड़कर प्राप्त हो चुके हैं। दो निकायों के प्रकरण में प्रतिकूल टिप्पणी दी गई है जैसा कि तालिका 4.19 में वर्णित है:

12. राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग मंडल, राजस्थान; राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान; राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण, राजस्थान; भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, जयपुर; राजस्थान विद्युत नियामक आयोग और 36 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।

तालिका 4.19: प्रतिकूल राय के प्रकरण

निकाय या प्राधिकरण	टिप्पणी का प्रकार	कारण
राजस्थान स्वादी और ग्रामोद्योग मंडल, राजस्थान (वर्ष 2018-19 के लेखे)	सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं	राशि ₹ 73.25 लाख से व्यय पर आय का आधिक्य (अधिशेष) है जिसके परिणामस्वरूप लेखों में ₹ 47.30 लाख का अधिशेष ₹ 25.95 लाख के घाटे में परिवर्तित कर दिखाया गया। सम्पत्ति और देनदारियों को क्रमशः राशि ₹ 3.00 करोड़ और ₹ 2.27 करोड़ से अधिक बताया गया।
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्लू) (वर्ष 2016-17 के लेखे)	सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं	लेखा परीक्षा में पाया गया कि महत्वपूर्ण प्रकरणों जैसे कि प्राप्ति योग्य पूंजीगत निधि/उपार्जित उपकर को ₹ 342.43 करोड़ कम दर्शाया गया, अर्थसहाय्य/अनुदान आदि पर व्यय को राशि ₹ 45.90 करोड़ से अधिक दर्शाया, ब्याज पर आय को ₹ 6.44 करोड़ से अधिक दर्शाया है।

4.13 विशागीय वाणिज्यक उपक्रम/निगम/कंपनीज

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 में प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) आयोजित करना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 129 प्रतिवेदित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण उक्त एजीएम में उनके विचार के लिए रखे जाने चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 394 और 395 के अनुसार, किसी सरकारी कंपनी के कामकाज और मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन इस वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) के तीन माह में तैयार की जानी है। इस प्रकार की तैयारी के शीघ्र बाद ही वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति और इस पर सीएजी द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी अथवा पूरक के साथ राज्य विधानसभा के सदन अथवा दोनों सदनों के समक्ष रखी जानी चाहिए।

लेखों को समय पर अंतिम रूप देने के अभाव में, सरकार के निवेश के परिणाम राज्य विधान मंडल के दायरे से बाहर रहते हैं और लेखा परीक्षा द्वारा जांच से बच जाते हैं। इसके फलस्वरूप, जवाबदेही सुनिश्चित करने और दक्षता में सुधार के लिए सुधारात्मक उपाय यदि कोई आवश्यक हो, समय से नहीं लिए जा सकते हैं। धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के जोखिम से इनकार नहीं किया जा सकता है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के नवीनतम अंतिम लेखों के अनुसार, राज्य के 46 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (9 सहायक कंपनियों सहित) जिनकी कुल चुकता पूंजी ₹ 50,986.20 करोड़ थी, जिसमें राज्य सरकार का निवेश ₹ 50,862.78 करोड़ शामिल था। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कुल संचित घाटा ₹ 95,590.87 करोड़ (परिशिष्ट-4.5) था। पूंजी निवेश की तुलना में संचित घाटे की

उच्च मात्रा यह दर्शाती है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समग्र पूंजी पूर्ण रूप से अपक्षरित हो चुकी है और नकारात्मक निवल मूल्य ₹ 44,604.67 करोड़ में परिणीत हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, निवेश और संचित घाटे (हानि) के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 46 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में से 15 में यह अपक्षरण (₹ 61,567.97 करोड़) हुआ है। निवेश के अपक्षरण में ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का मुख्य योगदान था। राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बकाया लेखों का आयु-वार विश्लेषण नीचे तालिका 4.20 में दिया गया है:

तालिका 4.20: लेखों का आयु-वार बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लेखे कब से लंबित हैं	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	सरकारी निवेश
1	प्रथम लेखा प्रतीक्षित	02	164.80
2	2015-16	01	4.13
3	2016-17	01	2.16
4	2017-18	03	105.46
5	2018-19	01	45.51
	योग	08	322.04

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के 46 उपक्रमों में से 8 उपक्रमों के लेखे वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 तक लंबित हैं, जिनमें सरकार ने ₹ 322.04 करोड़ निवेश किया हुआ है।

4.14 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियां, टिकटों, भंडार या अन्य संपत्ति सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखी जाती है की हानि दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान, हानि इत्यादि के कारण अथवा अन्यथा होती है, जो कोषालय या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में ज्ञात होती है तो संबंधित अधिकारी अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ महालेखाकार को तुरन्त सूचित करेंगे।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2020 तक की विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन (322) और चोरी/हानि (474) के राशि ₹ 118.86 करोड़ के 796 प्रकरण सूचित किये, जिस पर अन्तिम कार्यवाही जून 2020 तक लंबित थी। विवरण नीचे तालिका 4.21 में दिया गया है।

तालिका 4.21: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन, हानि, चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निस्तारण में देरी के कारण					
	प्रकरणों की संख्या	राशि	विभागीय और आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया (वसूली और अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित)		आपराधिक कार्यवाही पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित (न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित)	
				प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या
निर्माण विभाग	269	10.04	65	4.59	187	3.74	17	1.72
शिक्षा विभाग	171	50.91	44	39.47	102	10.25	25	1.20
चिकित्सा विभाग	69	7.22	36	4.79	9	0.98	24	1.45
राजस्व विभाग	55	12.59	36	4.64	11	7.62	8	0.33
स्वायत्तशासी निकाय राजस्थान सरकार	8	0.45	1	0.03	7	0.43	0	0.00
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	121	25.39	98	22.54	19	1.29	4	1.56
अन्य विभाग	103	12.25	31	1.85	60	9.49	12	0.91
योग	796	118.86	311	77.91	395	33.79	90	7.16

लंबित प्रकरणों का विभाग वार विश्लेषण **परिशिष्ट-4.6** में दिया गया है। लंबित प्रकरणों की एक रूपरेखा तथा चोरी /हानि और दुर्विनियोजन के प्रत्येक श्रेणी में लंबित प्रकरणों की संख्या नीचे **तालिका 4.22** में सारांशिकृत किया गया है।

तालिका 4.22: दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि का विवरण

लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
चोरी/हानि	474	20.27
दुर्विनियोजन	322	98.59
कुल लंबित प्रकरण	796	118.86

आगे विश्लेषण उन कारणों को इंगित करता है, जिनके कारण प्रकरण बकाया थे और निम्नलिखित **तालिका 4.23** में सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

सारणी 4.23: दुर्विनियोजन, हानियों, जालसाजी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारण

क्र.सं.	प्रकरणों के देरी/बकाया के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	विभागीय कार्यवाही अपेक्षित	311	77.91
2.	वसूली के आदेश प्रतीक्षित	356	33.18
3.	अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	39	0.61
4.	न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित	90	7.16
	योग	796	118.86

लंबित दुर्विनियोजन प्रकरणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रकरण मुख्यतः रोकड़ पुस्तिका में जालसाजी, भंडार में रखे स्टॉक में गोलमाल, जाली बिलों/चैकों द्वारा भुगतान/आहरण, सरकारी धनराशि बैंक में जमा नहीं करने इत्यादि से संबंधित थे। चोरी/हानि के प्रकरण रोकड़, भंडार/स्टॉक, वाहन तथा वाहनों के कलपुर्जे, मशीनों एवं उपकरण इत्यादि से संबंधित थे। कुल 796 प्रकरणों में से राशि ₹ 33.79 करोड़ के 395 (356+39) प्रकरण वसूली/अपलेखन के लिए आदेशों के लंबित रहने के कारण लंबित थे तथा शेष प्रकरण विभागीय और न्यायिक कार्यवाही की अपेक्षा में लंबित थे।

4.15 पेंशन का अधिक/कम भुगतान

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के परिशिष्ट-VI (क्रम संख्या 9) अनुबंध करता है कि कोषाधिकारी (टीओ) अपने द्वारा संधारित अभिलेखों के संदर्भ में बैंक द्वारा किए गए भुगतानों की यथार्थता की जांच करेगा तथा लेनदेन को उसके लेखों में शामिल करेगा।

नौ जिलों में 70 बैंकों और 6 पेंशन निदेशालयों/अतिरिक्त निदेशालयों के अभिलेखों (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) की नमूना जांच में 54 बैंकों और 3 पेंशन निदेशालयों/अतिरिक्त निदेशालयों में 159 प्रकरणों¹³ में राशि ₹ 1.51 करोड़ के पेंशन/पारिवारिक पेंशन भुगतान की अनियमितताएं और अतिरिक्त भुगतान प्रकट हुआ जैसाकि **परिशिष्ट-4.7** में दर्शाया गया है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि 60 बैंकों और 5 निदेशालयों/अतिरिक्त निदेशालयों ने 272 पेंशन भोगियों को ₹ 2.41 करोड़ का कम भुगतान किया।

पूर्व सिविल लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों वर्ष 2010-11 से 2018-19 के दौरान भी पेंशन के अधिक भुगतान के प्रकरणों का उल्लेख किया गया है। जन लेखा समिति (पीएसी) ने भी सिफारिश की (फरवरी 2018) कि भविष्य में पेंशन के अधिक भुगतान की पुनरावृत्ति से बचने के लिए विभाग को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा अवगत कराया (दिसम्बर 2020) कि अधिक भुगतान के प्रकरणों में ₹ 0.58 करोड़ की वसूली एवं कम भुगतान के प्रकरणों में ₹ 0.51 करोड़ का भुगतान किया गया तथा शेष भुगतान/वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, सरकार द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की संवीक्षा के दौरान ₹ 0.33 करोड़ की वसूली एवं ₹ 0.26 करोड़ के भुगतान को सत्यापित किया जा सका। आगे, वसूली/भुगतान की प्रगति अपेक्षित है (मार्च 2021)।

उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि स्थिति को सुधारने और भविष्य में पेंशन का भुगतान करने में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों/ एजेंसियों द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग को ठोस कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

13. प्रकरण: कुल 159 पेंशनर्स।

4.16 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 राज्य विधानसभा में अगस्त 2020 में प्रस्तुत किया गया था। पीएसी ने वर्ष 2015-16 तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा पूर्ण कर सिफारिशें की। अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के दौरान वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदनों के लिए पांच विभागों (स्वायत्त शासन विभाग, कृषि विभाग, तकनीकी शिक्षा विभाग, वन विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग) से संबंधित पीएसी चर्चा आयोजित की गई थी। वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदनों से संबंधित पांच अनुच्छेद चर्चा के लिए लंबित हैं। ये अनुच्छेद जेंडर उत्तरदायी बजटिंग, प्रमुख परियोजनाओं/नीतिगत पहलों और बजट भाषण वर्ष 2017-18 पर की गई कार्यवाही की स्थिति, चयनित अनुदानों और निजी निक्षेप खातों की समीक्षा से संबंधित है।

बकाया एटीएन की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 से संबंधित बागवानी विभाग का एक एटीएन 31 अक्टूबर 2020 को लंबित था।

4.17 निष्कर्ष

सकारात्मक संकेतक	नकारात्मक संकेतक
एसी बिलों की घटती संख्या	राज्य सरकार की ओर से जिला परिषदों एवं राजस्थान कृषि विपणन मण्डल द्वारा लिए गए उधारों में वृद्धि।
व्यय और प्राप्तियों का 100 प्रतिशत मिलान	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की बढ़ती संख्या।
	स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वार्षिक लेखों के संबंध में बकाया।
	लघु शीर्ष-800 के अन्तर्गत अत्यधिक राशि की बुकिंग।
	ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के शेषों के विवरण का पंचायत समिति या जिला परिषद स्तर पर मिलान नहीं होना।
	पीडी खातों में योजनावार शेष का संधारण नहीं किया जाना।

4.18 अनुशंसाएं

- i. ऋण जिनके भुगतान का दायित्व राज्य सरकार के पास है, को राज्य सरकार के वार्षिक लेखों में सरकार के दायित्व के रूप प्रकट किया जाना चाहिए।
- ii. सरकार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जारी अनुदान के संबंध में विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों का समय पर प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित कर सकती है।
- iii. वित्त विभाग सभी पीडी खातों की यह सुनिश्चित करने के लिए समीक्षा कर सकता है कि इन पीडी खातों में अनावश्यक रूप से पड़ी सभी राशियों को यथाशीघ्र समेकित निधि में भेज दिया गया है। इसके अलावा, सभी पीडी खातों के लिए योजना-वार खाता संधारित किया जाना चाहिए।


- iv. दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार एक समयबद्ध रूपरेखा तैयार करने पर विचार कर सकती है।
- v. सरकार सारांशीकृत आकस्मिक बिलों का समायोजन निर्धारित अवधि के भीतर करने पर विचार कर सकती है और लंबित विस्तृत आकस्मिक बिलों का नियमित अनुश्रवण कर सकती है।

जयपुर,
07 जून, 2021

अनादि मिश्र
(अनादि मिश्र)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-1), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली,
09 जून, 2021


(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

परिशिष्ट -1.1

(संदर्भ अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

राज्य के वित्तीय आंकड़े[§]

वित्तीय आंकड़े

चक्रवर्ती वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) के सन्दर्भ में	सीएजीआर		सीएजीआर		वार्षिक वृद्धि		
	2010-11 से 2018-19		2014-15 से 2018-19		2018-19 से 2019-20		
	सामान्य	राजस्थान	सामान्य	राजस्थान	सामान्य	राजस्थान	
	श्रेणी राज्य		श्रेणी राज्य		श्रेणी राज्य		
(प्रतिशत में)							
क.	राजस्व प्राप्तियाँ	13.65	14.73	12.71	10.85	2.08	1.63
ख.	स्व-कर राजस्व	12.21	13.55	10.42	10.37	2.12	3.25
ग.	कर-भिन्न राजस्व	11.19	14.51	9.67	8.90	23.44	-15.53
घ.	कुल व्यय	13.87	17.85	12.22	13.92	4.09	3.16
	पूँजीगत व्यय	14.64	17.93	12.35	5.09	-3.86	-25.05
च.	शिक्षा पर राजस्व व्यय	11.58	16.52	9.37	15.61	11.81	-3.09
छ.	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	15.43	20.68	13.23	17.43	9.48	2.64
ज.	वेतन एवं भत्ते	10.78	16.60	10.35	20.65	9.51	-1.45
झ.	पेंशन	14.14	18.77	14.27	20.64	9.74	1.79

§ राज्य सरकार के वित्त लेखों पर आधारित वित्तीय आंकड़े ।

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ अनुच्छेद 1.4.2; पृष्ठ 9)

31 मार्च 2020 को राजस्थान सरकार की सारान्शिकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयताएं	31.03.2019 को	31.03.2020 को
आंतरिक ऋण -	2,19,311.48	2,42,077.41
ब्याज वाले बाजार ऋण	1,37,266.92	1,68,858.92
बिना ब्याज वाले बाजार ऋण	0.08	0.08
भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	18.55	15.36
केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जरी विशेष प्रतिभूतियां	15,408.32	13,823.56
अन्य संस्थानों से ऋण	66,617.61	59,379.49
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट	-	-
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम -	13,927.40	17,302.50
वर्ष 1984-85 से पूर्व के ऋण	5.40	5.40
गैर-आयोजना ऋण	23.91	19.46
राज्य योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	3,264.84	2,751.70
केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिए ऋण	0.29	0.05
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए ऋण	4.28	11.31
राज्य/विधानमंडल वाले केंद्र शासित राज्यों के लिए अन्य ऋण	10,628.68	14,514.58
आकस्मिकता निधि	500.00	500.00
लघु बचतें, सामान्य भविष्य निधि, इत्यादि	47,478.08	51,468.62
जमायें	28,817.51	33,842.46
आरक्षित निधियां	5,551.37	9,881.68
प्रेषण शेष	-	-
योग	3,15,585.84	3,55,072.67
सम्पत्तियां	31.03.2019 को	31.03.2020 को
स्थायी परिसंपत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय-	1,88,108.83	2,02,806.46¹
कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	49,861.39	52,208.91
अन्य पूंजीगत परिव्यय	1,38,247.44	1,50,597.55
ऋण एवं अग्रिम-	23,262.49	9,847.92
विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	18,676.66	5,641.14

1. वर्ष के अंत तक सकल पूंजीगत व्यय में से ` 20.42 करोड़ (पूंजीगत विनिवेश) की प्रोफार्मा कमी के कारण वर्तमान वर्ष की पूंजीगत प्राप्तियाँ 'शून्य' दर्शायी गयी है।

सम्पत्तियां	31.03.2019 को	31.03.2020 को
अन्य विकासात्मक ऋण	4,586.85	4,208.56
सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	(-)1.02 ²	(-)1.78 ³
आरक्षित निधि निवेश	3,712.28	1,870.87
अग्रिम	3.21	3.21
प्रेषण शेष	2.05	10.37
उचंत एवं विविध शेष	206.65	120.15
रोकड़-	2,081.47	5,833.54
कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 12.27	(-) 26.91
रिजर्व बैंक के पास जमायें	(-) 64.45	49.03
विभागीय रोकड़ शेष	0.87	0.85
स्थायी अग्रिम	2.86	2.84
रोकड़ शेष निवेश	2,154.46	5,807.73
सरकारी लेखे पर घाटा-	98,208.86	1,34,580.15
(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	28,900.17	36,371.29
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारंभ में संचित घाटा	69,308.69	98,208.86
घटायें: वर्तमान वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
घटायें: विविध घाटा	-	-
योग	3,15,585.84	3,55,072.67

परिशिष्ट 1.2 एवं 2.1 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणी

पूर्व वृत्ति विवरण पत्रों में दिए गये सारांशिकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गयी टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखे में घाटा, जैसा परिशिष्ट 1.2 में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपाजित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टाक आंकड़ों में अंतर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं है। उचंत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गए बैंक, राज्य की और से किये गए भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटान बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाए आंकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “रिजर्व बैंक के पास जमा” के अंतर्गत सूचित किये गये आंकड़ों के मध्य ₹ 19.23 करोड़ (जमा) का अंतर था। आगे, ₹ 5.31 करोड़ (जमा) का अंतर अभी भी बकाया है और समायोजन के अधीन है।

2. ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।
3. ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1; पृष्ठ 19)

वर्ष 2019-20 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ	1,37,873.02	1,40,113.81	I. राजस्व व्यय	1,66,773.19	1,56,479.09	20,006.01	1,76,485.10
कर राजस्व	57,380.34	59,244.98	सामान्य सेवायें	54,364.06	56,141.54	44.75	56,186.29
			सामाजिक सेवायें	65,686.92	58,303.61	10,009.62	68,313.23
कर-भिन्न राजस्व	18,603.01	15,714.16	शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	34,594.44	30,663.58	2,861.70	33,525.28
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	11,362.32	9,929.61	1,732.02	11,661.63
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	41,852.35	36,049.14	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास	7,615.62	6,394.58	1,348.64	7,743.32
			सूचना एवं प्रसारण	152.14	90.15	-	90.15
आयोजना-भिन्न अनुदान	-	-	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	1,501.17	975.37	779.81	1,755.18
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	-	-	श्रम एवं श्रम कल्याण	598.68	930.43	2.01	932.44
			समाज कल्याण एवं पोषण	9,796.97	9,259.20	3,285.44	12,544.64
			अन्य	65.58	60.59	-	60.59
केंद्र एवं केंद्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	-	-	आर्थिक सेवायें	46,722.12	42,033.87	9,951.64	51,985.51
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	8,376.34	9,842.30	473.58	10,315.88
			ग्रामीण विकास	11,373.54	3,943.06	8,661.58	12,604.64
केंद्र प्रवर्तित योजनायें	13,316.88	14,966.05	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.99	1.06	0.49	1.55

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,697.12	1,791.25	4.10	1,795.35
वित्त आयोग अनुदान	3,121.46	7,331.55	उर्जा	21,207.49	22,749.71	-	22,749.71
			उद्योग एवं स्वनिज	271.17	401.04	1.00	402.04
राज्यों/ विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	3,598.98	6,807.93	परिवहन	1,826.60	2,018.02	564.98	2,583.00
			विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	21.93	13.99	1.47	15.46
			सामान्य आर्थिक सेवायें	1,945.94	1,273.44	244.44	1,517.88
			सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	0.09	0.07	-	0.07
योग	1,37,873.02	1,40,113.81	योग	1,66,773.19	1,56,479.09	20,006.01	1,76,485.10
II. अनुभाग-स्व को अग्रेषित किया गया राजस्व घाटा	28,900.17	36,371.29	II. अनुभाग-स्व को अग्रेषित किया गया राजस्व अधिशेष	-	-	-	-
योग	1,66,773.19	1,76,485.10	योग	1,66,773.19	1,56,479.09	20,006.01	1,76,485.10
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारंभिक रोकड़ शेष	9,376.99	5,793.75	III. भारतीय रिजर्व बैंक स प्रारंभिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	20.13	20.42	IV. पूंजीगत परिव्यय	19,638.20	13,041.94	1,676.11	14,718.05
			सामान्य सेवायें	588.26	378.10	85.32	463.42
			सामाजिक सेवायें	6,912.75	4,086.47	1,403.21	5,489.68
			शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	825.22	399.30	366.77	766.07
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	499.17	426.91	55.32	482.23
			जलापूर्ति, स्वच्छता,	5,183.67	3,081.69	825.32	3,907.01

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
			आवासन एवं शहरी विकास				
			सूचना एवं प्रसारण	1.98	2.11	-	2.11
			अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण	281.72	82.64	139.99	222.63
			समाज कल्याण एवं पोषण	36.95	26.38	15.81	42.19
			अन्य	84.04	67.44	-	67.44
			आर्थिक सेवायें	12,137.19	8,577.37	187.58	8,764.95
			कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियाँ	405.86	166.41	40.18	206.59
			ग्रामीण विकास	231.50	375.04	-	375.04
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	278.36	65.19	38.03	103.22
			सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	2,411.52	2,251.26	38.40	2,289.66
			उर्जा	3,969.15	2,362.48	-	2,362.48
			उद्योग एवं स्वनिज	22.13	28.08	-	28.08
			परिवहन	4,161.48	3,129.85	70.95	3,200.80
			विज्ञान, तकनीकी एवं पर्यावरण	1.06	0.78	-	0.78
			सामान्य आर्थिक सेवायें	656.13	198.28	0.02	198.30
			योग	19,638.20	13,041.94	1,676.11	14,718.05
V. ऋण एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15,158.41	15,669.75	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,113.09	-	-	2,255.18
विद्युत परियोजनाओं से	15,056.96	14,879.91	विद्युत परियोजनाओं के लिये	176.79	-	-	1,844.38
सरकारी कर्मचारियों से	0.07	0.76	सरकारी कर्मचारियों को	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
अन्यों से	101.38	789.08	अन्यों को	936.30	-	-	410.80
VI. अधोनित राजस्व अधिशेष	-	-	VI. अधोनित राजस्व घाटा	28,900.17			36,371.29
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	37,846.82	46,173.72	VII. लोक ऋण पुनर्भुगतान	16,914.80	-	-	20,032.69
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	35,204.94	41,964.36	अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अलावा आंतरिक ऋण	16,137.32	-	-	19,198.43
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,641.88	4,209.36	भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम का पुनर्भुगतान	777.48			834.26
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-		VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-
IX. आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि	-		IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,70,527.88	1,93,165.05	X. लोक लेखा संवितरण	1,60,570.22	-	-	1,79,741.07
लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	12,848.83	12,203.83	लघु बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	7,465.97	-	-	8,213.29
आरक्षित निधियाँ	4,150.19	7,692.20	आरक्षित निधियाँ	3,583.29	-	-	3,361.89
उच्चत एवं विविध	7.69	115.23	उच्चत एवं विविध	64.50	-	-	28.73
प्रेषण	2,429.44	3,753.05	प्रेषण	2,420.02	-	-	3,761.37

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2018-19	2019-20	संवितरण	2018-19	2019-20		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
जमा एवं अग्रिम	1,51,091.73	1,69,400.74	जमा एवं अग्रिम	1,47,036.44	-	-	1,64,375.79
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अंतिम ओवरड्राफ्ट	-	-	XI. अंत में रोकड़ शेष	5,793.75	-	-	7,704.41
			कोषालयों में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 12.27	-	-	(-) 26.91
			रिजर्व बैंक के पास जमायें	(-) 64.45	-	-	49.03
			विभागीय रोकड़ शेष स्थायी अग्रिम सहित	3.73	-	-	3.69
			रोकड़ शेष निवेश	2,154.46	-	-	5,807.73
			चिन्हित निवेश निधियां	3,712.28	-	-	1,870.87
योग	2,32,930.23	2,60,822.69	योग	2,32,930.23			2,60,822.69

स्रोत: वित्त लेखे।

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3.2.1; पृष्ठ 23)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग क. प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873	1,40,114
(i) कर राजस्व	42,713(42)	44,372(41)	50,605(40)	57,380(42)	59,245(42)
कृषि आय पर कर	- ⁴	- ⁴	- ⁴	- ⁴	-
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	12,137(24)	22,938(40)	21,954(37)
विक्री, व्यापार आदि पर कर	26,345(62)	28,558(64)	19,008(38)	14,791(26)	15,843(27)
राज्य उत्पाद शुल्क	6,713(16)	7,054(16)	7,276(14)	8,694(15)	9,592(16)
वाहनों पर कर	3,199(7)	3,623(8)	4,363(9)	4,576(8)	4,951(8)
मुद्रांक एवं पंजीकरण शुल्क	3,234(7)	3,053(7)	3,675(7)	3,886(7)	4,235(7)
भू-राजस्व	272(1)	315(1)	364(1)	290(1)	364(1)
वस्तु एवं यात्रियों पर कर	848(2)	803(2)	341(1)	51(-)	41(-)
अन्य कर	2,102(5)	966(2)	3,441(7)	2,154(3)	2,265(4)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	10,928(11)	11,615(10)	15,734(12)	18,603(13)	15,714(11)
(iii) संधीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	27,916(28)	33,556(31)	37,028(29)	41,853(30)	36,049(26)
(iv) भारत सरकार से सहाय्यतार्थ अनुदान	18,728(19)	19,483(18)	23,940(19)	20,037(15)	29,106(21)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	25	28	16	20	20
3. ऋण एवं अग्रिमों की वसुलियाँ	1,447	1,713	15,134	15,158	15,670
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	1,01,757	1,10,767	1,42,457	1,53,051	1,55,804
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	60,998	43,889	28,557	37,847	46,173
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	59,249(97)	40,434(92)	27,000(95)	35,205(93)	41,964(91)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,749(3)	3,455(8)	1,557(5)	2,642(7)	4,209(9)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,62,755	1,54,656	1,71,014	1,90,898	2,01,977
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	-	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,46,910	1,56,045	1,56,811	1,70,528	1,93,165
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	3,09,665	3,10,701	3,27,825	3,61,426	3,95,142
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773	1,76,485
सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित)	31,016(29)	39,203(31)	43,451(30)	54,364(33)	56,186(32)
सामाजिक सेवायें	43,349(41)	49,372(39)	53,064(36)	65,687(39)	68,313(39)
आर्थिक सेवायें	31,874(30)	38,565(30)	49,327(34)	46,722(28)	51,986(29)
सहाय्यतार्थ अनुदान एवं अंशदान	- ⁵	- ⁵	- ⁵	- ⁵	- ⁵
11. पूंजीगत व्यय	21,986	16,980	20,623	19,638	14,718
सामान्य सेवायें	441(2)	437(2)	527(3)	588(3)	463(3)
सामाजिक सेवायें	5,996(27)	6,214(37)	7,221(35)	6,913(35)	5,490(37)
आर्थिक सेवायें	15,549(71)	10,329(61)	12,875(62)	12,137(62)	8,765(60)
12. ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	36,602	12,965	1,334	1,113	2,255
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524	1,93,458
14. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,959	5,015	11,674	16,915	20,032
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट को छोड़कर)	4,434(89)	4,441(89)	11,041(95)	16,137(95)	19,198(96)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत निवल लेनदेन	-	-	-	-	-
भारत सरकार को ऋण एवं अग्रिम	525(11)	574(11)	633(5)	778(5)	834(4)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-	-
16. संवित निधि से कुल संवितरण (13+14+15)	1,69,786	1,62,100	1,79,473	2,04,439	2,13,490
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	1,40,431	1,48,886	1,47,088	1,60,570	1,79,741
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	3,10,217	3,10,986	3,26,561	3,65,009	3,93,231

4. 2015-16: ₹ 0.01 लाख, 2016-17: मात्र ₹ 202, 2017-18: ₹ 0.02 लाख और 2018-19: ₹ 0.23 लाख।

5. 2015-16: ₹ 0.10 करोड़, 2016-17: ₹ 0.06 करोड़, 2017-18: ₹ 0.11 करोड़, 2018-19: ₹ 0.09 करोड़ और 2019-20: ₹ 0.07 करोड़.

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(-) 5,954	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900	(-) 36,371
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 63,070	(-) 46,318	(-) 25,342	(-) 34,473	(-) 37,654
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-) 51,062	(-) 28,641	(-) 5,622	(-) 12,778	(-) 14,011
भाग: घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में शामिल)	12,008	17,677	19,720	21,695	23,643
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	31,725	32,892	34,985	34,862	41,025
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	04
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	04
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	0.29
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) ^७	6,81,482	7,60,750	8,35,170 ^७	9,42,586 ^७	10,20,989 ^७
28 बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अंत में)	2,09,386	2,55,002	2,81,182	3,11,374	3,52,702
29. बकाया प्रतिभूतियां (वर्ष के अंत में) (ब्याज सहित)	53,620	51,159	61,761	70,430	80,631
30 दी गयी प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अंत में)	1,61,236	1,18,161	1,12,057	1,31,026	1,44,676
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	169	197	247	279	329
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूंजी	13,072	17,668	20,176	26,409	31,374
भाग ३: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशतता में)					
I संसाधन गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/ जीएसडीपी	6.3	5.8	6.1	6.1	5.8
स्व कर-मिन्न राजस्व/ जीएसडीपी	1.6	1.5	1.9	2.0	1.5
केन्द्रीय हस्तांतरण/जीएसडीपी	6.8	7.0	7.3	6.6	6.4
II व्यय प्रबंधन (प्रतिशतता में)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	24.2	20.6	20.1	19.9	18.9
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	164.4	144.1	131.8	136.0	138.1
राजस्व व्यय/कुल व्यय	64.5	80.9	86.9	88.9	91.2
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	26.3	31.4	31.6	35.0	35.3
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	19.3	24.6	29.4	24.9	26.9
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	13.3	10.8	12.3	10.5	7.6
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	13.1	10.5	12.0	10.2	7.4
III राजकोषीय असंतुलन का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (अधिशेष+)/ जीएसडीपी	(-) 0.9	(-) 2.4	(-) 2.2	(-) 3.1	(-) 3.6
राजकोषीय घाटा / जीएसडीपी	(-) 9.2	(-) 6.1	(-) 3.0	(-) 3.7	(-) 3.7
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/ जीएसडीपी	(-) 7.5	(-) 3.8	(-) 0.7	(-) 1.4	(-) 1.4
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	9.4	39.1	73.1	83.8	96.6
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन					
राजकोषीय देयताएं/ जीएसडीपी	30.73	33.52	33.67	33.03	34.55
राजकोषीय देयताएं /RR	208.8	233.9	220.9	225.8	251.7
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ ऋण प्राप्तियाँ	75.0	86.1	96.5	95.9	92.6
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1
वित्तीय परिसंपत्तियाँ / देयताएं	0.85	0.80	0.76	0.69	0.62

स्रोत: वित्त लेखे।

टिप्पणी: कोष्ठक में संख्या प्रत्येक उप-शीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

७ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, राजस्थान सरकार।

संशोधित अनुमान-III

संशोधित अनुमान-I

\$ अग्रिम अनुमान

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 79)

ऋण की शब्दावली

मद	अर्थ क्या है
मार्गोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)	यह केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए सुविधा है जो कि रिजर्व बैंक से उधार लेकर अपनी प्राप्तियों और व्यय के नकदी प्रवाह में अस्थायी बेमेल को सही करने में सहायता करता है। इस तरह के अग्रिमों को अग्रिम लेने की तारीख से तीन माह की अवधि से पूर्व नहीं चुकाया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक ने कोविड 19 से (31 मार्च 2021 तक) निपटने के लिए मार्गोपाय अग्रिम की सीमा में 60 प्रतिशत अतिरिक्त की घोषणा की।
ओवर ड्राफ्ट	सरकारों को उनकी मार्गोपाय अग्रिम से अधिक मात्रा में राशि निकालने की अनुमति दी है। कोई भी राज्य एक निश्चित अवधि से अधिक के लिए आरबीआई के साथ ओवर ड्राफ्ट नहीं चला सकता है। एक राज्य 14 से 21 लगातार कार्य दिवसों और एक तिमाही के दौरान 36 से 50 कार्य दिवसों तक ओवर ड्राफ्ट में रह सकता है।
सरकारी प्रतिभूतियाँ	एक सरकारी प्रतिभूति (सेक्शन-जी) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक पारम्परिक साधन है। ऐसी प्रतिभूतियाँ अल्प कालिक (आमतौर पर एक वर्ष से कम की मूल परिपक्वता के साथ सरकारी बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ कहा जाता है) होती है। भारत में केन्द्र सरकार, ट्रेजरी बिल और बांड या दिनांकित प्रतिभूतियाँ दोनों को जारी करती है, जबकि राज्य सरकार केवल बांड या दिनांकित प्रतिभूतियों को जारी करती है, जिन्हें राज्य विकास ऋण (एसडीएल) कहा जाता है
टी-बिल	ट्रेजरी बिल केन्द्र सरकार द्वारा जारी अल्पकालिक प्रतिभूतियाँ हैं। उनकी परिपक्वता अवधि एक वर्ष तक होती है। इन प्रतिभूतियों को छूट दर पर बेचा जा सकता है और इसका भुगतान अंकित मूल्य पर किया जाता है, जो कि निवेशक कैसे अपना पैसा बनाते हैं। वर्तमान में सक्रिय टी बिल-91 दिनों के टी-बिल, 182 दिनों के टी-बिल और 364 दिनों के टी-बिल हैं।
टी-नोट्स	ट्रेजरी नोट्स ट्रेजरी बिलों की तुलना में लम्बी परिपक्वता अवधि की सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं। जिनकी परिपक्वता अवधि दो, तीन, पाँच, सात और 10 साल हो सकती है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।
टी-बांड	ट्रेजरी बाण्ड 30 साल की परिपक्वता अवधि के साथ दीर्घकालिक निवेश है। ब्याज का भुगतान हर छः माह में किया जाता है।

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 79)

बजट संबंधित शब्दों की शब्दावली

1. वर्ष के 'लेखे' या 'वास्तविक' – 1 अप्रैल से शुरू होने वाले और 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्तियों और संवितरणों की मात्राएँ हैं, जो अन्तिम रूप से लेखा प्राधिकारी की पुस्तकों में दर्ज की गई है (जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित है)। अनंतिम लेखों से तात्पर्य अनअंकेक्षित लेखों से है।
2. योजना, प्रस्ताव या कार्य की 'प्रशासनिक स्वीकृति' -व्यय के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई औपचारिक स्वीकृति है। जिसे बजट में निधियों के प्रावधान के साथ लिया गया, यह उस विशेष वर्ष के दौरान कार्य के लिये वित्तीय स्वीकृति के रूप में कार्य करता है जिसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है।
3. 'वार्षिक वित्तीय विवरण'-जिसे बजट के रूप में भी जाना जाता है, का मतलब संसद/राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी गई प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केन्द्र/राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है।
4. 'विनियोग'- का अर्थ है संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत राशि जो विनियोग की विभिन्न प्राथमिक इकाई या उसके हिस्से के अन्तर्गत व्यय के लिए संवितरण अधिकारी द्वारा निपटान में रखी जाती है।
5. 'प्रभारित व्यय' – का अर्थ है कि ऐसा व्यय जो संविधान के प्रावधानों के तहत विधानमंडल के मत हेतु प्रस्तुत नहीं किया जाना है।
6. 'भारत/राज्य की समेकित निधि'- संघ/राज्य सरकार के सभी राजस्व, इसके द्वारा एकत्र किये गये ऋण और भारत/राज्य के समेकित निधि से ऋणों के पुनर्भुगतान हेतु प्राप्त समस्त राशि से है। इस कोष से राशि को कानून के अनुसार और संविधान में दिए गए तरीके के अलावा विनियोजित नहीं किया जा सकता है।
7. 'आकस्मिकता निधि'- एक अग्रदाय/पेशगी की प्रकृति के रूप में है। आकस्मिकता निधि का उद्देश्य कार्यकारी/सरकार को वर्ष के दौरान ऐसे अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिये अनुमत्य है जिनका संसद/विधानसभा द्वारा प्रधिकृतिकरण लम्बित है, को अग्रिम प्रदान करना है। आकस्मिकता निधि से आहरित राशि की अनुपूरक मांग के माध्यम से संसद/विधानसभा के अनुमोदन के पश्चात प्रतिपूर्ति की जाती है।
8. 'नियंत्रण अधिकारी (बजट)'- का अर्थ है कि एक अधिकारी जिसे विभाग द्वारा व्यय को नियंत्रित करने और/या राजस्व के संग्रह की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष और प्रशासक भी शामिल है।
9. 'आहरण एवं संवितरण अधिकारी' (डी.डी.ओ)-का अर्थ है कार्यालयाध्यक्ष तथा किसी भी अन्य अधिकारी जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा बिलों के आहरण तथा राज्य सरकार की ओर से भुगतान करने हेतु नामित किया गया है। इस शब्द में विभागाध्यक्ष भी शामिल हो सकता है जहाँ वह स्वयं ऐसे कार्य का निर्वहन करता है।
10. 'आधिक्य अनुदान' – आधिक्य अनुदान का अर्थ है कि मूल/अनुपूरक अनुदान के माध्यम से अनुमत किये गये प्रावधान से अधिक और ज्यादा व्यय की राशि, जिसे संविधान के अनुच्छेद 115/205 के अन्तर्गत संसद/विधानसभा के द्वारा आधिक्य अनुदान के नियमन की आवश्यकता होती है।

11. 'नई सेवा'- संविधान के अनुच्छेद 115 (1) (a)/ 205 (1)(a) के अनुसार नई सेवा का अर्थ है एक नई गतिविधि या निवेश के नये रूप सहित एक नीतिगत निर्णय से उत्पन्न होने वाला व्यय जिसे पूर्व में संसद/विधानसभा के संज्ञान में नहीं लाया गया।
12. 'सेवा का नया साधन'— का अर्थ है कि मौजूदा गतिविधि में महत्वपूर्ण विस्तार से उत्पन्न होने वाले अपेक्षाकृत अधिक व्यय से है।
13. 'लोक लेखा'- का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 266(2) में संदर्भित लोक लेखा से है। प्राप्तियां और संवितरण जैसे कि जमा, आरक्षित निधि, प्रेषण आदि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है, लोक लेखा में शामिल होती है। लोक लेखा से संवितरण संसद/राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं है, क्योंकि वे भारत/राज्य की समेकित निधि से जारी किया गया धन नहीं हैं।
14. 'पुनर्विनियोजन'- का अर्थ है किसी अनुदान/प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ प्रत्याशित बचत है से दूसरी इकाई के अन्तर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्तान्तरण से है।
15. 'संशोधित अनुमान'- एक वित्तीय वर्ष के लिए संभावित प्राप्तियों या व्यय का अनुमान है जो उस वर्ष के लिए जिसमें पहले से दर्ज किये गए लेन देनों के सन्दर्भ में और पहले से जारी आदेशों के अनुसरण में शेष वर्ष के लिए पूर्वानुमान किये गए हैं।
16. 'अनुदानों के लिए अनुपूरक माँग' — विधायिका के समक्ष रखने से पूर्व अनुदानों के लिए अनुपूरक माँगों का अर्थ है उस वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में प्राधिकृत व्यय से ऊपर और अधिक एक वित्तीय वर्ष के संबंध में ओर अधिक आवश्यक व्यय की अनुमानित राशि दिखाने से है। अनुपूरक की माँग टोकन, तकनीकी या मूल/नगदी हो सकती है।
 - अ) नगद अनुपूरक मूल बजट प्रावधानों से अधिक है और ऊपर है तथा माँग/अनुदान के लिए आवंटन में वृद्धि का परिणाम है। इसे अन्तिम उपाय के रूप में और उचित परिश्रम के बाद प्राप्त किया जाना चाहिए। वर्तमान में, इस पद्धति का अनुसरण राज्य द्वारा किया जाता है।
 - ब) प्रत्येक माँग के चार खण्ड होते हैं अर्थात् राजस्व दत्तमत, राजस्व प्राभारित, पूंजीगत दत्तमत और पूंजीगत प्रभारित। तकनीकी अनुपूरक राज्य विधानमंडल की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद, किसी भी अन्य खण्ड/अनुभाग के लिए किसी एक खण्ड/अनुभाग की बचत का उपयोग करने की अनुमति देता है।
 - स) टोकन अनुपूरक अनुदान के उसी खण्ड के तहत बचत के उपयोग की अनुमति देता है।
17. 'मुख्य शीर्ष'- राज्य की प्राप्तियों और संवितरणों को दर्ज करने और वर्गीकृत करने के उद्देश्य के लिए एक मुख्य खाता है। एक मुख्य शीर्ष, विशेष रूप से, समेकित निधि के तहत आने वाला, सामान्यतः सरकार के एक कार्यकलाप जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि का मेल खाता है।
18. 'उप मुख्य शीर्ष'- का अर्थ है एक मुख्य शीर्ष और उसके नीचे उपशीर्ष के बीच दर्शाये गये मध्यवर्ती लेखाशीर्ष से है, जब उप शीर्ष अधिक होते हैं तो उन्हें इस मध्यवर्ती लेखाशीर्ष के अन्तर्गत आसानी से एक साथ समूहीकृत किया जा सकता है।

19. 'लघु शीर्ष'- का अर्थ है एक प्रमुख शीर्ष या एक उप प्रमुख शीर्ष के अधीनस्थ शीर्ष से है। मुख्य शीर्ष के अधीनस्थ एक लघु शीर्ष मुख्य शीर्ष द्वारा दर्शाये गये कार्यकलाप के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम की पहचान करता है।
20. 'उप-शीर्ष'- का अर्थ है लघु शीर्ष के अधीन अगले लेखे की इकाई है। जो कि लघु शीर्ष या कार्यक्रम के अन्तर्गत योजना या संगठन को सामान्यतया दर्शाती है।
21. 'मुख्य कार्य'- का अर्थ है मूल कार्य जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक होती है।
22. 'लघु कार्य'- का अर्थ है मूल कार्य जिसकी अनुमानित लागत विभागीय शुल्कों के अतिरिक्त राशि सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित राशि से अधिक होती है।
23. 'संशोधित अनुदान या विनियोग'- का अर्थ है किसी विनियोग के उप शीर्ष को आवंटित राशि जो कि पुनर्विनियोजन या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त स्वीकृत या अनुपूरक अनुदान की स्वीकृति के बाद प्राप्त होती है।
24. 'अनुपूरक या अतिरिक्त अनुदान या विनियोग'- का अर्थ है उस वर्ष के विनियोग अधिनियम में पूर्व में शामिल राशि से अधिक व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष के अध्ययन के दौरान विनियोग विधेयक में शामिल प्रावधान है।
25. 'नये व्यय की अनुसूची'- का अर्थ है नये व्यय हेतु आगामी वर्ष के बजट में सम्मिलित करने के लिये प्रस्तावित मदों का विवरण है।
26. 'टोकन मांग'- का अर्थ है कि विधानसभा हेतु एक मामूली या टोकन राशि की मांग की जाती है। उदाहरण के लिये यह स्वीकृत बजट अनुदान में से बचत से नयी सेवा हेतु सम्पूर्ण व्यय को पूरा करने के लिये प्रस्ताव है।
27. 'सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर'- ब्याज भुगतान/ (पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि/2)*100

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.2; पृष्ठ 84)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थीं)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	प्रावधान				वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य(+) बचत (-)
			मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	योग		
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन								
1	16-पुलिस	2055-109-11-01	3369.58	61.70	(-) 141.11	3290.16	3288.79	(-) 1.37
2	21-सड़कें एवं पुल	5054-03-337-05	519.38	0	(-) 300.09	219.29	215.83	(-) 3.46
3	27-पेयजल योजना	4215-01-102-79	67.86	0	(-) 50.96	16.9	15.86	(-) 1.04
		2215-01-102-01	1617.35	50.53	(-) 116.63	1551.25	1550.17	(-) 1.08
4	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-107-06-02	68.00	0	(-) 8.52	59.48	56.45	(-) 3.03
5		4215-01-796-01-16	31.06	0	(-) 4.48	26.58	25.22	(-) 1.36
6	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-03-05	900	0	(-) 825.04	74.96	61.37	(-) 13.59
7		2245-01-800-03-06	645.52	0	(-) 14.22	265.56	246.57	(-) 18.98
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन								
8	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4700-34-796-01	28.00	0	(+) 1.36	29.36	22.86	(-) 6.51
9	46-सिंचाई	4700-34-001-01-01	121.08	0	(+) 5.50	126.58	98.52	(-) 28.06
10	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु	4215-01-789-01-45	0.50	0	(+) 1.95	2.45	(-) 0.51	(-) 2.96
11	विशिष्ट संघटक योजना	4700-34-789-01	50.92	0	(+) 1.32	52.24	47.64	(-) 4.6
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन								
12	7-निर्वाचन	2015-105-01	245.27	0	(+) 12.87	258.14	256.32	(-) 1.82
13	12-अन्य कर	2030-02-102-01-01	12.30	0	(+) 7.05	19.35	15.6	(-) 3.75
14	15-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-105-01-01	2528.6	0	(+) 20.87	2549.47	2534.18	(-) 15.29
15	21-सड़कें एवं पुल	5054-04-800-02-01	712.83	0	(+) 71.14	783.97	782.77	(-) 1.20
16		3054-80-797-03	750.00	0	(-) 43.69	0	415.17	(+) 415.17
17	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03	0.12	0	(+) 22.27	22.39	19.35	(-) 3.04
18	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2235-60-196-02-03	534.48	0	67.82	602.3	584.44	(-) 17.86
19	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2235-60-196-02-01	2877.44	0	(+) 284.93	3162.37	3130.78	(-) 31.59
20	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-114-09-01	30.00	0	(+) 345.24	375.24	372.52	(-) 2.72
21		2245-02-114-10-01	30.00	0	(+) 131.15	161.15	160.1	(-) 1.05
22		2245-02-114-11-01	0	24.45	(+) 98.11	122.56	121.47	(-) 1.10
23	41-सामुदायिक विकास	2515-198-33-01	2197.29	358.40	(+) 905.84	3461.53	3459.47	(-) 2.06
24	46-सिंचाई	2700-01-001-03	24.9	0	(+) 1.68	26.58	25.14	(-) 1.44
25		2700-80-800-02-01	29.02	0	(+) 2.89	31.91	30.56	(-) 1.35
26	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2225-01-196-13	60.00	0	(+) 14.86	74.86	71.83	(-) 3.03
27		2225-01-789-01	437.32	0	(+) 81.10	518.42	513.05	(-) 5.37
28		2235-60-196-02-02	682.68	0	(+) 44.27	726.95	708.61	(-) 18.34
29		2235-60-196-03-02	316.40	0	(+) 22.88	339.28	336.73	(-) 2.55
30		4700-32-789-01	99.00	0	(+) 8.98	107.98	105.58	(-) 2.40

स्रोत: विनियोग लेख

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 85)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधानों में से ₹ 100 करोड़ से अधिक की रही।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक	बचतें	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के आलावा बचतें
	राजस्व प्रभारित							
1	ब्याज अदायगियां	23,132.65	626.39	23,759.04	23,643.27	115.77	113.31	(-)2.46
	राजस्व दत्तमत							
2	6-न्याय प्रशासन	1,142.95	0.00	1,142.95	952.66	190.29	189.95	(-) 0.34
3	7-निर्वाचन	618.21	0.00	618.21	469.44	148.77	146.33	(-) 2.44
4	8-राजस्व	836.54	0.00	836.54	712.18	124.36	124.18	(-) 0.18
5	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	22,567.68	0.00	22,567.68	20,759.76	1,807.92	1,735.77	(-) 72.15
6	16-पुलिस	6,362.99	74.40	6,437.39	6,169.33	268.06	272.14	(+) -4.08
7	19-लोक निर्माण कार्य	556.19	0.00	556.19	442.64	113.55	113.27	(-) 0.29
8	21-आवास	2,528.34	63.87	2,592.21	2,217.59	374.62	939.42	(+) 564.80
9	23-श्रम तथा रोजगार	1,033.97	0.00	1,033.97	893.64	140.33	140.30	(-) 0.03
10	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	32,286.18	0.00	32,286.18	28,544.98	3,741.20	3,738.26	(-) 2.92
11	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	10,189.19	95.99	10,285.18	9,593.02	692.15	690.23	(-) 1.93
12	27-पेयजल योजना	3,999.86	50.53	4,050.39	3,628.51	421.88	419.23	(-) 2.65
13	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	645.24	0.00	645.24	431.45	213.79	213.79	(-) 0.00
14	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4,916.82	0.00	4,916.82	4,016.24	900.58	900.51	(-) 0.07
15	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	14,109.46	0.00	14,109.46	12,589.35	1,520.11	1,491.03	(-) 29.08
16	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	7,942.84	0.00	7,942.84	7,476.66	466.17	424.25	(-) 41.92
17	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	5,019.99	24.45	5,044.44	3,826.68	1,217.76	1,135.95	(-) 81.81
18	37-कृषि	2,502.34	0.00	2,502.34	2,168.48	333.86	333.72	(-) 0.14
19	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	1,696.20	0.00	1,696.20	1,535.16	161.04	160.90	(-) 0.14
20	41-सामुदायिक विकास	5,947.43	358.41	6,305.84	5,537.12	768.72	766.47	(-) 2.25
21	42-उद्योग	428.64	0.00	428.64	327.44	101.20	101.03	(-) 0.17
22	46-सिंचाई	1,984.17	34.60	2,018.77	1,853.53	165.24	139.35	(-) 25.89
23	48-विद्युत	17,418.43	0.00	17,418.43	15,312.61	2,105.82	2,105.82	(-) 0.00
24	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	16,697.55	0.00	16,697.55	14,669.47	2,028.08	1,992.29	(-) 35.79

क्र. सं.	संख्या एवं अनुदान का नाम	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक	बचतें	अभ्यर्पण	अभ्यर्पण के आलावा बचतें
	पूंजीगत दत्तमत							
25	19-लोक निर्माण कार्य	805.24	0.00	805.24	422.12	383.12	379.75	(-) 3.37
26	21-सड़कें एवं पुल	3,759.48	0.00	3,759.48	3,299.51	459.97	491.69	(+) 31.72
27	22-क्षेत्र का विकास	268.05	0.00	268.05	131.38	136.67	136.42	(-) 0.25
28	23-श्रम तथा रोजगार	31.00	0.00	31.00	-0.44	31.44	31.00	(-) 0.44
29	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	539.22	62.00	601.22	495.24	105.99	105.99	(-) 0.00
30	27-पेयजल योजना	3,244.50	0.00	3,244.50	2,221.98	1,022.52	983.57	(-) 38.95
31	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,300.87	0.00	1,300.87	811.25	489.62	454.11	(-) 35.51
32	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3,190.76	0.00	3,190.76	2,552.84	637.93	628.12	(-) 9.80
33	37-कृषि	246.80	0.00	246.80	118.39	128.41	112.37	(-) 16.04
34	46-सिंचाई	1,866.58	30.29	1,896.87	1,635.34	261.53	223.69	(-) 37.84
35	48-विद्युत	2,787.48	0.00	2,787.48	2,570.76	216.72	216.72	(-) 0.00
36	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4,178.83	0.00	4,178.83	3,194.20	984.63	966.66	(-) 17.97
	योग	2,06,782.67	1,420.92	2,08,203.59	1,85,223.78	22,979.81	23,117.59	(-) 137.78

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 3.3.3; पृष्ठ 89)

₹ एक करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान का नाम	बचतें	अभ्यर्पित राशि	अनअभ्यर्पित राशि
राजस्व प्रभारित			
2049-ब्याज अदायगियां	115.78	113.31	2.47
राजस्व दत्तमत			
7-निर्वाचन	148.77	146.33	2.44
12-अन्य कर	97.81	93.95	3.86
15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	1,807.92	1,735.77	72.15
24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	3,741.19	3,738.26	2.93
26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	692.15	690.23	1.92
27-पेयजल योजना	421.88	419.23	2.65
30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	1,520.11	1,491.03	29.08
33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	466.17	424.25	41.92
34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	1,217.76	1,135.95	81.81
41-सामुदायिक विकास	768.72	766.47	2.25
46-सिंचाई	165.24	139.35	25.89
51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2,028.08	1,992.29	35.79
पूंजीगत दत्तमत			
15- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10.44	4.19	6.25
16-पुलिस	67.09	65.35	1.74
19-लोक निर्माण कार्य	383.12	379.75	3.37
26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	78.02	76.52	1.50
27-पेयजल योजना	1,022.53	983.57	38.95
29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	489.61	454.11	35.50
30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	637.93	628.12	9.81
37-कृषि	128.41	112.37	16.04
46-सिंचाई	261.53	223.69	37.84
51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	984.63	966.66	17.97
योग	17,254.89	16,780.75	474.14

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ अनुच्छेद 3.4.1; पृष्ठ 91)

एकमुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण ₹ 5 करोड़ से अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय
1.	19-लोक निर्माण कार्य	4059.80.051.03.01 नवीन उच्च न्यायालय भवन जोधपुर (आरएसआर डीसीसी के माध्यम से)	36.50	15.75
2.		4059-80-051-03-03 अन्य न्यायिक भवन	173.99	68.14
3.		4059-80-051-05-01 मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से	51.59	23.62
4.		4210-03-105-11-90 निर्माण कार्य	166.67	81.31
5.	20-आवास	4216-01-700-01-90 निर्माण कार्य (मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से)	64.86	9.08
6.	21-सड़के एवं पुल	5054-03-337-05 केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	519.38	215.83
7.	22-क्षेत्र का विकास	4705-102-01-01 भूमि विकास	34.79	5.33
8.		4705-107-01-03 भूमि विकास कार्य (गंग नहर परियोजना क्षेत्र) फेज-II	37.2	10.62
9.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	4202-01-202-17-01 माध्यमिक विद्यालयों के तहत निर्माण	60	15
10.		4202-01-202-18-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण	122.50	28.57
11.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	4210-01-110-07-01 निर्माण कार्य	30.16	8.62
12.	27-पेयजल योजना	4215-01-101-01-27 जवाई-पाली-जालौर-जलापूर्ति परियोजना (जवाई-जोधपुर पाईप लाईन परियोजना)	17.25	0.75
13.		4215-01-101-01-44 नागौर लिफ्ट कैनाल, फेज-I	28	2.89
14.		4215-01-101-01-49 टोंक-देवली-उनियारा जलापूर्ति परियोजना	28.5	9.85
15.		4215-01-101-01-61 शहरी जलापूर्ति परियोजना, जोधपुर (ईएपी)	69	33.2
16.		4215-01-101-11-02 बीसलपुर-जयपुर जलापूर्ति परियोजना, फेज-II(शहरी)	24.04	0.02
17.		4215-01-102-01-25 उम्मेद सागर जलापूर्ति परियोजना (नाबार्ड)	25	1.9
18.		4215-01-102-01-55 माही बांध से जिला बासंवाडा के सज्जनगढ एवं कुशलगढ ब्लाक के गांवों की जलापूर्ति योजना (ग्रामीण)	81.21	31.29
19.		4215-01-102-19 चम्बल बालेर-सवाई माधोपुर जलापूर्ति योजना	25.05	9.74
20.		4215-01-102-39 पोकरण-फलसुण्ड जलापूर्ति योजना	76.96	39.17
21.		4215-01-102-40	37.1	17.48

क्र.सं	अनुदान	लेखाशीर्ष	प्रावधान	व्यय
		डीग जलापूर्ति योजना		
22.		4215-01-102-50 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज द्वितीय	35.1	0.04
23.		4215-01-102-62 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज द्वितीय पार्ट-सी (473 गांवों की क्लस्टर योजना)	91.5	42.91
24.		4215-01-102-65 गागरिन जलापूर्ति योजना	32.5	13.23
25.		4215-01-102-78 नर्मदा परियोजना क्लस्टर (डीआर)	62.5	25.61
26.		4215-01-102-84 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	52.75	14.41
27.		4215-01-102-61 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज द्वितीय पार्ट-बी (68 गांवों की क्लस्टर योजना)	19.69	4.09
28.		4215-01-102-79 इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	67.86	15.86
29.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4202-01-796-19-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	24.36	5.49
30.		4215-01-796-01-52 इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	29.92	7.26
31.		4215-01-796-01-76 माही बांध से जिला बासंवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गांवों की पेयजल योजना (ग्रामीण)	30.12	11.53
32.		4225-02-796-11-03 एकलव्य मोडल आवासीय विद्यालयों का निर्माण एवं नवीनीकरण	20	2.72
33.		5054-03-796-07 केन्द्रीय सड़क निधि से पोषित सड़कें	96.52	41.37
34.	46-सिंचाई	4701-73-001-01-01 निर्माण कार्य	46.4	1.35
35.	47-पर्यटन	5452-80-800-01 पर्यटन स्थलों का विकास	25.99	4.83
36.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4202-01-789-14-01 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	32.75	6.94
37.		4210-01-789-01-90 निर्माण कार्य	44.16	10.61
38.		4215-01-789-01-58 नर्मदा से शिव तहसील जिला बाडमेर जलापूर्ति परियोजना (205 गांव)	26.00	19.22
39.		4215-01-789-01-56 इसरदा बांध का निर्माण (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	37.22	8.68
40.		4215-01-789-01-81 माही बांध से जिला बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ एवं कुशलगढ़ ब्लॉक के गांवों की पेयजल योजना (ग्रामीण)	38.67	17.29
		योग	2,523.76	881.60

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.3; पृष्ठ 103)

योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ एक करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
1.	8-राजस्व	2029-103-09-01 वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला	1.00	0.89	0.00
2.	9-वन	4406-01-070-02 प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन विभाग के माध्यम से	1.54	0.84	0.00
3.		4406-02-110-16-01 विकास कार्य	1.50	₹ 1000	0.00
4.	12-अन्य कर	5055-800-01-01 सड़क सुरक्षा गतिविधियों पर पूंजीगत परिव्यय	3.00	₹ 1000	0.00
5.	14-बिक्री कर	2040-800-02-02 ब्याज अनुदान	5.25	₹ 1000	0.00
6.	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-01-117-01-02 सेवानिवृत्ति के अंतिम तीन माह हेतु राज्य सरकार का अंशदान-प्रतिबद्ध	1.00	₹ 1000	0.00
7.	16-पुलिस	2055-115-10-01 केन्द्र की स्थापना	1.00	-	0.00
8.		4055-207-01-04 कंप्यूटर पुलिस	17.00	-	0.00
9.	19-लोक निर्माण कार्य	4225-03-277-01-90 निर्माण कार्य	2.52	₹ 2000	0.00
10.		4250-201-02-90 निर्माण कार्य	1.02	0.05	0.00
11.	21-सड़कें एवं पुल	3054-03-337-04-02 आधुनिकीकरण	1.44	-	0.00
12.		3054-02-337-01-02 संधारण एवं जीर्णोद्धार	173.49	173.79	0.00
13.		3054-80-797-03 केन्द्रीय सड़क निधि को अन्तरण (100 प्रतिशत केन्द्रीय)	750.00	611.79	0.00
14.		5054-04-337-17-01 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	60.73	₹ 1000	0.00
15.		5054-02-337-03 सीमावर्ती सड़क विकास मंडल के माध्यम से	42.00	42.00	0.00
16.	22-क्षेत्र का विकास	2575-02-102-01-01 मुख्यालय	0.60	0.05	0.00
17.	23-श्रम तथा रोजगार	4250-203-04-01 प्रशिक्षण (संयंत्र और उपकरण)	21.50	-	0.00
18.		4250-203-07-01 वोकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रुवमेन्ट प्रोजेक्ट (वर्ल्ड बैंक सहायता अन्तर्गत) (संयंत्र और उपकरण)	8.00	-	0.00
19.		4250-203-10-01 अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में आई.टी.आई. (संयंत्र और उपकरण)	1.50	-	0.00
20.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-01-001-04-01 राज्य स्तरीय समन्वय प्रकोष्ठ हेतु सहायता	3.00	₹ 1000	0.00
21.		2202-02-110-02 अन्य विद्यालय-प्रतिबद्ध	1.00	1.00	0.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
22.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-03-102-05 महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर को अनुदान-प्रतिबद्ध	7.00	5.00	0.00
23.		2202-03-102-16 डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर को अनुदान	3.00	-	0.00
24.		2202-03-104-01 अध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान	6.67	6.80	0.00
25.		2202-03-800-03 कॉलेज शिक्षा विभाग की नवाचार/नवीन योजनाएं	2.47	₹ 1000	0.00
26.		4202-01-202-14-01 माडल स्कूल-निर्माण कार्य	24.80	₹ 1000	0.00
27.		4202-01-203-06-01 भवन	3.86	3.84	0.00
28.		4202-02-104-02 निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	7.44	₹1000	0.00
29.		4202-03-102-01 खेल विभाग के माध्यम से - जिला खेल कम्प्लेक्स	2.98	₹ 1000	0.00
30.		27-पेयजल योजना	2215-02-192-01-01 नगरपालिकाओं को सहायतार्थ-अनुदान प्रतिबद्ध	6.60	6.60
31.	4215-01-101-01-31 चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलापूर्ति योजना		27.05	₹ 1000	0.00
32.	4215-01-101-01-81 चम्बल-भीलवाडा जलापूर्ति योजना-कलस्टर		17.25	₹ 1000	0.00
33.	4215-01-101-01-84 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना		20.70	2.44	0.00
34.	4215-01-101-01-86 इसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)		17.25	₹ 1000	0.00
35.	4215-01-101-01-88 जवाई, पाली पाईपलाईन परियोजना फेज.-II पार्ट-ब (शहरी)		2.07	₹ 1000	0.00
36.	4215-01-101-11-05 डूंगरपुर, आसपुर एवं दोवडा पेयजल परियोजना		13.25	₹1000	0.00
37.	4215-01-102-01-51 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरौही जिले हेतु पेयजल परियोजना (शहरी)		17.25	8.37	0.00
38.	4215-01-102-01-54 जाखम बांध से जिला प्रतापगढ के गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)		3.45	1.32	0.00
39.	4215-01-102-01-60 झालीजी का बराना पेयजल परियोजना		3.45	₹ 1000	0.00
40.	4215-01-102-01-63 परवन-अकावाद पेयजल परियोजना		3.45	1.32	0.00
41.	4215-01-102-01-67 हरीपुरा माँजी पेयजल परियोजना जिला कोटा		3.45	₹ 1000	0.00
42.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		2501-05-196-08-01 जल विकास एवं मृदा संरक्षण विभाग के माध्यम से	82.91	-

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय	
43.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01-01 अजमेर स्मार्ट सिटी	15.00	₹1000	0.00	
44.		2217-05-800-01-02 जयपुर स्मार्ट सिटी	15.00	30.00	0.00	
45.		2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी	15.00	₹ 1000	0.00	
46.		2217-80-191-14-04 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान	9.68	₹ 1000	0.00	
47.		2217-80-191-41-01 अन्नपूर्णा योजना (सामान्य)	15.36	₹ 1000	0.00	
48.		2217-80-192-14-04 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान	24.39	₹1000	0.00	
49.		2217-80-192-33-01 विद्युत बिलों का भुगतान-प्रतिबद्ध	120.00	10.00	0.00	
50.		2217-80-192-36-01 विद्युत प्रभार हेतु-प्रतिबद्ध	21.00	21.00	0.00	
51.		2217-80-192-36-02 वितरण प्रणाली में सुधार हेतु-प्रतिबद्ध	1.30	1.30	0.00	
52.		2217-80-192-36-03 अनुरक्षण एवं मरम्मत-प्रतिबद्ध	1.10	1.10	0.00	
53.		2217-80-192-44-01 अन्नपूर्णा योजना (सामान्य)	57.77	₹ 1000	0.00	
54.		2217-80-797-02 राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध	250.00	30.00	0.00	
55.		4217-03-800-01-05 विभिन्न शहरी निकायों की जल प्रदाय योजनाओं में सुधार कार्य	4.35	4.35	0.00	
56.		30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-796-18 लेपटाप वितरण	17.00	₹ 1000	0.00
57.			2202-03-796-07 अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान	1.50	1.42	0.00
58.	2205-796-02 राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रौन्नति प्राधिकरण, जयपुर		3.64	0.00	0.00	
59.	2217-80-191-14-06 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान		1.90	₹ 1000	0.00	
60.	2217-80-191-41-03 अन्नपूर्णा योजना (अनुसूचित जनजातियों के लिये उपयोजना)		3.01	₹ 1000	0.00	
61.	2217-80-192-14-06 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान		4.79	₹1000	0.00	
62.	2217-80-192-44-03 अन्नपूर्णा योजना (अनुसूचित जनजातियों के लिये उपयोजना)		11.34	₹1000	0.00	
63.	2235-02-196-19-20 अनुसूचित जनजाति के बीपीएल परिवारों को जन बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)		7.02	-	0.00	

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
64.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2425-796-31 समग्र सहकारी विकास हेतु सहायता	1.99	-	0.00
65.		2515-196-42-02 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कार्यक्रम/ गतिविधियां)	6.69	8.94	0.00
66.		2515-198-34-02 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान (कार्यक्रम/ गतिविधियां)	30.32		0.00
67.		3454-02-796-05-01 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	13.20	0.49	0.00
68.		4202-01-796-11-90 निर्माण कार्य	4.00	₹1000	0.00
69.		4202-01-796-14-01 माडल स्कूल निर्माण कार्य	5.05	₹ 1000	0.00
70.		4210-01-796-08-01 औषधि नियंत्रक के माध्यम से	4.20	3.41	0.00
71.		4210-03-796-02-01 एस.एम.एस. चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	5.16	5.16	0.00
72.		4210-03-796-05-03 चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर	15.00	₹ 2000	0.00
73.		4210-03-796-08-02 चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	5.00	₹ 4000	0.00
74.		4210-03-796-08-03 चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर	5.00	5.00	0.00
75.		4215-01-796-01-10 नर्मदा जलप्रदाय योजना (एफ आर) नाबार्ड	1.67	1.53	0.00
76.		4215-01-796-01-27 बाडमेर लिफ्ट केनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-2	4.96	1.78	0.00
77.		4215-01-796-01-73 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोंही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)	3.25	1.68	0.00
78.		4215-01-796-02-06 चम्बल-बालेर-सवाई माधोपुर पेयजल परियोजना	7.85	₹ 1000	0.00
79.		4215-01-796-02-40 चम्बल-भीलवाडा पेयजल परियोजना-कलस्टर	3.25	₹ 1000	0.00
80.		4215-01-796-02-43 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	3.90	0.34	0.00
81.		4215-01-796-02-45 ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन के माध्यम से)	3.25	₹ 1000	0.00
82.	4215-01-796-02-56 डुंगरपुर, आसपूर एवं देवडा पेयजल परियोजना	5.25	₹ 1000	0.00	
83.	4215-01-796-02-58 बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)	4.87	1.65	0.00	
84.	4225-02-796-20-14 माँ -बाडी केन्द्र भवनों का निर्माण	13.20	-	0.00	
85.	4250-796-01-01 प्रशिक्षण (संयंत्र और उपकरण)	7.81	-	0.00	
86.	4401-796-07-06 कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	2.13	0.73	0.00	

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
87.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	4425-195-05-03 समग्र सहकारी विकास हेतु सहायता	3.33	-	0.00
88.		4700-37-796-01 निर्माण कार्य	2.10	₹ 10000	0.00
89.		4700-43-796-01-01 निर्माण कार्य	5.00	-	0.00
90.		4700-44-796-01-01 निर्माण कार्य	5.00	-	0.00
91.		4700-45-796-01-01 निर्माण कार्य	5.00	-	0.00
92.		4853-01-796-04-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.96	-	0.00
93.		5054-04-796-06-14 नाबार्ड आर.आई.डी.एफ.-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	11.93	₹ 1000	0.00
94.		5452-80-796-01 पर्यटक स्थलों का विकास	9.37	0.10	0.00
95.		5452-80-796-03 ग्रामीण पर्यटन का विकास	2.00	1.58	0.00
96.		33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-190-10-01 अन्य पिछड़ा वर्ग एवं सहकारी विकास निगम	4.30	₹1000
97.	2235-02-103-20-01 महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से		2.21	-	0.00
98.	2235-02-196-02-33 चिराली योजना		1.27	-	0.00
99.	2235-02-196-19-04 बी.पी.एल.परिवारों को जन श्री बीमा योजना हेतु अनुदान		1.92	₹ 1000	0.00
100.	2235-02-196-19-18 बी.पी.एल.परिवारों को जन बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)		12.48	-	0.00
101.	4225-04-800-01-01 छात्रावास भवन का निर्माण		4.17	1.50	0.00
102.	4235-02-103-09 महिला स्वयं सहायता ग्रुप भवन का निर्माण		1.00	-	0.00
103.	4235-02-800-09-01 महाविद्यालय स्तरीय छात्रावास भवन का निर्माण		7.00	0.13	0.00
104.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत		2245-01-101-14-02 वृद्ध, अशक्त एवं निसहाय बच्चों के लिए राहत	5.00	4.10
105.		2245-01-102-11-01 ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	11.00	8.95	0.00
106.		2245-01-102-11-02 नगरीय क्षेत्रों में पीने के पानी की आपातकालीन आपूर्ति	1.00	0.83	0.00
107.		2245-01-105-04-01 औषधियों एवं टीका दवाइयों पर अतिरिक्त लागत	2.50	2.18	0.00
108.		2245-01-800-03-01 अन्य विशेष राहत	1.00	0.95	0.00
109.		2245-01-800-04-02 संबंध पक्षों/कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	1.00	1.00	0.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
110.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-04-03 राज्य के आपदा प्रबन्धन केन्द्रों और प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता	1.00	1.00	0.00
111.		2245-01-800-04-05 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरणों का सुदृढीकरण	1.00	1.00	0.00
112.		2245-02-101-16-01 अन्य मद	1.00	1.00	0.00
113.		2245-02-109-02-01 बाढ़ से क्षतिग्रस्त जलापूर्ति, जल निकास आदि की मरम्मत	2.50	12.37	0.00
114.		2245-02-115-02-01 भूमि से रेत/गाद/लवणता हटाने हेतु सहायता	1.00	1.00	0.00
115.		2245-02-191-02-01 बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर निगमों को सहायता	1.00	1.00	0.00
116.		2245-02-192-02-01 बाढ़ से प्रभावित कार्यों हेतु नगर पालिका/नगर परिषदों को सहायता	2.00	2.00	0.00
117.		2245-02-193-02-01 बाढ़ से प्रभावित पंचायतों एवं अधिसूचित क्षेत्र समितियों को सहायता	1.00	1.00	0.00
118.		35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	5475-800-16-01 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	1.00	1.00
119.	37-कृषि	2401-109-16-02 बीज एवं रोपण सामग्री	3.50	2.10	0.00
120.		4401-800-03-07 कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	12.00	10.53	0.00
121.	41-सामुदायिक विकास	2515-198-34-01 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान (कार्यकलाप/गतिविधियां)	154.51	-	0.00
122.	42-उद्योग	2040-800-04-04 जीरो लिक्विड डिस्चार्ज वेस्ट ट्रीटमेन्ट प्लांट हेतु पूँजी अनुदान	3.00	1.35	0.00
123.		4885-60-800-25-01 उच्च शिक्षा-प्राप्ति केन्द्र	3.66	3.66	0.00
124.		6885-60-800-03-01 दिल्ली-मुम्बई इन्टरस्ट्रियल कारीडोर (डीएमआईसी)	5.00	-	0.00
125.	43-स्वनिज	2853-02-797-01 लेखा मद 8229-200-(07) माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरण सुधार-प्रतिबद्ध	41.23	47.96	0.00
126.		4853-01-004-07-02 स्वनिज क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	5.00	-	0.00
127.	46-सिंचाई	2700-02-800-03 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	37.25	36.01	0.00
128.		2700-22-800-02 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	10.69	10.64	0.00
129.		2701-02-800-01 अन्य व्यय- प्रतिबद्ध	3.42	3.42	0.00
130.		4700-41-001-01-01 निर्माण कार्य	4.10	-	0.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
131.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट सघटक योजना	2202-02-789-14 लेपटाप का वितरण	12.00	₹1000	0.00
132.		2202-03-789-05 अराजकीय प्रशिक्षण महाविद्यालय को अनुदान	1.83	1.78	0.00
133.		2202-03-789-07-01 मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरण	1.50	1.35	0.00
134.		2205-789-03 राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण, जयपुर	4.81	-	0.00
135.		2205-789-04-01 पुरातत्व विभाग के माध्यम से	2.94	1.78	0.00
136.		2217-80-191-14-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान	2.51	₹ 1000	0.00
137.		2217-80-191-41-02 अनुसूचित जातियों के लिए उपयोजना	3.99	₹ 1000	0.00
138.		2217-80-192-14-05 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत निष्पादन के लिये प्रोत्साहन अनुदान	6.33	₹ 1000	0.00
139.		2217-80-192-44-02 अनुसूचित जातियों के लिये उपयोजना	15.00	₹ 1000	0.00
140.		2225-01-196-21-01 छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना	2.00	₹ 1000	0.00
141.		2235-02-196-19-19 अनुसूचित जाति के बी.पी.एल.परिवारों को जन बीमा योजना हेतु सहायता (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)	6.50	-	0.00
142.		2401-789-03-12 राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर के माध्यम से जारी अनुदान	1.95	-	0.00
143.		2515-198-34-03 14 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिये सामान्य निष्पादन अनुदान (कार्यकलाप/गतिविधियां)	40.11	-	0.00
144.		2515-196-42-03 राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (कार्यकलाप/गतिविधियां)	5.06	11.92	0.00
145.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	1.50	₹ 1000	0.00
146.	3454-02-789-05-01 आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	15.50	0.39	0.00	
147.	4202-01-789-06-90 निर्माण कार्य	4.00	₹ 1000	0.00	
148.	4202-01-789-09-01 माडल स्कूल निर्माण कार्य	6.50	₹ 1000	0.00	
149.	4210-01-789-06-01 औषधि नियंत्रक के माध्यम से	4.87	4.49	0.00	
150.	4210-02-789-01-90 निर्माण कार्य	7.82	1.60	0.00	
151.	4210-03-789-02-01 एस.एम.एस.चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर	6.74	6.74	0.00	

क्र.सं.	अनुदान संख्या तथा नाम	योजना का नाम	अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय	वास्तविक व्यय
152.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट सघटक योजना	4210-03-789-05-01 चिकित्सा महाविद्यालय कोटा	5.50	0.50	0.00
153.		4215-01-789-01-13 नर्मदा जल प्रदाय परियोजना (एफ.आर.) नाबार्ड	2.16	1.98	0.00
154.		4215-01-789-01-19 बाडमेर लिफ्ट केनाल जल प्रदाय परियोजना फेज 2	7.33	9.74	0.00
155.		4215-01-789-01-78 बत्तीसा नाले पर बांध बनाकर सिरोही जिले हेतु पेयजल योजना (ग्रामीण)	4.50	2.23	0.00
156.		4215-01-789-02-06 चम्बल बालेर सवाईमाधोपुर जल प्रदाय परियोजना	10.10	₹ 1000	0.00
157.		4215-01-789-02-40 चम्बल भीलवाडा जल प्रदाय परियोजना-कलस्टर	4.50	₹ 1000	0.00
158.		4215-01-789-02-43 भीनमाल शहर एवं भीनमाल तहसील के 256 गांवों हेतु जलापूर्ति परियोजना	5.40	0.61	0.00
159.		4215-01-789-02-56 डुंगरपुर आसपुर एवं दोवडा पेयजल परियोजना	6.50	₹ 1000	0.00
160.		4215-01-789-02-45 ईसरदा बांध का निर्माण कार्य (जल संसाधन विभाग के माध्यम से)	4.50	₹ 1000	0.00
161.		4215-01-789-02-58 बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)	6.14	1.94	0.00
162.		4401-789-01-06 कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से	2.00	0.74	0.00
163.		4705-789-09-01 भूमि विकास कार्य	7.52	-	0.00
164.		4853-01-789-02-02 खनन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	2.95	-	0.00
165.		5054-04-789-04-14 नाबार्ड आर.आई.डी. एफ.-XXV (सड़क उन्नयन परियोजना)	15.83	₹ 1000	0.00
			योग	2,766.38	

स्रोत: विनियोग लेसे।

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.3; पृष्ठ 104)

मामले जहाँ अन्तिम तीन वर्षों में सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहे

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान	लेखाशीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20
1.	8-राजस्व	2029-103-09-01 वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला (जी.आई.एस.लैब)	11.70	11.70	1.00
2.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-797-02 राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध	274.29	200.00	250.00
3.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2225-02-196-16-01 छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना	1.50	1.00	1.25
4.		3425-01-796-05 सरसेक/सेटकाम नेटवर्क	3.19	3.31	1.00
5.		4202-01-796-11-90 शिक्षक शिक्षा के लिये ब्लाक संस्थान के निर्माण कार्य	1.17	1.27	4.00
6.		4853-01-796-04-02 स्ननन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.25	1.96	1.96
7.	33-पर्यटन स्थलों का विकास	2235-02-103-20-01 मिशन ग्राम्य शक्ति-महिला अधिकारिता विभाग के माध्यम से	10.60	7.35	2.21
8.	43-स्ननिज	4853-01-004-07-02 स्ननन क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से	1.20	5.00	5.00
9.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण के हेतु विशिष्ट सघंटक योजना	2225-01-196-21-01 छात्रावासियों को साईकिल वितरण योजना	2.00	1.50	2.00
10.		3425-01-789-05 सरसेक/सेटकॉम नेटवर्क	4.29	4.75	1.50
11.		4202-01-789-06-90 शिक्षक शिक्षा के लिये ब्लाक संस्थान-निर्माण कार्य	1.17	1.27	4.00
		योग	312.36	239.11	273.92

स्रोत: विनियोग लेखे।

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ अनुच्छेद 3.5.4; पृष्ठ 106)

व्यय का प्रवाह (जहाँ अन्तिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में रुपये 10 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 50 प्रतिशत से भी अधिक था) ।

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुआ व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
1	10-विविध सामान्य सेवाएं	2075-797-01 मद 8235-117 गारंटी मोचन निधि को हस्तांतरण	586.86	586.86	586.86	100.00	100.00
2	16-पुलिस	4055-207-02 जिला पुलिस	37.72	36.1	37.72	100.00	95.71
3	23-श्रम तथा रोजगार	2230-01-103-07 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल राजस्थान-प्रतिबद्ध	382.59	382.59	382.59	100.00	100.00
4	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-03-103-11 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	13.27	13.21	22.31	59.48	59.21
5		4202-01-202-17 नाबार्ड आरआईडीएफ-XXIII के तहत निर्माण कार्य	15	15	15	100.00	100.00
6		4202-01-202-18 नाबार्ड आरआईडीएफ XXIV के तहत माध्यमिक विद्यालयों में निर्माण कार्य	28.57	21.07	28.57	100.00	73.75
7	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-06 राजस्थान चिकित्सा शिक्षा सोसायटी	75.5	60	109.5	68.95	54.79
8		2210-06-190-01 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	108.5	108.5	178.42	60.81	60.81
9	27-पेयजल योजना	4215-01-102-78 नर्मदा परियोजना-कलस्टर (डी.आर.)	17.4	14.53	25.61	67.94	56.74
10	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-190-02 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	59.58	52.72	104.31	57.12	50.54
11		2217-05-800-01 स्मार्ट सिटी	30	30	30	100.00	100.00
12		3055-800-07 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	43.47	43.47	76.82	56.59	56.59
13	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2403-797-02 राजस्थान गौसरक्षण एवं संवर्धन निधि को हस्तांतरण	90	90	90	100.00	100.00
14		2425-796-33 सहकारी संस्थाओं को ब्याज अनुदान	66.64	66.64	66.64	100.00	100.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुआ व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
15	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2425-797-35 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	37.68	37.68	37.68	100.00	100.00
16		2501-05-196-07 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के एस.वाई) जल ग्रहण घटक	26.83	26.83	26.83	100.00	100.00
17		2801-80-796-01 राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के माध्यम से	1866.28	1866.28	1866.28	100.00	100.00
18		4210-03-796-07 पी.एम.एस.एस.वाई के अन्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय का उन्नयन फेज-IV	24.02	24.02	25.97	92.49	92.49
19		4225-02-796-09 उपयोजना क्षेत्र में सिंचाई सुविधा हेतु विभिन्न निर्माण कार्य (एस सी ए)	12	12	24	50.00	50.00
20		4225-02-796-11 संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत योजनाएं जिनके लिए भारत सरकार से राशि प्राप्त हुई (वि.के.सण)	51.3	51.3	84.32	60.84	60.84
21		4801-80-796-07 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	43.98	43.98	43.98	100.00	100.00
22		4801-80-796-08 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	40.67	40.67	40.67	100.00	100.00
23		4801-80-796-09 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	42.11	42.11	42.11	100.00	100.00
24		34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-106-08 बाढ़ क्षेत्र में सराब सड़कों तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	35.53	30.91	38.41	92.50
25	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-114-09 लघु एवं सीमांत कृषकों को फसल हानि पर कृषि आदान अनुदान	367.22	227.14	380.68	96.46	59.67
26		2245-02-282-07 बाढ़ क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य	63.01	63.01	63.01	100.00	100.00
27	35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवार्यें	3454-02-205-03 राजस्थान जन आधार योजना	17.22	17.22	17.22	100.00	100.00
28	36-सहकारिता	2425-107-20 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	189.38	189.38	366.5	51.67	51.67

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुआ व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
29	36-सहकारिता	2425-800-02 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	206.92	206.92	206.92	100.00	100.00
30	37-कृषि	2435-60-800-01 कृषक कल्याण कोष (के-3) हेतु सहायता	20	20	20	100.00	100.00
31		6401-800-10 कृषि उपज मण्डी को अनुदान (नाबार्ड)	20	20	20	100.00	100.00
32	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	2403-797-02 राजस्थान गौसरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण	272	272	272	100.00	100.00
33		2403-797-03 राजस्थान गौसरक्षण एवं संवर्धन निधि, आरक्षित कोष को अन्तरण	18.5	18.5	18.5	100.00	100.00
34	42-उद्योग	2852-80-001-08 आयुक्त, उद्योग विभाग	139.25	137.2	148.53	93.75	92.37
35	43-स्ननिज	4853-01-004-07 स्ननन क्षेत्र में पर्यावरण सुधार तथा स्वास्थ्य से सम्बन्धित व्यय	25.17	25.17	33.63	74.84	74.84
36	46-सिंचाई	2700-05-001-01 अनुरक्षण व्यय	14.32	12.13	14.32	100.00	84.71
37	48-विद्युत	2801-80-190-32 ब्याज अनुदान हेतु सहायता	18.98	18.98	18.98	100.00	100.00
38		2801-80-190-41 उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता	9463.23	9463.23	9463.23	100.00	100.00
39		4801-80-190-02 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में विनियोजन	122.7	122.7	227.5	53.93	53.93
40		4801-80-190-10 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	213.64	213.64	213.64	100.00	100.00
41		4801-80-190-11 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	197.55	197.55	197.55	100.00	100.00
42		4801-80-190-12 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	204.54	204.54	204.54	100.00	100.00
43		51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु	2403-797-02 राजस्थान गौसरक्षण एवं संवर्धन निधि को अन्तरण	110	110	110	100.00
44	विशिष्ट संघटक योजना	2406-04-789-05 वन भूमि का निवल वर्तमान मूल्य	10.23	10.23	10.23	100.00	100.00

क्र.सं.	अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष (उपशीर्ष तक)	जनवरी-मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2020 के दौरान हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुआ व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी-मार्च 2020	मार्च 2020
45	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु	2425-789-01 सहकारी संस्थाओं को ब्याज भुगतान हेतु सहायता	82.87	82.87	82.87	100.00	100.00
46	विशिष्ट संघटक योजना	2425-789-06 सहकारी समितियों के अच्छे ऋणियों को ब्याज अनुदान	51.48	51.48	51.48	100.00	100.00
47		2801-80-789-01 उदय योजना के अंतर्गत वितरण निगमों को सहायता	2486.96	2486.96	2486.96	100.00	100.00
48		3055-789-07 राजस्थान परिवहन आधारभूत विकास निधि	11.28	11.28	19.93	56.60	56.60
49		4210-03-789-01 अस्पताल एवं औषधालय-चिकित्सा शिक्षा	21.61	16.68	30.12	71.75	55.38
50		4801-80-789-07 जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	56.55	56.55	56.55	100.00	100.00
51		4801-80-789-08 जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	52.29	52.29	52.29	100.00	100.00
52		4801-80-789-09 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में उदय योजनान्तर्गत विनियोजन	54.14	54.14	54.14	100.00	100.00
		कुल	18,246.54	18,058.26	18,825.92	96.92	95.92

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट-4.1

(संदर्भ अनुच्छेद 4.2; पृष्ठ 121)

राज्य में कार्यकारी अभिकरणों को केन्द्रीय योजना निधियों का सीधा हस्तान्तरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियाँ)

(₹ करोड़ में)

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	2019-20
कृषि गणना एवं सांख्यिकी की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	5.17
कृषि विपणन की एकीकृत योजना	कृषि विश्वविद्यालय	58.86
प्रधानमंत्री कृषक सम्मान निधि (पीएम-किसान)	राजस्थान सहकारी विभाग	3,284.17
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय	0.50
बीज और पौधारोपण सामग्री का प्रस्तुतीकरण	राजस्थान राज्य बीज निगम, राजस्थान राज्य बीज और जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण एजेन्सी	7.31
आईएचएमएस/एफसीआईएस/आईआईटीटीएम/एनआईड ब्ल्यूएसको सहायता	स्वाद्य क्राफ्ट संस्थान तथा राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान	13.76
सेवा प्रदाता के लिए क्षमता निर्माण	राज्य होटल प्रबन्धन संस्थान, केटरिंग तकनीकी एवं पोषण लागू करना तथा स्वाद्य क्राफ्ट संस्थान	0.65
तीर्थ यात्रा कायाकल्प तथा आध्यात्मिक वृद्धि (पीआरएएसएडी)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	6.70
विशिष्ट-थीम आधारित पर्यटन सर्किट का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन)	राजस्थान पर्यटन विकास निगम	21.29
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम	0.00
एन एफ एस ए के तहत स्वाद्यान्नों और एफ पी एस डीलरों के अंतर राज्य गतिविधि के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता	स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	78.35
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत देय चीनी सहाय्य (पी.डी.एस.)	राजस्थान राज्य स्वाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम	1.00
कला एवं संस्कृति का संवर्धन तथा बढ़ावा (अकादमी को सहयोग)	पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, उदयपुर	9.26
पर्यावरणीय संरक्षण तथा निगरानी (सूचना, शिक्षा, जानकारी तथा प्रशिक्षण)	राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड	1.40
स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु आधारभूत का विकास	सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	2.60
आयुष स्थापना व्यय	राजस्थान राज्य औषधीय पौध बोर्ड, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान और वन विकास एजेंसियां	1.87
राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	राजस्थान राज्य एड्स नियंत्रण समिति	38.69
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति	7.04
एन सी डी सी की मौजूदा शाखाओं की मजबूती और 27 शाखाओं की स्थापना	प्राचार्य, एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	1.24
ढांचागत विकास कार्यक्रम तथा क्षमता निर्माण	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम तथा उद्यम प्रोत्साहन संस्थान	10.94
स्वरीद और विपणन सहायता योजना	उद्यम उत्थान संस्थान, जयपुर	3.30
राष्ट्रीय बाल मजदूर परियोजना	बाल मजदूर परियोजना समितियां	1.75
ई-न्यायालय फेज-II	राजस्थान उच्च न्यायालय	1.29

भारत सरकार की योजना	कार्यकारी अभिकरण	2019-20
सुरपका मुंहपका रोग (एफ एम डी) और ब्रूसीलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम	पशु निदेशालय, जयपुर	40.76
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (आर सी डी एफ लि.)	24.40
राष्ट्रीय गोकुल मिशन	राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड (आर एल डी बी)	13.86
बायोगैस कार्यक्रम-ऑफ़ ग्रिड	कृषि विश्वविद्यालय एवं बाँयो फ्यूल प्राधिकरण	0.28
सौर उर्जा-आफ़ ग्रिड/ वितरित और विकेन्द्रीकृत अक्षय उर्जा	राजस्थान अक्षय उर्जा निगम और महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	88.12
पंचायतो को प्रोत्साहन	पंचायती राज विभाग	1.35
प्रशिक्षण योजनाएं	एच सी एम राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान	1.80
अटल अभिनव मिशन	जिला एआईएम तथा अकादमी संस्थान	3.98
संसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	जिलाधिकारी	170.00
चल रहे कार्यक्रम और पावर योजनाएं	एसपीवी-एस्पिरेशनल	2.99
सडक विंग के अन्तर्गत कार्य	उपस्वण्ड अधिकारी झूंझुनू तथा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन एच-11	1.68
डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	राजस्थान भू-अभिलेख आधुनिकीकरण समिति, जयपुर	3.23
आर डी कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना की सुदृढीकरण प्रक्रिया	ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र तथा इंदिरा पंचायती राज और ग्रामीण विकास संस्थान	0.94
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	राज्य रोजगार गारंटी निधि, जयपुर	5,427.78
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका विकास परिषद्	3.69
सामाजिक आर्थिक विकास हेतु विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी कार्यक्रम	शिक्षण संस्थान	3.88
राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना	जल संसाधन विभाग	3.00
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	जिलाधीश	1.81
वन स्टाप केन्द्र	जिलाधीश	6.77
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	महिला एवं बाल विकास विभाग	87.80
स्वेलों के विकास हेतु स्वेलो भारत राष्ट्रीय कार्यक्रम	राजस्थान खेल परिषद तथा शैक्षणिक संस्थान	24.53
राष्ट्रीय सेवा योजना	राजस्थान राज्य एनएसएस सेल	8.31
एक करोड़ से कम की योजनाएं (विभिन्न मंत्रालयों के तहत)		5.74
कुल योग		9,483.87

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ अनुच्छेद 4.5; पृष्ठ 128)

वर्ष 2019-20 तक के बकाया आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राशि
1.	जिला शिक्षा अधिकारी, बीकानेर	2202	1989-90	प्राचार्य डाइट, बीकानेर	0.30
2.	प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जालौर		1990-91	सहायक निदेशक डाइट, जालौर	0.30
3.	निदेशक प्रौढ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द		1996-97	जिला प्रौढ शिक्षा अधिकारी, राजसमन्द	0.08
4.	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	4202	1990-91	जिला परिषद, बाँसवाड़ा	0.30
					0.24
5.	रजिस्ट्रार राजस्व मंडल, अजमेर	2029	2007-08	राजस्व मंडल, अजमेर	292.18
6.	आयुक्त राहत विभाग, जयपुर	2245	2012-13	जिला न्यायाधीश एवं कलेक्टर, आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग, अलवर	103.50
7.	पुलिस महानिदेशक, पुलिस विभाग, जयपुर	2055	2014-15	उप-निदेशक (लेखा), विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस राजस्थान, जयपुर	57.00
					180.50
8.	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, जयपुर	2051	2016-17	सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन	2.00
9.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055	2016-17	उप-निदेशक (लेखा), विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	239.00
10.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055	2017-18	उप-निदेशक (लेखा), राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस राजस्थान, जयपुर	66.50
					83.50
					161.50
11.	प्राचार्य, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	4210	2017-18	अतिरिक्त प्राचार्य, सरदार पटेल चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	2125.67
12.	निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	2055	2018-19	उप-निदेशक (लेखा), विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पुलिस राजस्थान, जयपुर	261.40
					161.97
13.	महानिदेशक पुलिस विभाग, जयपुर	2055	2018-19	जिला पुलिस अधीक्षक, पाली	10.00
14.	निदेशक, एनसीसी निदेशालय, जयपुर	2204	2018-19	प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय, एन.सी.सी. मुस्थालय, जयपुर	2.64
					7.35
15.	निदेशक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर	3425	2018-19	उप-निदेशक (प्रशासन), माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर	6.00
					8.00
					2.00
16.	सचिव, राजस्थान सामान्य प्रशासक (ग्रुप-4) विभाग जयपुर	2013	2019-20	सहायक सचिव (कार्मिक) शासन सचिवालय	0.25
					0.25

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राशि
17.	रजिस्ट्रार राजस्व बोर्ड, अजमेर	2029	2019-20	उप रजिस्ट्रार राजस्व बोर्ड, अजमेर	52.00
18.	सचिव, राजस्थान सामान्य प्रशासक (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर	2052	2019-20	आहरण वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट, जयपुर	1.50
				सहायक सचिव (कार्मिक) शासन सचिवालय	0.30
19.	महानिदेशक पुलिस, पुलिस विभाग, जयपुर	2055	2019-20	जिला पुलिस अधीक्षक, पाली	6.00
					10.00
20.	निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बीकानेर	2202	2019-20	जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर	0.57
				जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा), अजमेर	1.19
21.	निदेशक, एन.सी.सी. निदेशालय, जयपुर	2204	2019-20	कमान्डिंग अधिकारी, प्रथम राज नेवल युनिट, एन.सी.सी. उदयपुर	0.13
				2 राज्य आमर्ड स्क्वाडन एन.सी.सी. जोधपुर	0.43
				7 राज. स्वतंत्र कंपनी, एन सी सी, जयपुर	0.12
				प्रशासनिक अधिकारी, एन.सी.सी. मुख्यालय, जयपुर	10.00
				कमान्डिंग अधिकारी III राज नेवल युनिट एन.सी.सी. जयपुर	0.29
				कमान्ड अधिकारी 7 एन.सी.सी. छात्रा (कोटा)	0.05
				2 राज आमर्ड स्क्वाडन एनसीसी जोधपुर	2.86
				कमान्ड अधिकारी I राज बटालियन एनसीसी जयपुर	1.01
				4 राज एयर स्क्वाडन एन.सी.सी. जोधपुर	1.25
				कमान्ड अधिकारी-III राज नेवल यूनिट एनसीसी जयपुर	0.08
					0.07
				कमान्ड अधिकारी, एनसीसी, सीकर	1.28
					2.00
				एनसीसी-I अलवर	2.23
कमान्ड अधिकारी-III, राज नेवल यूनिट एनसीसी, जयपुर	0.39				
22.	निदेशक, अभिलेखागार, बीकानेर	2205	2019-20	उपनिदेशक, अभिलेखागार, बीकानेर	1.50
23.	प्राचार्य, रविन्द्र नाथ टैगोर चिकित्सा महाविद्यालय, उदयपुर	2210	2019-20	सुन्दर सिंह भण्डारी, सेटेलाइट अस्पताल, चांदपोल, उदयपुर	5.64

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी का नाम	मुख्य शीर्ष	वर्ष	आहरण एवं वितरण अधिकारी	राशि
24.	मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जयपुर	2215	2019-20	अधिशाषी अभियंता (उत्पादन एवं वितरण), जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, उदयपुर	0.16
25.	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2217	2019-20	जिला निर्वाचन अधिकारी, बीकानेर	6.00
26.	आयुक्त आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग जयपुर	2245	2019-20	जिला कलक्टर (आपदा राहत), नागौर	10.00
				जिला कलक्टर (आपदा राहत), नागौर	10.00
				आहरण एवं संवितरण अधिकारी कलकट्टे जयपुर	11.00
				जिला कलक्टर (आपदा राहत), नागौर	5.00
27	मुख्य वन संरक्षक वन भवन झालाना, जयपुर	2406	2019-20	मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर	1.00
				बागान अधिकारी, उदयपुर	0.70
28	मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	2515	2019-20	जिला निर्वाचन अधिकारी, सीकर	1.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, पाली	5.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, सवाई माधोपुर	1.00
				जिला निर्वाचन अधिकारी, पाली	20.00
29	निदेशक, उद्योग विभाग, जयपुर	2851	2019-20	संयुक्त निदेशक जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर	4.86
30	निदेशक, स्नान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	2853	2019-20	अधीक्षण अभियन्ता (एम एंड डी) स्नान एवं भू-विज्ञान विभाग, उदयपुर	5.95
31	सचिव, राज्य कार्मिक (ग्रुप-1) जयपुर	3451	2019-20	अतिरिक्त सचिव (कार्मिक), सचिवालय	0.40
कुल योग					3,955.39

परिशिष्ट-4.3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.6.6; पृष्ठ 136)

वर्ष 2015-20 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	2015-20 के दौरान शेष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बताये गये कारण
1	जिला महिला स्तरीय एजेन्सी, अजमेर	4.69	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
2	प्राचार्य, आई टी आई, अजमेर	15.16	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
3	लाडर्स विश्वविद्यालय, अलवर	1.00	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
4	प्राचार्य, राजकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय, अलवर	0.25	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
5	नये मोटर वाहन अग्रिम, ओरीयन्टल बैंक ऑफ़ कॉमर्स, बांसवाड़ा	0.00	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	अधिकासी अभियंता, सिंचाई, बांसवाड़ा	7.34	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
7	स्पण्डीय वन, बांसवाड़ा	0.00	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
8	आईटीआई, केलवाडा, बांरा	1.28	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
9	अधिकासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, शहरी स्पण्ड, बाडमेर	2.05	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
10	अधिकासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उत्तर, बाडमेर	1.35	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
11	उप निदेशक (बालवकेश), महिला बाल विकास विभाग, बाडमेर	1.95	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
12	नये मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, बाडमेर	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
13	नये मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, बूंदी	0.26	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
14	नये मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, चुरु	0.29	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
15	पीडी, डीआरडीए, दौसा	314.26	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
16	एनएसएपी, दौसा	24.50	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
17	आरसीएच सोसायटी (जिला प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य समिति), दौसा	7.57	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
18	उप अधीक्षक पुलिस, जिला जेल, दौसा	0.25	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
19	सहायक अभियंता (कृषि) एससी एवं डब्ल्यूएसडी, दौसा	1.14	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
20	आईन (कृषि) डब्ल्यूडीएससी, बान्दीकुई, दौसा	7.08	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
21	नये मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, दौसा	0.14	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
22	नये मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, दौसा	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
23.	एनपीएस, दौसा	83.71	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
24.	उप निदेशक, जिला महिला विकास अभिकरण, धौलपुर	3.14	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
25.	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, हनुमानगढ़	1.22	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
26.	क्षेत्रीय एसडब्ल्यूएवीएम, जयपुर (शहर)	0.26	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
27.	प्राचार्य, राजकीय सीनियर स्कूल, गांधीनगर, जयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
28.	प्राचार्य, महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
29.	अध्यक्ष, मंत्री केन्द्रीय प्रेस सहकारी, जयपुर (शहर)	0.17	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।

क्र.सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	2015-20 के दौरान शेष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बताये गये कारण
30.	उप निदेशक, परियोजना निदेशक, जिला महिला एवं बाल विकास अभिकरण, जयपुर (शहर)	4.57	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
31.	सिसोदिया विद्याधर विकास समिति, जयपुर (शहर)	7.72	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
32.	राजस्थान राज्य संग्रहालय विकास संस्थान, जयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
33.	एसबीबीजे के लिए वाहन ऋण की वसूली, जयपुर (शहर)	0.21	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
34.	ओबीसी के लिए वाहन ऋण की वसूली, जयपुर (शहर)	0.01	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
35.	फार्मसी कोर्स में डिप्लोमा, जयपुर (शहर)	6.73	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
36.	राज कौशल स्कूल आफ एनिमेशन, जयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
37.	कलक्टर/उपनिदेशक, बचत, जयपुर (शहर)	0.38	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
38.	अध्यक्ष, ग्रामधन बोर्ड, जयपुर (शहर)	0.00	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
39.	एमडी, तिलम संघ, जयपुर (सचिवालय)	0.43	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
40.	राजस्थान सिविल एवियेशन कोरपोरेशन लिमिटेड जयपुर (सचिवालय)	12.27	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
41.	राजस्थान हॉर्टिकल्चर, जयपुर (सचिवालय)	3.03	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
42.	31 मार्च 2004 तक भवन ऋण की वसूली, जैसलमेर	24.51	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
43.	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, जैसलमेर	1.13	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
44.	अधीक्षक, आईटीआई, खानपुर, झालावाड़	2.67	पीडी खाते की सशर्त अनुमति दी गयी।
45.	परियोजना निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, जोधपुर (शहर)	2.67	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
46.	परियोजना निदेशक, पंजीकृत स्वयं सहायता समूह जोधपुर (शहर)	0.27	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
47.	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, जोधपुर (ग्रामीण)	0.03	अग्रिम कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
48.	कोषालय कार्यालय, भवन निर्माण अग्रिम की वसूली, एच डी एफ सी, नागौर	0.03	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
49.	मोटर वाहन अग्रिम की वसूली, ओरियन्टल बैंक ऑफ़ कामर्स नागौर	0.06	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
50.	अधिकासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, सोजत, पाली	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
51.	नये मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, राजसमंद	0.03	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
52.	31 मार्च 2004 तक स्वीकृत भवन निर्माण अग्रिम का पुनर्भुगतान, राजसमंद	0.12	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
53.	नये मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, सीकर	0.01	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
54.	राज्य सरकार के कर्मचारियों के वाहन ऋण की वसूली (एस बी बी जे), उदयपुर (शहर)	0.00	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
55.	अधिकृत स्वयं सहायता ग्रुप/टी आर जी एण्ड सी टी आर, उदयपुर (शहर)	0.01	पीडी खाता बंद किया जा चुका है।
	योग	545.95	

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ अनुच्छेद 4.7; पृष्ठ 138)

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत व्यय	कुल व्यय	प्रतिशत
1.	2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर	418.38	741.23	56.44
2.	2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	3.94	3.94	100.00
3.	2211-परिवार कल्याण	1687.84	3402.37	49.61
4.	2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	22.00	32.82	67.03
5	2700-मुख्य सिंचाई	1005.62	1445.85	69.55
6	2701-मध्यम सिंचाई	111.54	192.09	58.07
7	3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	11.65	11.87	98.15
8	3452-पर्यटन	26.46	49.77	53.16
9	4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.04	0.04	100.00
10	4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	16.64	22.30	74.62
11	4236-पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	14.30	19.89	71.90
12	4401-फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	41.93	80.18	52.29
13	4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	63.77	103.22	61.78
14	4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय	18.46	27.29	67.64
15	5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	1650.92	3200.80	51.58
16	5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.78	0.78	100.00
17	5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5.69	10.61	53.63
18	5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	127.36	187.69	67.86
	योग	5,227.32	9,532.74	

लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशत
1	0035-कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	1.32	1.32	100.00
2	0056-जेल	0.63	0.63	100.00
3	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	112.69	207.16	54.40
4	0202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	93.68	179.10	52.31
5	0211-परिवार कल्याण	0.16	0.16	100.00

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष 800 के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	कुल प्राप्तियाँ	प्रतिशत
6	0217-शहरी विकास	42.17	42.17	100.00
7	0220-सूचना तथा प्रसार	0.13	0.13	100.00
8	0230-श्रम तथा रोजगार	418.42	435.47	96.08
9	0235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	24.29	24.41	99.51
10	0401-फसल कृषि-कर्म	6.53	6.56	99.54
11	0406-वानिकी तथा वन्य प्राणी	69.59	109.47	63.57
12	0425-सहकारिता	5.30	9.11	58.18
13	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	11.51	11.80	97.54
14	0515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	13.54	14.59	92.80
15	0701-मध्यम सिंचाई	9.43	11.45	82.36
16	0702-लघु सिंचाई	3.52	6.50	54.15
17	0801-बिजली	17.17	17.17	100.00
18	0851-ग्राम तथा लघु उद्योग	1.42	1.42	100.00
19	0852-उद्योग	1.75	1.75	100.00
20	1452-पर्यटन	0.96	0.96	100.00
21	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	83.21	107.75	77.23
	योग	917.42	1189.08	

परिशिष्ट-4.5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.13; पृष्ठ 144)

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ (+) /हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2019-20 के अनुसार)
1	राजस्थान राज्य स्ननन एवं स्निज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2018-19	77.55	2,182.76	0	77.55
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड	2018-19	210.19	1,694.94	0	193.69
3	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	100.00	126.89	0	100.00
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2018-19	180.39	73.28	0	180.84
5	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	21.95	(-)151.80	(-)129.85	21.95
6	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2015-16	2.16	(-)8.71	(-)6.55	2.16
7	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	46.06	(-)49.89	(-)3.83	45.51
8	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2019-20	6.96	(-)25.12	(-)18.16	6.64
9	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2019-20	2.00	19.56	0	2.00
10	बाड़मेर लिग्नाईट स्ननन कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2018-19	20.00	0.3 4	0	0
11	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य स्ननन एवं स्निज लिमिटेड की सहायक)	2018-19	67.08	(-)1.61	0	0
12	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2019-20	4,656.57	(-)1,231.88	0	4,691.04
13	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	10,067.95	(-)4,382.81	0	10,417.95
14	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	11,332.51	(-)28,872.34	(-)17,539.83	11,332.51
15	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	10,018.03	(-)29,018.55	(-)19,000.52	10,465.57
16	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2019-20	10,487.99	(-)29,764.92	(-)19,276.93	10,487.99
17	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2018-19	12.94	172.24	0	12.94
18	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	(-)0.04	0	0
19	गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	370.05	(-)1,542.82	(-)1,172.77	0
20	छबड़ा पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	(-)0.04	0	0

परिशिष्ट

क्र.सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+) /हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूँजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2019-20 के अनुसार)
21	राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	30.16	0	0
22	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	0.05	(-)9.92	(-)9.87	0
23	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	0.05	(-)18.91	(-)18.86	0
24	राजकाम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड	2018-19	5.00	63.72	0	5.00
25	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2019-20	1.27	(-)2.19	(-)0.92	1.27
26	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवाएँ निगम लिमिटेड	2019-20	90.00	21.14	0	90.00
27	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की सहायक)	2019-20	129.87	8.33	0	0
28	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2019-20	50.00	0.00	0	50.00
29	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	0.05	(-)0.02	0	0.05
30	राजस्थान वित्त निगम	2019-20	160.73	(-)108.47	0	128.31
31	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2018-19	638.96	(-)4,975.52	(-)4,336.56	612.13
32	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम लिमिटेड	2016-17	48.67	21.07	0	33.51
33	जयपुर मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड	2018-19	1,694.04	(-)287.72	0	1,494.04
34	राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2019-20	5.00	20.16	0	5.00
35	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2018-19	5.00	44.37	0	5.00
36	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2018-19	0.05	(-)2.84	(-)2.79	0.05
37	राजस्थान राज्य स्वाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	50.00	36.73	0	50.00
38	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2019-20	7.59	130.34	0	6.33
39	राजस्थान राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2014-15	6.00	(-)54.67	(-)48.67	4.13
40	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2018-19	7.85	275.34	0	3.93
41	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2019-20	1.00	3.70	0	1.00
42	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड	2018-19	4.49	(-)6.35	(-)1.86	4.49
43	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	(-)0.12	0	100.00
44	कोटा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2019-20	200.00	8.23	0	65.40
45	अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्रतीक्षित	-	-	-	64.80
46	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	प्रथम लेखे प्रतीक्षित	-	-	-	100.00
	योग		50,986.20	(-)95,590.87	(-)61,567.97	50,862.78

31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वर्ष
के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट-4.6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 146)

विभिन्न विभागों में चोरी/हानि और दुर्विनियोजन के मामलों का श्रेणीवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	25	123.95	30	1135.55	55	1259.50
2.	शिक्षा	96	138.47	75	4952.76	171	5091.23
3.	चिकित्सा	20	250.47	49	471.72	69	722.19
4.	सार्वजनिक निर्माण	03	1.40	18	476.57	21	477.97
5.	जल संसाधन	01	.05	02	33.95	03	34.00
6.	भू-जल	03	3.86	02	3.40	05	7.26
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	02	4.12	00	00	02	4.12
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	06	12.56	05	69.73	11	82.29
9.	वन	03	26.42	02	77.32	05	103.74
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	205	204.17	17	90.42	222	294.59
11.	न्याय	04	1.68	10	118.92	14	120.60
12.	पुलिस	14	16.35	07	29.07	21	45.42
13.	महिला एवं बाल विकास	02	3.61	05	7.10	07	10.71
14.	स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान	02	4.61	06	40.67	08	45.28
15.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	64	1111.24	57	1427.78	121	2539.02
16.	विविध	24	124.29	37	924.11	61	1048.40
	योग	474	2,027.25	322	9,859.07	796	11,886.32

परिशिष्ट-4.7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 147)

पेंशन के अधिक/कम भुगतान का विवरण

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	अधिक भुगतान के कारण	2019-20 के दौरान किये अधिक भुगतान	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	निर्धारित अवधि के समाप्त होने के पश्चात भी पारिवारिक पेंशन कम नहीं होना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 62)	45	80.43
2.	आश्रित के 25 वर्ष की आयु/विवाह/रोजगार प्राप्त होने के पश्चात भी पारिवारिक पेंशन को नहीं रोकना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 67)	01	0.69
3.	रूपान्तरण के पश्चात भी पेंशन कम नहीं होना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन के रूपान्तरण) नियम 1996 के नियम 28)	24	11.02
4.	पेंशनरों की मृत्यु के पश्चात भी पेंशन का भुगतान	25	14.13
5.	पेंशनरों को उनके पुनः रोजगार अवधि के दौरान मंहगाई राहत का भुगतान किया जाना (राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 164)	03	1.18
6.	पेंशन और मंहगाई राहत का स्वीकार्य दर से अधिक दर पर भुगतान किया जाना	21	11.62
7.	विविध (ग्रेच्युटी, अतिरिक्त पेंशन आदि)	40	32.15
	योग	159	151.22

© भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक
<https://cag.gov.in>

<https://cag.gov.in/ag1/rajasthan/hi>